


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन


मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सूचना
प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग
2008 की संख्या सीए 10
(अनुपालन लेखापरीक्षा)



विषयसूची

अध्याय	विषय	साक्षेउ	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		iii
	विहंगावलोकन		v
	संकेताक्षरों की शब्दावली		xii
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
I	अन्य सेवा प्रदाताओं से इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेज (आईयूसी) के बिल बनाने तथा संग्रहण की प्रणाली	भारत संचार निगम लिमिटेड	1
	रक्षा मंत्रालय		
II	ईआरपी प्रणाली में सामग्री प्रबन्धन	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स तथा इंजीनियर्स लिमिटेड	16
III	ईआरपी पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय मापांक	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	28
	वित्त मंत्रालय		
IV	ईआरपी के अन्तर्गत वितरण एवं निर्माण मापांक	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड	41
V	एकीकृत गैर जीवन बीमा अनुप्रयोग साफ्टवेयर (आईएनएलआईएएस)	दि ओरियन्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	53
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
VI	ईआरपी प्रणाली का सामग्री प्रबन्धन, बिक्री और वितरण, मानव संसाधन और परियोजना प्रणाली मापांक	गेल (इंडिया) लिमिटेड	72
VII	ईआरपी का वित्तीय प्रबन्धन मापांक	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	89
VIII	सामग्री प्रबन्धन प्रणाली	ऑयल इंडिया लिमिटेड	97
	रेल मंत्रालय		
IX	ईआरपी के वित्तीय लेखांकन मापांक	कोंकण रेल निगम लिमिटेड	119
	इस्पात मंत्रालय		
X	केन्द्रीय विपणन संगठन में सीएमओ आईटी समर्थित प्रणाली	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	127
	परिशिष्ट		137




प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) 2008 की संख्या 9 में प्रारम्भिक अभ्युक्तियों का सन्दर्भ लेते जिसमें उल्लेख किया गया था कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (साक्षेउ) में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग का प्रतिवेदन संख्या 10 सीए चयनित साक्षेउ के चयनित क्षेत्रों के प्रचालनों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का मूल्यांकन दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन में चयनित साक्षेउ के निम्नलिखित क्रियाकलापों पर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की समीक्षा शामिल है:

मंत्रालय/विभाग का नाम	समीक्षा का शीर्षक/साक्षेउ का नाम
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	भारत संचार निगम लिमिटेड में अन्य सेवा प्रदाताओं से इन्टरकनेक्ट यूसेज चार्ज (आईयूसी) के बिल बनाने तथा संग्रहण की प्रणाली
रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग	गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड में ईआरपी प्रणाली में सामग्री प्रबन्धन
	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ईआरपी के अन्तर्गत वित्तीय मापांक
वित्त मंत्रालय	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड में ईआरपी के अन्तर्गत वितरण एवं निर्माण मापांक
	दि ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में एकीकृत गैर जीवन बीमा अनुप्रयोग साफ्टवेयर (आईएनएलआईएस)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	गेल (इंडिया) लिमिटेड में ईआरपी प्रणाली का सामग्री प्रबन्धन, बिक्री और वितरण, मानव संसाधन और परियोजना प्रणाली मापांक
	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में ईआरपी वित्तीय प्रबन्धन मापांक
	आयल इंडिया लिमिटेड में सामग्री प्रबन्धन प्रणाली
रेल मंत्रालय	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड में ईआरपी का वित्तीय लेखांकन मापांक
इस्पात मंत्रालय	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के केन्द्रीय विपणन संगठन में सीएमओआईटी समर्थित प्रणाली।



विहंगावलोकन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस खण्ड में छः मंत्रालयों के अन्तर्गत दस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रयोग की गई कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों की लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। यद्यपि लेखापरीक्षा में कम्प्यूटरीकरण के विविध क्षेत्रों तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालन तत्वों को शामिल किया गया परन्तु लेखापरीक्षा में देखी गई कुछ सामान्य कमियां इस प्रकार थी:

- हालांकि मानक उद्यम संसाधन योजना प्रणालियां प्रयोग की गई थीं, परन्तु ये सर्वोत्तम उपयोग के सत्व की विशिष्ट कारबार अपेक्षाओं/नियमों हेतु उपयुक्तया प्रचलन में नहीं थीं।
- प्रणाली के सभी मापांकों तथा क्रियाशीलता का उपयोग नहीं किया जा रहा था जिसके कारण एकल कार्य प्रणालियां तथा हस्त्य हस्तक्षेप जारी रहे।
- कारबार निरन्तरता योजनाएं, आपदा राहत योजनाएं एवं सूप्रौ सुरक्षा नीतियां या तो थी हीं नहीं और जहां प्रतिपादित थीं, दोषपूर्ण थीं।
- इनपुट नियन्त्रणों तथा वैधीकृत जांचों में कमियां, आंकड़ों की सम्पूर्णता, विश्वसनीयता एवं सत्यता सुनिश्चित नहीं करती थी।
- ईआरपी मापांको के प्रयोक्ताओं में सही आकड़ों की इनपुट पहुंच तथा प्रणाली की सुरक्षा के बारे में जागरूकता की कमी थी।

अलग अलग लेखापरीक्षाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विहंगावलोकन नीचे दिया गया है:

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारत संचार निगम लिमिटेड

- ❖ अन्य सेवा प्रदायकों से इन्टरकनेक्ट यूसेज चार्जेज के बिल बनाने एवं संग्रहण की प्रणाली
 - इन्टरकनेक्ट यूसेज चार्जेज (आईयूसी) वे प्रभार हैं जो एक बहु प्रचालक परिवेश में एक सेवा प्रदायक द्वारा अथवा अधिक सेवा प्रदायकों को कालों के आरम्भ, पारगमन और समापन हेतु नेटवर्क तत्वों के उपयोग करने के लिए दिए जाने होते हैं। जबतक 2005 में कम्पनी ने कम्प्यूटरीकृत इन्टर आपरेटर बिलिंग एण्ड एकाउंटिंग सिस्टम (आईओबीएएस) आरंभ नहीं किया तब तक सेकंडरी स्विचिंग क्षेत्रों में (आईयूसी) का संग्रहण एवं लेखाकरण हस्त्य रूप से किया जाता था। बकाया दावों की गलत संगणना के कारण पूर्व आईओबीएएस तथा आईओबीएएस अवधि से संबंधित 527 करोड़ रूपए के आईयूसी कम संग्रहित हुए अभिगम घाटा प्रभारों का

कम संग्रहण और कमजोर आंतरिक नियंत्रण को कम्प्यूटरीकृत बिल बनाने की प्रणाली से जोड़ा गया।

रक्षा मंत्रालय

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड

❖ ईआरपी प्रणाली में सामग्री प्रबन्धन

- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड ने सामग्री प्रबन्धन मापांको के संक्रियात्मकता को सम्मिलित करते हुए ईआरपी प्रणाली के चरण I के कार्यान्वयन हेतु जून 2007 तक 3.76 करोड़ रु व्यय किए। अनुप्रयोग की सूची लेखापरीक्षा में प्रणाली के प्रचलन में कमियों का पता चला तथा उनमें अपर्याप्त इनपुट और वैधीकरण नियंत्रणों के उदाहरण थे जिससे डाटा को सही रूप से और समय से प्राप्त करने में अवरोध हुआ। सुरक्षा स्थापन में कमियां थी जिससे प्रणाली अनाधिकृत पहुंच तथा हेरफेर के जोखिम से सुरक्षित नहीं थी। प्रणाली कम्पनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप सामान सूची के मूल्यांकन का कार्य नहीं कर सकी। इस प्रकार प्रणाली का उपयोग पूर्ण मात्रा में नहीं हो रहा था।

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर

❖ ईआरपी के अन्तर्गत वित्तीय मापांक

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (कम्पनी) ने समान कार्यविधि तथा पद्धति निर्णय लेने के लिए ऑनलाइन सूचना एवं आटोमेशन के विलग द्वीपों के विलोपन के उद्देश्य से तीन प्रमुख कार्यस्थलों (अर्थात्- कारपोरेट कार्यालय, विमान विभाग तथा हेलिकाप्टर प्रभाग में जुलाई 2004 तथा जनवरी 2006 के बीच औद्योगिक वित्त प्रणाली (आईएफएस), एक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) पैकेज कार्यान्वित किया। तीन प्रमुख कार्य स्थलों पर ईआरपी पैकेज की प्राप्ति और कार्यान्वयन तथा आईएफएस के वित्तीय मापांक के उपयोग की समीक्षा की गई तथा निम्नवत देखा गया कि:

- ईआरपी साफ्टवेयर की चयन प्रक्रिया पारदर्शक नहीं थी क्योंकि कार्यान्वयन भागीदार साफ्टवेयर के निर्धारण तथा अंतिम रूप देने में परामर्शदाता के रूप में भी शामिल था। कम्पनी ने प्रणाली अभिकल्प प्रलेख प्राप्त नहीं किए तथा पूर्णतः विक्रेता पर आश्रित थी जिसके कारण आवर्ती व्यय का अतिरिक्त भार पड़ा
- सूची सुरक्षा नीति सहित सूची नीति प्रतिपादित नहीं की गई थी।

- प्रत्यक्ष और युक्तियुक्त नियन्त्रणों में कमियां थीं तथा आकड़ों की नाजुकता तथा सूक्ष्मग्राहिता के अनुसार उचित रूप से वर्गीकृत नहीं किए गए थे।
- प्रणाली अभिकल्प की कमियों के कारण प्रणाली संतुलनों तथा लेखा अधिशेषों के समाधान हेतु हस्त्य हस्तक्षेप करने पड़े।

वित्त मंत्रालय

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर

❖ ईआरपी के अन्तर्गत वितरण एवं निर्माण मापांक

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्राइवेट) लिमिटेड ने लागत न्यूनीकरण और गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) के लिए साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की प्राप्ति एवं प्रतिष्ठापन पर 13.98 करोड़ रु का निवेश किया। पूर्णता प्रमाणपत्र पर मई 2004 में हस्ताक्षर किए गए। ईआरपीके अन्तर्गत वितरण एवं निर्माण मापांक के कार्य निष्पादन की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई। प्रमुख निष्कर्ष निम्न प्रकार थे:

- प्रशिक्षित ईआरपी कोर टीम के अनुपयुक्त प्रबन्धन के परिणामस्वरूप ईआरपी प्रणाली का उपयोग नहीं हुआ।
- पूर्णता प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करते समय प्रबन्धन द्वारा अपेक्षित उचित व्यावसायिक सावधानी का उपयोग नहीं किया गया था।
- पैकेज के प्रचलन में लम्बे अन्तरालों के परिणामस्वरूप प्रणाली का उपयोग नहीं हुआ तथा कम्पनी कारबार प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी लाभों से वंचित रही।
- इनपुट नियंत्रणों जैसे अनुप्रयोग नियंत्रणों के अभाव तथा प्रणाली की कमियों के कारण त्रुटियों का स्वतः पता लगाने में रूकावट हुई।
- आंकड़े डिजिटल हस्ताक्षर से कूटीकृत तथा वैधीकृत नहीं थे हालांकि कम्पनी द्वारा प्रहस्तित सूचना की गोपनीयता परम महत्वपूर्ण थी।

दि ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

❖ एकीकृत गैर जीवन बीमा अनुप्रयोग साफ्टवेयर (आईएनएलआईएएस)

- दि ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ने फ्रंट आफिस कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के स्थान पर एकीकृत गैर जीवन बीमा अनुप्रयोग साफ्टवेयर (आईएनएलआईएएस) का परिवर्तन करने का निर्णय लिया (2002)। कम्पनी द्वारा कार्यान्वयन तथा प्रचालन अनुप्रयोग के विभिन्न पहलुओं की

लेखापरीक्षा में पता चला कि यद्यपि आईएनएलआईएस को करार (अगस्त 2002) की तारीख से दो वर्षों के भीतर पूर्ण करने की योजना थी, परन्तु इसका कार्यान्वयन दोषपूर्ण प्रयोक्ता अपेक्षा विनिर्देशनों के कारण पूरा नहीं किया जा सका था (जून 2007)। कम्पनी ने आईएनएलआईएस के विलम्बित "सजीवीकरण" के कारण वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर 8.51 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय किया। पूर्ण प्रचालन की कमी, अभिकल्प में असंगतता एवं अपर्याप्तता तथा इनपुट नियन्त्रणों व वैधीकरण जांचों की कमी के परिणामस्वरूप हस्तक्षेपों की आवश्यकता हुई जिससे हेर-फेर, त्रुटियों हेतु भेद्य तथा नियमों एवं विनियमों के सुसंगत प्रावधान के असंगत बन गई। प्रणाली में डाले गए अशुद्ध आंकड़ों के कारण डाटा बेस को अविश्वसनीय बना दिया। समग्र रूप में अनुप्रयोग का कम प्रयोग हुआ तथा उन्नत निर्णय लेने हेतु आन लाइन तथा सही सूचना की उपलब्धता के उद्देश्य पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हुए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

गेल (इंडिया) लिमिटेड

- ❖ **ईआरपी प्रणाली के सामग्री प्रबन्धन, बिक्री और वितरण, मानव संसाधन और परियोजना प्रणाली मापांक**
- गेल इंडिया लिमिटेड ने 1998 में ईआरपी के लिए परिवर्तन करने का एक प्रस्ताव प्रवर्तित किया तथा अन्ततः 63.98 करोड़ रूपए की लागत से परियोजना को अगस्त 2005 में पूरा किया। लेखापरीक्षा में कम्पनी के चुने हुए कार्यालयों में अप्रैल 2005 से मार्च 2007 की अवधि के लिए प्रणाली के नौ मापांकों में से चार नामतः सामग्री प्रबन्धन, बिक्री एवं वितरण, परियोजना प्रणाली तथा मानव संसाधन के समग्र निष्पादन की समीक्षा की गई। समीक्षा से अनिवार्य कारबार अपेक्षाओं तथा कार्यात्मकता की गैर योजना और प्रचलन एवम् सभी उपलब्ध विशिष्टताओं के उपयोग के अभाव का पता चला जिसके कारण ईआरपी एसएपी समाधान का कम उपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त प्रणाली में इनपुट नियन्त्रणों तथा वैधीकरण की जांच का अभाव था जिससे हस्तक्षेपों की आवश्यकता पड़ी और इस प्रकार डाटाबेस की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ा। इन अपर्याप्ताओं के परिणामस्वरूप कम्पनी के सभी कारबार आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रणाली की असंगति तथा दोषपूर्ण/विलम्बित एमआईएस सूचना और निर्णय लेने का जोखिम हुआ। प्रणाली का कम उपयोग होने के कारण बाजार में प्रतियोगिता लाभ हेतु सूचना की तुरन्त उपलब्धता, प्रचालन क्षमता तथा उत्पादकता में सुधार एवं उच्चतर ग्राहक सेवा व सन्तुष्टि की प्राप्ति के आधारभूत उद्देश्यों से समझौता करना पड़ा।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

❖ ईआरपी का वित्तीय प्रबन्धन मापांक

- अक्टूबर 2003 में क्षमता हेतु परियोजना सूचना समेकन (आईसीई) जिसमें एसएपी के सभी दस मापांकों* अर्थात् माई एसएपी तेल एवं गैस अपस्ट्रीम समाधान सहित माई एसएपी फाइनेंसियल एवं लाजिस्टिक्स ईआरपी पैकेज के उपयोग की परिकल्पना की गई। यह सिस्टम अक्टूबर 2003 तथा जनवरी 2005 की समयावधि में कुल 81.50 करोड़ रू के निवेश (कार्यान्वयन लागत को छोड़कर) से कम्पनी में लागू की गई थी। ईआरपी परिवेश में वित्तीय प्रबन्धन की सूप्रौ लेखापरीक्षा ईआरपी में इन्द्राज प्रक्रियागत तथा सूचित वित्तीय आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं सम्पूर्णता पर निर्भरता प्राप्त करने के लिए की गई थी।
- सूप्रौ लेखापरीक्षा में प्रचलन, इनपुट नियन्त्रणों तथा वैधीकरण जांचों में कमियों का पता चला। इन कमियों का प्रभाव नियन्त्रण मापांकों में किए गए लागत आबंटन एवं लागत लेखांकन तथा लाजिस्टिक्स मापांक में संव्यवहारों में गलत मानक केन्द्र निर्धारण तथा लेखांकन प्रलेखों के अनुवर्ती प्रवाह पर पड़ा। वैधीकरण जांचों में कमियों से निष्पादित किए जा रहे कार्यों में असामन्जस्य हुआ। इनके अतिरिक्त बिना उचित सत्यापन तथा शोधन के पुरानी सिस्टम से आईसीई में आंकड़ों के स्थानांतरण से सिस्टम में संचित सूचना त्रुटिपूर्ण हो गई। कम्पनी को इन कमियों को समीक्षा तथा सुधार करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

आयल इंडिया लिमिटेड

❖ सामग्री प्रबन्धन प्रणाली

- आयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की खोज विकास एवं उत्पादन में लगा हुआ है। यह मुख्यतया पूर्वोत्तर क्षेत्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तरांचल में कार्य करता है। कम्पनी ने अपने सभी कारबार प्रक्रियाओं में उन्नत कार्यक्षमता तथा प्रभावकारिता विश्व की सर्वोत्तम लागत प्रबन्धन के समकक्ष प्रणाली प्रस्तुत करने तथा उत्पादकता में निरन्तर सुधार के लिए "उद्यम संसाधन योजना" प्रणाली का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया (अप्रैल 2005)। सामग्री प्रबन्धन की लेखापरीक्षा में इनपुट एवं वैधीकरण नियंत्रणों की कमी का पता चला जिसके कारण अपूर्ण डाटा बेस, अभिग्रहण में विलम्ब, डाटा विक्रेताओं के संव्यवहारों और अधिक सामग्री जारी करने के ब्यौरों के संबंध में विसंगति हुई। पुरानी प्रणाली से आंकड़ों की अपूर्ण पोर्टिंग के परिणामस्वरूप कम प्रयुक्त मर्दों के संबंध में प्रावधानों का अवकथन हुआ। इसके अतिरिक्त ईआरपी प्रणाली के लागू होने के बाद भी सामग्री आवश्यकता योजना हस्त्य-माध्यम से की जा रही थी।

* वित्तीय (एफआई), नियंत्रण (सीओ), सामग्री प्रबन्धन (एमएम), संयंत्र रखरखाव (पीएम), परियोजना सिस्टम (पीएस), निवेश प्रबन्धन (आईएम), परिसम्पत्ति प्रबन्धन (एएम), कोषागार (एफएम), बिक्री एवं वितरण (एसडी), कारबार सूचना भाण्डागार (बीडब्ल्यू)

रेल मंत्रालय

कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड

❖ ईआरपी का वित्तीय लेखांकन मापांक

- संगठन के विभिन्न वित्तीय एवं प्रचालनात्मक क्रियाकलापों की क्षमता बढ़ाने तथा निदेशक बोर्ड को निर्णय लेने में सहायता हेतु प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट समयानुसार तैयार करने हेतु कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने 1995 में टाटा इन्फोटेक लिमिटेड के माध्यम से 17 मापांकों वाला रेलवे ऐप्लीकेशन पैकेज (आरएपी) से ज्ञात एक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) तैयार की तथा इसे 5.26 करोड़ रुपए की लागत पर 2001 में कार्यान्वित किया।
- वर्ष 2004 तक, कम्पनी ने अनुभव किया कि अल्फा सर्वरों का उत्पादन बन्द होने तथा इन्फॉर्मिक्स फार्मों के उपयुक्त विकास उपकरणों की प्राप्ति में असमर्थता के कारण आरएपी, प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण से समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही थी। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने आरएपी प्रणाली को जेआरएपी के रूप में ज्ञात ओपन एन्डेड जावा आधारित सिस्टम में पुनः निर्माण करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2004) तथा सिस्टम को 3.96 करोड़ रुपए की लागत से अप्रैल 2005 तक कार्यान्वयन के लिए मैसर्स अमृता टेक्नोलोजीस लिमिटेड (एटीएस) को कार्य सौंपा। मैसर्स अमृता टेक्नोलोजीस लिमिटेड को सम्पूर्ण लागत जारी कर दिये जाने के बावजूद सिस्टम के सभी 17 मापांक जनवरी 2007 तक कार्यान्वित किए गए वित्तीय लेखांकन (एफए) मापांक को छोड़कर आज तक (सितम्बर 2007) लागू नहीं किए गए थे।
- जेआरएपी प्रणाली की सूत्रों लेखापरीक्षा ने आरएपी वित्तीय लेखांकन (एफए) मापांक तथा अन्य 16 मापांकों से इसका संयोजन एवं विभिन्न अनुप्रयोग नियन्त्रणों पर मुख्य ध्यान देते हुए विकास एवं कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि कम्पनी ने परियोजना का आरएपी से जेआरएपी में स्थानांतरण करने से पूर्व तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया था। परिणामस्वरूप कम्पनी को प्रणाली के रखरखाव में कठिनाइयां हो रही थीं। तीन वर्षों के बीत जाने पर भी सभी मापांकों को आरएपी से जेआरएपी में स्थानांतरण न किए जाने का अर्थ है कि कम्पनी को बिना अधिक मूल्य अधिकत्व के दोनों प्रणालियों का रखरखाव करना पड़ा।
- एफए मापांक में भी विवेचनात्मक प्रणाली अपेक्षाएं थीं जिनकी न तो परिकल्पना की गयी थी और न ही अभिकल्पना की गई थी। अन्य मापांकों का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण अन्य मापांकों के साथ विवेचनात्मक अंतरापृष्ठ सम्भव नहीं था। वैधीकरण जांच अपर्याप्त था परिणामस्वरूप नियन्त्रण हाथों द्वारा किए जा रहे थे। आपदा राहत तथा कारबार निरन्तरता योजना नहीं थी जिसके कारण डाटा की हानि के संभावित जोखिम के लिए आंकड़े और कारबार आरक्षित थे। इस प्रकार, ईआरपी प्रणाली के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों की

प्राप्ति नहीं हुई। कम्पनी को एक समयबद्ध ढंग से प्रणाली में कमियों की पहचान करने की आवश्यकता थी।

इस्पात मंत्रालय

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

❖ केन्द्रीय विपणन संगठन में सीएमओआईटी समर्थित प्रणाली

- केन्द्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का बिक्री एवं वितरण नेटवर्क है जिसमें पूरे भारत के प्रमुख नगरों तथा शहरों में स्थित 34 शाखा कार्यालयों का तथा मालगोदामों का एक नेटवर्क सम्मिलित है। कम्पनी ने 2004 में सीएमओ को सही समय पर निर्णय करने की शक्ति प्रदान करने वाला समेकित, समान, सुसंगत और अद्यतन सूचना सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएमओआईटी समर्थित सिस्टम का सृजन किया। तथापि, कम्पनी अपनी कारबार क्रियाकालों की योजना हेतु एमडीएलसी पहुंच बनाने में विफल रही। कारबार नियमों की अपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप कम्पनी का सम्पूर्ण क्रियाकलाप सिस्टम में उचित रूप से अभिग्रहीत नहीं किया गया है फलस्वरूप सीएमओआईटीईएस के कार्यान्वयन के बाद भी विभिन्न क्रियाओं का हाथ से किया जाना जारी था। इसके अतिरिक्त, इनपुट तथा वैधीकरण नियंत्रणों की अपर्याप्तता के कारण आकड़ों की विश्वसनीयता पूर्णरूपेण सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

संकेताक्षरों की शब्दावली

सीएएटी	कम्प्यूटरयुक्त लेखापरीक्षा तकनीकें
सीओ	निगमित कार्यालय
सीओबीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी हेतु कन्ट्रोल उद्देश्य
सीओबीओएल	सामान्य व्यवसाय उनमुख भाषा
ईआरपी	उद्यम संसाधन योजना
एक्सेल ईएक्ससीईएल	माइक्रोसाफ्ट द्वारा विकसित स्प्रेडशीट साफ्टवेयर
आईडी	पहचान
आईएस	सूचना प्रणाली
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
एलएएन/डब्ल्यूएएन	स्थानीय नेटवर्क/व्यापक क्षेत्र नेटवर्क
एमआईएस	प्रबन्धन सूचना प्रणाली
पीसी	निजी कम्प्यूटर
पीओ	क्रय आदेश
पीआर	क्रय मांग
आरडीबीएमएस	सम्पर्क आकड़ा आधारित प्रबन्धन प्रणाली
एसएपी	आकड़ा प्रक्रिया में प्रणाली प्रचालन एवं उत्पादन
एसआरएस	सूचना अपेक्षा विनिर्देशन
यूआरएस	उपभोक्ता अपेक्षा विनिर्देशन

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अध्याय: I

भारत संचार निगम लिमिटेड

अन्य सेवा प्रदाताओं से इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज(आईयूसी) के बिल बनाने तथा संग्रहण की प्रणाली

मुख्य बातें

आईयूसी के बिल बनाना तथा संग्रहण 2003 में सैकन्डरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) अभिप्रेत क्रियाकलाप से वर्ष 2005 तक कम्प्यूटरीकृत इंटर आपरेटर बिलिंग एण्ड एकाउंटिंग प्रणाली (आईओबीएस) के माध्यम से नियंत्रित केन्द्रीयकृत बिल बनाने तथा लेखाकरण कार्य में विकसित किया गया।

आईओबीएस के लागू होने से पूर्व की अवधि के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बेंगलूर टेलीफोन जिला ने सात निजी प्रचालकों के काल उल्लंघनों के लिए बिल जारी करने में विलम्ब किया जिससे आईयूसी के 409 करोड़ रु की हानि का जोखिम अपरिहार्य हो गया।

(पैरा 1.6.1.1)

पूर्व आईओबीएस अवधि से सम्बन्धित आईयूसी के बकाया तीन दूरसंचार परिमण्डलों में सही प्रकार संगणित नहीं किए गए जिससे प्राइवेट आपरेटरों से 24.67 करोड़ रुपये का कम संग्रहण हुआ।

(पैरा 1.6.1.3 तथा 1.6.1.4)

नवम्बर 2004 से फरवरी 2006 तक की अवधि के लिए रिलाइंस इन्फोकाम लिमिटेड तथा टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड से 15.15 करोड़ रु के अभिगम घाटा प्रभार मार्च 2007 को अवसूलित रहे।

(पैरा 1.6.1.5)

आईओबीएस अवधि पश्च लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अनुप्रयोग सेवा प्रदाताओं के माध्यम से आईओबीएस में काल उल्लंघनों पर कम्पनी के निर्देशों का कार्यान्वयन न करने के कारण 44.91 करोड़ रु के आईयूसी का कम संग्रहण हुआ।

(पैरा 1.6.2.2)

आईओबीएस में विभिन्न अवधि के लिए 33.38 करोड़ रु की राशि के पारगमन प्रभारों के बिल नहीं बनाए गए।

(पैरा 1.6.2.3)

अन्तरसम्बन्ध केन्द्र पर जनित कालों का आईओबीएएस द्वारा बनाए गए बिलों के साथ मिलान नहीं किया गया जो राजस्व हानि का संकेत है।

(पैरा 1.6.2.5)

आईओबीएएस में भुगतान लेखाकरण मापांक सभी दूरसंचार परिमण्डलों में पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया गया था जिससे कम्पनी केन्द्रीयकृत लेखाकरण प्रणाली के माध्यम से अपने लेखाओं का प्रबन्ध करने के लाभ से वंचित रह गई।

(पैरा 1.6.2.6)

विवादित दावों के निपटान की अनुबन्ध शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण 55.35 करोड़ रु की राशि के आईयूसी का कम संग्रहण हुआ।

(पैरा 1.6.2.7)

1.1 प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने जनवरी 2003 में दूरसंचार अन्तरसंबंध उपयोग प्रभार(आईयूसी) विनियम अधिसूचित किए जिसमें आईयूसी के भुगतान के लिए सेवा प्रदाताओं में से प्रबन्ध शामिल हैं। इन विनियमों में आरंभ करने, बहुप्रचालन परिवेश में कालों के पारगमन तथा संचरण के नेटवर्क घटकों के उपयोग के लिए एक या अधिक सेवा प्रदाताओं को एक सेवा प्रदाता द्वारा देय प्रभारों के विवरण दिए गए हैं। अन्तरसंबंध प्रभारों की दरों का फरवरी 2004, फरवरी 2005 तथा मार्च 2006 में संशोधन हुआ।

मार्च 2005 से पूर्व आईयूसी के बिल बनाने तथा संग्रहण सेकन्दरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) में विकेन्द्रीयकृत तरीके में किया गया जहाँ प्रत्येक एसएसए ने प्रत्येक प्रचालक को अलग-अलग बिल दिए और इनके भुगतानों का मानीटरन किया। इस प्रणाली में अन्तरसंबंध के केन्द्रों (पीओआई) से ट्रैफिक डाटा का संग्रहण, सुसंगत दरों का प्रयोग तथा प्रचालक वार बिलों का तैयार करना शामिल है। तथापि ट्राई के निर्देश काल विवरण अभिलेख (सीडीआर) पर आधारित उपयोग के मिनटों (एमओयू) के आधार पर आईयूसी से बिल भेजने की अपेक्षा करते हैं। मार्च 2005 में बीएसएनएल ने अन्तर प्रचालक बिल बनाने तथा लेखाकरण प्रणाली (आईओबीएएस) लागू की जो सीडीआर आधारित कम्प्यूटरीकृत बिल बनाने का प्लेटफार्म है। आईओबीएएस के माध्यम से आईयूसी बिल बनाना तीन अनुप्रयोग सेवा प्रदाताओं (एसपी) को आउटसोर्स किया गया जिनके डाटा केन्द्र चेन्नई, नोएडा तथा पूणे^० में स्थित थे। प्रत्येक परिमण्डल में एक आईओबीएएस वित्त कक्ष महाप्रबन्धक (जीएम) वित्त/जीएम (टेलीफोन राजस्व) के अधीन और आईओबीएएस तकनीकी कक्ष जीएम/उप जीएम(नेटवर्क समन्वय) के अधीन आईयूसी बिल बनाने, इसके संग्रहण तथा लेखाकरण के कार्य नियंत्रित होते हैं तथा समन्वय होते हैं। डाटा केन्द्रों पर

^० एच सी एल इन्फोप्रणाली अपने नोएडा स्थित डाटा केन्द्र से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल दूरसंचार क्षेत्र परिमण्डलों का प्रबन्ध करता है। महेन्द्रा ब्रिटिश टेलीकाम लिमि. अपने पूणे स्थित डाटा केन्द्र से हरियाणा, जे एण्ड के, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तरांचल तथा उत्तर दूरसंचार क्षेत्र का प्रबन्ध करता है। सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज अपने चेन्नई केन्द्र से शेष दक्षिण तथा पूर्वी परिमण्डलों का प्रबन्ध करता है।

मुख्य लेखाधिकारी/मण्डल अभियन्ता की अध्यक्षता में एक बीएसएनएल यूनिट एसपी तथा कम्पनी के बीच सम्पर्क में रहती है।

निम्नलिखित तालिका मार्च 2006 तक तीन वर्षों के लिए बीएसएनएल के आईयूसी से राजस्व दर्शाती है।

(करोड़ रु. में)

को समाप्त वर्ष	अनुमानित राजस्व	आईयूसी (आने वाला राजस्व)	आईयूसी (जाने वाला राजस्व)
मार्च 2004	1110.00	3927.27	1310.36
मार्च 2005	2970.00	5732.07	1448.21
मार्च 2006	3800.00	6903.07	2112.64

1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

समीक्षा में अप्रैल 2003 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिए बीएसएनएल के आईयूसी राजस्व का बिल बनाने, संग्रहण तथा लेखाकरण शामिल हैं। लेखापरीक्षा में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल परिमण्डलों और बेंगलौर, हैदराबाद, कोलकाता तथा चेन्नई महानगरों के पूर्व आईओबीएस बिल बनाना शामिल है। चयनित परिमण्डलों के इकतीस एसएसए (अनुबन्ध-II) को पूर्व आईओबीएस बिल बनाने में शामिल किया गया और एसपी के तीन डाटा केन्द्रों को आईओबीएस अवधि के लिए लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। इसमें सभी दूरसंचार परिमण्डलों तथा चार दूरसंचार क्षेत्रों को प्रभावी रूप से शामिल किया गया। इसलिए इस प्रतिवेदन को दो खण्डों - पहला पूर्व आईओबीएस अवधि से संबंधित तथा दूसरा आईओबीएस अवधि से संबंधित है, में बांटा गया है।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि :

- (i) पूर्व आईओबीएस तथा आईओबीएस अवधि दोनों में दरों के अनुसार आईयूसी राजस्व सही प्रकार, पूर्णरूप से वसूल किया गया और आईयूसी अनुबन्ध तथा बीएसएनएल द्वारा जारी आदेशों के अनुकूल था;
- (ii) आईओबीएस अपने अभिप्रेत उद्देश्यों को पूरा कर रहा था;
- (iii) बिल बनाने से संबंधित डाटा की सत्यता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए आईओबीएस में पर्याप्त नियंत्रण बनाए गए थे; और
- (iv) बीएसएनएल द्वारा अपनाए गए विवाद निपटान तंत्र कार्यक्षम थे।

1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

प्रयुक्त प्रमुख लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न थे;

- (i) अन्य अनुज्ञप्त प्रचालनों के साथ अन्तरसंबंध अनुबन्धों की शर्तें तथा निबन्धन।
- (ii) अन्तरसंबंध कालों की दरों पर ट्राई के निर्देश।
- (iii) अन्तरसंबंध कालों के लिए लागू किए जाने वाले प्रभारों पर समय-समय पर जारी बीएसएनएल के आदेश।
- (iv) सूचना प्रौद्योगिकी में बेहतर व्यवहार।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

- (i) पूर्व आईओबीएस अवधि के आईयूसी राजस्व के अध्ययन के लिए चयनित एसएसए का निरीक्षण।
- (ii) अंतरसंबंध यातायात की गति को समझने के लिए चयनित पीओआई का निरीक्षण।
- (iii) एसपी के डाटा केन्द्र पर आईओबीएस का कार्यरत कार्मिकों के साथ अन्तरक्रिया।
- (iv) जोखिमों की पहचान करना, जो प्रमुख राजस्व कारबार चक्र प्रक्रिया को लागू थीं और सुसंगत आन्तरिक नियंत्रणों के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता निर्धारित करना।
- (v) आईओबीएस पोर्टलों में मीनू सुविधाओं जैसी प्रणाली आधारित तकनीकों को उपयोग।
- (vi) लेखापरीक्षा निष्कर्ष निश्चित करने से पूर्व कम्पनी अधिकारियों को नमूना लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करने के माध्यम से लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि करना।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आईयूसी के बिल बनाना तथा संग्रहण 2003 में पूर्णतया एसएसए अभिप्रेत क्रियाकलाप से 2005 तक कम्प्यूटरीकृत बिल बनाने की प्रणाली आईओबीएस के माध्यम से नियंत्रित केन्द्रीयकृत बिल बनाने तथा लेखाकरण कार्य में विकसित की गई। आईओबीएस को लागू करने से पूर्व अवधि के लेखापरीक्षा निष्कर्ष काल उल्लंघनों के बिल जारी करने में विलम्ब, दरों का गलत उपयोग तथा कम्पनी के निर्देशों के अकार्यान्वयन/गलत कार्यान्वयन के कारण आईयूसी का कम संग्रहण से संबंधित हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आईओबीएस की पूर्ण क्षमताओं का बिल बनाने के प्लेटफार्म के पीओआई/ट्रक ग्रुपों के समय से संस्थिति में कमियों, प्रभारों के प्रयोग में असंगतियां तथा पीओआई में दर्ज कालों का आईओबीएस में बिल बनाए गए कालों के साथ मिलान करने के प्रभावी तंत्र के अभाव के कारण उपयोग नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

1.6.1 पूर्व आईओबीएएस

1.6.1.1 काल उल्लंघनों के बिल जारी करने में विलम्ब

बीएसएनएल के अन्तरसंबंध अनुबन्ध में विशेष उल्लेख है कि आईयूसी के बिल मासिक आधार पर जारी किए जाने हैं और कोई प्रभार, जो बिलों से छूट गए थे, का पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिसूचित टैरिफ/दर परिवर्तनों के मामलों को छोड़कर मूल बिल के छः महीनों के भीतर दावा किया जाना चाहिए क्योंकि विलम्बित दावों के कालबाधित होने का जोखिम रहता है।

अन्तरसंबंध अनुबन्ध में भी शर्त है कि उपयुक्त कालर लाइन के बिना कालों और ट्रंक ग्रुपों, जो उन कालों का वहन करने के लिए नामित नहीं थे, से होकर कालों को क्रमशः सी एल आई उल्लंघन और ट्रंक ग्रुप उल्लंघन के रूप में माना जाना था तथा ऐसी कालों को निर्धारित उच्च दरों पर प्रभारित किया जाना था। पूर्व आईओबीएएस अवधि के दौरान अन्तरसंबंध कालों का दोषी प्रचालकों से निर्धारित उच्च दरों का दावा करने के लिए काल उल्लंघन, यदि कोई हो, की खोज करने का पीओआई प्रभारियों द्वारा मानीटर किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मई 2003 से अगस्त 2005 तक के दौरान बैंगलूर दूरसंचार जिला (बीजीटीडी) के अन्तर्गत मल्लेश्वरम पीओआई में सात निजी सेवा प्रदाताओं के पीओआई में दर्ज उपयुक्त कालर लाइन पहचान के बिना कालों के लिए उच्च दरों पर आईयूसी बिल छः महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रचालकों के प्रति प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इन उल्लंघनों के दावे केवल अक्टूबर 2005 तथा मई 2006 के बीच किए गए और ना ही किसी भी प्रचालक ने मार्च 2007 तक इन दावों का कोई भुगतान किया। जबकि दो प्रचालकों - टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (टीटीएल) तथा विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इन बिलों को इस आधार पर चुनौती दी कि दावे अन्तरसंबंध अनुबन्ध में निर्धारित समय अवधि के बाद किए गए वहीं भारती टेली वेंचर्स लिमिटेड ने सभी नान सी एल आई कालों के सीडीआर उनके सत्यापन के लिए मुहैया कराने के लिए बीएसएनएल को कहा। इस कारण आईयूसी के कम दावे 212.77 करोड़ रु. (अनुबन्ध-II) परिकलित किए गए। सी एल आई उल्लंघनों पर आईयूसी की गैर वसूली पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के लिए बीजीटीडी ने उत्तर दिया कि जनवरी 2004 के बाद से प्रस्तुत सी एल आई उल्लंघन बिलों के लिए 8.54 करोड़ रु. के दावे के प्रति प्रचालकों ने 7.62 करोड़ रु. का भुगतान किया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिल की गई और वसूल की गई राशि 212.77 करोड़ रु. के आपत्तिगत सी एल आई उल्लंघन बिलों से सम्बन्धित नहीं थी।

इसी प्रकार मार्च 2007 को बीजीटीडी ने मई 2003 से जून 2005 तक की अवधि के दौरान मल्लेश्वरम पीओआई में देखे गए भारती टेलीनेट लिमिटेड (मूल सेवा प्रचालक) के ट्रंक ग्रुप उल्लंघनों के लिए उच्च

दरों पर बिल जारी नहीं किए। इस उल्लंघन के लिए उच्च दरों पर आईयूसी 196.20 करोड़ रु (अनुबन्ध II) बनते हैं।

इसे बताए जाने पर यूनिट ने उत्तर दिया कि ट्रंक ग्रुप उल्लंघनों के बिल जारी नहीं किए गए थे क्योंकि उसी ट्रंक ग्रुप के उसी अवधि के लिए दो उल्लंघन बिल जारी नहीं किए जा सके और तब से अब तक सी एल आई का एक बिल प्रचालक के प्रति पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बीएसएनएल का कोई भी आदेश बिल जारी करने से बाधित नहीं करता है। इस प्रकार आईयूसी दावे प्रस्तुत करने में बीजीटीडी की विफलता के कारण बीएसएनएल ने आईयूसी राजस्व के 409 करोड़ रु की संभावित हानि का सामना किया क्योंकि छः महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर बिल प्रस्तुत नहीं किए गए।

1.6.1.2 काल उल्लंघन के लिए गलत प्रभारण के कारण आईयूसी का कम संग्रहण

अन्तरसंबंध अनुबन्ध के अनुसार यदि कोई काल ट्रंक ग्रुप के मार्ग से जाती है जो उस काल को वहन करने के लिए नामित नहीं था, तो इसे ट्रंक ग्रुप उल्लंघन के रूप में माना जाना चाहिए और उस मामले में पूर्ववर्ती दो महीनों या पीओआई के प्रावधान की तारीख, जो भी पहले हो, के लिए उस विशेष ट्रंक ग्रुप में सभी कालों आईयूसी के उच्चतम स्लैब पर प्रभारित की जानी चाहिए।

गुजरात दूरसंचार परिमण्डल के अहमदाबाद तथा बड़ोदरा एसएसए में यह देखा गया था कि रिलाइंस इन्फोकाम लिमिटेड (आर आई एल) तथा टीटीएल के पीओआई पर मई 2003 से नवम्बर 2004 तक के दौरान देखने में आए गलत मार्ग से आए कालों के लिए उच्च दर का अन्तर संबंध अनुबन्धों में यथा अनुबद्ध पूर्ववर्ती दो महीनों के लिए विशेष ट्रंक ग्रुप पर दर्ज सभी कालों के स्थान पर केवल गलत मार्ग से आए कालों की संख्या के लिए दावा किया गया। इसके परिणामस्वरूप 13.71 करोड़ रु का कम संग्रहण हुआ। ऐसी ही चूक महाराष्ट्र परिमण्डल के पूणे एसएसए में आर आई एल के पीओआई में देखी गई थी वहाँ भी 1.68 करोड़ रु (अनुबन्ध-III) के आईयूसी का कम संग्रहण हुआ था।

इसे बताए जाने पर जीएम, गुजरात परिमण्डल ने उत्तर दिया कि अहमदाबाद टेलीफोन जिला को पूरक बिल जारी करने के लिए लिखा जा रहा था।

1.6.1.3 दरों के गलत प्रयोग के कारण आईयूसी बकायों की कम वसूली

अन्तरसंबंध कालों तथा विभिन्न प्रकार के कालों के लिए लागू किए जाने वाले प्रभारों की अभिक्रिया पर बीएसएनएल ने समय-समय पर निर्देश जारी किए। आईओबीएस के आरम्भ होने तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन निर्देशों का कार्यान्वयन सही रूप में किया गया और जहाँ आवश्यक हुआ बकाया की वसूली की गई, यह अपने क्षेत्रीय फार्मेशनों अर्थात् एसएसए तक था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि

निम्नलिखित निर्देश गुजरात, महाराष्ट्र, केरल परिमण्डलों तथा मेट्रो जिला बेंगलूर में या तो कार्यान्वित नहीं किए गए थे या गलत रूप में कार्यान्वित किए गए थे।

- बीएसएनएल आदेश संख्या 201-15/2003-आरईजीएलएन-फरवरी 2004 के विनियमन में रोमिंग कालों को "डी ए" ट्रंक ग्रुप में सीमित कर 1.10 रू. की दर पर प्रभारित करना निर्दिष्ट किया गया परन्तु उन्हें 0.80 रू. की दर पर प्रभारित किया गया जिसके कारण केरल, महाराष्ट्र परिमण्डलों और मेट्रो जिला बेंगलूर में आर आई एल से 3.07 करोड़ रू. का कम संग्रहण हुआ।
- मूल सेवा प्रदाता से बीएसएनएल को 50 कि.मी. तक की दूरी से अन्तर परिमण्डल कालों के लिए आईयूसी के प्रभारण पर बीएसएनएल आदेश संख्या 208-15/2003-आरईजीएलएन - अक्टूबर 2003, फरवरी 2004 तथा दिसम्बर 2004 का विनियमन महाराष्ट्र परिमण्डल तथा मेट्रो जिला बेंगलूर में नमूना जांचित एसएसए में कार्यान्वित नहीं किया गया परिणामस्वरूप आर आई एल तथा टाटा टेलीसीमिक्स (एम) लिमिटेड से 5.61 करोड़ रू. का कम संग्रहण हुआ।
- एक ही एसएसए में समापन के लिए जाने गए ट्रंक ग्रुप "ए बी" कालों के लिए 1.75 रू. की दर पर आर आई एल को प्रभारित करने के फरवरी 2004 के बीएसएनएल का आदेश महाराष्ट्र तथा गुजरात परिमण्डलों में एसएसए में कार्यान्वित नहीं किया गया परिणामस्वरूप 3.10 करोड़ रू. का कम संग्रहण हुआ।
- बीएसएनएल आदेश संख्या 208-15/2003-आरईजीएलएन- जनवरी 2004 का विनियमन तथा संख्या 210-15/2003-आरईजीएलएन- फरवरी 2004 का विनियमन महाराष्ट्र तथा गुजरात परिमण्डलों में गलत रूप से कार्यान्वित किए गए परिणामस्वरूप 2.80 करोड़ रू. का कम संग्रहण हुआ।

उपर्युक्त निर्देशों का पालन करने में एसएसए की विफलता के कारण कुल कम संग्रहण 14.58 करोड़ रू. (अनुबन्ध-IV) बनता था। कम बिल बनाए जाने को लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर परिमण्डल पूरक बिलों का जारी करना आरम्भ करने के लिए सहमत हो गए।

1.6.1.4 एमटीर काल यूनिटों को उपयोग के मिनटों में परिवर्तित करने में त्रुटियों के कारण कम संग्रहण

अपने संबंधित ब्राण्ड नाम "वाकी" तथा "अनलिमिटेड कोर्डलैस" के अन्तर्गत टीटीएल तथा आर आई एलसीमित मोबाइल वायरलैस इन लोकल लूप (मोबाइल) (डब्ल्यू एल एल (एम)) सेवाएं प्रस्तुत कर रहे थे। चूंकि ये सेवाएं अंशदाताओं के परिसरों के बाहर तथा कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के अन्दर प्रचालन करने को सक्षम थीं इसलिए बीएसएनएल ने उन्हें डब्ल्यूएलएल (एम) सेवा के रूप में मानने के लिए सभी क्षेत्रीय यूनिटों को और सीमित मोबाइल सेवाओं की उनकी कालों के बकाया आईयूसी बिल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (सितम्बर 2005)।

इन सीमित मोबाइल डब्ल्यूएलएल (एम) सेवाओं के काल डाटा एमटीर काल यूनिटों (एमसीयू) में दर्ज किए गए थे और इन्हें बकाया बिल भेजने के लिए उपयोग के मिनटों (एमओयू) में परिवर्तित किया

जाना अपेक्षित था। महाराष्ट्र परिमण्डल में नमूना जांचित एसएसए में यह देखा गया कि एमओयू में एमटीए कालों को बदलने में त्रुटियों के कारण बीएसएनएल के उपर्युक्त आदेश के अनुसार दावा किए जाने वाले आईयूसी बकाया कम संग्रहीत किए गए थे। इस कारण कम संग्रहण 10.09 करोड़ रु. (अनुबन्ध-V) परिकलित किया गया।

पूणे ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज तथा नासिक के पीओआई ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा पूरक बिल जारी करने को सहमत हो गए। परिमण्डल के अन्य एसएसए से अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित थे।

1.6:1.5 अभिगम घाटा प्रभारों की वसूली न करना

अभिगम घाटा प्रभारों (एडीसी) के उद्ग्रहण के लिए बीएसएनएल के निर्देशों (जनवरी 2004) के अनुसार बीएसएनएल से उनके आईयूसी दावों सहित अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन एल डी) तथा अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आई एल डी) यातायात, जो बीएसएनएल नेटवर्क के माध्यम से नहीं भेजा गया, की मात्रा की प्रमाणित प्रति दी जानी थी। इन दावों को केवल उनसे प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर बी एस एल एल द्वारा प्रस्तावित किया जाना था।

दक्षिण दूरसंचार क्षेत्र (एसटीआर) में यह देखा गया कि आर आई एल तथा टीटीएल ने नवम्बर 2004 से फरवरी 2006 तक की अवधि के अपने यातायात दावे केवल क्रमशः नवम्बर 2006 तथा दिसम्बर 2006 में प्रस्तुत किए। जब यातायात डाटा के आधार पर 15.15^० करोड़ रु. की राशि के एडीसी बिल जनवरी 2007 में प्रचालकों के प्रति प्रस्तुत किए गए तब टीटीएल ने यह उल्लेख करते हुए अपने बिलों को चुनौती दी कि उनकी "वाकी" सेवा से सम्बन्धित मामला निर्णयाधीन था और कि अन्तरसंबंध अनुबंध की शर्तों के अनुसार दावा कालबाधित हो गया है। एसटीआर ने प्रचालक की व्याख्या को स्वीकार कर लिया और फरवरी 2007 में दोनों प्रचालकों के एडीसी बिलों को रद्द कर दिया। इसी प्रकार नवम्बर 2004 से जून 2005 तक की अवधि के लिए टीटीएल से एडीसी महाराष्ट्र परिमण्डल में बिल प्रस्तुत किए बिना रहे क्योंकि प्रचालक ने कोई यातायात डाटा प्रस्तुत नहीं किए।

एडीसी की कम वसूली को बताए जाने पर एसटीआर ने उत्तर दिया कि एडीसी बिल रद्द कर दिए गए थे क्योंकि मामला निर्णयाधीन था। तथापि यह देखा गया कि महाराष्ट्र परिमण्डल में उसी प्रचालक ने जुलाई 2005 से फरवरी 2006 तक की अवधि के यातायात डाटा प्रस्तुत किए थे और एडीसी के रूप में 16.82 करोड़ रु. का भुगतान किया था। इस प्रकार एसटीआर को निगमित कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित और प्रचालक के तर्क पर एडीसी बिलों को रद्द करने से पूर्व सभी तथ्यों को अभिनिश्चित कर लेना चाहिए था।

* रिलाईंस इन्फोटेक लिमिटेड - 12.17 करोड़ रु. तथा टाटा टेलीसर्विसेज - 2.97 करोड़ रु.

एडीसी की वसूली न करने पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रबन्धन की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2007)।

1.6.1.6 सीडीआर डाटा का मिलान न करने के कारण बीएसएनएल द्वारा आईयूसी का अधिक भुगतान

बीएसएनएल के निर्देशों में (अप्रैल 2003) यह निर्दिष्ट किया गया कि उनके नेटवर्क में समापन के लिए बीएसएनएल द्वारा सौंपी गई कालों के लिए निजी प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत आईयूसी के बिल कार्यन्तर मिलान के अध्यक्षीन हैं और अन्तिम निपटान तक केवल अनन्तिम के रूप में माने जाने हैं। निर्देशों में यह भी निर्दिष्ट है कि स्विचों में दर्ज की गई अवधि का आरम्भिक मिलान प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा सकता है। उपयोग के मिनटों में इसे परिवर्तित करने के लिए आईयूसी काल को कुल अवधि के लिए परिकलित किया जाना है। लागू दर जनवरी 2004 तक 0.40 रू. प्रति मिनट और फरवरी 2004 से 0.30 रू. प्रति मिनट थी।

गुजरात, केरल तथा पंजाब परिमण्डलों में यह देखा गया कि मई 2003 से मई 2004 तक की अवधि के दौरान इन परिमण्डलों ने बीएसएनएल के यातायात अभिलेखों के साथ उनके दावों का मिलान किए बिना विभिन्न निजी प्रचालकों को आईयूसी बिलों का भुगतान किया। इस कारण आईयूसी का अधिक भुगतान 2.1 करोड़ रू. (अनुबन्ध-VI) परिकलित किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताए जाने पर केरल परिमण्डल में एसएसए ने प्रचालकों से 97 लाख रू. वसूल कर लिया और गुजरात परिमण्डल में यूनितों ने उत्तर दिया कि इसे प्रचालकों के भावी दावों से वसूल कर लिया जाएगा। पंजाब सर्किल की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

1.6.2 अन्तर प्रचालन बिल बनाना तथा लेखाकरण प्रणाली (आईओबीएस)

बीएसएनएल ने आईओबीएस तथा अन्य साफ्टवेयर संघटकों के लिए एजेंसी आधारित (ब्यूरो/एसपी) माडल साल्यूशन के लिए सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, महिन्द्रा ब्रिटिश टेलकाम तथा एच सी एल इन्फोप्रणाली लिमिटेड को लगाया (अगस्त 2004)। चूंकि निजी प्रचालकों ने बीएसएनएल स्विचों को सीधी पहुंच नहीं दी है इसलिए स्विचों में दर्ज काल डाटा पीओआई पर आईओबीएस कन्सोल को स्थानान्तरित किए जाते हैं जहाँ से ये आगे तीन अनुप्रयोग सेवा प्रदाताओं (एसपी) के डाटा केन्द्रों को स्थानान्तरित किए जाते हैं। आईओबीएस डाटा केन्द्र तब सीडीआर की पुष्टि करते हैं और अन्तरसंबंध सीडीआर बिल बनाने के लिए संसाधित किए जाते हैं। एसपी परिमण्डल वार, प्रचालक वार अन्तरसंबंध बीजक (आने वाली तथा जाने वाली) तैयार करते हैं और उन्हें आईओबीएस वेब पोर्टलों के माध्यम से संबंधित परिमण्डलों को स्थानान्तरित किया जाता है। दूरसंचार परिमण्डल अपनी बारी पर उनकी संवीक्षा करते हैं और समाप्त करने के द्वारा उनकी सत्यता की पुष्टि करते हैं। समाप्त होना मिलने पर आईओबीएस में मासिक आधार पर अन्तिम बिल बनाए जाते हैं। परिमण्डल आईओबीएस वित्त कक्ष आन लाइन बिल प्राप्त करता है और उन्हें प्रचालकों को जारी करता है तथा उनके भुगतान की निगरानी करता है।

इस नए बिल बनाने के प्लेटफार्म के मुख्य उद्देश्य निम्न थे :

- (i) अन्य प्रचालक द्वारा/से सौंपी गई कालों के बीजक तैयार करना।
- (ii) प्रणाली द्वारा संचालित कालों के लिए अन्य प्रचालकों से प्राप्त बीजकों को मान्य करना/जांच करना।
- (iii) संक्षिप्त विवरण तैयार करना (दो प्रचालकों के बीच निवल समाधान)।
- (iv) प्रयोक्ता अपेक्षा के अनुसार प्रथागत रिपोर्ट तैयार करना।
- (v) लेखाकरण प्रबन्ध करना।

बीएसएनएल का आईओबीएएस प्रक्रिया आदेश तीन एएसपी से सेवाएं प्राप्त करने में कम्पनी की विभिन्न शाखाओं द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की क्रिया के ब्यौरे देता है। आईओबीएएस के कार्यचालन के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नवत चर्चा की जाती है:

1.6.2.1 अशक्त आन्तरिक नियंत्रण

चूंकि आईयूसी की बिल बनाने की प्रक्रिया एक आउटसोर्स कार्य है इसलिए यह अनिवार्य है कि बीएसएनएल राजस्व की यथार्थता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण तंत्र की स्थापना करे। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि कम्पनी के कारबार नियम बिल बनाने की प्रणाली में उनका समावेश करने के लिए एएसपी को सही प्रकार सूचित किए जाते हैं; पीओआई और आईओबीएएस में ट्रंक ग्रुप डाटा का पूर्ण संरूपण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं विद्यमान हैं, आईओबीएएस में तैयार बिल कालों का पीओआई में दर्ज कालों के साथ मिलान सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं परिभाषित हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आईओबीएएस के माध्यम से बिल बनाने की प्रक्रिया अशक्त आन्तरिक नियंत्रणों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई जैसा कि नीचे चर्चा की गई है :

1.6.2.2 कारबार नियम आईओबीएएस में सही रूप में समाविष्ट नहीं किए गए जिसके कारण उचित कालर लाइन पहचान के बिना कालों के उच्च प्रभारों की गलत संगणना हुई

उचित कालर लाइन पहचान के बिना कालों के प्रभारण पर बीएसएनएल के निर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि यदि बिल बनाने के चक्र के लिए पीओआई में प्राप्त उचित कालर लाइन पहचान के बिना कालों की संख्या उस पीओआई में प्राप्त कुल कालों की संख्या के 0.5 प्रतिशत से कम है तब ऐसे मामलों में अभिगम प्रदाता को सौंपी गई ऐसी नान सी एल आई कालों की दोगुनी संख्या के लिए लागू आईयूसी की उच्चतम स्लेब पर प्रभारित किया जाएगा। यदि ऐसी कालें पीओआई में प्राप्त कालों की कुल संख्या के 0.5 प्रतिशत से अधिक है तब उस पीओआई के प्रावधान की तारीख से या पूर्ववर्ती दो महीनों, जो भी कम हो, के लिए ट्रंक ग्रुप में दर्ज सभी कालें आईयूसी की उच्चतम स्लेब पर प्रभारित की जाएगी। चेन्नई के एएसपी द्वारा 14 परिमण्डलों के तैयार बिलों में सभी पीओआई के छः महीनों के और पूरे के

एसपी द्वारा 9 परिमण्डलों के तैयार बिलों के लिए दो महीनों के बीजकों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में 90 मामलों का पता चला जहाँ सी एल आई उल्लंघन ट्रंक ग्रुप में दर्ज कुल कालों के 0.5 प्रतिशत से अधिक थे। तथापि इन कालों के बीजक तैयार करते समय एसपी ने उन्हें 0.5 प्रतिशत से कम उल्लंघनों के बराबर माना और दोगुनी अवधि के लिए उनके बिल तैयार किए जिसके कारण 39.24 करोड़ रू के आईयूसी का कम दावा हुआ। ऐसी चूक नोएडा के डाटा केन्द्र में भी देखी गई जहाँ पांच मामलों में कम संग्रहण 5.67 करोड़ रू बनता था।

जब कम्पनी के निर्देशों को गलत लागू करने के कारण 44.91 करोड़ रू (अनुबन्ध-VII) के इस कम संग्रहण को बताया गया तब प्रबन्धन ने बताया कि केवल उन मामलों में जहाँ सम्बन्धित बीएसएनएल क्षेत्रीय इकाई द्वारा यह पर्याप्त स्म से स्थापित किया गया है कि निजी प्रचालकों द्वारा ऐसे कालों को सौंपना जानबूझकर था और यदि ऐसे मामले 0.5 प्रतिशत से अधिक हैं, तब पूर्ववर्ती दो महीनों के लिए या पीओआई के प्रावधान करने की तारीख, जो भी कम हो, से उस ट्रंक ग्रुप के लिए नान सी एल आई मामलों को आईओबीएस उच्चतम स्लैब पर प्रभारित करता है। इसको ध्यान में रखकर डाटा केन्द्र का स्टाफ सभी नान सी एल आई मामलों, विशेषकर वे मामले जो 0.5 प्रतिशत की सीमा को पार कर रहे हैं, के लिए क्षेत्रीय इकाइयों के साथ अन्तरक्रिया कर रहा है। क्षेत्रीय इकाइयों से प्रतिपुष्टि के अभाव में सभी नान सी एल आई कालें दोगुनी की जाती हैं और निगमित कार्यालय के निर्देशों के अनुसार उच्चतम स्लैब पर प्रभारित की जाती हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बीएसएनएल के आदेशों (जून 2005) के अनुसार कालों की दोगुनी संख्या पर आईयूसी प्रभारित करने की विधि केवल वहाँ लागू है जहाँ उल्लंघन कुल कालों के 0.5 प्रतिशत से कम हैं और इसके अलावा जब यह स्थापित था कि वे जानबूझकर नहीं थीं। इसलिए कुल कालों के 0.5 प्रतिशत से कम तथा 0.5 प्रतिशत से अधिक उल्लंघनों के लिए समान दर लागू करना कम्पनी के आदेशों के प्रतिकूल था।

1.6.2.3 पारगमन प्रभारों के बिल तैयार न करना

बीएसएनएल ने सभी परिमण्डलों को मई 2005 से सभी सेवा प्रदाताओं के आधार तथा पूर्ण मोबाइल/सेल्यूलर सेवाओं दोनों के लिए पारगमन प्रभारों के बिल प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए (जून 2006) फिर भी कुछ सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं और विश्व व्यापक अभिगम सेवा प्रदाताओं से राशि की वसूली निगमित कार्यालय से अगले आदेशों तक प्रवर्तित नहीं की जानी थी।

एसटीआर के लिए चेन्नई के आईओबीएस डाटा केन्द्र पर जनित बीजकों की नमूना जांच से यह पाया गया कि 0.19 रू प्रति मिनट के पारगमन प्रभार केवल अगस्त 2006 की बिल अवधि से टैरिफ में शामिल किए गए थे। एसटीआर पर अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि परिमण्डल ने मई 2005 से मई 2006 तक पारगमन प्रभारों के बकाया का दावा किया। इस प्रकार जून तथा जुलाई 2006 की अन्तरिम अवधि के लिए 4.61 करोड़ रू के पारगमन प्रभार के या तो एसटीआर या आईओबीएस दोनों

में से किसी के द्वारा बिल नहीं बनाए गए। इसी प्रकार अगस्त 2005 से मार्च 2006 तक की अवधि के लिए 13.33 करोड़ रू के पारगमन प्रभारों के कम दावे का पूणे के आईओबीएएस डाटा केन्द्र पर पता चला। नोएडा के डाटा केन्द्र पर नवम्बर 2005 से फरवरी 2007 तक की अवधि के लिए पारगमन प्रभारों का संग्रहण 15.44 करोड़ रू था। आईयूसी बिलों में पारगमन प्रभार शामिल करने की विफलता के कारण आईयूसी के कुल कम बिल तैयार करना 33.38 करोड़ रू परिकलित किया गया (अनुबन्ध-VIII)।

1.6.2.4 पीओआई/ट्रंक ग्रुप आईओबीएएस के समनुरूप बनाए बिना प्रतिष्ठापित किए गए

चूंकि बिल तैयार करने के लिए पीओआई से आईओबीएएस में अन्तरसंबंध यातायात डाटा प्रवाहित होता है इसलिए सभी अन्तरसंबंध सीडीआर का समय से संसाधन सुनिश्चित करने के लिए आईओबीएएस में शीघ्र तथा पूर्ण संरक्षण अनिवार्य है। आईओबीएएस में पीओआई के संरक्षण में विलम्ब का तात्पर्य उससे जनित अन्तरसंबंध कालों के बिल तैयार करने में विलम्ब होगा। आईओबीएएस प्रक्रिया आदेश में प्रावधान है कि परिमण्डल आईओबीएएस इकाई को आईओबीएएस में प्रावधान और बाद में उन्हें मान्य करने के लिए नए पीओआई के ब्यौरे आई टी परियोजना परिमण्डल को भेजने चाहिए। आधारभूत सुविधाओं सहित पीओआई का वास्तविक प्रावधान बिल तैयार करने की प्रणाली में केवल ऐसा अद्यतन करने के बाद किया जाना चाहिए। इसके अलावा परिमण्डल समन्वयक को परिमण्डल में सभी पीओआई के ब्यौरों पर निगरानी और उनमें परिवर्तनों को मानीटर करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आईओबीएएस प्रक्रिया आदेश के प्रावधान दूरसंचार परिमण्डलों द्वारा सख्ती से कार्यान्वित नहीं किए गए और पीओआई/ट्रंक ग्रुप आईओबीएएस में डाटा का संरक्षण किए बिना चालू किए गए, परिणामस्वरूप उनके द्वारा जनित सीडीआर अनिर्धारित रहे।

जबकि डाटा सेन्टर चेन्नई के अन्तर्गत 10 परिमण्डलों^१ में 2005-06 के दौरान चालू किए गए 39 पीओआई के लिए 1 से 11 माह तक की अवधि के कोई बिल जनित नहीं थे, डाटा सेन्टर नोएडा के अन्तर्गत 3^२ परिमण्डलों में 2005 के दौरान चालू किए गए 5 पीओआई तथा 2006 में चालू किए गए 13 पीओआई के बिल मार्च 2007 तक तैयार नहीं किए गए थे।

इसी प्रकार, पुणे स्थित डाटा सेन्टर के अन्तर्गत विभिन्न पीओआई में 636 ट्रंक ग्रुप के बिल 1 से 14 महीने तक की अवधि के लिए बिना तैयार किए पड़े थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन कमियों का पता लगाने के लिए आईओबीएएस में जनित पीओआई वार बीजकों की संख्या से कार्यरत पीओआई की संख्या का मिलान करने के लिए डाटा सेन्टरों/दूरसंचार परिमण्डलों में कोई प्रणाली स्थापित नहीं थी।

^१ आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, पूर्वोत्तर I, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, दक्षिण दूरसंचार क्षेत्र और पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र

^२ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र

इसे बताए जाने पर चेन्नई यूनिट ने उत्तर दिया कि पीओआई का गैर बिलिंग परिमण्डल समन्वयकों से ट्रंक ग्रुप सूचना की प्राप्ति में विलम्ब के कारण था और यह कि फील्ड यूनिटों को ट्रंक ग्रुप सूचना उपलब्ध करानी थी और आईओबीएस पोर्टल से उनकी प्रति जांच करनी थी फील्ड यूनिटों से इस प्रकार के फीडबैक के अभाव में डाटा सेन्टर स्तर पर किसी गुम ट्रंक ग्रुप का पता लगाना संभव नहीं होगा।

1.6.2.5 पीओआई में जनित सीडीआर और आईओबीएस में बिल बनाई गई मात्रा के बीच असमानता

अन्तः सम्बद्ध राजस्व की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रक्रियागत सीडीआर और एसपी द्वारा बिल बनाई गई मात्रा जनित सीडीआर और प्रत्येक पीओआई से अन्तरित मात्रा से मेल खाती है।

कम्पनी ने एक अनुप्रयोग साफ्टवेयर यथा: सीडीआर आधारित लेखापरीक्षा प्रणाली (सीडीआर एस) विकसित की (मार्च 2006) जो पीओआई द्वारा जनित सीडीआर की आईओबीएस में बिल किए गए से तुलना करती है। सभी पीओआई में प्रतिष्ठापन के अर्थ का यह साफ्टवेयर एसपी द्वारा बिल तैयार किए गए सीडीआर की संख्या का पीओआई से अन्तरित संख्या से मिलान करने हेतु कम्पनी को अनुमति देता है। तीन एसपी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत पीओआई में मार्च 2007 को सीडीआर एस का उपयोग निम्नवत था:

एसपी का नाम	पीओआई की कुल संख्या	सीडीआर एस के साथ पीओआई की संख्या	उपयोग प्रतिशतता
सत्यम	742	113	15.23
एच सी एल	480	250	52.08
एम बी टी	411	282	68.61

प्रत्येक बिलिंग माह के अंत में आईओबीएस डाटा सेन्टर बिल तैयार किए गए अतःसम्बद्ध कालों की पीओआई वार अवधि आईओबीएस पोर्टल पर लोड करते हैं। दूरसंचार परिमण्डलों को बिल तैयार करने की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए अन्तःसम्बद्ध कॉल बिल की अवधि का सीडीआर एस में दर्ज से मिलान करना चाहिए। इसलिए, यह अनिवार्य है कि आईओबीएस में बिल तैयार की गई कॉल अवधि और सीडीआर एस में दर्ज अवधि में यदि कोई असमानता है तो उसका मिलान किया जाना अपेक्षित है।

आईओबीएस में बिल की गई कालों की अवधि और आईओबीएस पोर्टल में अपलोडेड सीडीआर एस डाटा के अनुसार दर्ज कालों की अवधि की तुलना पर लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जांचित दो महीनों (अक्टूबर 2006 तथा जनवरी 2007) में सीडीआर एस के अनुसार दर्ज कालों और

आईओबीएस में तैयार बिलों के बीच अन्तर 139 करोड़ मिनटों से अधिक था जिसका अर्थ 0.30 रु. प्रति मिनट (अनुबन्ध-IX) के निम्नतम प्रभार के आधार पर परिकलित 42 करोड़ रु. के संभावित राजस्व से था।

प्रतिक्रिया में प्रबन्धन ने बताया कि आईओबीएस डाटा और सी डी ए आर एस के बीच अन्तर मुख्यतया सीडीआर एस तथा आईओबीएस में प्रचालकों के नाम में असंगति, मिनटों के स्थान पर सेकिन्डों में सीडीआर एस से एमओयू इनपुट आदि जैसे कारणों के कारण थे परन्तु आगे बताया कि मामला सत्यापन के लिए परिमण्डलों को भेजा गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त अन्तर प्रबन्धन द्वारा बताए गए सभी कारणों को अनुमत करने के बाद निकाला गया था।

1.6.2.6 आईओबीएस में भुगतान लेखाकरण मापांक के कार्यान्वयन में विलम्ब

केन्द्रीयकृत लेखाकरण प्रणाली के माध्यम से लेखाओं का प्रबन्ध करना आईओबीएस का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आईओबीएस में भुगतान लेखाकरण मापांक इस उद्देश्य को सुगम बनाता है। परन्तु यह देखा गया कि भुगतान लेखाकरण मापांक केवल पूणे तथा नोएडा के डाटा केन्द्रों में सितम्बर 2006 से कार्यान्वित किया गया था। इसके कार्यान्वयन के बाद भी इसका प्रभावी उपयोग पूणे डाटा केन्द्र में अपूर्ण पाया गया था क्योंकि उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र में आठ परिमण्डलों तथा छः उपक्षेत्रों में से पांच परिमण्डलों तथा चार उपक्षेत्रों ने न तो प्राप्यों तथा देयों के भुगतान विवरणों को अद्यतन किया और न ही मार्च 2007 को बकाया देयों का अथशेष मुहैया किया। चेन्नई डाटा केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले 14 परिमण्डलों तथा 2 दूरसंचार क्षेत्रों में से ए टी आर के अधीन 5 परिमण्डलों तथा 2 उप परिमण्डलों ने आईओबीएस में भुगतान टिप्पण दर्ज करना आरंभ नहीं किया है। मार्च 2007 को अन्य परिमण्डलों ने केवल जुलाई/सितम्बर 2006 तक भुगतान विवरणों को अद्यतन किया था।

भुगतान लेखाकरण मापांक का कार्यान्वयन न करने से कम्पनी केन्द्रीयकृत लेखाकरण प्रणाली के माध्यम से अपने लेखाओं का प्रबन्ध करने से वंचित रह गई।

1.6.2.7 विवादित दावों के निपटान की अनुबन्ध शर्तों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण आईयूसी का कम संग्रहण हुआ

अन्तरसंबंध अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार बीएसएनएल द्वारा जारी बिलों को अन्तिम माना जाना था और अन्य लाइसेंसधारी प्रचालकों के बिलिंग अभिलेखों के साथ 0.25 प्रतिशत धनात्मक/ऋणात्मक तक अन्तर के मामले में बीएसएनएल द्वारा बिल राशि को अन्तिम माना जाना था। यदि अन्तर धन/ऋण 0.25 प्रतिशत से अधिक परन्तु धन/ऋण 2 प्रतिशत तक था तो अन्य लाइसेंसधारी प्रचालकों द्वारा भुगतान किया जाना था। तथापि अन्तर का मिलान अनुबन्ध में निर्दिष्ट विवाद समाधान तंत्र के अध्यक्षीन दोनों पक्षों द्वारा किया जाना था। इस सीमा के बाहर अन्तर भी विवाद समाधान तंत्र के अध्यक्षीन था परन्तु प्रचालक को पूर्व माह की बिल की गई राशि के बराबर निम्नतम राशि के अध्यक्षीन विवादित राशि के 50 प्रतिशत जमा अविवादित राशि का बीएसएनएल को भुगतान करना था।

आंध्र प्रदेश, दक्षिण दूरसंचार उपक्षेत्र तथा केरल के परिमण्डलों में यह पाया गया कि इन इकाइयों ने आईयूसी अनुबन्धों में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया जिसके कारण 55.35 करोड़ रु. (अनुबन्ध-X) की कम वसूली हुई। यह देखा गया कि बीएसएनएल प्रस्तुत किए गए बीजकों के स्थान पर निजी प्रचालकों द्वारा यथा संगणित आईयूसी प्रभारों को स्वीकार कर रहा था। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए प्रबन्धन की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2007)।

1.7 निष्कर्ष

आईओबीएस के लागू करने के साथ एमओयू आधारित बिलिंग के ट्राई के विनियम के अनुपालन की कम्पनी ने न केवल पुष्टि की बल्कि बिलिंग प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित तथा बेहतर संगठित भी बनाया। तथापि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्ष यह पुष्ट करने के लिए बिलिंग प्रणाली से संबद्ध विद्यमान नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है कि इस महत्वपूर्ण धारा से राजस्व पूर्णतया वसूल किया जाता है। सीडीआर एस या एक उपयुक्त पैकेज का त्वरित कार्यान्वयन सभी पीओआई में किया जाना अपेक्षित है क्योंकि यह एक व्यापक औजार है जो आईओबीएस में कालों की बिल की गई अवधि की तुलना में पीओआई में दर्ज अवधि का मूल्यांकन करने में कम्पनी की सहायता करेगा। इसके अलावा भुगतान लेखाकरण मापांक का कार्यान्वयन और सभी परिमण्डलों द्वारा इसका समय से अद्यतन सुनिश्चित किया जाय ताकि आईयूसी लेखा का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबन्ध किया जा सके। इसके अतिरिक्त बीजीटीडी द्वारा बिलों को जारी करने में विलम्ब के कारण आईयूसी की कम वसूली, आईयूसी पर बकायों का कम संग्रहण आदि जैसे पूर्व आईओबीएस अवधि से संबंधित मुद्दों पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई तथा समाधान किया जाना है। जैसाकि एक्जिट कांफ्रेंस में प्रबन्धन द्वारा आश्वासन दिया गया, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई आईयूसी राजस्व की निरन्तरता और पूर्णता सुनिश्चित करेगी।

1.8 सिफारिशें

- सभी दूरसंचार परिमण्डल/एसएसए को आईयूसी के बकायों तथा निजी प्रचालकों से दावा की गई एडीसी की सत्यता की पुष्टि करने और कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए निदेश दिए जाने चाहिए।
- काल उल्लंघनों, कालर लाइन पहचान उल्लंघन तथा ट्रंक ग्रुप उल्लंघन दोनों के प्रभारण पर कम्पनी के निर्देशों को अनुप्रयोग सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रवर्तित किया जाना चाहिए।
- अन्तरसंबंध के केन्द्रों से प्राप्त सीडीआर डाटा की निरन्तरता की जांच को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रमिक सीडीआर के बीच कोई अस्पष्ट अन्तराल न हो।
- विवादित बिलों के भुगतान पर अन्तरसंबंध अनुबन्धों के प्रावधान और कम्पनी के निर्देश सख्ती से प्रवर्तित किए जाने चाहिए ताकि आईयूसी राजस्व की प्रभावी वसूली सुनिश्चित की जा सके।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2007), उसका उत्तर प्रतीक्षित था।

रक्षा मंत्रालय

अध्याय-II

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स तथा इंजीनियर्स लिमिटेड

ईआरपी प्रणाली में सामग्री प्रबन्धन

मुख्य बातें

ईआरपी प्रणाली के सभी मापांक कार्यान्वित नहीं किए गए थे और लीगेसी प्रणाली का अभी भी उपयोग हो रहा था।

(पैरा 2.8.1)

युक्तियुक्त अभिगम नियंत्रण अप्राधिकृत अभिगम की जोखिम की प्रणाली को प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त थे।

(पैरा 2.8.3)

उचित इनपुट तथा वैधीकरण नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप सामग्री संकेतकों का दोहरापन, एक ही सामग्री के लिए माप की विभिन्न इकाइयाँ प्रयोग की जा रही थीं, सामग्री संकेतकों के बिना खरीद आदेशों का निर्गम आदि हुए।

(पैरा 2.8.4)

2.1 प्रस्तावना

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के उद्यम के रूप में 1 अप्रैल 1960 को निगमित किया गया। यह रक्षा प्रयोजनों हेतु पोत निर्माण तथा मरम्मत में लगा है। इसका अपना इंजीनियरिंग तथा इंजिन विनिर्माण प्रभाग है और यह कोलकाता में तीन स्थानों अर्थात् हल मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट, फिटिंग आउट जेटटी तथा अभिकल्पना विभाग के माध्यम से प्राथमिक रूप से प्रचालन करता है।

2.2 ईआरपी प्रणाली लागू करने के उद्देश्य

जीआरएसई में कम्प्यूटरीकरण अभिकल्पना कार्यालय में कम्प्यूटर समर्थित अभिकल्पना/कम्प्यूटर समर्थित विनिर्माण सुविधाओं को लागू करने के साथ 1995 में आरंभ किया गया। संस्थापित कम्प्यूटर स्टैन्ड एलोन मोड में कार्य कर रहे थे। समन्वित तरीके में कम्प्यूटरीकरण के लाभों को अधिकाधिक

करने के उद्देश्य से और नौसेना परियोजनाओं के त्वरित समापन के लिए निदेशक बोर्ड ने ईआरपी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1998)। ईआरपी प्रणाली लागू करने के उद्देश्य निम्नवत थे :

- (i) सामग्री उपलब्धता तथा सामग्री आवश्यकता योजना का तेजी से सत्यापन।
- (ii) आदेश व्यवस्था समय में कमी।
- (iii) समय पर सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदेश स्थिति पर त्वरित अनुवर्ती कार्यवाही।
- (iv) माल सूची का बेहतर प्रबन्धन तथा उपयोग।
- (v) एम आई एस रिपोर्टों का स्वतः निर्माण।

2.3 जीआरएसई में ईआरपी प्रणाली

ईआरपी प्रणाली 149 टर्मिनलों के साथ दो आई बी एम आर एस 6000 सर्वर पर संस्थापित और आई बी एम ए आई एक्स ओ एस (वर्जन 4.3.3) तथा ओरेकल आर डी बी एम एस (वर्जन 8.1.7) पर एसएपी आर/3 4.6 सी अनुप्रयोग के साथ लोड की गई थी। कुल 71 एसएपी आर/3 लाइसेंस 71 प्रयोक्ताओं के लिए खरीदे गए थे। ईआरपी प्रणाली दो चरणों में कार्यान्वित की जानी थी। चरण I में वित्त, योजना और उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों के साथ-साथ सामग्री प्रबन्धन मापांक तथा परियोजना प्रणाली मापांक कार्यान्वित किए जाने थे। चरण II में ईआरपी प्रणाली कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे वित्त, मानव संसाधन, नेटवर्किंग, ई-सुरक्षा आदि तक बढ़ाई जानी थी। चरण I के आरंभ की अप्रैल 2002 तक की अनुसूची के प्रति ईआरपी प्रणाली का क्रियाशील चालन जून 2002 में किया गया था। चरण I (जून 2007) के कार्यान्वयन तक 3.83 करोड़ रु. की संस्वीकृत राशि के प्रति खर्च की गई राशि 3.76 करोड़ रु. थी। चरण II का कार्यान्वयन जुलाई 2007 से आरंभ हुआ और यू आर एस जनवरी 2008 तक तैयार किया जाना था।

2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र

लेखापरीक्षा में प्रणाली के नियंत्रण तथा सुरक्षा और सामग्री प्रबन्धन मापांक का कार्यान्वयन तथा उपयोग निर्धारित किया गया।

2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न थे :

- (i) प्रणाली में सुरक्षा नियंत्रणों की दक्षता तथा प्रभावकारिता निर्धारित करना, और
- (ii) सामग्री प्रबन्धन मापांक का कार्यान्वयन करने के उद्देश्यों की उपलब्धि निर्धारित करना।

2.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा के लिए प्रयुक्त मानदण्ड निम्न थे :

- (i) एसएपी मानक साहित्य।
- (ii) एसएपी आर 3 सामग्री प्रबन्धन लेखापरीक्षण नियम पुस्तक और एसएपी आर 3 लेखापरीक्षण नियम पुस्तक।
- (iii) कम्पनी की खरीद पुस्तक तथा लेखाकरण नीतियां।

2.7 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली तथा अभिस्वीकृति

2.7.1 लेखापरीक्षा में सुसंगत अभिलेखों का विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण, सामग्री प्रबन्धन मापांक की उपलब्ध विशेषताएं, विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श तथा अन्तरक्रिया, प्रश्नावलियों तथा मांग पत्रों के माध्यम से डाटा संग्रहण, मानक आन्तरिक प्रतिवेदनों का उपयोग कर डाटा निष्कर्षण और सीएएटी का उपयोग कर डाटा का विश्लेषण शामिल किया गया।

2.7.2 इस लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर प्रबन्धन के विभिन्न स्तरों द्वारा दिए गए सहयोग तथा सहायता का लेखापरीक्षा धन्यवाद सहित आभार प्रकट करता है।

2.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.8.1 ईआरपी प्रणाली का कम उपयोग

ईआरपी प्रणाली के लाभों को अधिकतम करने के लिए प्रणाली के सभी मापांक पूर्व निर्धारित अनुक्रम रीति में साथ-साथ कार्यान्वित किये जाने चाहिए। चरण I में यह पाया गया कि वित्त, योजना एवं उत्पादन के संबंधित क्षेत्रों और परियोजना प्रणाली मापांक के साथ-साथ सामग्री प्रबन्धन मापांक कार्यान्वित किया गया। तथापि सामग्री प्रबन्धन मापांक में केवल खरीद मांग, खरीद आदेश, माल प्राप्ति तथा निर्गम जैसे संव्यवहारों का कम्प्यूटरीकरण किया गया जबकि अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे बिल तैयार करने, भुगतान, मूल्यांकन भण्डार खाते अभी भी लीगेसी* प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जा रहे थे। इस प्रकार कम्पनी प्रणाली का पूर्ण उपयोग नहीं कर रही थी।

प्रबन्धन ने बताया कि लीगेसी प्रणाली पुराने पोतों के लिए थी और नए पोतों की खरीद ईआरपी प्रणाली के माध्यम से की जाती है और कि चालू परियोजनाओं के लिए मिश्रित प्रणाली का परिहार करने के लिए सीमांकन किया गया था। प्रबन्धन का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर मान्य नहीं है कि मिश्रित प्रणाली चालू परियोजनाओं के उपयोग में है।

* पुरानी कम्प्यूटरीकृत प्रणाली

2.8.2 प्रचलन में कमियां

2.8.2.1 कार्यक्रमों के गुण विवरण

कारबार संव्यवहारों का संसाधन करने के लिए एसएपी की मानक प्रणाली है। प्रणाली का प्रयोग किया जा सके उससे पूर्व इसे प्रयोक्ता सत्त्व की विशेष अपेक्षाओं के प्रचालन में करना पड़ता है। एसएपी द्वारा मुहैया प्रोगामिंग लैंग्वेज* के आधार पर आंशिक कार्यक्रमों के विकास के माध्यम से प्रचालित किया गया था। प्रणाली में सूचीबद्ध प्रत्येक कार्यक्रम का पर्याप्त विवरण होना चाहिए था ताकि प्रयोजन को प्रचुर मात्रा में दर्शाया जा सके जिसके लिए कार्यक्रम विकसित किया गया था। यह देखा गया कि 394 प्रचालित कार्यक्रमों में से 11 का कोई विवरण नहीं था। चूंकि विवरण कार्यक्रम के प्रयोजन और संभावित आउटपुट दर्शाते हैं इसलिए उसके विद्यमान न होने के कारण कार्यक्रम का उपयोग न होना या दुरुपयोग हो सकता है।

अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2007) कि सुसंगत मृत विवरणों को हटाने की प्रतीक्षा है।

2.8.2.2 कार्यक्रमों की द्विरावृत्ति

कार्यक्रम सूचना अथवा कारबार संव्यवहारों का संसाधन करने के उद्देश्य से क्रमिक रूप से व्यवस्थित निर्देशों के सैट हैं। दोहरे कार्यक्रम की विद्यमानता ऐसे कार्यक्रमों की नामावली तथा विवरण द्वारा स्थापित की जाती है। कार्यक्रमों को पहले टेस्ट सर्वर में विकसित किया जाना चाहिए और तब सभी प्रयोक्ता अपेक्षाएं पूर्ण हो गई हैं, सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन सर्वर को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि भिन्न कार्यक्रम नामों के साथ 36 दोहरे कार्यक्रम प्रणाली में विद्यमान हैं। तथापि इन कार्यक्रमों का उपयोग प्रणाली से अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2007) कि दोहरे कार्यक्रम बाद में परिवर्तन/अतिरिक्त अपेक्षा को पूरा करने के लिए विकसित किए गए थे। प्रबन्धन का उत्तर दर्शाता है कि प्रयोक्ता अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई थीं।

2.8.3 युक्तियुक्त अभिगम नियंत्रण में कमियां

युक्तियुक्त अभिगम नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्राधिकृत प्रयोक्ता कार्यक्रम को लागू आन कर सकते हैं। यह नियंत्रण पासवर्ड पालिसी लागू आन कोशिशों की सीमित संख्या, आदि होने के द्वारा सुरक्षित है। तथापि संवीक्षा में निम्नलिखित कमियों का पता चला :

* एबीएपी- एडवॉन्सड बिजिनिस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज

2.8.3.1 पासवर्ड पालिसी

कम्पनी ने कोई पासवर्ड पालिसी नहीं बनाई थी। इसके अभाव में अपेक्षित नियंत्रणों, जो उचित प्रणाली स्थापन के माध्यम से किए जा सकते थे, में निम्नलिखित कमी पाई गई थी :

- (i) पासवर्ड की लम्बाई प्रणाली स्थापन के माध्यम से जांची जा सकती है। पांच शब्दों की संस्तुत निम्नवत पासवर्ड लम्बाई के प्रति कम्पनी ने केवल तीन शब्दों की निम्नवत लम्बाई स्थापित की।
- (ii) प्रयोक्ता पासवर्ड का संस्तुत परिवर्तन 30 दिनों के अन्दर है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 71 प्रयोक्ताओं में से 63 प्रयोक्ताओं ने 7 महीनों से 48 महीनों के बीच की अवधि में अपने पासवर्ड परिवर्तित नहीं किए।
- (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आसानी से पता लगने वाले पासवर्ड प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं, प्रतिबंधित पासवर्ड, जो प्रणाली में विद्यमान हैं, की सूची लोकप्रिय बनाई जानी है। तथापि संवीक्षा में पता चला कि ऐसा किया नहीं गया था। परिणामस्वरूप कुछ प्रयोक्ताओं से आसानी से पता⁴ लगने वाले पासवर्ड सृजित करने की संभावना थी जिससे प्रणाली को अप्राधिकृत अभिगम के जोखिम पर डाल दिया गया।

2.8.3.2 लागू आन कार्यकलाप

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राधिकृत प्रयोक्ता की अनुपस्थिति के दौरान कोई अन्य प्रयोक्ता प्रणाली अभिगम न करे, एसएपी से प्रयोक्ता के प्रणाली लागू करने से पूर्व अकार्यशील अवधि पर एक समय सीमा निश्चित की जा सकती है। कम्पनी ने यह प्राचल 5400 सेकिन्ड (90 मिनट) निश्चित किया जो अधिक था।
- (ii) प्रयोक्ता की पहचान और पासवर्ड आपस में बांटा नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रयोक्ता, जो सुरक्षा उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी है, की पहचान करना कठिन होगा। तथापि यह पाया गया कि अनेक प्रयोक्ता एक साथ विभिन्न टर्मिनलों पर एक प्रयोक्ता पहचान का उपयोग कर रहे थे। इसने इंगित किया कि एक से अधिक प्रयोक्ताओं को प्रयोक्ता पहचान तथा पासवर्ड पता थे या प्रयोक्ता ने प्रणाली को अप्राधिकृत अभिगम की अनुमति दी जिससे प्रणाली की सुरक्षा से समझौता किया गया।

पैरा 2.8.3.1 तथा 2.8.3.2 में यथा उल्लिखित सुरक्षा अपेक्षाओं के अननुपालन से आवश्यक युक्तियुक्त अभिगम नियंत्रणों को संकट में डाला गया और अप्राधिकृत अभिगम की जोखिम के लिए प्रणाली को असुरक्षित छोड़ दिया गया।

⁴ जैसे 123, ए बी सी, एक्स वाई जैड आदि

इसे बताए जाने पर प्रबन्धन ने बताया कि ईआरपी कार्यान्वयन के चरण II में आवश्यक सुधार शामिल किए जाएंगे। तथापि तथ्य यह शेष रहता है कि यह कमियां प्रणाली में विद्यमान हैं और चरण I में ही संस्थापित/प्रतिष्ठापित की जानी चाहिए।

2.8.3.3 प्रयोक्ता प्राधिकरण

प्रचालन प्रणाली कमान्ड, कम्पनी संकेतकों का अद्यतन आदि जैसे प्रणाली के निर्णायक क्षेत्रों के अभिगम का प्राधिकरण केवल प्रणाली/डाटाबेस प्रशासक तक सीमित होना चाहिए। यह अन्य प्रयोक्ताओं से प्रणाली को आशोधित करने से बचाव करता है। तथापि विश्लेषण से पता चला कि प्रणाली/डाटाबेस प्रशासक के अतिरिक्त प्रयोक्ताओं^० को पृष्ठभूमि जाब^{*}, प्रोफाइल अनुरक्षण, प्रयोक्ता अनुरक्षण करने के प्राधिकरण दिए गए थे और कार्यक्रम तथा डाटा शब्दकोश अनुरक्षण के संबंध में विकास अधिकार दिए गए थे। ऐसे प्राधिकरण से अवांछित संशोधनों का जोखिम बढ़ता है।

अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए प्रबन्धन ने बताया कि ईआरपी कार्यान्वयन के चरण II के दौरान मामले की समीक्षा की जाएगी।

2.8.3.4 मानक प्रयोक्ता सुरक्षा

जब एसएपी संस्थापित किया जाता है तब कुछ मानक प्रयोक्ता डिफाल्ट पासवर्ड के साथ स्वतः सृजित किए जाते हैं जो सामान्यरूप से जाने जाते हैं। ऐसे प्रयोक्ताओं के अप्राधिकृत उपयोग से बचने के लिए डिफाल्ट पासवर्ड बदल दिया जाना चाहिए। तब ये प्रयोक्ता प्रणाली प्राचल स्थापन करने के द्वारा अकार्यशील किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन प्रयोक्ताओं को अकार्यशील नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रणाली अप्राधिकृत अभिगम की जोखिम के लिए छोड़ दी गई। नमूना जांच में लेखापरीक्षा इसके डिफाल्ट पासवर्ड से एक ऐसी प्रयोक्ता पहचान का उपयोग कर प्रणाली का अभिगम कर सका।

उपर्युक्त अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2007) कि चरण II के कार्यान्वयन के समय इन कमियों का ध्यान रखा जाएगा। तथापि तथ्य यह शेष रहता है कि समस्या विद्यमान है और शीघ्र ही नियंत्रित तथा सुधारी जानी चाहिए।

^० प्रयोक्ता पहचान सी एफ 110, सी एफ 102, डी ई एस 03, डी ई एस 04, एस डी एफ01 तथा डी ई वी02 थे

^{*} बैच जाब को पृष्ठभूमि जाब के रूप में जाना जाता है। यह जाब लागू होने पर स्वतंत्र रूप से चलती है।

2.8.4 सामग्री प्रबन्धन मापांक पर अभ्युक्तियां

इनपुट तथा वैधीकरण नियंत्रण

इनपुट नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं कि संसाधन हेतु प्राप्त डाटा प्रामाणिक, पूर्ण, सही, उपयुक्त रूप से प्राधिकृत हैं और समय पर तथा बिना द्विरावृत्ति दर्ज किए गए हैं। वैधीकरण जांच सुनिश्चित करते हैं कि डाटा कारबार नियमों के अनुरूप हैं। इसलिए इनपुट नियंत्रण तथा वैधीकरण जांच दोनों डाटा की यथातथ्यता तथा पूर्णता सुनिश्चित करते हैं। तथापि सामग्री प्रबन्धन मापांक के डाटाबेस की समीक्षा में निम्नलिखित कमियों का पता चला :

2.8.4.1 सामग्री मास्टर में असंगत संकेत तथा दोहरे विवरण

सामग्री की सरल पहचान के प्रयोजन हेतु सामग्री मास्टर में सामग्री संकेत परिभाषित संकेतक प्रथा⁴ होनी चाहिए थी। तथापि डाटा के विश्लेषण से पता चला कि सामग्री मास्टर में 241909 अभिलेखों में से 127211 अभिलेख वर्ण संख्यांक संकेत रखते थे जबकि 114698 अभिलेख संख्यांक संकेत रखते थे। एक ही क्षेत्र में वर्ण संख्यांक तथा संख्यांक दोनों संकेतों की विद्यमानता के कारण डाटाबेस में विसंगतियां हो सकती हैं।

संख्यांक संकेतों के आगे विश्लेषण से पता चला कि सामग्री की 819 मदों के लिए 408 संकेत थे जिसका अर्थ है कि विभिन्न सामग्री को एक संकेत आवंटित किया गया। यह भी पता चला कि सामग्री की 60 मदों के विवरण तथा संकेत एक से अधिक बार दिखाई दिए।

इसी प्रकार वर्ण संख्यांक संकेतों के विश्लेषण से पता चला कि 22692 सामग्री विवरणों को 84669 संकेत आवंटित किए गए। इसलिए यह स्पष्ट है कि एक ही सामग्री को एक से अधिक संकेत आवंटित किए गए। यह भी देखा गया कि एक ही पार्ट संख्या के साथ उसी सामग्री को यद्यपि भिन्न प्रकार एक से अधिक बार सामग्री मास्टर में दर्ज किया गया (अनुबन्ध-XI)।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामग्री के संकेतन की समानु रूप पद्धति नहीं अपनाई गई थी जो इनपुट तथा वैधीकरण नियंत्रणों पर परिणामी प्रभाव रखती है।

प्रबन्धन ने बताया कि डाटा एन्ट्री आपरेटरों की ओर से कुछ त्रुटियां हुई हैं और त्रुटियों को सुधारने के कदम उठाए जा रहे हैं। प्रबन्धन के उत्तर से यह संकेत मिलता है कि प्रणाली अपेक्षा के बारे में सजगता की प्रयोक्ताओं में कमी थी।

⁴ कार्यप्रणाली

2.8.4.2 मास्टर डाटा को अद्यतन करना

सामग्री मास्टर में परिवर्तन सामान्यतया निर्धारित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके अलावा परिवर्तन करने का अधिकार सीमित तथा नामित प्रयोक्ताओं तक सीमित किया जाना चाहिए। तथापि संवीक्षा से पता चला कि सामग्री मास्टर में 202517 अभिलेख 25 प्रयोक्ताओं द्वारा परिवर्तित किए गए हैं जो प्रयोक्ताओं की कुल संख्या का 35 प्रतिशत है।

प्रबन्धन ने बताया कि सामग्री मास्टर में अभिलेख को पूर्ण करना डिजाइन ग्रुप द्वारा, खरीद ग्रुप द्वारा, योजना विभाग और कई द्वारा क्रम में किया जाता है। तथापि तथ्य यह शेष रहा कि अनेक प्रयोक्ता मास्टर डाटा तक पहुंच रखते थे, इस तथ्य के मददेनजर कि प्रयोक्ता की पहचान और पासवर्ड अन्य प्रयोक्ताओं के साथ बांटे गए थे जैसाकि उन्नर पैरा 2.8.3.2 में उल्लेख किया गया जिससे परिवर्तन करने वाले प्रयोक्ताओं की पहचान न होने की जोखिम बढ़ गई।

2.8.4.3 एक ही सामग्री के लिए माप की भिन्न इकाइयां

माप की इकाई भण्डार के उचित मालसूची नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण की है। उसी हैसियत से किसी मद के लिए माप की इकाई में एकरूपता सम्पूर्ण प्रणाली में बनाए रखी जानी चाहिए। तथापि सामग्री मास्टर के विश्लेषण में पता चला कि 13 मदों की माप की भिन्न इकाइयां थीं। इसके अलावा 2006-07 के खरीद आदेशों की नमूना जांच में पता चला कि सामग्री की 47 मदों के संबंध में माप की इकाई सामग्री मास्टर में दर्शाई गई माप की इकाई से भिन्न थीं। एक ऐसा भी दृष्टांत था जहाँ खरीद आदेश में और सामग्री के निर्गम की माप की इकाई भिन्न थीं। इससे खराब वैधीकरण नियंत्रण का संकेत मिला जिसने डाटा सम्पूर्णता को प्रभावित किया।

प्रबन्धन ने बताया कि मास्टर में आवश्यक परिवर्तन घटक के साथ वैकल्पिक खरीद इकाई/भण्डारण इकाई प्रयोग की गई थीं। प्रबन्धन का तर्क सही नहीं था क्योंकि मास्टर फाइल में कोई परिवर्तन घटक नहीं पाए गए थे।

2.8.4.4 अतिरिक्त विक्रेता संकेत

विक्रेता, जिनसे सामग्री खरीदी जाती है, अनन्य संख्या द्वारा संकेतिक किए जाने थे। एक ही विक्रेता के लिए दो से अधिक विक्रेता संकेत के सृजन से किसी विक्रेता पर उसकी सुपुर्दगी क्षमता से अधिक आदेश देने, विक्रेता को दोहरे भुगतान, अनुवर्ती बिक्री प्रक्रिया के उन्नर अप्रभावी नियंत्रण और गलत एम आई एस रिपोर्टों के सृजन की जोखिम में वृद्धि होती है।

विक्रेता डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 96 विक्रेताओं के मामले में दो या दो से अधिक विक्रेता संकेत सृजित किए गए थे। इसके अलावा इनमें से अधिकांश संकेत एक ही दिन और एक ही प्रयोक्ता द्वारा सृजित किए गए थे। एक मात्र विक्रेता के लिए दो या दो से अधिक विक्रेता संकेत की विद्यमानता

से पता चलता है कि प्रणाली में उचित इनपुट नियंत्रण विद्यमान नहीं थे। अतिरिक्त विक्रेता संकेत की विद्यमानता ने खरीद आदेश देने को प्रभावित किया चूंकि खरीद आदेशों की नमूना जांच से पता चला कि ऐसे 35 विक्रेताओं को भिन्न विक्रेता संकेतों के अधीन आदेश जारी किए गए थे।

प्रबन्धन ने बताया कि आरंभ में नए विक्रेता को अस्थाई संकेत आवंटित किया जाता है और एक बार पंजीकरण पूर्ण होने पर स्थाई संकेत आवंटित किया जाता है। फिर अस्थाई संकेत को समाप्त कर दिया जाता है।

प्रबन्धन का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि 96 विक्रेताओं में से केवल 4 के अतिरिक्त संकेत समाप्त किए गए थे।

2.8.4.5 डिलीवरी तथा क्रय आदेश तारीखों में असंगतियां

विश्लेषण से पता चला कि 2006-07 के दौरान 870 मामले ऐसे थे जहां क्रय आदेश में डिलीवरी की तारीख क्रय आदेश की तारीख से पहले की थी। इसके अतिरिक्त, 126 मामले ऐसे थे जहां क्रय आदेश की तारीख, मांग की तारीख से भी पहले की थी। इससे यह पता चलता था कि समुचित इनपुट तथा वैधीकरण नियंत्रण विद्यमान नहीं थे। परिणामस्वरूप, सामग्री के आधिप्रापण तथा क्रय आदेश के निष्पादन पर एमआईएस सही ढंग से सृजित नहीं किया जा सकता था।

प्रबंधन ने बताया कि पारगमन* अवधि के दौरान, कुछ क्रय आदेश पहले से ही हस्त्य रूप से सृजित आदेशों के लिए भुगतान को नियमित करने के लिए ईआरपी प्रणाली में सृजित किए गए थे। नियंत्रण उपाय के रूप में, प्रबंधन ने निर्णय लिया कि भुगतान केवल एसएपी प्रणाली के माध्यम से सृजित क्रय आदेशों के प्रति ही प्रभावी किया जाएगा। प्रबंधन का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि क्रय आदेश से पूर्व डिलीवरी की तारीख की घटना 2006-07 में भी हुई थी जब प्रणाली चार वर्षों से अधिक समय से चालू था।

यह भी देखा गया था कि वास्तविक डिलीवरी की तारीख, प्रणाली में नहीं ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप क्रय आदेश खुला रहा हालांकि डिलीवरी कर दी गई थी, अतः दिए गए आदेशों तथा आदेशित माल/सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति को सह-सम्बद्ध करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

2.8.4.6 क्रय मांग जारी करने की तारीख तथा क्रय आदेश की तारीख में असंगतियां

जब एक मांग संगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है (क्रय मांग दस्तावेज़ में जारी करने की तारीख के रूप में दर्शाई गई) तो इसे आवश्यक आधिप्रापण कार्रवाई के लिए क्रय विभाग को भेजा जाता है। यह देखा गया था कि 2006-07 के दौरान, कुल 2780 क्रय आदेशों में से 1474 मामलों में,

* रिक्त प्रणाली से ईआरपी प्रणाली तक

क्रय मांगों में फाईल की गई जारी करने की तारीख, डिलीवरी की तारीख से एक या दो दिन पहले थी। चूंकि जारी करने की तारीख वह तारीख है जब सक्षम प्राधिकारी क्रय मांग का अनुमोदन करता है, अतः तर्क की दृष्टि से जारी करने की तारीख, निर्धारित डिलीवरी तारीख से एक या दो दिन पहले नहीं हो सकती।

प्रबंधन ने बताया कि कुछ सांख्यिकीय सूचना के सृजन को छोड़कर इन असंगतियों में कोई जोखिम नहीं होता। उसने यह भी बताया कि आवश्यक देखभाल की गई है कि जब समस्त प्रणाली की समीक्षा की जाएगी तो ईआरपी फेस-II में संशोधन किया जाएगा। प्रबंधन का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि एमआईएस में गलत सांख्यिकीय सूचना के सृजन से प्रबंधकीय निर्णय की समस्त प्रक्रिया विकृत हो सकती है।

2.8.4.7 सामग्री संकेतन के बिना क्रय दस्तावेज़

समुद्री जहाज़ों में निर्माण हेतु अपेक्षित सामग्री (क्रय आदेश, माल प्राप्ति/निरीक्षण रिपोर्ट आदि) से संबंधित प्रलेखन का प्रणाली में दर्ज करने से पूर्व एक अनन्य संख्या से संकेतन किया जाता है। सामग्री के संकेतन का उद्देश्य सामग्री का मानकीकरण तथा पहचान, अधिप्राप्ति, प्राप्ति तथा उसे जारी करने पर समुचित नियंत्रण करना था जिससे सूचनी प्रणाली का इष्टतमीकरण किया जा सके।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 2006-07 के दौरान, 614 ऐसे मामले थे जिनमें क्रय आदेशों का सामग्री संकेतन के बिना ही सृजन किया गया था। सामग्री संकेतनों के बिना प्राप्त तथा जारी की गई सामग्री तथा उसका नियंत्रण तथा पहचान मुश्किल थी। इसके अतिरिक्त, कार्यों को उसकी लागत की बुकिंग के प्रति संकेतन न की गई मदों के भुगतान का पता लगाना प्रणाली में सम्भव नहीं था जिससे सूची प्रणाली से संबंधित गलत तथा अधूरी एमआईएस रिपोर्टों के सृजन की संभावना बढ़ गई।

अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2007) कि क्रय दस्तावेज़ समग्र रूप से तैयार किए गए थे तथा ब्यौरे, प्रणाली में दर्ज नहीं किए गए थे।

2.8.4.8 लेखाकरण नीति के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन

मालसूची के स्टॉक का मूल्यांकन अंशतः रिक्थ प्रणाली में तथा अंशतः ईआरपी प्रणाली में किया जाता है। ईआरपी प्रणाली से सृजित मूल्य, रिक्थ प्रणाली में किए गए मूल्यांकन से एकीकृत किए जाते हैं। कम्पनी की लेखाकरण नीति के अनुसार, कच्ची सामग्री, भण्डार तथा फालतू पुर्जों का भारित औसत दरों पर मूल्यनिर्धारण किया जाता है। तथापि, ईआरपी प्रणाली में वर्ष 2006-07 के लिए भण्डार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि उस सामग्री (सामग्री संकेतक समान होने के कारण) का मूल्य-निर्धारण दो विभिन्न दरों पर किया गया था। इससे यह पता चलता था कि भारित औसत विधि, ईआरपी प्रणाली में नहीं अपनाई गई थी।

प्रबंधन ने बताया कि मूल्य-निर्धारण विभिन्न दरों पर हो सकता है जहां पिछला स्टॉक पूरा जारी होने के बाद नया सामान आता है। प्रबंधन का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि यदि पिछला स्टॉक पूरा जारी कर दिया जाता है तो स्टॉक का मूल्य "शून्य" होगा। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण यह दर्शाते थे कि सामग्री का स्टॉक में दो विभिन्न दरों पर मूल्यांकन किया जा रहा था जिसका प्रबंधन के पास कोई उत्तर नहीं था। बाद की अधिप्राप्ति नई अधिप्रापण दर अथवा भारित औसत दर पर मूल्यांकित नए विवरण में प्रकट होगी।

2.8.4.9 हस्त्य रूप से संसाधित की जा रही स्क्रेप/ऑफ-कट सामग्री

समुद्री जहाज़ निर्माण कार्यों के कुछ भाग उप ठेकेदारों के माध्यम से निष्पन्न किए जाते हैं। इन कार्यों के लिए अपेक्षित सामग्री क्रय आदेश जारी करके कम्पनी द्वारा आपूर्त की जा रही है। उप-ठेकेदारों को अंतिम भुगतान सामान्यतः ठेकेदार के पास सामग्री शेषों के समाधान के बाद किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि यद्यपि ठेकेदारों को आपूर्त सामग्री, क्रय आदेशों के माध्यम से प्रणाली में प्रविष्ट की जा रही थी, स्क्रेप/ऑफ-कट्स, अधिक अवरोधन, आदि का ट्रीटमेंट हस्त्य रूप से किया जा रहा था। यह देखा गया था कि कुछ मामलों में, हालांकि उप-ठेकागत कार्य पूरा कर लिया गया था तथा प्रबंधन ने कार्य की डिलीवरी ले ली थी, उप-ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री के संगत क्रय आदेश क्लोज़ नहीं किए गए थे। चूंकि सामग्री प्रबंधन मापांक का एक उद्देश्य, उप-ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री सहित उप-ठेका कार्य से संबंधित क्रियाविधि को कारगर बनाना है, अतः क्रय आदेशों की क्लोज़िंग न करना तथा स्क्रेप/ऑफ-कट्स, आधिक्य तथा अवधारण के हस्त्य ट्रीटमेंट के परिणामस्वरूप उपर्युक्त उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार करते समय, प्रबंधन ने बताया कि आशोधन/संशोधन, एसएपी प्रणाली के फेज़-II कार्यान्वयन में किए जाएंगे।

2.8.5 कारबार निरन्तरता योजना

कारबार निरन्तरता योजना, दुर्घटना के कारण मूल कारबार प्रक्रियाओं को ठीक करने की योजना के बारे में है। इसका उद्देश्य डाऊटाइम को कम करना और इस प्रकार से कारबार की हानि को न्यूनतम करना है। कारबार निरन्तरता योजना के संघटकों में नियमित बैकअप लेना, एक पृथक स्थान पर बैकअप का भण्डारण तथा आवधिक वसूली प्रयोग शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिए गए बैकअप वसूली-योग्य हैं। कम्पनी की डॉटा तथा दुर्घटना प्रबंधन टिप्पणी में बैकअप के लिए पद्धति का विवरण निम्न प्रकार से है: (i) प्रतिदिन दोपहर के भोजन से पूर्व महत्वपूर्ण आवेदनों का ऑन-लाइन बैकअप, (ii) प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे के बाद सभी प्रयोक्ताओं का ऑफ-लाइन बैकअप, (iii) प्रत्येक

शनिवार दोपहर 1 बजे के बाद साप्ताहिक प्रणाली बैकअप, (iv) ईआरपी विभाग में सभी प्रयोक्ता आवश्यकता महसूस होने पर पीसी ग्राहकों से बैक-अप लेने के लिए उत्तरदायी बनाए गए हैं।

तथापि, फरवरी 2007 से जुलाई 2007 तक की अवधि के लिए डॉटाबेस बैकअप के विश्लेषण से पता चला कि डॉटाबेस बैकअप शुक्रवार को केवल साप्ताहिक आधार पर ही लिए गए थे। इसके अतिरिक्त, दो अवसरों पर बैकअप अगले सोमवार के लिए आस्थगित किए गए थे तथा दो अवसरों पर बैकअप बिल्कुल नहीं लिए गए थे। यह जांच करने के लिए कि क्या लिया गया बैकअप सफल था, बैकअप की जांच नहीं की गई थी। कोई वसूली प्रयोग नहीं किया गया था। वसूली प्रयोग के अभाव में, डॉटा की वसूली की गारंटी नहीं दी जा सकती जिससे हार्डवेयर क्रेश होने की दशा में समस्त डॉटाबेस जोखिम में पड़ सकता है।

प्रबंधन ने बताया कि ईआरपी फेस-II में व्यापक दुर्घटना प्रबंधन पर विचार किया जा रहा है।

2.9 निष्कर्ष

सामग्री उपलब्धता, सामग्री मांग योजना, आदेश देने के समय में कमी, आदि की तीव्र जांच का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि प्रणाली के प्रचलन में कमियां थी तथा अपर्याप्त इनपुट तथा वैधीकरण नियंत्रण के भी उदाहरण थे जिन्होंने सही तथा समय पर डॉटा का अभिग्रहण निषिद्ध कर दिया। सुरक्षा सैटिंग्स में त्रुटियां थी जिन्होंने प्रणाली को अप्राधिकृत अभिगमन तथा जोड़तोड़ के जोखिम में डाल दिया। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, प्रणाली, मालसूची के मूल्यांकन का कार्य नहीं कर सकी। अतः प्रणाली का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा था।

2.10 सिफारिशें

- एक व्यापक पासवर्ड नीति बनाई जाए।
- दोहरे डॉटा की प्रविष्टि से बचने के लिए प्रणाली के अंदर इनपुट नियंत्रण तथा वैधीकरण जांच शामिल की जानी चाहिए अर्थात् दोहरे संकेतकों, गलत वर्णन तथा अधूरी प्रविष्टियां समाप्त करने के लिए मास्टर डॉटा की समीक्षा की जानी चाहिए, डॉटा में असंगतियों से बचने के लिए विशेष वैधीकरण शुरू किया जाना चाहिए।
- डॉटा की सम्पूर्णता की आवधिक रूप से जांच की जानी चाहिए।
- कारबार आवश्यकताओं को समनु रूप बनाने के लिए प्रणाली को समनु रूप बनाना चाहिए तथा हस्त्य हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए।
- अनावश्यक तथा दोहरे प्रोग्राम हटा दिए जाने चाहिए।
- एक दुर्घटना वसूली योजना तथा कारबार निरन्तरता योजना शुरू की जानी चाहिए।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2007), उसका उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय:III

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर

ईआरपी पैकेज के अंतर्गत वित्तीय मापांक

मुख्य बातें

ईआरपी सॉफ्टवेयर की चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी क्योंकि ब्रिटिश एरोस्पेस एण्ड हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (बीएईएचएएल), कार्यान्वयन साझीदार को भी सॉफ्टवेयर के निर्धारण तथा उसे अंतिम रूप देने में सलाहकार के रूप में शामिल किया गया था।

(पैरा 3.7.1.1)

कम्पनी ने प्रणाली डिज़ाइन प्रलेखन प्राप्त नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप विक्रेता पर पूर्ण निर्भरता हुई तथा आवर्ती व्यय का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(पैरा 3.7.1.1)

कम्पनी ने अभी तक आईटी सुरक्षा नीति सहित आईटी नीति नहीं बनाई थी।

(पैरा 3.7.2.1 तथा पैरा 3.7.2.2)

प्रत्यक्ष तथा तार्किक नियंत्रण कमज़ोर थे तथा डॉटा उसकी विवेचनात्मकता तथा संवेदनशीलता के लिए वर्गीकृत नहीं किया गया था।

(पैरा 3.7.3)

वैधीकरण जांचों के माध्यम से इनपुट तथा प्रक्रिया नियंत्रण का अभाव था।

(पैरा 3.7.6 तथा पैरा 3.7.7)

कम्पनी की लेखाकरण नीति के उल्लंघन में 5.90 करोड़ रू मूल्य की स्थिर परिसम्पत्ति पूर्णतः ह्रासित की गई थी।

(पैरा 3.7.8)

प्रणाली डिज़ाइन में प्रावधान न करने के कारण, प्रणाली शेषों तथा लेखा शेषों का समाधान करने के कारण 737.68 करोड़ रू की राशि से शामिल वाञ्छित हस्त्य रूप से तैयार किए गए थे तथा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लेखाओं को अंतिम रूप देने के दौरान प्रणाली में फीड किए गए थे।

(3.7.9 (i))

मापांकों को इकट्ठा न करने के कारण, 37.79 करोड़ रू मूल्य की मालसूची "मार्गस्थ में माल" के रूप में लेखाबद्ध नहीं की गई थी, यद्यपि उन्हें प्राप्त किए गए के रूप में माना गया था।

(पैरा 3.7.9 (ii))

3.1 प्रस्तावना

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (कम्पनी), रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत वर्ष 1964 में स्थापित की गई थी। यह सैन्य तथा सिविल प्रयोग दोनों के लिए विमानों, हेलिकॉप्टरों, एयरो इंजनों, विमान एवं नौसंचालन प्रणाली उपकरण तथा समुद्री तथा औद्योगिक गैस टरबाइन इंजनों के डिज़ाइन, विकास, निर्माण, उन्नयन तथा ओवरहाल में कार्यरत है। इसके बंगलौर, हैदराबाद, नासिक, कोरापुट, कोरवा, कानपुर तथा लखनऊ तथा बंगलौर के निगम कार्यालय में 16 उत्पादन मंडल हैं।

कम्पनी ने औद्योगिक वित्त प्रणाली (आईएफएस) पैकेज से ईआरपी कार्यान्वित करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2003) जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- (i) एकसूत्र क्रियाविधि तथा प्रथाओं का कार्यान्वयन सुविधाजनक बनाना।
- (ii) मंडल, परिसर तथा निगम स्तर पर निर्णय लेने के लिए ऑन-लाइन सूचना।
- (iii) स्वचलन के वियुक्त द्वीपों को विलुप्त करने वाले मंडलों के बीच एकीकृत तथा इन्टर-ऑपरेबल प्रणाली।

ब्रिटिश एयरोस्पेस एण्ड हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (बीईईएचएएल), कम्पनी ने एक संयुक्त उद्यम को तीन अग्रणी स्थलों में पैकेज को कार्यान्वित करने का ठेका दिया। कम्पनी के शेष 14 स्थलों पर कार्य, अग्रणी स्थलों पर साफ्टवेयर की सफलता पर आकस्मिक था। बीईईएचएएल ने जुलाई 2004 में अग्रणी स्थलों में कार्यान्वयन का कार्य शुरू किया।

3.2 संगठन

आईटी के प्रभारी निदेशक की निगम कार्यालय में महाप्रबंधक के स्तर पर मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) तथा सीआईओ के माध्यम से रिपोर्ट करने वाले उप महाप्रबंधकों द्वारा सहायता की जाती थी।

3.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित बातें शामिल थीं:

- (i) ईआरपी पैकेज की योजना, अधिग्रहण तथा कार्यान्वयन,
- (ii) अग्रणी स्थलों (अर्थात्) निगम कार्यालय, विमान मंडल तथा हेलिकॉप्टर मण्डल पर आईएफएस के वित्तीय मापांक के उपयोग की समीक्षा, तथा
- (iii) कार्यान्वयन अर्थात् 2005 से स्थानान्तरित रिक्थ डॉटा सहित आईएफएस प्रणाली के डॉटा का विश्लेषण।

3.4 लेखापरीक्षा प्रणाली

आईटी लेखापरीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित बातें शामिल थीं:

- (i) चर्चा, पत्राचार, तथा प्रबंधन को जारी की गई प्रश्नावली, तथा
- (ii) रिपोर्टों से डॉटा निकर्षण तथा विश्लेषण, कम्प्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रश्न तथा डॉटा प्रविष्टि स्क्रीन।

3.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

उद्देश्य, अग्रणी स्थलों (निगम कार्यालय, विमान मंडल तथा हेलिकॉप्टर मंडल) पर आईएफएस - वित्तीय मापांक की पुनरीक्षा करना था तथा यह निर्धारित करना था कि:

- (i) प्रणाली का दक्ष तथा सतत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली प्रलेखन पर्याप्त था।
- (ii) एकीकरण पहलू में डॉटा पूर्ण तथा विश्वसनीय था।
- (iii) कम्पनी में कारबार नियम सही ढंग से मैप किए गए थे।
- (iv) प्रणाली में आईटी नियंत्रण, अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए समुचित आश्वासन प्रदान करते थे।

3.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड में निम्नलिखित बातें शामिल थीं:

- (i) आईटी प्रणाली तथा निगम आईटी नीति/योजना में सर्वोत्तम प्रथा।
- (ii) कारबार नियम, नियमपुस्तिकाएं तथा क्रियाविधियां।

3.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.7.1 प्रणाली अधिप्रापण, विकास तथा कार्यान्वयन

आईएफएस प्रयोग में वित्तीय, बिक्री तथा सहायता, अभियांत्रिकी, निर्माण, वितरण, अनुरक्षण तथा मानव संसाधन मापांक निहित थे। आईएफएस पैकेज की योजना, अधिप्रापण तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता पर समीक्षा के सामान्य सिद्धान्तों से निम्नलिखित बातों का पता चला:

3.7.1.1 कार्यान्वयन मुद्दे

कम्पनी के आईटी सलाहकार के रूप में बीआईएचएएल, आईटी योजना तैयार करने में शामिल था तथा ईआरपी पैकेज के चयन हेतु निर्णय लेने में गठित कोर ग्रुप का सदस्य भी था। बीआईएचएएल को अन्ततः ईआरपी-आईएफएस पैकेज का कार्यान्वयन सौंपा गया था और इसलिए वह ईआरपी-आईएफएस पैकेज की योजना से निष्पादन तक शामिल था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि कम्पनी ने परिकल्पित सभी मापांकों, जिनमें से कुछ बीआईएचएएल द्वारा शुरू नहीं किए गए थे, के संतोषजनक कार्य परिणाम प्राप्त किए बिना अग्रणी स्थलों के लिए सितम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 के बीच "गो लिव प्रमाणपत्र" हस्ताक्षरित किया। फर्म, ईआरपी-आईएफएस के सफल प्रचालन में विफल रही जिनकी चर्चा अनुवर्ती पैराओं में की गई है। वैध यूआरएस की पहचान का कार्य नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मापांकों के विकास तथा कार्यान्वयन में निरन्तर आशोधन तथा असाधारण विलम्ब हुआ।

- (i) कम्पनी ने विक्रेता से प्रणाली डिज़ाइन प्रलेखन प्राप्त नहीं किया जिसके कारण कम्पनी को छोटे आशोधनों के लिए भी विक्रेता पर निर्भर रहना पड़ा और परिणामस्वरूप, आवर्ती व्यय हुआ। कम्पनी ने अपना पूरा ईआरपी प्रणाली होने के बावजूद लेखे बंद करने के क्रियाकलापों से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए 11.54 लाख रू. खर्च किए तथा बीआईएचएएल के साथ सहायता ठेका करने के लिए अतिरिक्त 43.65 लाख रू. खर्च किए।
- (ii) परियोजना गुणवत्ता दस्तावेज़ में खरीदों के लेखाकरण, बीजकों के संसाधन, बीजक बनाने, बिक्री गणना की लागत, एमआईएस बनाने तथा वार्षिक लेखे तैयार करने में लिए गए समय में अपेक्षित कटौती के रूप में मूल निष्पादक सूचकांकों (केपीआई) के माप के माध्यम से ईआरपी-आईएफएस के लाभ परिकल्पित थे। तथापि, केपीआई के सूचक नहीं बनाए गए थे तथा ईआरपी कार्यान्वयन में संबंध लाभों के मूल्यांकन हेतु साफ्टवेयर में विकसित नहीं किए गए थे।

कंपनी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली।

3.7.1.2 मापांकों/रिपोर्टों का अनुपयोग

- (i) प्रशिक्षण के अभाव तथा डॉटा के सामयिक संचरण के अभाव के परिणामस्वरूप मापांकों जैसे कि बजटिंग मापांक, लागत अनुमान मापांक, उत्पादन मापांक, उप मापांकों की डायनेमिक आर्डर प्रोसेसिंग जैसे बैंक समाधान, टेंडरिंग प्रणाली, तथा क्रय मांग तथा प्रणाली में उपलब्ध रिपोर्टों, का खराब उपयोग हुआ।
- (ii) कार्यान्वित मापांकों के मामले में भी, मंडलों में उपभोक्ता, लेखाकरण के लिए प्रणाली का उपयोग नहीं कर सके थे तथा ग्राहकों से संबंधित अग्रिमों, भुगतान प्रक्रिया तथा हस्त्य नियंत्रणों का सहारे का उपयोग नहीं कर सके थे, यद्यपि सुविधा उपलब्ध थी।
- (iii) प्रणाली में ठेका कीमतों का प्रावधान न करने के कारण, रिक्थ प्रणाली के माध्यम से बिलिंग तथा निर्माण क्रियाकलाप जारी रखा गया था तथा बाद में आईएफएस में पोस्ट किया गया था।

3.7.2 सामान्य नियंत्रण

सामान्य नियंत्रण ऐसा वातावरण बनाते हैं जिनमें आईटी प्रयोग तथा संबद्ध नियंत्रण प्रचालित होते हैं। यदि सामान्य नियंत्रण कमजोर हो तो पृथक आईटी प्रयोगों से सम्बद्ध नियंत्रणों अर्थात् प्रयोग नियंत्रणों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। सामान्य नियंत्रणों में निम्नलिखित त्रुटियां देखी गई थी:

3.7.2.1 आईटी योजना तथा आईटी नीति का अभाव

- (i) यद्यपि कम्पनी संवेदनशील सूचना का संचालन कर रही थी, तथापि कम्पनी ने अभी तक आईटी सुरक्षा नीति सहित आईटी नीति नहीं बनाई थी। इसे बताए जाने पर, कम्पनी ने बताया कि सुरक्षा नीति, फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय द्वारा अध्ययन के पश्चात ही बनाई जाएगी।
- (ii) आईटी विभाग के लिए धमकी की मान्यता तथा सुरक्षा उपायों की पहचान के लिए जोखिम निर्धारण निष्पादित तथा प्रलेखित नहीं किया गया था।

3.7.2.2 कारबार निरन्तरता तथा दुर्घटना वसूली का अभाव

कारबार निरन्तरता तथा दुर्घटना वसूली योजना विद्यमान नहीं थी। कम्पनी ने बताया कि उन्हें ड्राफ्ट सुरक्षा नीति में शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान माहौल में बैकअप के लिए अग्नि सुरक्षा ऑफ साईट स्थान तथा बैकअप डम्प की आवधिक टैस्टिंग, विद्यमान नहीं थे। प्रणाली की विफलता के मामले में कारबार की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर अन्तरालों पर लिए गए बैकअप की जांच अनिवार्य थी। कम्पनी इस मांग को सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गई।

3.7.2.3 परिवर्तन प्रबंधन

अधिकतर परिवर्तन अनुरोध प्रयोक्ताओं द्वारा सीधे विक्रेता को सम्प्रेषित किए गए थे तथा परिवर्तन आईटी विभाग को शामिल किए बिना ही किए गए थे जो कार्यान्वयन स्तर पर अपर्याप्त मानीटरिंग तथा डाटाबेस में अधूरी/अपर्याप्त सूचना के जोखिम को दर्शाता था।

3.7.2.4 डॉटा माइग्रेशन

सम्पूर्ण परिमार्जन के पश्चात् डॉटा का माइग्रेशन, अन्तरित डॉटा की शुद्धता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। यह देखा गया था कि अधूरे डॉटा माइग्रेशन के कारण, 17 करोड़ रू के अग्रिम से संबंधित ब्यौरे तथा "जमाओं" (39 लाख रू) तथा "दावों" (58 लाख रू) के अथ शेषों के लिए ब्यौरे प्रणाली में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, कम्पनी ने रिक्थ प्रणाली पर निर्भरता जारी रखी।

3.7.3 आईटी सुरक्षा

3.7.3.1 प्रत्यक्ष तथा तर्कपूर्ण एक्सेस नियंत्रण का अभाव

यह देखा गया था कि:

- (i) प्रत्यक्ष एक्सेस नियंत्रण कमजोर थे तथा कर्मचारी जो कि लघु अवधि ठेके पर थे, उन्हें भी एक्सेस दिए गए थे। यद्यपि जीवसांख्यिकी एक्सेस के माध्यम से नियंत्रण, विमान मंडल में स्थापित किए गए थे, तथापि वे भी कार्यान्वित नहीं किए गए थे।
- (ii) ज्वलनशील सामग्री भी सर्वर कक्ष में डंप कर दी गई थी। अग्नि सचेतक साधन अथवा धुंआ संसूचक न तो प्रतिष्ठापित किए गए थे और न ही वे चालू हालत में थे। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक दुर्घटनाओं से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।
- (iii) आईटी परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण कमजोर था क्योंकि आईटी परिसम्पत्तियों की सूची अनुरक्षित नहीं की गई थी तथा आईटी परिसम्पत्तियों पर प्रयोक्ताओं का उत्तरदायित्व नियत तथा प्रलेखित नहीं किया गया था।

- (iv) डाटा का वर्गीकरण उनकी विवेचनात्मकता तथा संवेदनशीलता के अनुसार नहीं किया गया था।
- (v) पासवर्ड के माध्यम से नियंत्रण भी कमज़ोर पाए गए थे क्योंकि अग्रणी स्थलों पर न्यूनतम पासवर्ड लम्बाई, पासवर्डों में आवधिक परिवर्तनों की कोई नीति प्रथा में नहीं थी।
- (vi) लेखापरीक्षा खोज को सक्षम बनाने वाले सर्वर सहित लेनदेन से संबंधित लॉग, सर्वरों पर अतिरिक्त भार/दबाव के कारण अभिग्रहीत नहीं किए गए थे। यद्यपि लॉग शीटें हेलिकॉप्टर मंडर पर अनुरक्षित की गई बताई गई थी, तथापि वे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

3.7.4 प्रणाली डिज़ाइन त्रुटियां

आईएफएस फाइनेंशियल्स पर मापांक में कई उप-मापांक निहित थे जैसे बजट, स्थिर परिसम्पत्तियां, भुगतानयोग्य बिल, प्राप्तियोग्य बिल, लागत निर्धारण, सामग्री लेखे तथा बही खाता पद्धति। डिज़ाइन अवस्था पर अपेक्षित नियंत्रण डिज़ाइन करने में विफल रहने के कारण विसंगतियां हुईं जैसे कोडिफिकेशन/डाटाबेस फॉर्मेट, डॉटा वेलिडेशन, डॉटा/रिपोर्टों का दोहरीकरण तथा डॉटा/रिपोर्टों की गलत ग्रुपिंग। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप गलत लेखाकरण, लेन-देन की गलत ग्रुपिंग, असमायोजित शेष तथा गलत भुगतान हुए जैसा कि निम्नलिखित मामलों से स्पष्ट है:

- (i) सभी परिसम्पत्तियों के संबंध में जीवन काल वैधता, बिना किसी आधार के तथा परिसम्पत्तियों के वास्तविक जीवन का ध्यान किए बिना वर्ष 2025 अथवा 2049 तक वैध दर्शाई गई थी।
- (ii) प्रणाली में रिपोर्टों की प्राप्ति (आरआर) की तारीख के आधार पर मूल्यहास अथवा परिसम्पत्ति स्थिति को अद्यतन करने के स्वतः प्रावधान की कोई व्यवस्था नहीं थी परन्तु वह हस्त्य हस्तक्षेप पर निर्भर था। विश्लेषण पर यह देखा गया था कि 23389 पूर्णतः ह्रासित परिसम्पत्तियां, पूर्णतः ह्रासित न की गई परिसम्पत्तियों के रूप में दर्शाई गई थी। इसके अतिरिक्त, 2006-07 में जोड़ी गई 4.41 लाख रू. मूल्य की 142 परिसम्पत्तियों के लिए, प्रणाली पिछले वर्ष के अन्तर्गत ह्रासित मूल्य दर्शाता था। पहले से पूंजीकृत कुछ परिसम्पत्तियां चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाई गई थी।
- (iii) दिसम्बर 2006 से मार्च 2007 की अवधि के लिए सामान्य खाते तथा सभी मापांकों से संबंधित अभिलेख मई 2007 में खुले रखे गए थे ताकि लेखे बंद होने के बाद भी उस अवधि के लेन-देन दर्ज किए जा सकें।

- (iv) भारत औसत लागत की हस्त्य फीडिंग के परिणामस्वरूप बिक्री आदेशों में अधिक/कम बीजक बनाए गए क्योंकि प्रणाली में सामग्री खाते से बिक्री आदेश में लागत के स्वतः अभिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं था।
- (v) अंतिम भुगतान करते समय लेनदारों के साथ अग्रिमों का समायोजन यंत्रवत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 360.09 करोड़ रु की सीमा तक हस्त्य जर्नल वाउचरों का सृजन हुआ।

3.7.5 प्रचलन में कमी

विभिन्न मापांकों के एकीकरण का अभाव था जिसके कारण एक विशेष मापांक में अभिग्रहीत डॉटा, लेनदेनों की प्रोसेसिंग हेतु अन्य मापांक द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। इससे निम्नलिखित लेनदेनों में हस्त्य हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया:

- (i) अन्य परियोजनाओं से आहरण हेतु बीजकों/बिलों की प्रोसेसिंग तथा बीजक संख्या/संदर्भ पीओज़ का प्रणाली सृजन तथा मरम्मत, अनुरक्षण तथा सेवा आदेश की बिलिंग को सुविधाजनक बनाना।
- (ii) छोटे-छोटे नकद भुगतान, पेशगी लेखाओं का प्रचालन।
- (iii) प्रणाली मानक रिपोर्टों/रिटर्न जैसे बैंक एडवाइस, बिक्री रजिस्टर, विविध देनदारों के लिए समरी रिपोर्ट का सृजन करने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया था।
- (iv) प्रणाली में लेखाकरण के लिए कच्चे चिट्ठे की विभिन्न मर्दें प्रचलित नहीं की गई थी। यह देखा गया था कि मर्दों जैसे श्रमिक लागत, परिशोधित व्यय, बिक्री की लागत के पृथक्करण तथा अन्य मर्दों के लिए हस्त्य हस्तक्षेप आवश्यक था।
- (v) प्रणाली, रिपोर्टों, जैसे संगत संदर्भ आदेश तथा विक्रेता विवरण के साथ मार्गस्थ में माल के सृजन के लिए निर्दिष्ट नहीं था और इसलिए लेखाओं में मूल्यांकन का वैधीकरण तथा भुगतान, प्रणाली के माध्यम से सम्भव नहीं था।
- (vi) पीओ वार भुगतान विवरण से संबंधित रिपोर्ट का सृजन करते समय प्रणाली ने विक्रेता तथा बैंक डेबिट एडवाइस दोनों के दावे जोड़े और पीओ के प्रति किए गए भुगतान के रूप में एक गलत आंकड़ा प्रकट हुआ जिससे 176 अभिलेखों में 3.82 करोड़ रु तक पीओ मूल्य बढ़ गया। परिणामतः सृजित डाटा पर विश्वास नहीं किया जा सका। वास्तविक भुगतानों में कोई विसंगति नहीं थी।

- (vii) निरीक्षण हेतु लम्बित सूची की रिपोर्ट ने 48.56 करोड़ रु. मूल्य के 1710 अभिलेख दर्शाए जो लेखाओं के अनुसार मार्गस्थ में माल के अनुक्रम नहीं थे। यह देखा गया था कि लम्बित आरआर कार्यक्रम में बग के कारण अद्यतन नहीं कराए जा सके।

3.7.6 इनपुट नियंत्रण का अभाव

इनपुट नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि प्रोसेसिंग हेतु प्राप्त डॉटा प्रामाणिक, पूर्ण, सही, समुचित रूप से प्राधिकृत तथा बिना दोहरीकरण के है और इस प्रकार डॉटा की शुद्धता तथा पूर्णता सुनिश्चित करता है। हस्त्य हस्तक्षेप से अधिक इनपुट तथा पर्यवेक्षीय नियंत्रण अनिवार्य हो गया। इनपुट तथा पर्यवेक्षीय नियंत्रण के अभाव के कारण खाली/गलत/अधूरे विवरण सहित डॉटा नीचे दर्शाया गया है:

- (i) एक ही संभरक फर्म के लिए बहुल पहचान होने के कारण 86.54 लाख रु. के अग्रिम लम्बित दर्शाए गए थे हालांकि सामग्री प्राप्त हो गई थी।
- (ii) सूची आरआर, 28 अभिलेखों में उल्टावों के कारण ऋणात्मक मात्रा दर्शाते थे, और एक मामले में मूल्य (-)1,023.74 करोड़ रु. था जिसे बाद में सहसम्बद्ध किया गया था।
- (iii) चालू समापन कार्य 22 कार्य आदेशों में ऋणात्मक मूल्य के रूप में तथा 32 कार्य आदेशों में जीरो मूल्य के रूप में दर्शाया गया था तथा 0.50 करोड़ रु. से 4.47 करोड़ रु. तक के मूल्य के 39 कार्य आदेशों के प्रति कार्य का कोई वर्णन नहीं दर्शाया गया था।
- (iv) परिसम्पत्ति की गलत ग्रुपिंग/मूल्यहास की गलत दर/पूजीकरण की तारीख के गलत फार्मेट के परिणामस्वरूप गलत मूल्यहास हुआ जिसके कारण मूल्यहास का अधिक (14.22 लाख रु.) तथा कम (12.35 लाख रु.) प्रावधान हुआ।
- (v) यद्यपि 22 परिसम्पत्तियों के स्रोत, दस्तावेज़ में उपलब्ध थे, तथापि, अधिग्रहण की तारीख तथा बिक्री की तारीख, प्रणाली में प्रविष्ट नहीं किए गए थे।
- (vi) निम्नलिखित मामलों में प्रदत्त मूल्यहास का उनकी शुद्धता के लिए सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि:
 - गलत इनपुट के कारण 11290 अभिलेखों के संबंध में परिसम्पत्ति संकेत, असंगत वर्णमाला का गलत अभिग्रहण हुआ।
 - विवरण जैसे: स्थान, पीओ तथा परिसम्पत्ति की स्थिति या तो अधूरे/खाली थे अथवा उनका संकेतक योजना के अनुसार संकेतन नहीं किया गया था जिसके कारण परिसम्पत्ति की

श्रेणी तथा 90.75 करोड़ रु मूल्य की 65186 परिसम्पत्तियों के संबंध में मूल्यहास की दर का निर्धारण नहीं किया जा सका।

- (vii) संकेतक पद्धति वर्णसंख्यांक थी परन्तु डॉटा प्रविष्टि स्तर पर अथवा पवर्यवेक्षीय स्तर पर किसी गलत संकेतन के लिए इनपुट की जांच नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 40 बीजकों के प्रति भुगतान हुए हालांकि संभरक संकेत "डीयूएमएमवाई" से शुरू होता था।
- (viii) पीओ मूल्य तथा बीजक मूल्य की लागत प्रविष्टि के कारण प्रणाली में पीओज़ का गलत मूल्य तथा अधिक बीजक मूल्य दर्शाया गया।
- (ix) 2.52 लाख रु मूल्य की 21 अचल मालसूची मदों के लिए मूल्यहास प्रविष्टि नहीं किया गया था।
- (x) चूंकि लेखांकन की पद्धति में मरम्मत पीओज़ सही ढंग से प्रविष्टि नहीं किए गए थे, मरम्मत के पश्चात् प्राप्त मदें, ईआरपी प्रणाली में नई प्राप्तियों के रूप में लेखाबद्ध की गई थी तथा मालसूची का मूल्य 1.01 करोड़ रु बढ़ाते हुए भारित औसत लागत पर मूल्यांकित की गई थी।
- (xi) प्रणाली में निम्नलिखित बातें अनुमत थी:
- 6060 अभिलेखों में प्राप्ति मात्रा की ऋणात्मक प्रविष्टि, तथा
 - 30.07 करोड़ रु मूल्य के 12963 अभिलेखों में मात्रा को दर्शाए बिना प्राप्ति की प्रविष्टि।
- (xii) 1488 अभिलेखों में बीजक संख्याएं ऋणात्मक/दशमलव आंकड़ों के रूप में दर्शाई गई थी। 7997 अभिलेखों में मालसूची मदों के अन्तशेषों/प्राप्तियों का मूल्य (- 78.44 करोड़ रु) ऋणात्मक दर्शाया गया था।

3.7.7 वैधीकरण जांच का अभाव

वैधीकरण जांच यह सुनिश्चित करती है कि डाटा, कारबार नियमों के अनुरूप है और इस प्रकार यह जांच, डॉटा की शुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करती है।

- (i) संभरक बिल के भुगतान की निर्धारित तिथि 0 से 247 दिन के बीच थी जो केवल 7 दिन होनी चाहिए थी।
- (ii) डॉटा फ्रीडिंग तथा अनुमोदन हेतु वैधीकरण की अपर्याप्तता के कारण मई 2007 तक 2005-06 के 36 पीओज़ अप्राधिकृत रहे।

- (iii) विश्लेषित 65535 भुगतान वाञ्छर अभिलेखों में से, प्रणाली वाञ्छर की तारीख से पहले की तारीख को 294 अभिलेखों के संबंध में प्रविष्टि तारीख के रूप में तथा 289 अभिलेखों में वाञ्छर तारीख से पहले की अनुमोदन तारीख के रूप में स्वीकार करता था।
- (iv) प्रणाली ने 31 मार्च 2007 को शेष मालसूची के प्रति 5.67 करोड़ रु (723 अभिलेख) के अधिक विषय अनुमत किए।

3.7.8 कारबार नियमों का मानचित्रण

प्रणाली, कारबार ज़रूरतों के मानचित्रण हेतु डिज़ाइन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृत प्रथाओं का विपथन हुआ। ध्यान में आई कुछ निदेशी त्रुटियां नीचे दर्शाई गई हैं :

- (i) प्रणाली में डिज़ाइन किया गया तुलन-पत्र एकदम कम्पनी फार्मेट के अनुरूप नहीं था। अतः फार्मेट में ग्रुपिंग और फिटिंग के लिए तुलन-पत्र का लेखावार एक्स्ट्रेक्ट आईएफएस के माध्यम से सृजित किया गया था तथा एक्सल शीट में कॉपी किया गया था, जिससे प्रणाली में अन्तर्निर्मित नियंत्रण जोखिम में पड़ गए। कम्पनी के फार्मेट के अनुसार तुलन-पत्र सृजित करने के लिए एमएस-एक्सल दस्तावेज़ में हस्त्य रूप से फीड किए गए थे।
- (ii) कम्पनी की लेखाकरण नीति के अनुसार, 10,000 रु से कम अधिग्रहण मूल्य की परिसम्पत्तियों का पूर्ण मूल्यहास किया जाना था तथा पूर्णतः ह्रासित परिसम्पत्तियों का निवल मूल्य एक रूपया बनाए रखा जाना था। तथापि, 10,000 रु से कम मूल्य की 36 परिसम्पत्तियां पूर्णतः ह्रासित नहीं की गई थी तथा 10,000 रु प्रत्येक से अधिक मूल्य की स्थिर परिसम्पत्तियां 100 प्रतिशत पर ह्रासित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 0.57 लाख रु के मूल्यहास का अधिक प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त, 5.90 करोड़ रु मूल्य की 1920 स्थिर परिसम्पत्तियां पूर्णतः ह्रासित कर दी गई थी जो निवल मूल्य को "0" दर्शाती थी।
- (iii) आऊटपुट में असम्पूर्णता जैसे अप्रकटन/अभिलेखों का बेमेलन/फील्ड मूल्य (8655 अभिलेख जिसके लिए विमान मंडल लॉजिक में अथवा आईएफएस के साथ मानचित्रित डाटा में परिवर्तन करने के लिए सहमत नहीं हुआ।

3.7.9 लेखाओं को अंतिम रूप देने में प्रणाली एकीकरण का अभाव

लेखापरीक्षा का उद्देश्य आईएफएस-वित्तीय मापांक के कार्यान्वयन तथा निष्पादन की समीक्षा करना था तथा यह सुनिश्चित करना था कि इनपुट, प्रोसेसिंग तथा आऊटपुट नियंत्रण विद्यमान थे जो 31 मार्च

2007 वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए डाटा की विश्वसनीयता तथा सम्पूर्णता को सुनिश्चित करते थे। गैर एकीकरण के निम्नलिखित प्रमुख दृष्टांत देखे गए थे।

- (i) डिज़ाईन में विनिमय दर अन्तरों का लेखाकरण, शास्ति कटौती, लेनदारों/मालसूची के साथ प्रदत्त अग्रिमों की स्वतः ऑफसैटिंग, संभरक संकेतकों के दोहरीकरण के प्रचालन, कमीशनिंग परिसम्पत्ति का पूंजीकरण करने के लिए स्थिर परिसम्पत्ति संख्या के सृजन, अनावश्यक मालसूची के स्वतः प्रावधान का प्रावधान करने के कारण लेखाओं में प्रणाली शेष तथा शीड्यूल शेष का समाधान करने के लिए 737.68 करोड़ रु के हस्त्य वाञ्छरों का सृजन किया गया था।
- (ii) 37.79 करोड़ रु मूल्य की निरीक्षण हेतु लम्बित मदें, मार्गस्थ माल में नहीं ली गई थी क्योंकि प्रविष्टियों को सक्रिय करने के लिए प्रणाली में हस्त्य हस्तक्षेप का प्रावधान था। यद्यपि प्रणाली में आगमन प्रविष्टि कर ली गई थी तथा प्राप्ति रिपोर्टों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, तथापि, प्रणाली मार्गस्थ में माल के रूप में इन मदों का स्वतः लेखाकरण हेतु प्रावधान करने में विफल रहा।
- (iii) मालसूची में पहले से ली गई तथा उपभुक्त मदें "मार्गस्थ में" दर्शाई गई थी तथा लेखे के समायोजन हेतु 24.63 करोड़ रु की सीमा तक जर्नल वाञ्छर हस्त्य रूप से पारित किए गए थे।

3.8 निष्कर्ष

कम्पनी ने अपने पुनः अभियांत्रिक प्रयासों के प्रति ईआरपी-आईएफएस पैकेज, कला प्रौद्योगिकी की एक स्थिति, कार्यान्वित करने का निर्णय लिया तथा ऑन लाईन सूचना व्यवस्थित करने के उद्देश्य से निवेश किए परन्तु वह प्रणाली का पूरा लाभ प्राप्त करने में विफल रहे। डिज़ाईन अवस्था पर अपेक्षित नियंत्रण डिज़ाईन करने में विफलता तथा प्रचलन में त्रुटि के परिणामस्वरूप विभिन्न मापांकों का गैर एकीकरण, मापांकों का कम उपयोग, इनपुट नियंत्रण तथा वैधीकरण जाँच का अभाव हुआ, और अन्ततः ईआरपी पैकेज का उसकी पूर्ण संभावना से उपयोग नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, डाटा की गोपनीयता, सम्पूर्णता तथा शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। परिणामतः कम्पनी की कम्प्यूटरीकरण परियोजना तदर्थ रही तथा कम्पनी अभी भी रिक्थ प्रणाली, हस्त्य नियंत्रण तथा विभिन्न अन्य प्रयोज्यताओं, जैसे लेखाकरण हेतु एमएस एक्सल तथा वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने, पर निर्भर थी। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा एकीकृत साफ्टवेयर को लेने का प्रयास अभिप्रेत उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

3.9 सिफारिशें

प्रबंधन को

- एक व्यापक जोखिम निर्धारण पर आधारित एक आईटी सुरक्षा नीति कारबार निरन्तरता एवं दुर्घटना वसूली योजना बनानी चाहिए।

- साफ्टवेयर में अप्राधिकृत परिवर्तनों से बचने के लिए तथा किए गए सभी परिवर्तनों का ट्रायल अनुरक्षित करने के लिए एक स्पष्ट परिवर्तन पद्धति निर्धारित करनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कारबार पद्धतियां तथा नियम समुचित रूप से अन्तर्निर्मित हैं एप्लिकेशन की समीक्षा की जानी चाहिए।
- सही डॉटा अभिग्रहण सुनिश्चित करने के लिए, विशेषकर जहां हस्त्य हस्तक्षेप अपेक्षित हैं, इनपुट नियंत्रण, वैधीकरण जांच तथा आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि को मज़बूत करना चाहिए।
- त्रुटियों को ठीक करने तथा अनावश्यक डॉटा को हटाने तथा मास्टर डॉटा की आवधिक समीक्षा के लिए पद्धति को स्थापित करने के लिए मास्टर डॉटा को साफ करना चाहिए।
- प्रयोक्ता जागरूकता का स्तर उठाना चाहिए तथा इनपुट डॉटा की त्रुटियां न्यूनतम करनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साफ्टवेयर में समस्त संगत तत्वों का उपयोग किया जा रहा है तथा ईआरपी का लाभ प्राप्त करने के लिए, जहां आवश्यक हो, कारबार प्रक्रिया आशोधित करनी चाहिए।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2007), उसका उत्तर प्रतीक्षित था।

वित्त मंत्रालय

अध्याय: IV

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर

ईआरपी के अंतर्गत वितरण एवं निर्माण मापांक

मुख्य बातें

कम्पनी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में मै0 सिस्टिम को शामिल करने में विफल रही तथा परियोजना के सामयिक समापन की वचनबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए करार की शर्तों के उल्लंघन में 2.37 करोड़ रु. की बैंक गारंटी जारी की।

(पैरा 4.7.1.1)

प्रशिक्षित ईआरपी कोर टीम के अनुचित प्रबंधन के परिणामस्वरूप ईआरपी प्रणाली का उपयोग नहीं हुआ।

(पैरा 4.7.1.2)

"गो लिव" प्रमाणपत्र हस्ताक्षर करते समय प्रबंधन द्वारा अपेक्षित देय व्यावसायिक देखभाल नहीं की गई थी।

(पैरा 4.7.1.3)

पैकेज के प्रचलन में बड़े अंतरों के परिणामस्वरूप प्रणाली का उपयोग नहीं हुआ तथा कारबार प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिक लाभ प्राप्त नहीं हुए।

(पैरा 4.7.1.4 तथा 4.7.1.5)

एप्लिकेशन नियंत्रण जैसे इनपुट नियंत्रण तथा प्रणाली त्रुटि के अभाव के कारण प्रणाली स्वतः रूप से त्रुटियों की पहचान करने से वंचित रहा।

(पैरा 4.7.1.6 तथा 4.7.2)

डॉटा डिजिटल हस्ताक्षरों से कोडीकृत तथा वैधीकृत नहीं किया गया था, हालांकि कंपनी द्वारा संचालित सूचना की गुप्तता अत्यधिक महत्व की थी।

(पैरा 4.7.3)

4.1 प्रस्तावना

पूर्णतः भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (कम्पनी) 3 फरवरी 1995 को बनाई गई थी जिसके मैसूर (कर्नाटक) तथा सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में दो प्रिंटिंग यूनिट थे। प्रिंटिंग यूनिटों में वर्तमान में 10 रू. से 1,000 रू. मूल्यवर्ग के नोट छापे जा रहे हैं। 31 मार्च 2007 को कम्पनी का टर्नओवर लगभग 975 करोड़ रू. था।

शुरू से ही कम्पनी में कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ हो गया था। अगस्त 1996 में, मै0 मेकॉन को एकीकृत साफ्टवेयर पैकेज का विकास कार्य सौंपा गया था। इसकी विफलता पर मै0 प्राईस वाटरहाऊस लिमिटेड, सलाहकार ने हल के रूप में ईआरपी की सिफारिश की (जनवरी 1999)। ईआरपी के लिए जेडी एडवर्ड का "वन वर्ल्ड" एक्सई साफ्टवेयर, 13.98 करोड़ रू. की लागत पर हार्डवेयर सहित अधिप्राप्त किया गया था। "गो लिव" मई 2004 में हस्ताक्षर किया गया था। ईआरपी एप्लिकेशन मैसूर में केन्द्रीय रूप से प्रबंधित किया गया था।

4.2 संगठनात्मक ढांचा

सूचना प्रणाली मंडल, उप महा प्रबंधक (तकनीकी) के अधीन कार्य करता है, जो महाप्रबंधक (मैसूर प्रिंटिंग प्रैस) को रिपोर्ट करता है जिसकी प्रबंधक (ईआरपी) तथा सहायक/उप प्रबंधकों द्वारा सहायता की जाती है।

4.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

जेडी एडवर्ड्स के "वन वर्ल्ड" एक्सई ईआरपी साफ्टवेयर (जेडी एडवर्ड्स) में पांच मापांक निहित हैं जैसे वितरण, निर्माण, वित्त एवं लेखे, मानव संसाधन तथा संयंत्र एवं अनुसंधान। लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में योजना, अधिग्रहण, कम्प्यूटरीकरण का कार्यान्वयन तथा उपयोग तथा 2005-06 तथा 2006-07 वर्षों के लिए लेनदेन पर विशेष ज़ोर के साथ ईआरपी के वितरण तथा निर्माण मापांकों की जांच।

4.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

कम्पनी के कम्प्यूटरीकरण की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा निम्नलिखित बातों के निर्धारण के लिए की गई थी:

- (i) ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन एक क्रमबद्ध योजना तथा प्रचालनात्मक ज़रूरतों तथा आवश्यकताओं के पर्याप्त निर्धारण के साथ प्रारम्भ किया गया था;
- (ii) प्रणाली का दक्ष तथा सतत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रलेखन पर्याप्त था;
- (iii) सृजित डॉटा पूर्ण, विश्वसनीय था तथा कम्पनी के कारबार नियमों का पालन करता था;
- (iv) प्रणाली में नियंत्रण समुचित आश्वासन देते हैं कि अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे थे; तथा
- (v) हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर दोनों आईटी संसाधन समय पर तथा मितव्ययी रूप में प्राप्त किए गए थे तथा उनका इष्टतम उपयोग किया गया था।

4.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

यह पता लगाने के लिए कि क्या ऊपर बताए गए उद्देश्य प्राप्त किए गए थे, निम्नलिखित मापदण्डों का उपयोग किया गया था:

- (i) वास्तव में अपनाई गई प्रथाओं की तुलना में ईआरपी प्रणाली, क्रियाविधि में बताए गए प्राचल।
- (ii) ईआरपी प्रणाली के वास्तविक कार्यान्वयन के संदर्भ में हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर की अभिप्राप्ति।
- (iii) आईटी में सामान्यतः अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएं।

4.6 लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

लेखापरीक्षा, अभिलेखों तथा दस्तावेजों, कम्पनी कर्मचारियों के साथ चर्चा तथा बातचीत के माध्यम से की गई थी तथा डॉटा विश्लेषण सीएएटी के माध्यम से किया गया था।

4.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.7.1 सामान्य नियंत्रण

4.7.1.1 प्रणाली अधिग्रहण, विकास तथा कार्यान्वयन

प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने की दृष्टि से, कम्पनी ने जनवरी 1998 में 1.29 करोड़ रु. मूल्य का हार्डवेयर अधिप्राप्त किया। साफ्टवेयर के विकास हेतु मै0 मैकन को 67 लाख रु. का एक आदेश अगस्त 1996 में दिया गया था। चूंकि साफ्टवेयर दिसम्बर 1998 तक भी तैयार नहीं था, मैकन के साथ ठेका फरवरी 1999 में रद्द कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1.29 करोड़ रु. का समस्त व्यय निष्फल हो गया।

तत्पश्चात् कम्पनी ने लागत को न्यूनतम करने तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ईआरपी शुरू करने तथा दो वर्ष के अन्दर परियोजना को पूरा करने का निर्णय लिया (फरवरी 1999)। कम्पनी द्वारा नियुक्त ईआरपी परियोजना सलाहकार ने एसएपी अथवा ओरेकल साफ्टवेयर की सिफारिश की। तथापि, बोलियां जेडी एडवर्ड्स से भी मांगी गई थी, हालांकि जेडी एडवर्ड्स की, उसके ऊंचे प्रस्ताव तथा स्थानीय सहायता के अभाव तथा अपर्याप्त कवरेज के कारण ईआरपी परियोजना सलाहकार द्वारा सिफारिश नहीं की गई थी (जून 2000)। कम्पनी ने प्रत्यक्ष नियुक्ति तथा वचनबद्धता के अभाव के आधार पर मै0 ओरेकल की ओर से मै0 निट द्वारा बोली की प्रस्तुति रद्द कर दी। कम्पनी ने 5.40 करोड़ रू. की लागत पर जेडी एडवर्ड्स ईआरपी अर्थात् जेडी एडवर्ड्स के "वन वर्ल्ड" का चयन किया जिसने उसके कार्यान्वयन साझीदार के रूप में मै0 सिस्टाईम, मुम्बई का चुनाव किया। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि सलाहकार ने फीडबैक में जेडी एडवर्ड्स के ईआरपी पैकेज के संबंध में स्पष्टतया बजटीय प्रस्ताव, स्थानीय सहायता के अभाव तथा अपर्याप्त कवरेज को नहीं माना था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बोर्ड के नोट ने बताया कि सलाहकार ने उच्च बजटीय प्रस्ताव तथा स्थानीय सहायता के अभाव के कारण जेडी एडवर्ड्स की सिफारिश नहीं की थी।

इंटेंट पत्र (एलओआई) (अक्टूबर 2000) तथा हस्ताक्षरित करार (जुलाई/अगस्त 2001) की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें देखी गई थी:

- (i) यद्यपि जेडी एडवर्ड्स ने सीधे ही कीमत उद्धृत की थी तथा ईआरपी के कार्यान्वयन हेतु कम्पनी के साथ एक करार किया था, तथापि, उसने ठीक कीमत बोली की अवस्था से ही अपने भारतीय कारबार साझीदार मै0 सिस्टाईम को शामिल किया था, जबकि मै0 ओरेकल के मामले में वैसा ही प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि मै0 ओरेकल से सीधी वचनबद्धता का अभाव ही निविदा की अवस्था से मै0 जेडी एडवर्ड्स से सीधी वचनबद्धता के प्रति उनकी बोली को रद्द करने का कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मै0 सिस्टाईम को ठीक एलओआई अवस्था से ही शामिल किया गया था और इसलिए अन्य समान प्रस्ताव पर विचार न करने के कारण कम्पनी प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तावों से वंचित रही।
- (ii) जेडी एडवर्ड्स को सीधे शामिल न करने के कारण कंपनी स्थानीय कार्यान्वयन साझीदार मै0 सिस्टाईम पर निर्भर हो गई। तथापि, कम्पनी परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराने के लिए संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में मै0 सिस्टाईम को शामिल करने में विफल रही। पैकेज का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मै0 सिस्टाईम को दी गई 2.37 करोड़ रू. मूल्य (31 मई 2004 तक वैध) की बैंक गारंटियां (बीजी) भी "गो-लिव" प्रमाणपत्र हस्ताक्षर करने के बाद ही जारी की गई थी। ठेका पूरा करने से पहले बीजी जारी करना ठेके की शर्तों तथा कम्पनी के हित के विरुद्ध था। चूंकि कम्पनी का मै0 सिस्टाईम पर कोई नियंत्रण नहीं था और उसने पूरा कार्यान्वयन सुनिश्चित किए बिना ही बीजी जारी कर दी थी, अतः कम्पनी पूरा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मै0 सिस्टाईम के विरुद्ध कोई

कार्रवाई नहीं कर सकी। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि अप्रैल 2004 में डॉटा की लाईव फीडिंग पर बीजी जारी कर दी गई थी। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लम्बित मामलों का समाधान करने से पहले बीजी जारी कराना आवश्यक नहीं था।

- (iii) यद्यपि ईआरपी कार्यान्वयन में उद्देश्य परिभाषित किए गए थे, तथापि ठेके में टाईमफ्रेम के बारे में अस्पष्टता थी। अतः ठेका हस्ताक्षर करने के छः वर्ष के बाद भी कम्पनी में ईआरपी का कार्यान्वयन पूरा नहीं किया गया था और कम्पनी कोई शास्ति नहीं लगा सकी। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर) कि कार्यान्वयन में विलम्ब, जेडी एडवर्ड्स के नियंत्रण से बाहर था क्योंकि एप्लिकेशन में बैंक नोट उद्योग की विशिष्ट मांग के प्रचलन में समय लगा था। प्रबंधन का उत्तर दर्शाता है कि प्रयोक्ता मांग अध्ययन त्रुटिपूर्ण था तथा ठेके में एक निश्चित समय सीमा के अभाव से कम्पनी, परियोजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण से वंचित रही।
- (iv) मै0 जेडी एडवर्ड्स, सितम्बर 2003 में मै0 पीपल साफ्ट के नियंत्रण में आ गई थी जो बाद में 2005 में मै0 ओरेकल के नियंत्रण में आ गई थी। मै0 ओरेकल ने साफ्टवेयर को अद्यतन करने के लिए 2004-05 से 40 लाख रू. वार्षिक के भुगतान की मांग की थी हालांकि उन्होंने उस अवधि के दौरान कम्पनी को कोई सेवा प्रदान नहीं की थी। किसी घटना, जैसे जेडी एडवर्ड्स को किसी अन्य कम्पनी द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, के मामले में कम्पनी साफ्टवेयर का उन्नयन नहीं कर सकी तथा ईआरपी के असफल कार्यान्वयन हेतु मै0 ओरेकल पर उत्तरदायित्व नियत नहीं कर सकी।

4.7.1.2 समाप्त किया गया ईआरपी दल

ईआरपी कार्यान्वयन कार्य शुरू करने के लिए, तीनों स्थानों (बंगलौर, मैसूर तथा सालबोनी) में प्रत्येक के लिए तीन ईआरपी परियोजना दल बनाए गए थे। परियोजना दल का आकार 48 था। ईआरपी दल की कुल संख्या, जून 2006 के अंत तक 48 से घटा कर 5 कर दी गई थी। मैसूर ईआरपी कार्य इन पांच सदस्यों द्वारा प्रबंधित किया गया था। प्रशिक्षित कार्मिकों के अभाव के कारण सालबोनी डॉटा सीधे ईआरपी प्रणाली में प्रविष्ट नहीं किया जा रहा था।

प्रशिक्षित ईआरपी कोर दल के अनुचित प्रबंधन के परिणामस्वरूप ईआरपी प्रणाली का उपयोग नहीं हुआ। यह संगत आईटी नीति के अभाव को दर्शाता था।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि एक बार सलाहकारों द्वारा सभी मामलों का समाधान कर लेने तथा ईआरपी को ऑनलाईन करने के बाद प्रशिक्षित ईआरपी कोर दल सदस्यों को एक बार फिर ईआरपी कार्य सौंपा जाएगा तथा ईआरपी सॉफ्टवेयर तथा दैनिक तकनीकी मुद्दे व्यवस्थित करने तथा अनुरक्षित करने के लिए स्केलेटल मानवशक्ति बनाई रखी जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोर दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ईआरपी का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा सभी सम्बद्ध मुद्दों का समाधान करना था।

4.7.1.3 "गो लिव" प्रमाणीकरण में असंगति

"गो लिव" प्रमुख माइलस्टोन था जो कार्यान्वयन में किए गए प्रयास की पराकाष्ठा पर पहुंचता है। इस माइलस्टोन के सफलतापूर्ण समापन से परियोजना कार्यान्वयन का चरण पूरा हुआ। करार के अनुसार प्रणाली 2 अप्रैल 2002 तक "गो लिव" होगा। तथापि, "गो लिव" की समाप्ति मई 2004 में दी गई थी। "गो लिव" की तारीख के पश्चात् दोनों प्रिन्टिंग यूनिटों के प्रबंधन ने सूचित किया (जुलाई 2004) कि प्रणाली प्रयोक्ता अनुकूल नहीं था तथा ईआरपी से अधिकतर रिपोर्टें सृजित नहीं की जा सकीं। एप्लिकेशन की उसका प्रयोग शुरू करने से पहले जांच नहीं की गई थी। इस प्रकार, "गो लिव" की समाप्ति के समय प्रबंधन द्वारा अपेक्षित व्यावसायिक देखभाल नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि "गो लिव" इस आशय के साथ घोषित किया गया था कि मै0 सिस्टाईम सभी लम्बित मुद्दे तीन मास की अवधि के अंदर पूरे कर लेगी। उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि "गो लिव", प्रणाली के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से पहले ही दे दिया गया था तथा "गो लिव" के तीन वर्ष के पश्चात् भी कंपनी को अभी स्थिर होना था तथा ईआरपी प्रणाली का पूर्णतः उपयोग करना था।

4.7.1.4 ईआरपी प्रणाली का उपयोग न होना

कम्पनी ने दो वर्ष की निर्धारित समय सीमा के अन्दर कागज़ रहित कार्यालय के माध्यम से कारबार प्रक्रियाओं तथा परिष्कृत दस्तावेज़ प्रबंधन के स्वचलन के उच्च स्तर पर विचार किया (1999)। यद्यपि कम्पनी ने मई 2004 में "गो लिव" पर परियोजना समाप्त कर दी थी, तथापि ईआरपी परियोजना अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई थी तथा प्रणाली ने एक कार्यकारी सूचना के रूप में कार्य करने के ईआरपी प्रणाली के विचारित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया तथा 13.98 करोड़ रु के निवेश के पश्चात् भी निर्णय सहायता प्रणाली प्राप्त नहीं किया गया था। अन्तर के निर्धारण हेतु पुनः अभियांत्रिक योजना ने वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए। अतः प्रयोक्ता को अपने दैनिक कार्य के लिए प्रणाली का प्रयोग करने में विश्वास नहीं था। परिणामस्वरूप, कम्पनी अपने दैनिक कार्यों के लिए विभिन्न अन्य साफ्टवेयरों जैसे टैली, एमएस एक्सल आदि पर ही निर्भर रही।

4.7.1.5 कारबार प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिक लाभों का अनुद्ग्रहण

कंपनी ने कारबार प्रक्रिया अभियांत्रिकी (बीपीआर) कार्यान्वित करते समय 18 करोड़ रु वार्षिक का लाभ प्रक्षिप्त किया। यह लाभ, 5.35 करोड़ रु वार्षिक की सूची वहन लागत में कमी तथा आदेश के

विक्रय राजस्व में 13.03 करोड़ रू की वृद्धि के द्वारा मुख्यतः मालसूची इष्टतमीकरण से होना था जिसके परिणामस्वरूप 1.30 करोड़ रू वार्षिक का निवल लाभ होना था।

पिछले छः वर्षों अर्थात् 2001-02 से 2006-07 के दौरान यह देखा गया था कि मालसूची वहन लागत 3.06 करोड़ रू से 15.36 करोड़ रू के बीच थी तथा इसमें कोई ज्यादा कमी नहीं थी। यह भी देखा गया था कि इस अवधि के दौरान बिक्री, 2003-04 (813 करोड़ रू) तथा 2006-07 (976 करोड़ रू) के अतिरिक्त, 600 करोड़ रू के स्तर पर स्थिर थी। विलम्ब तथा जुलाई 2007 तक ईआरपी के अकार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि "गो लिव" मई 2004 में दे दिया गया था, तथापि कम्पनी अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि बीपीआर प्रयोगों में विचारित लागत लाभ, ईआरपी पश्च कार्यान्वयन लागत लाभ नहीं होने चाहिए थे तथा अधिकतर लागत लाभ पहले ही प्राप्त कर लिए गए थे। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

4.7.1.6 प्रणाली त्रुटि

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रणाली प्रक्रियाएं अपेक्षित परिणाम देती हैं, सही प्रणाली डिज़ाइन तथा नियमों का मानचित्रण अपेक्षित है। प्रणाली डिज़ाइन की किसी भी त्रुटि का गलत परिणाम होगा तथा डॉटा की सत्यता प्रभावित होगी। यह देखा गया था कि:

- (i) दोषपूर्ण प्रणाली डिज़ाइन के कारण, निरीक्षण के पश्चात् आपूर्तियों पर अस्वीकारणों के मूल्य सहित विवरण, पीओज़ की मदों में जोड़े गए थे जिसके परिणामस्वरूप इन पीओज़ के संबंध में गलत एमआईएस हुए।
- (ii) प्रिन्ट किए गए परिणाम में संशोधनों के संदर्भ निहित थे हालांकि जब पीओज़ पुनः प्रिन्ट हुए थे तो उनके कोई संशोधन नहीं थे।
- (iii) ऑफसेट सेक्शनों के वातानुकूलित (एसी) भण्डारों से जल चिन्हित कागज़ (डब्ल्यूएमपी) जारी करते समय निर्गम लागत में एसी भण्डारों की लागत शामिल नहीं थी। भण्डारों पर किया गया व्यय अभिग्रहीत करने तथा उसे सामग्री में जोड़ने की आवश्यकता थी।
- (iv) चालू निर्माण कार्य (डब्ल्यूआईपी) की विभिन्न अवस्थाओं में निर्माण की लागतें अभिग्रहीत नहीं की जा रही थी तथा इसलिए प्रणाली, तैयार बैंक नोटों की लागत सृजित नहीं कर सका। इससे कंपनी, निर्माण की प्रत्येक अवस्था पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए लागतों, जो बैंक नोटों की लागत नियत करने तथा विभिन्न परिणाम तैयार करने के लिए मालसूची के मूल्यांकन हेतु अनिवार्य थी, की मानीटरिंग तथा उनके विश्लेषण से वंचित रही।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि उनका ऑन-लाइन डब्ल्यू आई पी मूल्यांकन प्राप्त करने का विचार नहीं था और वर्तमान में डब्ल्यू आई पी मूल्यांकन विभिन्न घटकों को ध्यान में रखने के पश्चात् हस्त्यरूप से किया गया। तथापि, प्रबंधन ने इसका निर्णय करने के लिए कोई कारण नहीं दिये। प्रबंधन का यह निर्णय विनिर्माण के प्रत्येक स्तर पर सुसंगत लागतों का मॉनीटर और विश्लेषण करने के लिए कम्पनी को अनुमति नहीं प्रदान करता जो बैंक नोट की लागत का नियत करने और वित्तीय परिणामों के तैयार करने के लिए मालसूची का मूल्यांकन करने के लिए अत्यावश्यक था। इस प्रकार, प्रणाली में डब्ल्यू आई पी मूल्यांकन और हस्त्य प्रणाली की जारी निर्भरता जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की सुव्यवस्था न करने से ईआरपी परियोजना के माध्यम से कारबार प्रक्रियाओं के स्वचलन के उच्चस्तर को प्राप्त करने का उद्देश्य विफल हुआ जैसाकि निगमित सूचना प्रौद्योगिकी योजना (1999) में परिकल्पित किया गया था।

4.7.2 अनुप्रयोग नियंत्रण

4.7.2.1 इनपुट और वैधीकरण नियंत्रण

इनपुट और वैधीकरण नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियाओं के लिए प्राप्त हुए डाटा यथार्थ, पूरे सही उचित रूप से प्राधिकृत एवं समय से प्रविष्टि एवं द्विगुणन के बिना है। एक समीक्षा से पता चला कि डाटा अधूरे थे और इनपुट एवं वैधीकरण नियंत्रणों के अभाव के कारण विश्वसनीय नहीं थे।

इनपुट नियंत्रण

- (i) मालसूची को एबीसी विश्लेषण के अनुसार 29248 मदों में से 1967 मदों के बारे में 'सी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 'ए' अथवा 'बी' के रूप में किसी मद को वर्गीकृत नहीं किया गया था।
- (ii) मशीन स्पेयरस के मामले में लीडटाइम 'निरन्क' के रूप में दिखाया गया था।
- (iii) ऋणात्मक अंतशेष 31 मार्च 2007 की समाप्ति पर मैसूर इकाई में विभिन्न प्रकार की स्याही के बारे में 7.5 किलो से 6240 किलो के मध्य था जिसने अधिक निर्गम दर्शाया। हालांकि प्राइसड स्टोर लेजर ने घनात्मक अंतशेष दर्शाए फिर भी कार्डेक्स में वे ऋणात्मक शेषों के रूप में रहे। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि सामग्री में कोई ऋणात्मक शेष नहीं था जैसाकि मद लेजर रिपोर्ट में दिखाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसाकि मद लेजर ने अथ शेषों के प्राप्त न करने के कारण अधिक निर्गम/ऋणात्मक शेष दर्शाये।

- (iv) प्रणाली ने अनुवर्ती लेखाकरण वर्ष में पिछले लेखाकरण वर्ष से संबंधित लेन-देनों के प्राप्त करने को अनुमत किया। यह इस तथ्य से विदित था कि 31 मार्च 2007 को पूरा किये गये सालबोनी इकाई के 5752 लेन-देनों में से 5745 को 2007-08 में डॉटा बेस में प्रविष्ट किया गया था। यह विसंमति वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए मैसूर कार्डेक्स में भी ध्यान में आई थी।
- (v) डिलीवरी शेड्यूल से संबंधित डॉटा की नमूना जाँच करने पर यह ध्यान में आया था कि अनुरोध तारीख और प्रतिज्ञात डिलीवरी तारीख जैसी निर्णायक तारीखों का उल्लेख करना प्रणाली में अनिवार्य नहीं था। उन मामलों में जहाँ इन तारीखों को अलग रूप से नहीं दिखाया गया था वहाँ चूक द्वारा अनुप्रयोज्य ने अनुरोध की तारीख और प्रतिज्ञात डिलीवरी तारीख के रूप में क्रय आदेश की तारीख को चुना जिसके परिणामस्वरूप डॉटा में अयथार्थता हुई।
- (vi) कार्य आदेशों की प्रास्थिति को 63 कार्य आदेशों के लिए प्राप्त नहीं किया गया था। इसमें से 24 कार्य आदेश 2004 से संबंधित थे और 5 कार्य आदेशों के बारे में आदेशित मात्रा की पूर्ण रूप से डिलीवरी कर दी गई थी।
- (vii) 14 कार्य आदेशों के बारे में अनुरोधित मात्रा प्राप्त नहीं हुई थी यद्यपि पूर्ण हुई मात्रा 221 करोड़ बैंक नोट थी।
- (viii) 57 कार्य आदेशों के बारे में कार्य आदेशों के प्रति आहरित मात्रा के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए थे यद्यपि पूर्ण हुई मात्रा 1911 करोड़ बैंक नोट थी।

वैधीकरण नियंत्रण

- (ix) 31 मार्च 2007 को मैसूर इकाई में एक मद (इन्टेग्लियों ब्लेकेट) की इकाई लागत 70,554.07 रुपये कोर्डेक्स के अनुसार दर्शाई गई थी जबकि कम्पनी ने इसे 4,865.576 रुपये पर लेखाबद्ध किया।
- (x) हालांकि 520 मामलों में 447 करोड़ रूपए मूल्य के 335 करोड़ बैंक नोट को शिफ्ट इवेंट के रूप में दिखाया गया था फिर भी आदेशों के निरस्त करने की तारीख को आदेश निरसन के प्रति प्राप्त किया गया था।
- (xi) 30 कार्य आदेशों के बारे में कार्य के प्रारम्भ करने की तारीख आदेश तारीख से पूर्व थी।

4.7.3 आई टी सुरक्षा पॉलिसी

ईआरपी प्रणाली मई 2004 से तैयार हुई थी और परिचालन में आई। कम्पनी करेंसी नोट के मुद्रण के बहुत संवेदनशील और मूल्यवान कार्य का प्रबन्ध कर रही थी। इसलिए, कम्पनी द्वारा हस्तगत सूचना की गोपनीयता राष्ट्रीय महत्त्व की थी।

यह देखा गया था कि लीजड लाइन के माध्यम से पुनः प्रक्रियागत करने के लिए अन्य इकाईयों से मैसूर इकाई को ऑन लाइन डाटा अन्तरण इन्क्रिप्ट नहीं हुआ था और आंगुलिक हस्ताक्षर सहित वैधीकृत था। कम्पनी के पास अभी एक दस्तावेजीकृत आई टी सुरक्षा पॉलिसी थी।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि लीजड लाइन का उपयोग नजदीकी प्रयोक्ता समूह सदस्यों द्वारा किया जा रहा था और डाटा सरवर की सुरक्षा के लिए मैसूर में आवश्यक फायरवाल का प्रावधान किया गया था। यह पुनरावृत्ति की गई कि नजदीकी प्रयोक्ता समूहों में भी इन्करपशन अप्राधिकृत पहुंच को रोकने के लिए उपयुक्त है।

4.7.4 कारबार निरन्तरता योजना

यह ध्यान में आया था कि कम्पनी को दुर्घटना की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई की कारबार निरन्तरता योजना रूपरेखा का अभी प्रतिपादन करना था जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि सूचना प्रक्रियागत सामर्थ्यता को शीघ्र ही फिर से चालू कर लिया गया था। यह भी ध्यान में आया था कि स्थल से दूर कोई भण्डारण स्थान नहीं था और मैसूर में लिये गये बकअप को स्वयं सरवर कक्ष में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अभिलेख/लोग नहीं थे कि बकअप फाइलों की जाँच उनकी सम्पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

4.7.5 अन्य रोचक मुद्दे

4.7.5.1 मालसूची के मूल्यांकन में अन्तर

डब्ल्यू एम पी बैंक नोट के बनाने के लिए एक मुख्य कच्ची सामग्री है और जो स्थूलरूप से खपत लागत के दो तिहाई की होती है। यह देखा गया था कि ईआरपी के वितरण मापांक में मालसूची मूल्यांकन पी ओ में उल्लिखित दरों के अनुसार सामग्री की प्राप्ति पर किया गया था। तदनन्तर, आपूर्तिकार से बिलों की प्राप्ति पर अथवा निगमित कार्यालय से वास्तविक भुगतान ब्यौरों की प्राप्ति पर मालसूची के मूल्य में अन्तर को नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार वितरण मापांक के मालसूची लेखाओं में समायोजित किया गया था:

- मालसूची का मूल्य संशोधित (मूल्य में अन्तर सहित) रहा यद्यपि मदों को आज तक जारी नहीं किया गया था।

- मालसूची के मूल्य में अन्तर को मालसूची समायोजन लेखा के माध्यम से समायोजित किया गया था और व्यय के रूप में माना गया था, यदि मदों को इस तारीख पर पूर्णतः जारी किया गया था।
- यदि अंश मात्रा जारी न किये गये के रूप में मालसूची में उपलब्ध थी फिर भी मूल्य में अन्तर को स्टोर में उपलब्ध जारी न की गई मात्रा में जोड़ा गया था।

यह भी ध्यान में आया था कि मालसूची का मूल्यांकन कुछ अन्य सॉफ्टवेअर के माध्यम से लेखाओं के तैयार करने के दौरान वास्तविक बिल के अनुसार किया गया था। मालसूची का मूल्यांकन करते समय अनुसरण की गई विभिन्न क्रियाविधियों के कारण लेखाओं के संबंध में मालसूची के मूल्यांकन में अन्तर ध्यान में आये थे अर्थात् चार डिनोमिनेशन के लिए मूल्य 53.87 लाख रूपए तक अधिक था और दो डिनोमिनेशन के लिए मूल्य 21.78 लाख रूपए तक कम था।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि इससे सामान्य स्टोर से आई हुई सामग्री प्रभावित नहीं होगी और वितरण मापांक और लेखाओं के अनुसार मूल्य के मेचिंग का प्रश्न ही नहीं उठता। कम्पनी के उत्तर ने ईआरपी प्रणाली में मालसूचियों के गलत मूल्यांकन की पुष्टि की।

4.7.5.2 निर्माण मापांक के कार्यक्रमयोग्य लोजिक नियंत्रण इन्टरफेस का उपयोग न होना

प्रारम्भिक रूप से एम आई एस और लेखाओं के लिए कार्यक्रमयोग्य लोजिक नियंत्रण (पीएलसी) इन्टरफेस के माध्यम से फीड की गई मुद्रण शीटों की संख्या, डिलीवर की गई शीट और मुद्रण एवं परिष्करण मशीनों से उत्पन्न हुई विसंगति जैसी डॉटा मदों को प्राप्त करने एवं उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। दूरवर्ती स्थानों पर मशीन मॉनीटरिंग प्रणाली का विस्तार करने की भी योजना थी। तदनुसार, पी एलसी परियोजना इन्टरफेस को मई 2004 में 90 लाख रूपए की लागत पर आपूर्ति और प्रतिष्ठापित किया गया था। तथापि, इस सुविधा का उपयोग निर्माण मापांक के अपूर्ण विकास के कारण नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, पी एलसी इन्टरफेस पर किया गया निवेश निष्क्रिय रहा और वास्तविक समय डॉटा अन्तरण सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों (मुद्रण मशीन) के आन लाइन एकीकरण वाला उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।

4.8 निष्कर्ष

कम्पनी जिसने ईआरपी साधन को लागू करने का निर्णय लिया जो इसके आई टी रीइन्जीनियरिंग प्रयासों के लिए आर्ट प्रौद्योगिकी की स्थिति थी और ऑन-लाइन संगठित सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से निवेश किया, प्रणालियों का पूर्ण अभिलाभ प्राप्त करने में विफल रही। यह कारबार प्रक्रिया विश्लेषण में कमियों, भारी प्रचलन, इनपुट नियंत्रण और वैधीकरण जाँचों के अभाव, अधूरे डॉटा के रखरखाव, विभिन्न विशेषताओं का उपयोग न करने और आई टी प्रशिक्षित कार्मिक का अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों को स्थानान्तरण और मानीटरिंग प्रशिक्षण तथा संगठन के सभी स्तरों पर कम्पनी के दृष्टिकोण के सम्प्रेषण

के अभाव का परिणाम था। ईआरपी का उपयोग 'गोलिव' के तीन वर्षों के व्यपगत होने के पश्चात् भी इसके पूर्ण संभाव्यता तक नहीं किया गया था। परिणामतः कम्पनी का कम्प्यूटरीकरण तदर्थ रहा और प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त करने में विफल रहा। इस प्रकार, 15.27 करोड़ रूपए की लागत पर एकीकृत सॉफ्टवेअर के लिए कम्पनी द्वारा किये गये प्रयास अभिप्रेत उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे।

4.9 सिफारिशें

ईआरपी पर किये गये निवेश से उपयोग और अभिलाषों को इष्टतम करने के क्रम में कम्पनी को निम्न करना चाहिए:

- प्रणाली कमियों का पता लगाना चाहिए और सॉफ्टवेअर के लिए आवश्यक आशोधन इनपुट नियंत्रण, वैधीकरण जाँचों के सन्दर्भ में किये जाएं।
- आई टी सुरक्षा पॉलिसी तैयार की जाए और इकाईयों के मध्य डॉटा का प्रेषण मुहैया कराया जाय और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह इन्क्रिपशन और डिजिटल हस्ताक्षरों के उपयोग के माध्यम से सुरक्षित रूप से किया गया है।
- करोबार निरन्तरता योजना तैयार की जाए और सरवर से अलग स्थान पर बक अप रखा जाए।
- समयबद्ध तरीके में ईआरपी पूरा किया जाए।
- शीघ्र आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधियों के माध्यम से डॉटा प्राप्त करने को समय से सुनिश्चित किया जाए।
- कार्यक्रम के प्रभावी और इष्टतम उपयोग के लिए उपयोक्ता जानकारी के स्तर को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम और मध्य प्रबंधन स्तरों पर विशेष रूप से उपयुक्त मानव संसाधन ईआरपी के प्रभावी और समय से कार्यान्वयन के लिए स्टाफ लगाया गया।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2007); उसका उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय: V

दि ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

एकीकृत गैर जीवन बीमा अनुप्रयोग साफ्टवेयर (आईएनएलआईएस)

मुख्य बातें

दोषपूर्ण प्रयोक्ता आवश्यकता विनिर्देशनों के कारण आईएनएलआईएस परियोजना का विलम्ब से पूर्ण होना।

(पैरा 5.5.2 और 5.5.7)

समय से परिवर्तन प्रबन्धन क्रियाविधियाँ प्रारम्भ करने में विफलता के परिणामस्वरूप सेवा कर का कम संग्रहण।

(पैरा 5.5.4)

पहुँच नियंत्रण के मूल्यांकन के अभाव और त्रुटिपूर्ण वैधीकरण एवं इनपुट नियंत्रण से प्रणाली में डॉटा हेर-फेर का जोखिम हुआ।

(पैरा 5.5.5 और 5.5.6)

सम्बन्धी डॉटाबेस के 'प्रसामान्यीकरण' प्रत्यय के लागू न करने के कारण आईएनएलआईएस प्रणाली में डॉटा प्रचुरता और डॉटा सम्पूर्णता की दोषपूर्णता हुई।

(पैरा 5.5.8)

प्रक्रिया नियंत्रणों की विफलता के कारण इनपुट और प्रत्याशित आउटपुट के मध्य असंगतता हुई।

(पैरा 5.5.9)

कारबार निरन्तरता और दुर्घटना वसूली योजना का प्रलेखन न करना।

(पैरा 5.5.3)

आईएनएलआईएस के विलम्बित लिव-ऑन के कारण वास्तविक निजी नेटवर्क पर अतिरिक्त व्यय।

(पैरा 5.5.10.2)

डॉटाबेस में हस्त्य हस्तक्षेप ने हेर-फेर के जोखिम के लिए डॉटा को असुरक्षित किया।

(पैरा 5.5.10.1, 5.5.10.3 और 5.5.10.4)

5.1 प्रस्तावना

दि ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) चार सार्वजनिक क्षेत्र सामान्य बीमा कम्पनियों में से एक है जो भारत में सामान्य बीमा करोबार चलाती है। कम्पनी के मुख्य कार्यकलापों में निम्न को शामिल किया जाता है:

- (i) अग्नि, समुद्रीय और विविध पोर्टफोलियों के अन्तर्गत जोखिम का बीमांकन;
- (ii) इन पॉलिसियों से उद्भूत दावों का निपटान;
- (iii) कम्पनी द्वारा जोखिम बीमांकन का पुनर्बीमा; और
- (iv) प्राथमिक और गौण बाजार दोनों में निवेश प्रचालन।

कम्पनी को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा विनियमित किया जाता है। तथापि, आईआरडीए ने 1 जनवरी 2007 से सभी पोर्टफोलियों के लिए टैरिफ को मुक्त किया। अग्नि, मोटर और इन्जीनियरिंग पोर्टफोलियों के अन्तर्गत प्रीमियम के संग्रहण के लिए टैरिफ का निर्णय टैरिफ परामर्श समिति (टीएसी) द्वारा किया जा रहा था।

5.1.1 कम्पनी में कम्प्यूटरीकरण

कम्पनी ने पॉलिसियों के निर्माण, दावों के निपटान और लेखा डॉटा प्राप्त करने के लिए 1994 में फ्रंट कार्यालय कम्प्यूटरीकरण (एफओसी) प्रारम्भ किया। इस अनुप्रयोज्य सॉफ्टवेयर को कम्पनी के 945 प्रचालन कार्यालयों में से 943 में लागू किया गया था। एफओसी प्रणाली ने प्रचलित आईटी के अनुसार वर्षों तक अच्छा कार्य किया।

कम्पनी ने निम्नलिखित उद्देश्यों से एकीकृत गैर जीवन बीमा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (आईएनएलआईएस) को परिवर्तित करने का निर्णय लिया (2002) :

- (i) निर्णय करने के लिए सूचना की वास्तविक समय उपलब्धता।
- (ii) 943 कार्यालयों में डॉटा का एकीकरण।
- (iii) प्रतिदिन अत्यधिक लेन-देनों को प्रहस्त करने की सामर्थ्यता।
- (iv) बाजार फीडबैक और नियामक निकाय अधिसूचनाओं के शीघ्रता से जवाबदेही की सामर्थ्यता और सभी कार्यालयों में लागू परिवर्तन।
- (v) वास्तविक समय, ऑनलाइन एमआईएस, निगमित और अन्य नियंत्रण कार्यालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए एकल भण्डार।

- (vi) कम से कम संभव समय सीमा में बारम्बार परिवर्तन बीमा विनियमों में सामंजस्य करने के लिए सामर्थ्यता वाली अत्यन्त सुरक्षित और नम्य प्रणाली।
- (vii) सभी कार्यालयों के कारोबार नियमों में समकालिक रूप से और शीघ्रता से परिवर्तनों की उपलब्धता।
- (viii) संगतता अथवा बीमांकन विद्यमान था/विशिष्ट विशिष्टताओं के बारे में चिन्ता किये बिना भावी कोटि उन्नयन का सरल रोलआउट।
- (ix) संगठन में विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सूचना का समेकन।

आईएनएलआईएस के लिए कम्पनी द्वारा परिकल्पित चार मुख्य कारोबार आवश्यकताएं (एमबीआर) निम्नवत् थीं;

- (i) बीमांकन;
- (ii) दावा;
- (iii) लेखा; और
- (iv) पुनर्बीमा

आईएनएलआईएस के कार्यान्वयन के लिए एक करार पर मैसर्स आईसीआईसीआई इन्फोटेक सर्विसेस लिमिटेड जिसे अब मैसर्स 3 आई इन्फोटेक लिमिटेड (मैसर्स 3 आई) के नाम से जाना जाता है, के साथ हस्ताक्षर किये गये थे (अगस्त 2002) और चार ओर ठेके विभिन्न आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए साथ साथ अन्य एजेंसियों के साथ किये गये थे। कम्पनी ने परियोजना के पायलेट और चरण-I के लिए 116.63 करोड़ रूपए की कुल लागत के लिए 68.29 करोड़ रूपए व्यय किये और बीमांकन एवं दावा मापांक (जून 2007 तक) को परिचालन में लाया गया था।

5.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में उन स्थानों को कवर किया जाता है जहाँ बीमांकन और दावा मापांकों का कार्यान्वयन पूरा हो गया था। आईएनएलआईएस के विकास एवं कार्यान्वयन और लेखा मापांक वाले दो पूर्ण विकसित मापांकों के लिंकेज की भी जाँच की गई थी।

5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य:

आईटी लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् थे:

- (i) यह निर्धारण करना कि पैकेज के प्रारम्भ करने के लिए कम्पनी द्वारा नियत उद्देश्यों को आर्थिक रूप से और प्रभावी रूप से पूरा कर लिया गया;
- (ii) विकसित सॉफ्टवेयर में अन्तर्निहित प्रणाली नियंत्रण की समीक्षा करना;

- (iii) डॉटा की सम्पूर्णता का निर्धारण करना; और
- (iv) परियोजना के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की समीक्षा करना।

5.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में निम्न को शामिल किया गया:

- प्रश्नावली और आई टी के अधिकारियों एवं कम्पनी के प्रयोक्ता विभागों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार।
- बीमांकन के समूह का डॉटाबेस विश्लेषण और कम्प्यूटर सहायता लेखापरीक्षा तकनीक के माध्यम से दावा मापांक।
- आईएनएलआईएस के माध्यम से वर्तमान डॉटा से उत्पन्न रिपोर्टों का विश्लेषण और ट्रेनिंग सरवर पर नकली प्रविष्टियों की पुनः नमूना जाँच।

5.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

अपनाये गये मानदण्ड निम्नलिखित थे:

- (i) आईएनएलआईएस के संप्रत्ययीकरण के समय पर कम्पनी द्वारा नियत उद्देश्य;
- (ii) आईआरडीए द्वारा जारी विनियमों का अनुपालन;
- (iii) दरों का अनुपालन और टीएसी एवं कम्पनी के मार्गनिर्देश; और
- (iv) कम्पनी द्वारा अनुसरण किये गये कारोबार नियम और क्रियाविधियाँ।

5.5.1 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.5.2 आईएनएलआईएस के कार्यान्वयन में विलम्ब

आईएनएलआईएस के कार्यान्वयन को करार की तारीख (अगस्त 2002) से दो वर्षों के अन्दर पूरा करने का अनुबद्ध किया गया था। एक संचालन समिति और कम्पनी की विभिन्न शाखाओं से भूमि सम्पत्ति विशेषज्ञों वाली बहुत से कोर कार्यान्वयन समूहों (सीआईजी) का गठन किया गया था। प्रत्येक सीआईजी आईएनएलआईएस सॉफ्टवेअर में समावेशन के लिए प्रयोक्ता आवश्यकताओं की सिफारिश करने के लिए जिम्मेवार है। सीआईजी की नियमित बैठकों के बावजूद कम्पनी आईएनएलआईएस के नियत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं थी और मात्र 285 प्रचालन कार्यालयों ने दावों और बीमांकन मापांको को कवर करते हुए आईएनएलआईएस (जुलाई 2007) पर कार्य करना शुरू कर दिया था।

प्रबंधन ने निम्न जैसे विभिन्न कारणों से आईएनएलआईएस के कार्यान्वयन में विलम्ब आरोपित किया:

- (i) प्रयोक्ता आवश्यकताओं को अन्तराल विश्लेषण प्रयोग के दौरान परिकल्पित की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक पाया गया था;
- (ii) ओरेकल ने न्यू सॉफ्टवेअर टूल्स के निर्मुक्त करने की सूचना दी;
- (iii) हार्डवेअर साइजिंग समस्या, ओरेकल 8 आई से 9 आई में बेस सॉफ्टवेअर का शिफ्टिंग और पुनः 9 आई से 10 जी में;
- (iv) मैसर्स 3 आई साइड में आई टी विशेषज्ञों की संघर्षण दर ने इस विलम्ब में सहयोग दिया था क्योंकि सीआईजी के साथ उनके अंतरापृष्ठ के विभिन्न अवसरों पर परिवर्तन और संचार अन्तराल हुआ था; और
- (v) कम्पनी की ओर से अधिकतर सभी सीआईजी से अधिकतर सदस्यों को परियोजना में विलम्ब के कारण नई परियोजना में भेजा गया था।

प्रबन्धन द्वारा उल्लेख किये गये कारण प्रत्यायक नहीं हैं चूँकि यूआरएस को अन्तराल विश्लेषण के बिना अनुचित रूप से तैयार किया गया था (जुलाई 2001) जिसका आयोजन बाद में किया गया था और प्रयोजन के लिए गठित संचालन समिति ने आईएनएलआईएस की परियोजना का प्रभावी रूप से निरीक्षण करने की अपनी भूमिका को उन्मुक्त नहीं किया। प्रणाली सॉफ्टवेअर सभी नजदीकी प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा जैसाकि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.5.3 कारोबार निरन्तरता और दुर्घटना वसूली योजना

कम्पनी के पास प्रणाली विफलता अथवा दुर्घटना का सामना करने के लिए कारोबार निरन्तरता और दुर्घटना वसूली योजना नहीं थी। कम्पनी के पास वाशी, मुम्बई में अपना मुख्य संसाधन केन्द्र था और कम्पनी द्वारा टेप में लिया गया बैकअप मुख्य संसाधन केन्द्र केम्पस के पास था। इसके अतिरिक्त, बेलापुर, मुम्बई में स्थित स्थल से दूर भण्डारण केन्द्र मुख्य डॉटा केन्द्र परिसरों से दूर नहीं है और इसलिए समान जोखिम (प्राकृतिक दुर्घटनाएं) देखी गई जैसी की मुख्य संसाधन केन्द्र में देखी गई थी।

प्रबंधन को उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2007)।

5.5.4 परिवर्तन प्रबन्धन नियंत्रण

कम्पनी के पास आईएनएलआईएस में कार्य करते हुए प्रयोक्ताओं द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी समस्या को दर्ज करने के लिए एक स्व सहायक पोर्टल (एसएसपी) है। यह सॉफ्टवेअर में परिवर्तन प्रबंधन प्रभावित करने के लिए, किसी परिवर्तन या संशोधन के लिए प्रभावी तैयारी करने, वितरण, नियंत्रण एवं अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक और सॉफ्टवेअर के किसी मापांक के लिए वृद्धि करने का प्रबन्ध था। यह देखा गया था कि:

- (i) तीन मामलों में आईएनएलआईएस सॉफ्टवेयर का अद्यतन पैच जिसे प्रीमियम की संगणना में गलतियों को सही करने के लिए मैसर्स 3 आई द्वारा लोड किया गया था और एजेंसी कमीशन अपूर्ण था और समस्या को संशोधित नहीं किया जा सका। यह देखा गया था कि आगामी संशोधनों को केन्द्रीय सरवर पर अनुप्रयोग में करने की अपेक्षा डॉटा पर किया गया था जिसका मतलब है कि परिवर्तन प्रबन्धन कार्यक्रम अप्रभावी था और समस्याओं का बार-बार जोखिम हुआ।
- (ii) 10.2 से 12.24 प्रतिशत तक सेवाकर दरों के अद्यतन करने में दो दिनों का विलम्ब हुआ था जिसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत 49 प्रचालन कार्यालयों में 4.17 लाख रूपए की सीमा तक सेवा कर का कम संग्रहण हुआ।

अद्यतन पैचों के लोडिंग में कमियों के परिणामस्वरूप अपर्याप्त परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण हुआ और प्रीमियम के कम प्रभारित करने का जोखिम उत्पन्न हुआ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2007) और आश्वासन दिया कि प्रणाली में उपर्युक्त परिवर्तनों को शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा।

5.5.5 पहुँच नियंत्रण

प्रचालन कार्यालयों में पहुँच नियंत्रणों की सीमीक्षा से निम्नलिखित का पता चला कि:-

- (i) पासवर्ड के लिए छोटे नाम आकार का उल्लेख नहीं किया गया था;
- (ii) प्रणाली का यूजर आईडी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था और पासवर्ड समान था;
- (iii) प्रणाली ने असीमित गलत लॉग इन अटेम्प्ट्स की अनुमति दी;
- (iv) पासवर्ड के आवधिक परिवर्तन को निर्धारित नहीं किया गया था; और
- (v) आईएनएलआईएस में लॉगिंग करने के पश्चात् किसी निष्क्रिय टाइम-आउट का उल्लेख नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने आंशिक रूप से अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जून 2007)। यह बताया गया कि पासवर्ड के लिए छोटे या बड़े नाम के अक्षर होने आवश्यक नहीं थे और पासवर्ड परीक्षण के लिए कोई सीमा आवश्यक नहीं थी। उत्तर प्रणाली के लिए अप्राधिकृत पहुँच के जोखिम के मूल्यांकन के प्रबंधन के अभाव को दर्शाता है।

5.5.6 इनपुट नियंत्रण और वैधीकरण जाँच

उचित वैधीकरण जाँच और इनपुट नियंत्रण में विभिन्न संव्यवहारों के लिए प्रणाली में सही और प्रमाणित डॉटा दर्ज करने को सुनिश्चित करना आवश्यक है जिससे विश्वसनीय आउटपुट उत्पन्न हो सके। डॉटाबेस की समीक्षा से इनपुट नियंत्रणों और वैधीकरण जाँचों में कमियों का पता चला जिसके परिणामस्वरूप नीचे दिये गये मामलों में डॉटा गलत और अविश्वसनीय हुए।

5.5.6.1 कवर नोट में विसंगतियाँ

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 142, उप-नियम (1) के अनुसार, एक कवर नोट (सी एन) 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। यदि सी एन पर कोई पुरानी तारीख की पॉलिसी जारी कर दी जाती है तो सीएन पर तारीख कम्पनी द्वारा जोखिम कवर के पूर्वानुमान की कट ऑफ तारीख होगी।

इस नियम के उल्लंघन में सॉफ्टवेयर अनुप्रयोज्य निम्नलिखित मामलों में पाये गये थे:

- (i) प्रणाली ने कालबाधित सी एन के प्रति पॉलिसी बनाई। 162 मामलों में सी एन के जारी करने की तारीख और पॉलिसी के अनुमोदन की तारीख के मध्य 60 दिनों से अधिक का अन्तराल था। 12 मामलों के बारे में पॉलिसी सी एन के जारी करने की तारीख से 365 दिनों की समाप्ति के पश्चात् भी जारी की गई थी।
- (ii) मात्र एक पॉलिसी एक सी एन के प्रति जारी की जानी थी। दिये गये डॉटा से समीक्षा किये गये 60 मामलों में से 17 में एक से अधिक पॉलिसी समान सी एन के प्रति जारी की गई पाई गई थी।
- (iii) सी एन में भरी हुई समाविष्ट तारीख को अनिवार्य नहीं बनाया गया था। 60 पॉलिसियों के सत्यापन से पता चला कि आठ मामलों में जोखिम के पूर्वानुमान की तारीख पॉलिसी के जारी करने की तारीख से पूर्व थी जिसने दोषपूर्ण वैधीकरण जाँच को दर्शाया। इस प्रकार, सी एन के जारी करने की तारीख से पूर्व जोखिम के पूर्वानुमान की अनियमित प्रथा की सम्भावना को मना नहीं किया जा सकता।
- (iv) डीओ - XIV, नई दिल्ली द्वारा जारी सी एन की नमूना जाँच में यह ध्यान में आया था कि जारी किये गये सी एन की क्रम संख्या के अनुक्रम में अन्तर था। दो विकास अधिकारियों को जारी किये गये 50 सी एन में से 7 में यह पाया गया था कि कोई तदनुरूपी पॉलिसियाँ उन

* एक कवर नोट एक अस्थायी दस्तावेज है जिसे कवर नोट जो बाद में बन्द माना गया है के प्रति पॉलिसी के जोखिम लम्बन मामले की पूर्वधारणा के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किया गया।

सी एन के प्रति जारी नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त, कोई अभिलेख नहीं था कि ये सी एन बाद में निरस्त किये गये थे।

सॉफ्टवेअर में निर्माण वैधीकरण जाँचों के अभाव में और इनपुट नियंत्रण विफलता के परिणामस्वरूप प्रणाली में निम्नलिखित जोखिमों की संभावना थी:

- (i) कम्पनी ने सामान्यतः सी एन पर उल्लिखित तारीख से जोखिम का अनुमान लगाया। सी एन तारीख की वैधीकरण जाँच के अभाव में पॉलिसियों को प्रत्याशित तारीख से जारी किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप विस्तारित अवधि के लिए प्रीमियम की क्षतिपूर्ति किये बिना जोखिम देयता में वृद्धि हुई।
- (ii) संबंधित अधिकारियों द्वारा विलम्बित रूप से जमा किए गए चैको की राशि पर ब्याज हानि ।
- (iii) जब एक से अधिक पॉलिसी सी एन पर जारी की जाती है और सी एन तारीख को अनिवार्य रूप से प्रणाली में दर्ज नहीं किया जाता, तो पिछली तारीख की पॉलिसी के जारी करने में जोखिम है।
- (iv) अप्रयुक्त सी एन को यदि निरस्त नहीं किया जाता तो इसका उपयोग पिछली तारीख के जोखिम को कवर करने के लिए बाद की तारीख पर किया जा सकता है इस प्रकार कम्पनी के कारोबार हित को जोखिम में डाला गया।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2007) और इन जाँचों के लागू करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2007)।

5.5.6.2 डुप्लीकेट आश्वासित कोड

आश्वासित कोड नये पॉलिसी धारक के प्रोफाइल को सृजित करने के पश्चात् बनाया जाता है और यह पॉलिसीधारक की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- (i) समीक्षा किये गये डॉटा के 25 मामलों में समान आश्वासित कोड को एक से अधिक पॉलिसीधारक को आवंटित किया गया।
- (ii) दिये गये डॉटा में से आठ मामलों में, पॉलिसियाँ 'आश्वासित कोड' के रूप में 'ओ' के साथ साथ 'आश्वासित नाम' एवं 'आश्वासित पता' में 'ओ' के साथ बनाई गई थीं।

इस प्रकार, वैधीकरण जाँचों और इनपुट नियंत्रणों के अभाव में, प्रणाली में पॉलिसीधारकों पर डॉटा विश्वसनीय नहीं था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2007) और आईएनएलआईएस में आवश्यक कार्य करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2007)।

5.5.6.3 व्यपगत लाइसेंसों पर एजेन्ट का कमीशन

आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसिंग) विनियमावली, 2000 के विनियम 8(ii) (ए) के अनुसार कोई बीमा एजेंट वैध लाइसेंस के धारण के बिना बीमा कारोबार की याचना अथवा प्राप्ति नहीं करेगा।

तीन नई दिल्ली आधारित मंडलीय कार्यालयों अर्थात् डीओ-IV, XI और XIV के कमीशन बिलों का विश्लेषण करते समय लेखापरीक्षा में देखा गया कि कारोबार 20 एजेंटों से प्राप्त किया गया था जिनके लाइसेंस समाप्त हो गए थे और 46.17 लाख रूपए की राशि कमीशन के रूप में उनको निर्मुक्त कर दी गई थी चूंकि प्रणाली के पास कोई उपर्युक्त वैधीकरण जाँच नहीं थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2007) और आश्वासन दिया (अगस्त 2007) कि ऐसी जाँच को लागू किया जाएगा।

5.5.6.4 मोटर पॉलिसियों में कोई दावा छूट नहीं की अनियमित अनुमति

आईएनएलआईएस लिव पर जनवरी 2007 के लिए डीओ- III, नई दिल्ली के दावा सारांश के विश्लेषण के दौरान एक मामला ध्यान में आया था जहाँ 'कोई दावा छूट नहीं' को अनुमत किया गया था हालांकि कम्पनी द्वारा बीमाकृत को जारी पिछली पॉलिसी पर विद्यमान दावों ने प्रणाली में वैधीकरण जाँचों के अभाव को दर्शाया।

प्रबंधन ने आश्वासन दिया (अगस्त 2007) कि ऐसी जाँच को लागू किया जाएगा।

5.5.6.5 समाप्त हुई पॉलिसी पर प्रीमियम का प्रतिदाय

डीओ-XIV, नई दिल्ली द्वारा जारी पॉलिसियों पर पारित समर्थनों की नमूना जाँच से पता चला कि एक मामले में पॉलिसीधारक से संग्रहीत प्रीमियम राशि पॉलिसी के समाप्त होने के पश्चात् समर्थन का निरसन पारित करते हुए प्रतिदाययोग्य पाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप पूरी अवधि के जोखिम का कवरेज हुआ और इसके पश्चात् पॉलिसीधारक को प्रीमियम राशि के प्रतिदाय ने दर्शाया कि पॉलिसी

अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रीमियम के प्रतिदाय की जाँच के लिए उपयुक्त वैधीकरण को आईएनएलआईएस में शामिल नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2007) और आश्वासन दिया कि समाप्त हुई पॉलिसी के निरसन को प्रतिबन्धित करने के लिए कार्यात्मकता को प्रारम्भ किया जाएगा।

5.5.6.6 मोटर पॉलिसियों का अनियमित बीमा

भारतीय मोटर टैरिफ के अनुसार वाहन की क्यूबिक क्षमता (सी सी) देय प्रीमियम का अवधारण करने के लिए एक निर्णायक घटक है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी सी का क्षेत्र किसी 'मेक' और 'मॉडल' के हेर-फेर के लिए खुला है। लेखापरीक्षा ने दिये गये डॉटा का विश्लेषण किया और पाया कि छः मामलों में नवीनीकरण के समय पर, पॉलिसियों को पिछली अवधि की पॉलिसी से उसी वाहन के सी सी के साथ किसी वैधीकरण के बिना सृजित किया गया था। इस प्रकार, पिछली अवधि के लिए उसी वाहन की सी सी से विभिन्न सी सी को दर्ज किया जा सकता है, जिसके कारण हस्त्य हस्तक्षेप हुआ और प्रीमियम के कम संग्रहण का जोखिम हुआ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2007) और आश्वासन दिया (अगस्त 2007) कि उपयुक्त संशोधनों को किया जाएगा।

5.5.7 दोषपूर्ण प्रयोक्ता आवश्यकता विनिर्देशन

5.5.7.1 मानक अग्नि और विशेष जोखिम पॉलिसी (भंडारण जोखिम)

अखिल भारतीय अग्नि टैरिफ (एआईएफटी) के अनुसार मानक अग्नि और विशेष जोखिम पॉलिसी के भण्डारण जोखिमों में प्रीमियम कवर हुए स्टॉक के स्वरूप पर आधारित होता है। स्टोर के माल को विस्तृत रूप से (i) गैर-जोखिमी, (ii) जोखिमी श्रेणी- I, (iii) जोखिमी श्रेणी-II, और (iv) जोखिमी श्रेणी- III के अन्तर्गत श्रेणीकृत किया जा सकता है। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के पास माल की एक अलग सूची है। प्रभार्य प्रीमियम की दरें गैर-जोखिमी माल के लिए कम से कम और जोखिमी श्रेणी- III में अधिक हैं।

माल के भण्डारण के लिए कम्पनी पॉलिसियों की नमूना जाँच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी को प्रीमियम के कम संग्रहण के कारण 75.01 लाख रूपए की राशि की हानि हुई चूँकि स्टोर किया गया माल जोखिमी श्रेणी-I मद था जबकि कम्पनी ने इन्हें गैर-जोखिमी के रूप में श्रेणीकृत किया था। इस प्रकार, श्रेणी का चयन पॉलिसी में कवर हुए स्टॉक के वर्णन के सन्दर्भ के बिना किया गया था। टीएसी की 'जोखिमी माल की सूची' के अनुसार सूची से माल के प्रकार का चयन करने के प्रावधान के

अभाव और माल के श्रेणीकरण के अनुसार प्रभारित किये गये प्रीमियम के परिणामस्वरूप कम प्रभारित प्रीमियम के कारण हानि हुई।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2007) और मूल्यों की सूची के समावेशन के लिए विचार करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2007)।

5.5.7.2 आईआरडीए के निर्धारित डॉटा फॉर्मेट का पूरा न होना

आईआरडीए के दिनांक 8 नवम्बर 2006 के परिपत्र के अनुसार सामान्य बीमा कम्पनी के लिए 1 अप्रैल 2007 से टीएसी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में ग्यारह पोर्टफोलियो* के बारे में डॉटा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवश्यक डॉटा फॉर्मेट को दोषपूर्ण यूआरएस के कारण प्रणाली में नहीं बनाया गया था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा विवरणियों को हाथ से बनाया गया। इस प्रकार, कम्पनी समय पर और सही रूप से प्रचालन कार्यालयों से संग्रहीत डॉटा को समेकित करने में समर्थ नहीं थी।

प्रबंधन ने इस जाँच के कार्यान्वयन का आश्वासन दिया (अगस्त 2007)।

5.5.7.3 अपील न्यायालय मामलों में जमाओं की मॉनीटरिंग के लिए नियंत्रण में कमियाँ

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एमवी अधिनियम) की धारा 173 के अनुसार अधिकरण के दावा के किसी अधिनिर्णय के प्रति अपील पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि 25,000 रूपए अथवा इस प्रकार पुरस्कृत राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम है को उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित रूप में जमा किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणाली में दोषपूर्ण यूआरएस के कारण कम्पनी द्वारा किये गये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) अपील मामलों से संबंधित जमाओं के ब्यौरों का पृथक रूप से प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी अपील में मामलों का मॉनीटर करने में समर्थ नहीं थी और जमाएं न्यायालय में पड़ी हुई थीं।

* (1) अग्नि, (2) समुद्रीय नौभार, (3) समुद्रीय पेटा, (4) उत्थापन सभी जोखिम/ ठेकेदार सभी जोखिम (इन्जीनियरिंग), (5) बॉयलर एण्ड दबाव संयंत्र (इन्जीनियरिंग) और (6) लाभों की मशीनरी हानि (इन्जीनियरिंग), (7) परिणामी हानि (अग्नि), (8) मशीनरी ब्रेकडाउन (इन्जीनियरिंग), (9) ठेकेदार के संयंत्र एवं मशीनरी (इन्जीनियरिंग), (10) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बीमा (इन्जीनियरिंग) और (11) स्टॉक का हास-आलू (इन्जीनियरिंग)।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2007) और एमएसीटी अपील मामलों के बारे में उच्च न्यायालय में जमा की गई राशि के बारे में डॉटा प्राप्त करने की सुविधा का प्रावधान करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2007)।

5.5.8 प्रणाली डिजाइन में कमियाँ

5.5.8.1 'प्रसामान्यीकरण' प्रत्यय का उपयोग न करना

सम्बन्धी डॉटाबेस में 'प्रसामान्यीकरण' समस्या से डॉटा लेने की एक प्रक्रिया है और डॉटा सम्पूर्णता तथा फालतू डॉटा हटाने को सुनिश्चित करते समय संबंधों के सैट को कम करना है। यह सुनिश्चित करता है कि डॉटा मात्र एक ही बार भंडारित किया गया है और भंडारित डॉटा जिसकी संगणना अन्य डॉटा जिसे पहले से डॉटाबेस में रखा गया, से की जा सकती है को परिहार्य किया जाता है। 'प्रसामान्यीकरण' की प्रक्रिया के दौरान फालतू को हटाया जाता है लेकिन ब्रेकिंग डॉटा सम्पूर्णता नियमों के कीमत पर नहीं।

यह देखा गया था कि दिये गए डॉटा में 27 तालिकाएँ थीं जिसमें पॉलिसियाँ और दावों के बारे में सभी सूचना समाविष्ट थीं। 10 तालिकाओं की नमूना जाँच से पता चला कि तालिकाओं में से एक में सभी प्रकार की पॉलिसियों में अधःशायी जोखिम के बारे में 242 कार्यक्षेत्र समाविष्ट सूचना थीं। एक अन्य तालिका थी जिसमें 207 कार्यक्षेत्र समाविष्ट थे। 38 कार्यक्षेत्र ऐसे थे जो दो तालिकाओं में सामान्य थे जिसने दर्शाया कि डॉटाबेस में डॉटा प्रचुरता बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, 31387 मामले थे जहाँ अभिलेख मेल भी नहीं खाते थे।

इस प्रकार, डॉटाबेस के अपर्याप्त प्रसामान्यीकरण के कारण मात्र डॉटा प्रचुरता ही नहीं हुई बल्कि डॉटा सम्पूर्णता में भी कमी हुई।

प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2007)।

5.5.8.2 'दावा न किये गये बोनस' की अनियमित अनुमति

भारतीय मोटर टैरिफ के सामान्य नियमों के अनुसार एक पॉलिसीधारक द्वारा अपने बीमा को एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता को स्थानान्तरित करने की दशा में, अन्तरिती बीमाकर्ता 'दावा न किये गये बोनस' (एनसीबी) की समान दर पर अनुमत कर सकता है जिसे पॉलिसीधारक पहले बीमाकर्ता से प्राप्त करेगा। पॉलिसीधारक के एनसीबी हकदारी के साक्ष्य में या तो नवीनीकरण नोटिस अथवा पत्र के रूप में पिछले बीमाकर्ता से एनसीबी हकदारी की पुष्टि करना इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। जहाँ पॉलिसीधारक ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ है वहाँ दावा किये गये एनसीबी को पूर्वोक्त टैरिफ के अनुसार पॉलिसीधारक से घोषणा प्राप्त करने के पश्चात् अनुमत किया जा सकता है। दिये गये डॉटा से एनसीबी ब्यौरों की जाँच करते समय लेखापरीक्षा में पाया गया कि पॉलिसीधारक की एनसीबी हकदारी

के साक्ष्य को सही रूप से प्राधिकृत और वैधीकृत नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने उन मामलों का विश्लेषण किया जहाँ अनुमत एनसीबी 100 रुपये से अधिक था और पाया कि प्रचालन कार्यालयों ने 54970 मोटर पॉलिसियों में एनसीबी को अनुमत किया जिसमें 7.49 करोड़ रुपये का कुल एनसीबी शामिल था। इन मामलों में, प्रणाली पॉलिसीधारक द्वारा दिये गये घोषणा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं थी और उसका सत्यापन पिछले बीमाकर्ता से पॉलिसी में दावा का पंजीकरण करते समय पर किया गया। इस प्रकार, प्रणाली ने दावे की स्वीकार्यता का निर्णय करने में सहयोग नहीं किया।

5.5.8.3 नगद हानि/कुल हानि के बारे में मोटर पॉलिसियों के निरस्त करने में विफल होना

यदि वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है अथवा जब मरम्मत की निवल लागत बाजार मूल्य अथवा बीमाकृत अनुमानित मूल्य (आई ई वी) के अधिकतर नजदीक है अथवा वाहन चोरी हो गया है तब दावे को पूर्ण हानि के रूप में माना जा सकता है। यदि हानि सुविस्तृत है लेकिन 'कुल हानि' आधार पर दावा पर विचार नहीं होता है, तो दावे का निपटान 'नगद हानि' आधार पर किया जा सकता है। कम्पनी के 'दावा निपटान नियम पुस्तक' के अनुसार ऐसे मामलों में पॉलिसी को निरस्त कर देना चाहिए और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को पॉलिसी के निरस्त करने के बारे में पंजीकृत डाक द्वारा सूचित कर देना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि प्रणाली का ऐसे दावों का निपटान करने के पश्चात् पॉलिसी के निरसन के सुनिश्चित करने पर कोई उपयुक्त नियंत्रण नहीं था जिसके कारण उसी पॉलिसी पर स्वीकृति होने से पुनः दावों का जोखिम हुआ।

प्रबंधन ने इस जाँच के कार्यान्वयन का आश्वासन दिया (अगस्त 2007)।

5.5.8.4 मेडिकलेम पॉलिसियों की वर्जित बीमारियों का गैर-प्रावधान

मेडिकलेम कवर एक अस्पतालीकरण कवर है और कवर हुई बीमारियों एवं शल्यचिकित्सा के बारे में किये गये चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति करता है तथापि, कतिपय बीमारियों/प्रभारों को कवर के क्षेत्र से वर्जित किया गया है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन अपवर्जनों को प्रणाली में मुहैया नहीं कराया गया था। इसके परिणामस्वरूप, पॉलिसी के विरुद्ध दावों के पंजीकृत करने के समय पर दावों का मान्य करना सम्भव नहीं था और परिणामतः दावे की स्वीकार्यता का निर्णय नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2007) और अपवर्जित बीमारियों/प्रभारों की स्वीकृति के लिए प्रणाली को समर्थ बनाने हेतु दावा मापांक में मूल्यों की सूची मुहैया कराने का आश्वासन दिया।

5.5.8.5 मैरिन क्लेम में वसूली अधिकारों की सुरक्षा के लिए त्रुटिपूर्ण नियंत्रण

कम्पनी के हानि नियंत्रण उपाय विभाग के परिपत्र के अनुसार (मई 1990) "जहाँ पॉलिसीधारक/दावेदार द्वारा वसूली अधिकारों की हानि होती है वहाँ गैर मानक आधार पर दावे के निपटान में वाहकों से संभावित वसूली की हानि को लेखा में लेना चाहिए और हानि का निपटान उस राशि, जिसकी वसूली की जानी चाहिए थी यदि वसूली अधिकारों को सुरक्षित रखा गया होता, की कटौती करते हुए करना चाहिए था। सांविधिक समय सीमा को दावों के निपटान के लिए कम्पनी के दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। यदि दावे को पॉलिसीधारक द्वारा सांविधिक समय सीमा के अन्दर वाहक पर दायर नहीं किया गया है तो बीमाकर्ता के वसूली अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया गया। इस मामले में, दावे का निपटान गैर मानक आधार पर करना है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मानक/गैर मानक आधार पर दावों के निपटान के लिए कम्पनी के मार्गनिर्देशों को दावा मापांक में समाविष्ट नहीं किया गया था। इसके अभाव में, कम्पनी के प्रचालन कार्यालय मैरिन क्लेम की स्वीकार्यता का निर्णय करने में समर्थ नहीं थे जहाँ वसूली अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने इस जाँच के कार्यान्वयन का आश्वासन दिया (अगस्त 2007)।

5.5.9 अपर्याप्त प्रक्रिया नियंत्रण

5.5.9.1 सामान्य लेजर सारांश के समेकन में अनियमितताएं

आईएनएलआईएस के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी और मैसर्स 3 आई के मध्य करार के कारोबारी आवश्यकता विनिर्देशनों के लेखा मापांक से संबंधित खण्ड 8.1.2.18 के अनुसार आईआरडीए मार्गनिर्देशों के अनुसार तुलन-पत्र के बनाने तक विभिन्न स्तरों पर लेखाओं का समेकन प्रणाली द्वारा किया जाना था।

वर्ष 2006-07 के लिए नई दिल्ली आधारित क्षेत्रीय कार्यालयों (एन आर ओ- I और एन आर ओ-II) के समेकित सामान्य लेजर सारांश (जी एल) और समेकित तलपट (टी बी) की नमूना जाँच से पता चला कि जी एल के शेष टी बी आँकड़ों के साथ मेल नहीं खाते थे। इसके कारण, जी एल शेषों और टी बी आँकड़ों के मध्य एन आर ओ- I में 41.20 करोड़ रूपए तथा एन आर ओ-II में 18.73 करोड़ रूपए का अन्तर था।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2007) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर आवश्यक संशोधन रिपोर्ट में किये गये थे। चर्चा के दौरान, प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु सहमत हुआ कि समान गलतियाँ लेखा मापांक के बन्द करने से पूर्व अन्य समेकित रिपोर्ट में नहीं होगी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने बाद में पाया (सितम्बर 2007) कि प्रबंधन ने एन आर ओ- I और एन आर ओ- II से संबंधित मात्र डॉटा को ही परिशोधित किया था तथा न कि समस्त प्रणाली को चूँकि आर ओ- I , मुम्बई में यह देखा गया था कि आर ओ- I का सामान्य लेजर टी बी आँकड़ों के साथ अभी भी मेल नहीं खा रहा था।

5.5.9.2 आतंकवाद पूल डॉटा में अनियमितताएं

भारत में आतंकवाद जोखिम आतंकवाद पूल द्वारा कवर होता है जिसका प्रबंधन जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी (जीआईसी) द्वारा किया जाता है। पूल भारत में जनरल इन्श्योरेंस कम्पनियों से इसकी बीमांकन क्षमता को प्राप्त करता है। जनरल इन्श्योरेंस कम्पनियाँ जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च को समाप्त तिमाहियों के लिए त्रैमासिक आधार पर और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक रूप से जीआईसी को आतंकवाद पूल डॉटा प्रस्तुत करती है।

आईएनएलआईएस से जनित्र रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीओ- XI , डीओ- VII और सीबीओ-19, नई दिल्ली से संबंधित जून 2006, सितम्बर 2006, दिसम्बर 2006 और मार्च 2007 को समाप्त तिमाहियों के लिए प्रीमियम से संबंधित आतंकवाद पूल डॉटा 2006-07 के लिए उसी डॉटा के वार्षिक आँकड़ों से मेल नहीं खाते। इस प्रकार 61.70 लाख रूपए की राशि के पूल के लिए प्रीमियम का अधिक अर्पण हुआ। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2007) कि वर्ष 2006-07 के लिए आतंकवाद पूल डॉटा प्रणाली द्वारा जनित्र वार्षिक प्रीमियम रजिस्टर में समाविष्ट डॉटा के साथ मेल नहीं खाते।

प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2007)।

5.5.9.3 अल्पकालीन पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क का संग्रहण न करना

1 जून 2004 के कम्पनी के परिपत्र के अनुसार अल्पकालीन पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क का वहन पॉलिसीधारक द्वारा किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि डीओ- XIV नई दिल्ली से संबंधित 25 मामलों में से 3 में जिनकी जाँच की गई थी प्रणाली ने स्टाम्प शुल्क राशि की सही संगणना नहीं की जबकि पॉलिसियों को अल्पकालीन के लिए जारी किया गया था। परिणामतः, कम्पनी पॉलिसीधारकों से अपेक्षित स्टाम्प शुल्क राशि संग्रहीत नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2007) और आश्वासन दिया (अगस्त 2007) कि 'बीमा की अवधि' के लिए कार्य क्षेत्र को स्टाम्प शुल्क की संगणना के प्रयोजन के लिए 'चूक' के रूप में श्रेणीकृत किया जाएगा।

5.5.10 अन्य ध्यान देने योग्य मुद्दे

5.5.10.1 दैनिक आधार पर दिन समाप्ति प्रक्रिया पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीबी के अनुसार किसी जोखिम को उस तारीख पर जिस पर प्रीमियम नगद/चैक में प्राप्त हुआ है, की अपेक्षा पूर्व तारीख से नहीं माना जा सकता। प्रीमियम के संग्रहण का रोजाना लेखाबद्ध किया जाना है और रोजाना रोकड़ बही (डीसीबी) को कार्यालय समय से पहले बन्द करना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएनएलआईएस में डिवीजन-XIV नई दिल्ली का डीसीबी दो दिनों तक खुला हुआ था। दैनिक आधार पर डीसीबी का बन्द न करना दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ था जैसाकि नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- (i) प्रीमियम को मात्र देय होने वाले दावों के पश्चात् ही लेखाबद्ध किया जा सकता है।
- (ii) यदि कोई दावा नहीं है तो चैक को कम्पनी के कारोबार की हानि के कारण पक्षकार को वापस किया जा सकता है।
- (iii) चैक को रोक कर रखा जा सकता है यदि धन पक्षकार के लेखा में उपलब्ध नहीं है।
- (iv) रोकड़ बही में पुरानी तारीखों की प्रविष्टियों को किया जा सकता है और पुरानी तारीख की पॉलिसियों को कवर नोट संख्या देने के पश्चात् भी बनाया जा सकता है।

इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि दैनिक बन्द करने का मॉनीटरन आईएनएलआईएस के केन्द्रीय सरवर के माध्यम से किया जा सकता है और समबद्धता को कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

प्रबंधन ने आश्वासन दिया (अगस्त 2007) कि डीसीबी को उसी दिन प्रक्रियागत किया जाएगा।

5.5.10.2 वास्तविक निजी नेटवर्क पर 8.51 लाख रूपए का परिहार्य व्यय

कम्पनी ने सभी कार्यालयों को नेटवर्किंग से जोड़ते हुए वास्तविक समय आधार पर आईएनएलआईएस के प्रारम्भ करने के लिए वास्तविक निजी नेटवर्क (वीपीएन) सम्बद्धता प्राप्त की। वीपीएन टैरिफ उस समय से लागू था जब से सम्बद्धता मुहैया कराई गई थी। आईएनएलआईएस में डॉटा स्थानान्तरण ने प्रत्येक प्रचालन कार्यालय के लिए तीन से चार घण्टे लिये और स्थानान्तरण के पश्चात् कार्यालय अगले कार्यालय दिवस से आईएनएलआईएस पर सक्रिय हो गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएनएलआईएस (मार्च 2007) पर सक्रिय 246 कार्यालयों को भेजने में 6 दिनों से 633 दिनों तक का विलम्ब हुआ था जिसके परिणामस्वरूप आईएनएलआईएस पर कार्य के बिना सम्बद्धता प्रभारों का भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2007) कि विलम्ब को समान्तर रन के प्रारम्भ करने की तारीख और पत्तन सक्रियण की तारीख के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि विलम्ब को समान्तर रन की तारीख तक गिना जाता है तो विलम्ब 6 से 375 दिनों तक होगा। न्यूनतम और अधिकतम प्रभारों के लिए टैरिफ क्रमशः 257 रूपए और 1425 रूपए प्रतिदिन था। इस प्रकार, प्रचालन कार्यालयों (छः दिनों से कम विलम्ब वाले कार्यालयों को छोड़कर) की सम्बद्धता मुहैया कराने में प्रदत्त न्यूनतम आवर्ती प्रभारों के परिणामस्वरूप 8.51 लाख रूपए की परिहार्य हानि हुई।

5.5.10.3 उचित प्राधिकरण के बिना पॉलिसी का सृजन

कम्पनी पॉलिसी के अनुसार केवल वर्ग-I अधिकारी पॉलिसी प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- (i) प्रणाली में उसी प्रयोक्ता द्वारा पॉलिसी प्रस्ताव के सृजन एवं अनुमोदन की अनुमति दी गई इससे प्रस्ताव के सृजनकर्ता द्वारा खराब जोखिमों के प्राप्त करने का जोखिम होता है जो यह स्वीकार करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत नहीं थे।
- (ii) 11 मामलों में पॉलिसियाँ प्रणाली जो पॉलिसियों को प्रक्रियागत करते हैं के प्रयोक्ताओं के ब्योंरे के बिना जारी की गई थीं।

अभ्युक्ति का उत्तर देते हुए प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2007) कि हालांकि डॉटा दर्ज करने वाला व्यक्ति अनुमोदन देता है फिर भी, पॉलिसी की जाँच की जाती है और दूसरे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूँकि प्रणाली में निर्मित नियंत्रण दोषपूर्ण था और कम्पनी द्वारा प्रस्तावों के अप्राधिकृत स्वीकार करने के जोखिम को सामने रखा गया विशेषतौर पर जब लेखापरीक्षा परीक्षण उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था।

5.5.10.4 दावों के लिए सृजित किये गये प्रावधानों हेतु प्रणाली कार्यात्मकता का उपयोग न होना

एमएसीटी के अधिनिर्णयों की सन्तुष्टि के लिए बकाया मोटर (थर्ड पार्टी) दावों के लिए प्रावधानों को कम्पनी के तकनीकी विभाग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों/परिपत्रों के आधार पर किया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नई दिल्ली आर ओ- I एवं आर ओ- II में 31 मार्च 2007 को बकाया एमएसीटी दावों के लिए क्रमशः 62.22 करोड़ रूपए और 95.31 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया था। अन्तिम लेखाओं में इन प्रावधानों को वर्ष 2006-07 के दौरान प्रदत्त मोटर थर्ड पार्टी दावों के विवरण और 31 मार्च 2007 को बकाया के आधार पर किया गया था जिन्हें इस तथ्य के बावजूद हस्त्य रूप से बनाया गया था कि ऐसी कार्यात्मकता आईएनएलआईएएस प्रणाली में उपलब्ध थी। यह भी देखा गया था कि बकाया एमएसीटी दावों के लिए प्रावधान प्रणाली में उसी का प्रावधान करने के लिए पूर्वोक्त मानदण्ड के आधार पर सही आँकड़ों को प्रदर्शित नहीं करते। इस प्रकार, कम्पनी ने प्रणाली से हटकर विवरण का सारांशीकरण किया। इसका मात्र प्रणाली में कार्यात्मकता का उपयोग न करने के कारण ही नहीं हुआ बल्कि बनाये गए विवरणों के डॉटा और परिणामों की गोपनीयता एवं सम्पूर्णता के लिए जोखिम भी सृजित हुआ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2007) और इसके लागू करने के लिए आश्वासन दिया (अगस्त 2007) जब आईएनएलआईएएस को पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा।

5.6 निष्कर्ष

कम्पनी में आईएनएलआईएएस के कार्यान्वयन में 23 माह से अधिक तक का विलम्ब हुआ था और जिसे अभी कम्पनी के सभी प्रचालन कार्यालयों में कार्यान्वित किया जाना था। प्रीमियम का संग्रहण, पॉलिसियों का निर्गम और दावों का निपटान करोबार का मुख्य जोखिम अधोमुख क्षेत्र था जिसका आईएनएलआईएएस के माध्यम से मानचित्रण किया जाना था।

पूर्ण प्रचलन के अभाव, डिजाइन में असंगतता एवं अपर्याप्तता, इनपुट नियंत्रण एवं वैधीकरण जाँचों के अभाव के परिणामस्वरूप हस्त्य हस्तक्षेप हुए जिन्होंने प्रणाली को नियमों तथा विनियमों के सुसंगत प्रावधानों के समनुरूप न होने के अतिरिक्त हेस-फेर और गलतियों के लिए असुरक्षित बनाया। प्रणाली में गलत डॉटा फीड करने के कारण डॉटाबेस की अविश्वसनीयता हुई। इस प्रकार, आन-लाइन की उपलब्धता के उद्देश्यों के और संशोधित निर्णय करने में सही सूचना प्राप्त करने में एप्लीकेशन का कम उपयोग हुआ था।

5.7 सिफारिशें

- डॉटा तालिका आकार कारोबार आवश्यकताओं के अनुरूप्य होना चाहिए और सामान्यकृत होना चाहिए जिससे रिपोर्टों/क्विअरी के शीघ्र बनने को सुकर बनाया जा सके।
- परिवर्तन प्रबंधन क्रियाविधियों के साथ प्रणाली डिजाइन कमियों को आईएनएलआईएएस में आवश्यक संशोधनों को करने के लिए संस्थापित करना चाहिए।
- लेखापरीक्षा समीक्षा में दर्शाए गए इनपुट नियंत्रणों, एप्लीकेशन नियंत्रणों और प्रक्रिया नियंत्रणों से संबंधित आईएनएलआईएएस कार्यचालन में अपर्याप्तताओं के अपेक्षित परिशोधन को समयबद्ध तरीके से करना चाहिए।

- आई टी सुरक्षा को आई टी पॉलिसी के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन के माध्यम से सुदृढ़ करना चाहिए। प्रणाली को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं द्वारा मात्र इसका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित अन्तरालों पर पासवर्ड बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- इनपुट नियंत्रण और कारोबार निरन्तरता योजना के क्षेत्रों में कम्पनी को स्पष्ट रूप से परिभाषित क्रियाविधियों और जिम्मेवारियों सहित उपयुक्त सुरक्षा पॉलिसियों को विकसित करना चाहिए। प्रचालन कार्यालयों द्वारा इसके कार्यान्वयन का मुख्यालय द्वारा निकट से मॉनीटरन करना चाहिए।
- अन्त प्रयोक्ता के यू आर एस, कारोबार नियमों एवं विनियमों के मानचित्रण और सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन को सॉफ्टवेयर में समाविष्ट करना चाहिए।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2007); उसका उत्तर प्रतीक्षित था।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय

अध्याय : VI

गेल (इण्डिया) लिमिटेड

ईआरपी प्रणाली का सामग्री प्रबन्धन, बिक्री और वितरण, मानव संसाधन और परियोजना प्रणाली मापांक

मुख्य बातें

कम्पनी ने बिक्री और वितरण मापांक में अपनी प्राकृतिक गैस ओर दूरसंचार कारबार की पूर्ण रूपरेखा तैयार नहीं की।

(पैरा 6.6.1 (i))

परियोजना प्रणाली मापांक का परियोजना की अनुसूची तैयार करने और मानीटरिंग के मूल कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था और इसकी बजाय कम्पनी का रिक्थ पैकेज का उपयोग करना जारी रहा।

(पैरा 6.6.1 (ii))

निर्णीत हर्जानों के परिकलन, वारन्टी विशेषताओं और विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के लिए प्रणाली के कस्टमाइज़ेशन न होने के परिणामस्वरूप हस्त्य प्रणाली पर निर्भरता रही।

(पैरा 6.6.2.4 (i), (iv) और 6.6.3.1 (ii))

ग्राहक क्रेडिट प्रबन्धन और गृह निर्माण अग्रिम की रिपोर्टिंग में आगत नियंत्रणों और वैधीकरण जांचों के अभाव के परिणामस्वरूप हस्त्य हस्तक्षेप हुआ।

(पैरा 6.6.3.2 और 6.6.4.1)

एसएपी कार्यान्वयन के दो वर्ष बाद भी एक पूर्णकालिक आपदा क्षतिपूर्ति केन्द्र स्थापित नहीं किया गया।

(पैरा 6.7.1)

6.1 प्रस्तावना

गेल (इण्डिया) लिमिटेड (कम्पनी) भारत की एक प्रधान गैस संचरण और विपणन कम्पनी के रूप में 1984 में निगमित की गई और तब से इसने गैस संसाधन, पेट्रोरसायन और दूरसंचार में अपने कार्यकलापों का विस्तार किया है।

छोटे कम्प्यूटरों के प्रतिष्ठापन और आन्तरिक विकसित पे रोल और वित्तीय लेखाकरण प्रणालियों के लागू करने के साथ 1986 में कम्पनी ने कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ किया जैसी कि परामर्शदाता मैसर्स आर्थर एन्डरसन (जो वर्तमान में मैसर्स एसेन्चोर के नाम से जाना जाता है) द्वारा सिफारिश की गई कम्पनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एसएपी को उत्तम ईआरपी पाया गया। तथापि निदेशक बोर्ड (बोर्ड) ने 55 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर उसी परामर्शदाता से पुनः वैधीकृत सिफारिश के साथ चार वर्ष बीतने के पश्चात् 2002 में एसएपी-ईआरपी परियोजना अनुमोदित की। एसएपी का कार्यान्वयन का कार्य दिसम्बर 2005 तक समापन अनुसूची के साथ नवम्बर 2003 में मैसर्स आई बी एम को सौंपा गया। परियोजना 63.98 करोड़ रूपए की लागत पर अगस्त 2005 में पूरी हुई।

ईआरपी का कार्यान्वयन करने के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- एक अविनियमित और उच्च प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए लाभप्रद (लीवरेज) सूचना देने में गेल को समर्थ बनाना;
- मूल्य श्रृंखला तक पहुंचना;
- उच्च ग्राहक सेवा और सन्तुष्टि प्राप्त करना;
- प्रचालनात्मक दक्षता और उत्पादकता में सुधार लाना और
- लागतों को इष्टतम बनाना ।

कम्पनी ने अपने समस्त कारबार प्रचालन नौ एसएपी मापांकों*, जो प्रत्येक एक दूसरे में समाकलित थे, के माध्यम से कवर किए। एसएपी आर/3 रिलीज़ वर्जन 4.7 सी को सोलरिज़ 9 प्रचालन प्रणाली और प्लेटफार्म पर प्रतिष्ठापित किया गया है। ऑरेकल डाटा बेस प्रबन्धन प्रणाली का उपयोग एसएपी में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है।

6.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि:-

* सामग्री प्रबन्धन, बिक्री एवं वितरण, संयंत्र अनुरक्षण, परियोजना प्रणालियाँ, वित्त एवं नियंत्रक, मानव संसाधन, उत्पादन आयोजना, गुणवत्ता प्रबन्धन और ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन

- (i) एसएपी- ईआरपी साल्यूशन से कम्पनी की आवश्यकता पूरी हुई;
- (ii) कारबार और प्रबन्धकीय आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करने की पर्याप्तता; और
- (iii) डाटा की विश्वसनीयता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए आगत संसाधन और निर्गत नियंत्रण उचित थे और एसएपी के माध्यम से प्राप्त सूचना/दस्तावेज/रिपोर्टें सही थी और इनसे समस्त प्रबन्धकीय ग्राहक और सांविधिक अपेक्षाएं पूरी हुई।

6.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में चार मापांकों नामतः सामग्री प्रबन्धन, बिक्री एवं वितरण, परियोजना प्रणाली और मानव संसाधन के समग्र निष्पादन और मूल्यवर्धन की समीक्षा की गई। पाटा और विजयपुर में संयंत्रों, मुम्बई, नौएडा स्थित कार्यालयों और नई दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय में अप्रैल 2005 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिए संव्यवहारों, प्रणाली रिपोर्टें* और स्रोत दस्तावेजों की लेखापरीक्षा में जांच की गई।

6.4 लेखापरीक्षा का मापदण्ड

निम्नलिखित से लेखापरीक्षा मापदण्ड तैयार किया गया :

- (i) ईआरपी के संप्रत्ययीकरण के समय कम्पनी द्वारा नियत किए गए लक्ष्य।
- (ii) नैगम नियम और क्रियाविधि, सरकारी दिशानिर्देश।
- (iii) सू प्रौ विकास और कार्यान्वयन में उत्तम पद्धतियाँ।

6.5 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

निम्नलिखित कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए लेखापरीक्षा की गई:

- (i) प्रबन्धन को जारी किया गया पत्र व्यवहार और प्रश्नावली और इसका फीड बैक।
- (ii) बोर्ड और संचालन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, स्रोत दस्तावेजों और प्रणाली रिपोर्टों की संवीक्षा।
- (iii) सीएएटी का उपयोग करते हुए प्रणाली से मानक और कस्टमाइज़्ड रिपोर्टों का डाटा विश्लेषण।

6.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

चार मापांकों के कस्टमाइज़ेशन और उपयोग का विश्लेषण प्रतिदर्श संव्यवहारों कारबार सम्बन्धी नीतियों और उनमें तैयार किए गए नियमों के आधार पर किया गया है। इन क्षेत्रों में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

* प्रणाली रिपोर्टें; मानक एसएपी रिपोर्ट और कम्पनी की कस्टोमाइज़्ड रिपोर्टें

6.6.1 उपलब्ध कार्यात्मकताओं की रूपरेखा तैयार न करना तथा उपयोग न करना

- (i) बिक्री एवं वितरण मापांक : कम्पनी के तीन कारबार कार्यकलापों^० में से दो नामतः "प्राकृतिक गैस" और "दूरसंचार" कारबार की एसएपी में पूर्णरूप से रूपरेखा तैयार नहीं की गई। मापांक का उपयोग दो कारबार खण्डों के लिए मात्र बीजक बनाने के लिए किया जा रहा था। कम्पनी गैस प्रबन्धन प्रणाली (जीएम एस), जो एकमात्र पैकेज था, का उपयोग प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए कर रही थी।
- (ii) परियोजना प्रणाली मापांक : यह ध्यान में आया कि कम्पनी ने परियोजना की अनुसूची तैयार करने और मानीटरन के लिए रिक्थ साफ्टवेयर ("प्रीमावीरा") का उपयोग करना जारी रखा जो एसएपी के परियोजना प्रणाली मापांक के इनके मूल कार्य होने के बावजूद था। मापांक का उपयोग मात्र सामग्री प्रबन्धन के साथ एकीकृत अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए किया गया।

6.6.2 सामग्री प्रबन्धन मापांक

सामग्री प्रबन्धन (एम एम) मापांक की मूल रूपात्मकताओं को सामग्री और वेन्डर मास्टर, अधिप्राप्ति, मालसूची प्रबन्धन, सामग्री आयोजना और मूल्यांकन अभिलेखों का रखरखाव करना होता है।

6.6.2.1 आगत नियन्त्रण

आगत नियन्त्रण यह सुनिश्चित करते हैं कि संसाधन के लिए प्राप्त किया गया डाटा वास्तविक, पूर्ण, सही, उपयुक्त रूप से अधिकृत है और इसे समय पर और पुनरावृत्ति के बिना दर्ज किया गया है और इस प्रकार डाटा की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित की जाती है। लेखापरीक्षा में ध्यान में आई एम एम मापांक में आगत नियंत्रणों के अभाव से उदभूत विसंगतियों का नीचे उल्लेख किया गया है:

(i) सामग्री के समान संहिताकरण का अभाव

कम्पनी का सामग्री के लिए अद्वितीय संहिताकरण करने और माप की इकाई (यू ओ एम) का यौक्तिकीकरण करने के लिए एक सामग्री संहिताकरण कक्ष है। सामग्री संहिताओं और उनके यू ओ एम की एक समीक्षा में निम्नलिखित अपर्याप्तताओं का पता चला :

^० प्राकृतिक गैस, दूरसंचार और पैट्रोसायन

- दो सौ तिहतर सामग्री संहिताएं संख्या में (प्रत्येक) माप का वहन कर रही थी जो सैटों में होने की बजाय था जिसमें एक से अधिक इकाई का वहन किया जाना था।
- चौबीस सामग्री अंशों में दर्ज की गई जबकि यू ओ एम पूर्ण संख्या (प्रत्येक) में था।
- तेरह हजार छह सौ इकानवें विविध सामग्री संहिताओं, जो 2 से 26 तक थीं; का सामग्री की 111835 मर्चों में से 6140 को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया गया। इसके कारण 901 भिन्न सामग्री संहिताओं के अन्तर्गत 404 सामग्री (विवरण द्वारा) की खरीद की गई इस प्रकार अद्वितीय सामग्री संहिताकरण और डाटा की सम्पूर्णता के लाभ छोड़ दिए गए।

सामग्री संहिताओं में असमानता और पुनरावृत्ति वाली सामग्री संहिताओं की विद्यमानता का डाटा की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ा और इससे दोषपूर्ण एम आई एस रिपोर्टिंग, गलत माप और अपर्याप्त मालसूची नियंत्रण हो सकते थे।

प्रबन्धन ने तथ्य को स्वीकार्य किया और बताया (अगस्त 2007) कि यू ओ एम का अद्वितीय संहिताकरण और यौक्तिकीकरण और पुनरावृत्ति संहिताओं में कमी करने/समाप्त करने पर ध्यान दिया जा रहा था। तथापि कम्पनी यद्यपि 2004-05 से प्रणाली को कार्यान्वित कर रही थी फिर भी इसे वांछित एकरूपता प्राप्त करनी थी (नवम्बर 2007)।

(ii) संयंत्र अनुरक्षण आदेशों को समाप्त करने के लिए आगत नियंत्रणों का अभाव

यह ध्यान में आया कि आगत नियंत्रणों के अभाव में 2005-07 की अवधि के लिए 188947 संयंत्र अनुरक्षण आदेशों में से 79831 को अनुरक्षण कार्य के प्रारम्भ करने और समाप्त करने की तारीखों के प्रग्रहण के बिना समाप्त कर दिया गया। ऐसे विवरणों के अभाव में संयंत्र और उपस्कर और मालसूची की वास्तविक उपयोगिता को निर्धारित, मानीटर और सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि कार्य को प्रारम्भ करने/समाप्त करने के समय और तारीख को दर्ज करना नवम्बर 2006 से योजनागत अनुरक्षण आर्डरों के लिए अनिवार्य बना दिया गया और अन्य अनुरक्षण आर्डरों के लिए वैकल्पिक बना दिया गया। तथापि यह ध्यान में आया कि ऐसे विवरण नवम्बर 2006 के बाद भी योजनागत अनुरक्षण कार्यों के सम्बन्ध में प्रगृहीत नहीं किए गए और इसे अन्य अनुरक्षण कार्यों के सम्बन्ध में भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

6.6.2.2 सामग्री की अधिप्राप्ति में वैधीकरण जांचें

वैधीकरण जांचों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि डाटा कारबार नियमों के अनुरूप है और इस प्रकार डाटा की परिशुद्धता सुनिश्चित की जाती है। ठीक पी आर अवस्था से विक्रेताओं तक पी ओ देने तक अधिप्राप्ति प्रक्रिया (प्रशासकीय और वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को छोड़कर) की एम एम

मापांक में रूपरेखा तैयार की गई है। प्रणाली के माध्यम से अधिप्राप्ति प्रक्रिया की एक समीक्षा में वैधीकरण जांचों में निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला।

(i) लम्बित खरीद मांगपत्र

लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि सामग्री के लिए 2301 पी आर और सेवाओं/कार्यों के लिए 1319 पी आर के सम्बन्ध में अधिप्राप्ति कार्रवाईयाँ 6 जून 2007 को अभी भी की जानी थीं जबकि उनके प्रति दर्शाई गई सुपुर्दगी की तारीखें पहले ही समाप्त हो चुकी थी। पुराने पी आर को असमर्थ बनाने के लिए अपेक्षित नियन्त्रणों के अभाव में उसी सामग्री के लिए नए के सृजन और उसके प्रति खरीदों के जोखिम का पता नहीं लगाया जा सका।

प्रबन्धन ने अभ्युक्ति स्वीकार की और बताया (अगस्त 2007) कि लम्बित पी आर की आवधिक रूप से समीक्षा करने और समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(ii) खरीद आदेशों में सुपुर्दगी तारीख

यह पाया गया कि पी ओ की तारीखों के साथ अनुसूचित और वास्तविक सुपुर्दगी तारीखों का वैधीकरण करने के लिए प्रणाली में वैधीकरण जांचें उपलब्ध नहीं थीं। इसके परिणामस्वरूप 2006-07 के दौरान दिए गए 2965 पी ओ में से 1815 का सृजन हुआ जो पी ओ की तारीख से पहले अनुसूचित सुपुर्दगी तारीखों के साथ था।

अनुसूचित सुपुर्दगी का वैधीकरण न करने के कारण सामग्री की अधिप्राप्ति पर और अनुसूचित सुपुर्दगी तारीख तक पी ओ के निष्पादन पर एम आई एस डाटा तैयार नहीं किया जा सका ताकि यथा अनुसूचित कार्यों के समापन, स्टॉक आउट स्थिति से बचने को सुनिश्चित किया जा सके, विक्रेताओं द्वारा सुपुर्दगी (समय और अनुसूची) का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और विक्रेताओं पर निर्णीत हर्जानों जैसे शास्तियों के हस्त्य परिकलन से बचा जा सके।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की और आश्वासन दिया (अगस्त 2007) कि अनिवार्य वैधीकरण जांचें प्रणाली में समाविष्ट की जाएंगी और अनिवार्य रिपोर्टें विकसित की जाएंगी।

6.6.2.3 उपलब्ध विशेषताओं का उपयोग न होना

कम्पनी एम एम मापांक में रूपरेखा तैयार किए गए निम्नलिखित संव्यवहार कारबार और नीतियों और नियमों का उपयोग करने में विफल रही। कतिपय कारबारों की भी प्रणाली में अपर्याप्त रूप से रूपरेखा तैयार की गई जैसाकि नीचे उल्लेख किया गया है :

(i) अनुस्मारक विशेषता

मानक एसएपी - ईआरपी प्रणाली की जारी किए गए खरीद आदेशों पर दृष्टि रखने के लिए निर्मित अनुस्मारक विशेषता होती है। तथापि इस विशेषता का उपयोग नहीं किया जा रहा था और अनुस्मारक हस्त्य रूप से जारी किए गए। 1644 खरीद आदेशों में 4460 संख्या में सामग्री ऐसी थी जो सुपुर्द किए बिना रही अथवा 31 मार्च 2007 को उनकी सुपुर्दगी की तारीख के बाद आंशिक रूप में सुपुर्द की गई जिसके लिए प्रणाली के माध्यम से अनुस्मारक तैयार नहीं किए गए जो ऐसी विशेषता के उपलब्ध होने के बावजूद था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की और बताया (अगस्त 2007) कि प्रणाली के माध्यम से अनुस्मारकों का मुद्दा कार्यान्वित किया जाएगा।

(ii) सामग्री आवश्यकता की आयोजना

कम्पनी ने एम एम मापांक में न्यूनतम, अधिकतम और पुनः आदेश देने के मालसूची स्तर और उससे सम्बन्धित सूचना परिभाषित नहीं की है।

एम एम मापांक में इन प्राचलों के अभाव में निम्नवत् असंगतियां ध्यान में आई :

- सामग्री की 17856 मदों में "ज़ीरो" स्टॉक जिससे बन्दी/अनुरक्षण कार्यों के दौरान फालतू पुर्जों का प्रतिस्थापन नहीं हो सका;
- पाटा और विजयपुर के संयंत्रों में 56.16 करोड़ रूपए की सीमा तक उपयोग में न आने वाली मालसूची; और
- 10.52 करोड़ रूपए मूल्य की सामग्री का उनकी खरीद के बाद 9 से 15 महीनों तक की अवधि के लिए निष्क्रिय रहना

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि मैटीरियल मास्टरज में विभिन्न स्टॉक स्तरों को परिभाषित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(iii) मालसूची के लिए लीड टाइम के सम्बन्ध में सूचना

प्रणाली विक्रेतावार और सामग्री वार लीड टाइम विवरण प्रगृहीत करने के लिए तैयार नहीं की गई थी। इसलिए प्रत्याशित लीड टाइम के बाद सुपुर्दगी में विक्रेतावार और सामग्री वार विलम्बों का पता लगाना सम्भव नहीं था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि लीड टाइम विवरण प्रगृहीत करने के लिए प्रणाली तैयार की गई थी और विक्रेतावार और सामग्री वार रिपोर्टें उपलब्ध थीं। तथापि उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता चूंकि पी आर अवस्था से पी ओ अवस्था तक लिया गया मात्र संसाधन समय प्रगृहीत किया गया और सामग्री सुपुर्द करने के लिए विक्रेता द्वारा लिया गया समय प्रगृहीत नहीं किया गया ताकि समय पर सुपुर्दगी, सुपुर्दगी अनुसूची की योजना बनाने और वांछित मालसूची स्तरों को बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) माल सूची, मशीनरी और उपस्करों के अप्रचलित होने की ट्रैकिंग न होना

मालसूची मशीनरी और उपस्कर के जीवन काल और समाप्ति की तारीख का अभिग्रहण करने और मार्ग पर लाने का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे प्रावधान के अभाव में प्रणाली द्वारा समुपस्थित अप्रचलन के लिए प्रयोक्ताओं में तेजी नहीं लाई जा सकी।

अप्रचालन के विवरणों का प्रग्रहण न होने के कारण अप्रचलित फालतू पुर्जों, मशीनों और उपस्करों की अधिप्राप्ति, प्रतिस्थापन और निपटान के विलम्बित निर्णयों का जोखिम जारी रहा।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि जीवन काल और समाप्ति की तारीख की हस्त्य रूप से मानीटरिंग की जा रही थी और प्रणाली के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा। इस प्रकार प्रबन्धन के उत्तर में प्रयोजनार्थ एसएपी प्रणाली का उपयोग न करने की पुष्टि की गई।

(v) परियोजनाओं के लिए सामग्री और सेवाओं की अधिप्राप्ति

सामग्री और सेवाओं की अधिप्राप्ति को सुकर बनाने के लिए परियोजना प्रणाली मापांक को एम एम मापांक के साथ एकीकृत किया गया। यह ध्यान में आया कि यद्यपि खरीद का मांग पत्र और खरीद आदेश प्रणाली के माध्यम से जारी किए गए तथापि कोटेशन के लिए अनुरोध को जारी करने और सी ओ देने से पूर्व प्राप्त कोटेशन का तुलनात्मक विवरण तैयार करने के लिए प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त दहेज-यूरान पाइपलाइन परियोजना के सम्बन्ध में 571.33 करोड़ रूपए की राशि के पी ओ में से 494.83 करोड़ रूपए की राशि के पी ओ पी आर बनाए बिना दिए गए (जुलाई 2007)।

प्रबन्धन पूर्ण अधिप्राप्ति चक्र का अनुपालन करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए उसकी समीक्षा करने पर सहमत हुआ (अगस्त 2007)।

6.6.2.4 प्रणाली का कस्टमाइज़ेशन न होना

निम्नलिखित कारबार आवश्यकताओं से सम्बन्धित प्रणाली में विभिन्न कारबार नियमों को कस्टमाइज़ड करने में विसंगतियाँ पाई गई :

(i) निर्णीत हर्जाने

विलम्ब से सुपुर्द किए गए/सुपुर्द न किए गए खरीद आदेशों के सम्बन्ध में करार के अनुसार निर्णीत हर्जाने खण्ड का प्रवर्तन प्रणाली में निर्मित नहीं किया गया। तदनुसार निर्णीत हर्जानों का हस्त्य रूप से परिकलन और उद्ग्रहण किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि प्रणाली के माध्यम से निर्णीत हर्जानों के उद्ग्रहण करने की व्यवहार्यता का सफलता के बिना कार्यान्वयन के दौरान पता लगाया गया।

तथापि प्रबन्धन ने मापांक की इस विशेषता के सफल कार्यान्वयन के लिए बाधाएं निर्दिष्ट नहीं कीं।

(ii) मरम्मत की गई/मरम्मत योग्य मालसूची

प्रणाली मरम्मत की गई/मरम्मत योग्य मदों की मालसूची का और उनकी मरम्मत/ओवरहालिंग के लिए प्रयुक्त फालतू पुर्जों को प्रग्रहण करने के संरूप नहीं थी।

इन विवरणों का रखरखाव न करने के कारण मरम्मत की बारम्बारता का विश्लेषण करने के अतिरिक्त ऐसी मदों पर मालसूची नियंत्रण नहीं रखा जा सका और नई खरीदों पर मरम्मतों की मितव्ययता संभव नहीं थी। यह पाया गया कि 31 मार्च 2007 को नौ फालतू गैस जनरेटरों में से सीमा शुल्क और सुपुर्दगी प्रभारों के निवल 5.08 करोड़ रूपए मूल्य के तीन फालतू गैस जनरेटर मरम्मत/ओवरहालिंग के लिए विक्रेताओं के पास पड़े थे। प्रणाली के कस्टमाइज़ेशन में कमी के कारण इनको उपयुक्त मानीटरिंग के लिए प्रणाली के माध्यम से मार्ग पर नहीं लाया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) सात और आठ के आखिरी अंक स्रोत संकेतक के कोड वाली सामग्री सहित मरम्मत की गई/मरम्मत करने योग्य मालसूची के प्रग्रहण के लिए प्रावधान विद्यमान था। तथापि यह ध्यान में आया कि ऐसे कोड वाली सामग्री का कोई स्टाक 31 मार्च 2007 को प्रणाली में विद्यमान नहीं था।

(iv) गारन्टी/वारन्टी विशेषताओं की अनुपलब्धता

अधिप्राप्त की गई सामग्री के वारन्टी/गारन्टी निबन्धनों के सम्बन्ध में सूचना का प्रावधान करने के लिए प्रणाली में प्रावधान उपलब्ध नहीं था। इस प्रावधान का अभाव वारन्टी/गारन्टी अवधियों के अन्दर उपस्कर की प्रयोज्यता का उपयोग करने/जांच करने और जहाँ कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए वहाँ उसका सहारा लेने की विफलता के जोखिम से भरा हुआ था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि मामला उठाया गया है।

6.6.2.5 अन्य ध्यान देने योग्य मुद्दे

मशीनरी के फालतू पुर्जों की अपर्याप्त रूपरेखा

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के लेखाकरण मानक 10 में अपेक्षित है कि मशीनरी के सभी फालतू पुर्जों को पूंजीकृत और पूर्णतया मूल्यह्रासित किया जाना चाहिए यदि उनका मात्र एक विशेष स्थाई परिसम्पत्ति के लिए उपयोग किया जा सकता हो और उनका अनियमित उपयोग रहा हो।

तथापि यह पाया गया कि प्रणाली में बीमा फालतू पुर्जों के रूप में वर्गीकृत किए गए फालतू पुर्जों को ही पूंजीकृत किया गया और 17.57 करोड़ रूपए के मूल्य वाली उसी विवरण (990 फालतू पुर्जों) की सामग्री मशीनरी के फालतू पुर्जों के रूप में उसका प्रकटन करने की बजाय ओ एण्ड एम मालसूची के रूप में रखी गई। इसके परिणामस्वरूप मशीनरी के फालतू पुर्जों के पूंजीकरण के सम्बन्ध में एएस- 10 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

साथ ही भिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत ऐसी मालसूची का रखरखाव करने के कारण कम्पनी एक सामग्री कोड के अन्तर्गत सामग्री की उपलब्धता पर निगरानी नहीं रख सकी, विभिन्न मालसूची स्तर नियत नहीं कर सकी जहां कहीं आवश्यक था वहाँ अधिशेष घोषित नहीं कर सकी और लेखाकरण के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2007) कि इस मामले पर 2007-08 में कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

6.6.3 बिक्री और वितरण मापांक

मापांक प्राथमिक तौर पर कम्पनी के उत्पादों की बाजार मांग की मानीटरिंग करने के लिए; कम्पनी के ग्राहकों उनकी उधार पात्रता का रिकार्ड रखने और आदेशों और सुपुर्दगियों की जानकारी रखने और बिक्री तथा सम्बन्धित कार्यकलापों/संव्यवहारों की आयोजना, नियंत्रण करने और मानीटरिंग करने के लिए होता है लेखापरीक्षा विश्लेषण में मापांक में कस्टमाइज़िंग में और आगत और वैधीकरण नियंत्रणों में निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला;

6.6.3.1 प्रणाली का कस्टमाइज़ेशन न होना

प्रणाली का कस्टमाइज़ेशन अपर्याप्त था और इससे निम्नलिखित कारबार आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती थी :

(i) पोलीमर कारबार आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार न करना

कम्पनी के अपने विपणन कार्यालय पैट्रोस्सायन विपणन समूह (पी एम जी) को पोलीमरों की संभावित मांग संसूचित करता है जो मांगों और सामग्री की उपलब्धता की उचितता पर विचार करने के बाद विपणन कार्यालय को सामग्री आंबटित करता है। आंबटित सामग्री के आधार पर विपणन कार्यालय बिक्री आदेशों के रूप में परेषण स्टाकिस्ट/ग्राहकों के मांग पत्रों की पुष्टि करता है। इस बिक्री प्रक्रिया की एक समीक्षा में पता चला कि :

- उत्पादवार संभाव्यता मांग के प्रक्षेपण का आधार (स्रोत डाटा) प्रगृहीत नहीं किया गया और प्रणाली में इसका रखरखाव नहीं किया गया।
- मांग पत्रों के माध्यम से किए गए परेषण स्टाकिस्ट की वास्तविक मांग और वास्तविक बिक्री आदेश और प्रेषित मात्रा के साथ उनकी तुलना पर कोई रिपोर्टिंग नहीं थी।
- विपणन कार्यालयों के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए विपणन कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई वास्तविक बिक्री आदेश मात्रा और उनके प्रति वास्तविक प्रेषणों की तुलना करने के लिए कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।
- कीमत आशोधन उत्पादन अथवा लाजिस्टिक्स बाधाओं की स्थिति में आपूर्तिकर्ता संयंत्र द्वारा निष्पादित न किए गए/आंशिक रूप से सुपुर्द किए गए बिक्री आदेशों के रद्द करने/आशोधन करने से सम्बन्धित किन्ही अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया।

इस प्रकार यह स्पष्ट था कि मांग पत्र देने से सामग्री के प्रेषण तक की घटनाओं का पूरा क्रम प्रणाली में प्रगृहीत नहीं हुआ जिसके अभाव में पोलीमरस के लिए संभावित मांग, बिक्री आदेशों के रद्द करने/आशोधन करने के कारण कारबार की हानि और प्राप्त किया गया कारबार प्रणाली में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अगस्त 2007) को स्वीकार करते हुए प्रबन्धन ने बताया कि प्रेषित मात्रा द्वारा विपणन कार्यालयों और संयंत्र का निष्पादन दर्शाया गया। तथापि यह बताया जा सकता है कि प्रेषित मात्रा संयंत्र के निष्पादन की सूचक है जबकि विपणन कार्यालय का निष्पादन उनके द्वारा पुष्टि किए गए बिक्री आदेशों पर निर्भर करता है।

(ii) विलम्बित भुगतानों पर ब्याज

ग्राहकों से विलम्बित भुगतानों के लिए ब्याज प्रभारित किया जाना होता है। तथापि विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के परिकलन की प्रणाली में रूपरेखा तैयार नहीं की गई और इसे हस्त्य रूप से किया गया जो कि प्रणाली के कम उपयोग को दर्शाता है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2007) कि ब्याज की सांतर दर के कारण प्रणाली में नियन्त्रण नहीं रखे गए थे। उत्तर प्रत्यायक नहीं था चूंकि प्रणाली में एक सशर्त तालिका के माध्यम से ब्याज परिकलित किया जा सकता था।

6.6.3.2 ग्राहक उधार प्रबन्धन में आगत और वैधीकरण नियन्त्रण

(i) मास्टर क्रेडिट डाटा

कम्पनी ने प्रणाली में निर्धारित उधार सीमा और उनके प्रति प्रदान किए गए वास्तविक क्रेडिट सहित अपने ग्राहकों के क्रेडिट डाटा का रखरखाव किया। उपलब्ध क्रेडिट डाटा की समीक्षा में पता चला कि :

- केन्द्रीय क्रेडिट डाटा 9865 ग्राहकों में से 4788 ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं था। 376 ग्राहकों, जिनके लिए केन्द्रीय क्रेडिट डाटा का रखरखाव नहीं किया गया के प्रति 9 जुलाई 2007 को 459.36 करोड़ रूपए का बकाया शेष था।
- 5121 ग्राहकों में से 5103 ग्राहकों के लिए उधार सीमा "ज़ीरो" परिभाषित की गई। "ज़ीरो" उधार सीमा के बावजूद 156 ग्राहकों को 140.03 करोड़ रूपए (9 जुलाई 2007) का क्रेडिट प्रदान किया गया और एक ग्राहक को 0.20 करोड़ रूपए की उधार सीमा के प्रति 0.23 करोड़ रूपए का क्रेडिट प्रदान किया गया।

वैधीकरण नियन्त्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप उधार बिक्री निर्धारित उधार सीमा से अधिक हो गई।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की और बताया (अगस्त 2007) कि परेषण स्टाकिस्ट के माध्यम से सामग्री प्राप्त करने वाले ग्राहकों के सम्बन्ध में और प्राकृतिक गैस के ग्राहकों के लिए क्रेडिट डाटा का रखरखाव नहीं किया गया। इसने आगे बताया कि प्रणाली किसी अधिक उधार को अननुमत करने के लिए संरूपित थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूंकि सीमा से अधिक क्रेडिट प्रणाली द्वारा अनुमत किए गए थे।

(ii) बैंक गारन्टियों के प्रति उधार अरक्षितता

पोलीमर उत्पादों के लिए सभी 38 परेषण स्टाकिस्ट के बिक्री/स्टाक अन्तरण आदेश विपणन कार्यालयों द्वारा निर्धारित बैंक गारन्टी के प्रति अनुमत किए गए। कम्पनी ने 50 लाख रूप से कम राशि की बैंक गारन्टी होने पर बैंक गारन्टी के मूल्य का दोगुना, बैंक गारन्टी के 50 लाख रूप से 2.10 करोड़ रूपए के बीच होने पर बैंक गारन्टी के 2.5 गुणा और बैंक गारन्टी के 2.10 करोड़ रूपए से अधिक होने पर बैंक गारन्टी के बराबर सीमा तक अरक्षितता सीमाएं निर्धारित कीं।

उपरोक्त नियम के आधार पर अरक्षितता सीमाओं का स्वतः परिकलन करने के लिए प्रणाली तैयार नहीं की गई। विपणन कार्यालय अरक्षितता सीमाओं को स्वतन्त्र रूप से निर्धारित कर रहे थे जिसको प्रणाली में फीड किया जा रहा था। अपेक्षित नियन्त्रणों के अभाव में एक समीक्षा में पता चला कि :

- अरक्षितता तीन परेषण स्टाकिस्ट के लिए 31 लाख रूपए की सीमा तक निर्धारित सीमाओं से अधिक थी जबकि 15 परेषण स्टाकिस्ट के लिए अरक्षितता 23.19 करोड़ रूपए की सीमा तक निर्धारित सीमाओं से कम थी। इसके अतिरिक्त पांच परेषण स्टाकिस्ट के लिए 3.47 करोड़ रूपए की सीमा तक अरक्षितता अवरूद्ध के रूप में दर्शाई गई जबकि 9 जुलाई 2007 को कोई बैंक गारन्टी विद्यमान नहीं थी।
- सामग्री को एक परेषण स्टाकिस्ट की अभिरक्षा के अधीन 9 जुलाई 2007 को उसके प्रति एक वैध बैंक गारन्टी के विद्यमान न होने के बावजूद दर्शाया गया।
- दस मामलों में से दो में वैध समर्थक दस्तावेजों के बिना बैंक गारन्टियों पुनः वैधीकृत की गईं।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (अगस्त 2007) में बताया कि उधार पात्रता का प्रणाली में रखरखाव नहीं किया जा रहा था और विपणन कार्यालयों की सलाह पर प्रणाली में अरक्षितता को परिभाषित किया गया। इससे कम्पनी की उधार बिक्री नीति की रूपरेखा तैयार करने के प्रति समन्वयित धारणा के अभाव का पता चला।

(iii) अपर्याप्त और न्यून साख पत्र

प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए बीजक पाक्षिक रूप से तैयार किए गए और परिणामी शेष की प्राप्ति साख पत्र (एलसी) मगांकर की गई जैसीकि गैस आपूर्ति करार (जीएसए) में सहमति हुई। 827 प्राकृतिक गैस के ग्राहकों के विवरण की एक समीक्षा में पता चला कि :

- एक सौ छप्पन ग्राहकों के लिए एलसी उपलब्ध थी जिसमें 56 ग्राहकों के सम्बन्ध में आगामी दस्तावेजों के अभाव में अधूरे एलसी शामिल थे जो त्रुटिपूर्ण आगत नियन्त्रणों का सूचक है।
- पच्चीस प्राकृतिक गैस के ग्राहकों के मामले में 31 मार्च 2007 को 79.47 करोड़ रूपए बकाया थे जिसके प्रति मात्र 26.53 करोड़ रूपए की राशि के एलसी उपलब्ध थे जो 52.94 करोड़ रूपए के परिणामी घाटे के साथ थे जो त्रुटिपूर्ण वैधीकरण जांचों का सूचक है। इन 25 ग्राहकों में से मात्र 16 ग्राहकों के लिए पूर्ण एलसी उपलब्ध थे।

पूर्ण एलसी विवरणों के अभाव में जीएसए के अनुसार एलसी की पर्याप्तता सुनिश्चित नहीं की जा सकी और एलसी सामयिक नवीकरण, उधार बिक्री की सीमा की उचितता और उसके प्रति पर्याप्त प्रतिभूति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया और पुष्टि की (अगस्त 2007) कि बीजक बनाने को प्रभावित किए बिना एलसी के विवरणों का प्रग्रहण करने के लिए एसएपी में प्रावधान था और इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

6.6.4 एचआर मापांक

एचआर मापांक में गलती, कर्मिक प्रशासन कार्यकलाप, पे रोल कार्यकलाप, वेतन प्रक्रिया, व्यक्तिगत वृत्तिय जीवन आयोजना, प्रशिक्षण, प्रशासन, छुट्टी प्रबन्धन और श्रमबल आयोजना से सम्बन्धित प्रक्रियायें शामिल हैं। तथापि नमूना जांच में डाटा की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित आगत नियन्त्रणों और वैधीकरण जांचों में कमियों का पता चला।

6.6.4.1 वैधीकरण जांचों का अभाव

(i) गृह निर्माण अग्रिम

"कर्ज और उधारों" से सम्बन्धित 2014 अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला :

- पैंतालीस मामलों में संस्वीकृत अग्रिम 16 लाख रूपए से अधिक था (गृह निर्माण अग्रिम)(एचबीए) नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम सीमा)।
- एचबीए नियमावली के अनुसार अग्रिम मात्र दो बार संस्वीकृत किया जा सकता था जबकि प्रणाली में नमूना जांच में पता चला कि 23 कर्मचारियों के मामले में एचबीए आठ बार तक संस्वीकृत किया गया।
- निन्यानबे मामलों में एचबीए के कारण एचबीए की किस्त की वसूली और अन्य कटौतियों के बाद हस्तगत वेतन (निवल वेतन) सकल वेतन के 20 प्रतिशत से कम था जो कि एचबीए नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है।

वैधीकरण जांचों के अभाव में एचबीए नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

6.6.4.2 आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार न करना

(i) मानव संसाधन

मानव संसाधन के सम्बन्ध में कारबार आवश्यकताओं और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा में निम्नलिखित अपर्याप्तताओं का पता चला :

- आवासीय परिसरों में रिहायश की उपलब्धता के बारे में सूचना की एसएपी में रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी।
- भविष्य निधि और पेंशन सूचना/डाटा/संव्यवहारों का एसएपी-ईआरपी पैकेज में प्रग्रहण नहीं किया गया और रिक्थ प्रणाली के भविष्य निधि और पेंशन प्रणाली मापांक का अभी भी उपयोग किया जा रहा था।
- प्रशिक्षण आवश्यकताओं का एक स्वतन्त्र इलैक्ट्रानिक निष्पादन प्रबन्धन प्रणाली (ई पी एम एस) में प्रग्रहण किया गया जबकि प्रशिक्षण कैलेण्डर एसएपी-ईआरपी में तैयार किया गया।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2007) कि एसएपी रिहायशी आवास के सम्बन्ध में कार्यात्मकता का समर्थन नहीं किया गया।

(ii) वाहन अग्रिम

प्रणाली में उपलब्ध अग्रिमों से सम्बन्धित अधूरी सूचना के कारण वाहन अग्रिम नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(iii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम

प्रणाली में चिकित्सा परिचर्या नियमों से सम्बन्धित प्रावधानों की रूपरेखा के अभाव में दावों की प्रक्रिया की वैधता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने अभ्युक्तियों स्वीकार कीं और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2007)।

6.7 कारबार निरन्तरता योजना

6.7.1 आपदा क्षतिपूर्ति स्थल

कम्पनी ने ईआरपी के कार्यान्वयन के दो वर्ष बाद भी एक पूर्णकालिक आपदा क्षतिग्रस्त केन्द्र गठित नहीं किया है जबकि निदेशक बोर्ड ने जयपुर में इसे स्थापित किए जाने की जून 2002 में अनुमोदन प्रदान किया। कम्पनी गेल प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा में स्थित आपाती सर्वर के माध्यम से अपने आपदा क्षतिपूर्ति आवश्यकता का संचालन कर रही थी जो केवल निम्न सघनता विफलताओं का सामना कर सकता था।

6.7.2 त्रुटिपूर्ण समस्या समाधान तन्त्र

एसएपी समाधान का एसएपी परिवेश में प्रयोक्ताओं द्वारा सामना की गई कठिनाईयों को दूर करने के लिए एक केन्द्रीयकृत हैल्प डैस्क है।

अप्रैल 2006 से अप्रैल 2007 के दौरान हैल्प डैस्क द्वारा निपटाई गई शिकायतों/अनुरोधों की समीक्षा में पता चला कि प्रयोक्ताओं द्वारा उठाए गए 7385 मुद्दों में से 5529 मुद्दे निपटाने में तीन से 199 दिन लगे। इसके अतिरिक्त 35 निपटान न किए गए मुद्दों में से 29 मुद्दे तीन दिन से अधिक से लेकर 161 दिनों तक की अवधि के लिए लम्बित थे। यह स्पष्ट है कि यथाशीघ्र प्रयोक्ताओं की कठिनाईयाँ निपटाने के लिए नियंत्रण तन्त्र निर्धारित नहीं किया गया है।

6.8 निष्कर्ष

कतिपय महत्वपूर्ण कारबार आवश्यकताओं और कार्यात्मकताओं की रूपरेखा तैयार न करने, कस्टमाइजेशन के अभाव और सभी उपलब्ध विशेषताओं के उपयोग के अभाव के कारण ईआरपी-एसएपी समाधान का कम उपयोग हुआ। प्रणाली को आगत नियंत्रणों और वैधीकरण जांचों के अभाव से और क्षति पहुंची। इन अपर्याप्तताओं के परिणामस्वरूप सभी कारबार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रणाली का असामंजस्य रहा, दोषपूर्ण/विलम्बित एम आई एस रिपोर्टिंग और निर्णय करने का जोखिम उत्पन्न हुआ जिसके कारण हस्त्य हस्तक्षेप हुआ और इस प्रकार डाटा बेस अविश्वसनीय हो गया। प्रणाली के कम उपयोग में बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ, प्रचालनात्मक दक्षता, उत्पादकता में सुधार करने, उच्च ग्राहक सेवा और सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए सूचना के लीवरेजिंग के मूल उद्देश्यों के साथ समझौता करना पड़ा।

6.9 सिफारिश

प्रबन्धन को ईआरपी प्रणाली से लाभों को इष्टतम बनाने के लिए कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित उपायों पर विचार करना चाहिए :

- कारबार आवश्यकता, सांविधिक अपेक्षाओं और सरकार के दिशानिर्देशों और कम्पनी की नीतियों के अनुसार ईआरपी समाधान का कस्टमाइजेशन और उपयोग सुनिश्चित करना। सभी मापांकों की एक समयबद्ध समीक्षा लागू कारबार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए।
- कारबार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईआरपी प्रणाली की सभी उपलब्ध कार्यात्मकताओं को कस्टमाइजेशन किया जाना चाहिए। ईआरपी प्रणाली से इष्टतम अभिलाभ प्राप्त करने के लिए भिन्न मापांक एकीकृत किए जाने चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना कि आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधियों को सुदृढ़ करने के लिए प्रणाली में आगत नियंत्रण और वैधीकरण जांचों को निर्मित किया गया है और यह प्रणाली में दर्ज किए गए डाटा पर लागू होते हैं।
- डाटा की यथातथ्यता और इसके प्राधिकार को सुनिश्चित करने के लिए "मास्टर डाटा" की आवधिक रूप से पुनः जांच/पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है।

- आगत नियन्त्रण और कारबार निरन्तरता योजना के क्षेत्रों में कम्पनी को स्पष्टतया क्रियाविधियों और उत्तरदायित्वों के साथ उपयुक्त सुरक्षा नीतियाँ विकसित करनी चाहिए।

मामला मन्त्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2007), उसका उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय : VII

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

ईआरपी का वित्तीय प्रबन्धन मापांक

मुख्य बातें

कम्पनी के विशेष कारबार नियमों को एसएपी प्रणाली में कस्टमाइज़्ड करना अपेक्षित था। लागतों के आवंटन के सम्बन्ध में कारबार नियमों की रूपरेखा तैयार न करने के परिणामस्वरूप विभिन्न त्रुटियाँ रहीं।

(पैरा 7.5.1)

आगत नियन्त्रणों में कमियाँ प्रणाली में देखी गईं। वैधीकरण जांचों में कमियों के कारण असंगत कार्यों का निष्पादन हुआ। परिसम्पत्तियों की अवस्थिति और अभिरक्षक पर डाटा 276.54 करोड़ रूपए मूल्य के 19655 परिसम्पत्ति अभिलेखों में प्रणाली में उपलब्ध नहीं था। इस सूचना के अभाव में मालसूची की अवस्थितिवार और अभिरक्षकवार ट्रैकिंग और अभिरक्षा अन्तरणों के मामले में परिसम्पत्तियों के सौंपने और अधिकार में लेने के उपयुक्त अनुपालन को प्रणाली में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(पैरा 7.5.2)

ओ एन जी सी में वित्तीय प्रणाली के उन्नयन (यू एफ एस ओ) से मास्टर अभिलेख उपयुक्त सत्यापन और निर्बाधन के बिना दक्षता के लिए परियोजना सूचना समेकन (आईसीई) में अन्तर्भूत किए गए जिसके कारण वे गलतियाँ नए ईआरपी प्रणाली में भी ले जाई गईं जो रिक्थ डाटा में मौजूद थीं। यह पाया गया कि 235 बाह्य विक्रेताओं के सम्बन्ध में प्रणाली में 476 विक्रेता अभिलेख उपलब्ध थे और 40 ऐसे विक्रेताओं के सम्बन्ध में संव्यवहार 2005-07 के दौरान 81 विक्रेता अभिलेखों में दर्ज किए गए।

(पैरा 7.5.3)

दो हजार दो सौ छियालिस विक्रेता अभिलेखों में विक्रेताओं ने नगर और पते के विवरण "अज्ञात" के रूप में दर्ज किए गए। 463 विक्रेता अभिलेखों में पते का स्थान खाली पाया गया और 15 विक्रेता अभिलेखों में कम्पनी (ओ एन जी सी) का सरकारी पता विक्रेता के पतों के रूप में दर्ज किया गया पाया गया।

(पैरा 7.5.3)

2004-05 से सम्बन्धित 14.55 करोड़ रूपए को सम्मिलित करते हुए 259 संव्यवहारों और 2005-06 से सम्बन्धित 2.5 लाख रूपए के लिए 34 संव्यवहारों के सम्बन्ध में 43 विक्रेताओं के प्रति शेष लीगेसीयूएफएसओ प्रणाली से अपलोड किए गए पाए गए और ये पूर्ण विवरणों के अभाव में मई 2007 तक समाधान किए बिना रहे।

(पैरा 7.5.3)

त्रुटिपूर्ण नियन्त्रण क्रियाविधियाँ, प्रबन्धन द्वारा परिभाषित लागत आंबटन के गलत प्राचलों, कमजोर प्रयोक्ता हस्तक्षेपों और डाटा अन्तरण क्रियाविधियों में त्रुटियों के कारण ईआरपी प्रणाली में उपलब्ध डाटा विश्वसनीय नहीं था।

(पैरा 7.6)

7.1 प्रस्तावना

1980 के दशक में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने कोबोल में विकसित की गई एक कम्प्यूटरीकृत वित्तीय लेखाकरण प्रणाली अपनाई। मई 1996 में ओ एन जी सी में वित्तीय प्रणाली का उन्नयन (यूएफएसओ) परियोजना ली गई और वित्त, बजटिंग और लागत निर्धारण मापांकों का उपयोग करने के लिएएसएपी* आर/3 प्रणाली कस्टमाइज़ किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत अंतिम स्थल मार्च 2002 में स्थापित किया गया। अक्टूबर 2003 में दक्षता के लिए परियोजना सूचना समेकन (आईसीई) प्रारम्भ किया गया जिसमें माई एसएपी ऑयल एवं गैस अपस्ट्रीम समाधानों के साथ एसएपी के सभी दस मापांकों* अर्थात् माई एसएपी फाइनेंशियल्स एंड लाजिस्टिक्स ईआरपी पैकेज के उपयोग की परिकल्पना की गई। यह प्रणाली 81.50 करोड़ रूपए के कुल निवेश (कार्यान्वयन लागत को छोड़कर) पर अक्टूबर 2003 और जनवरी 2005 के बीच पूरी कम्पनी में कार्यान्वित की गयी। यूएफएसओ डाटा नए ईआरपी प्रणाली में अंतरित किया गया। ईआरपी प्रणाली में एलएएन/डब्ल्यूएएन के माध्यम से ग्राहक (प्रयोक्ता पीसी) प्रणालियों से अनुप्रयोग की पहुंच तक एसएपी आर/3 अनुप्रयोग और एसएपीजीयूआई फ्रंड-एंड साफ्टवेयर के लिए डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के रूप में ओरेक्ल 9 आई के साथ एच पी यूनिक्स 11.11 प्रचालन प्रणाली पर प्रतिष्ठापित एसएपी आर/3 (वर्ज़न 4.6 सी) शामिल है।

वित्तीय मापांक में संव्यवहारों को ईआरपी प्रणाली के अन्य मापांकों में संव्यवहारों द्वारा मुख्यतया प्रोत्साहित किया जाता है और लागत का आंबटन करने और लागत के लेखाकरण के प्रयोजनार्थ नियंत्रण करने के मापांक में भी इन संव्यवहारों का प्रग्रहण किया जाता है।

* एसएपी ए जी का उद्यम संसाधन आयोजना साफ्टवेयर उत्पाद

* वित्तीय (एफ आई), नियंत्रणकर्ता (सी ओ), सामग्री प्रबन्धन (एम एम), संयंत्र अनुरक्षण (पी एम) परियोजना प्रणालियां (पी एस), निवेश प्रबन्धन (आई एम), परिसम्पत्ति प्रबन्धन (ए एम), कोषागार (एफ एम), बिक्री एवं वितरण (एस डी), कारबार सूचना भांडागार (बीडब्ल्यू)

7.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

ईआरपी परिवेश में वित्तीय प्रबन्धन की सू प्रौ लेखापरीक्षा ईआरपी प्रणाली में दर्ज किए गए प्रक्रियागत और सूचित किए गए वित्तीय डाटा की विश्वसनीयता और सम्पूर्णता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई।

7.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में कम्पनी के पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में वित्तीय और नियंत्रण करने वाले मापांकों के देय लेखाओं, परिसम्पत्ति लेखाकरण और लागत केन्द्र लेखाकरण उप मापांकों की समीक्षा की गयी। आवेदन के कार्यान्वयन की तारीख से प्रारम्भ होकर मार्च 2007 तक की अवधि के लिए डाटा का विश्लेषण किया गया।

7.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

ईआरपी परिवेश में वित्तीय प्रबन्धन की सू प्रौ लेखापरीक्षा निम्नलिखित कार्य प्रणाली अपनाकर की गयी :

- (i) प्रबन्धन को जारी की गयी चर्चाएं, पत्र व्यवहार और प्रश्नावली और प्राप्त हुई सूचना और फीडबैक
- (ii) मानक एसएपी रिपोर्टों और आन्तरिक रूप से विकसित की गयी रिपोर्टों का उपयोग करते हुए डाटा निकाला गया। निकाले गए डाटा का सीएएटी का उपयोग करते हुए विश्लेषण किया गया।

7.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.5.1 कस्टमाइजेशन में विसंगतियां

एसएपी प्रणाली को कम्पनी के विशेष कारबार नियमों में कस्टमाइज करना अपेक्षित था। लागत आबंटन के लिए कारबार नियमों की रूपरेखा तैयार न करने के परिणामरूप निम्नलिखित विसंगतियां रहीं :

विशेष लागत उद्देश्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध न होने वाली अप्रत्यक्ष लागतें आबंटन अनुरक्षण कार्यक्रमों (एएमपी) में परिभाषित नियमों के अनुसार नियंत्रण करने वाले मापांक में किए गए लागत आबंटनों के माध्यम से अंतिम कार्यकलापों को आबंटित की गयी। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में लागतों के आबंटन के लिए लागत केन्द्रों की गलत रूपरेखा तैयार करने और एएमपी ने लागत आबंटन के लिए अनुपयुक्त आधार के उपयोग का पता चला। एएमपी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी

आवधिक रूप से अद्यतन नहीं किए जा रहे थे कि ये चालू और संगत रहे। इन विसंगतियां से लागत आबंटन और फलस्वरूप नियन्त्रण करने वाले मापांक में किए गए लागत लेखाकरण पर प्रभाव पड़ा।

इस सम्बन्ध में कुछेक निदर्शी दृष्टांत नीचे दिए गए हैं :

- (i) " लाजिस्टिक्स लागतें " कच्छार में अग्रोषण आधार में अनुरक्षण लागत केन्द्र को आबंटित नहीं किए गए जबकि इसे लाजिस्टिक्स सेवाएं भी प्राप्त हुईं। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि लागत चक्र की यदि सम्भव हुआ तो समीक्षा की जाएगी।
- (ii) समान लागतों के आबंटन के आधार में एकरूपता का अभाव था। उदाहरण के लिए भेदन करते समय असम परिसम्पत्ति में भेदन की लागतों के आबंटन में रिंग घंटों का उपयोग किया गया तथापि असम एवं असम अराकान बेसिन में लागत के आबंटन के लिए रिंग प्रचालन घंटों का उपयोग किया गया। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि असम और असम अराकान बेसिन में आबंटन आईसीई टीम, दिल्ली द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप था। तथापि भिन्न कार्य केन्द्रों में समान लागत के आबंटन में एकरूपता की आवश्यकता की पुनरावृत्ति की गई है।
- (iii) अक्टूबर 2004 में ईआरपी प्रणाली के प्रारम्भिक कार्यान्वयन के द्वारा नियत की गई पूंजीगत और राजस्व लागतों के बीच सिविल इंजिनियरिंग और सी एण्ड एम* इंजीनियरिंग लागतों के पृथक्करण के लिए अनुपात का असम परिसम्पत्ति और असम एव असम अराकान बेसिन में अद्यतन किए बिना अपनाया जाना जारी रहा। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि आबंटन अनुपात विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा पर निर्भर करता है। तथापि उत्तर में अक्टूबर 2004 में नियत किए गए प्रारम्भिक अनुपातों को अद्यतन न करने के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया।
- (iv) अक्टूबर 2004 में ईआरपी प्रणाली के प्रारम्भिक कार्यान्वयन के दौरान नियत किए गए विभिन्न प्रतिष्ठानों को असम में आन्तरिक विद्युत संयंत्र की लागत का आबंटन करने के लिए सांख्यिकीय प्रमुख आंकड़ों को अद्यतन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अनुचित आबंटन अनुपात रहा। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि आन्तरिक विद्युत संयंत्रों की लागतों का आबंटन विभिन्न प्रतिष्ठानों को वितरित विद्युत की नियत की गई प्रतिशतताओं के आधार पर किया जा रहा था। तथापि उत्तर में अक्टूबर 2004 में नियत किए गए प्रारम्भिक अनुपातों को अद्यतन न करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

* निर्माण और अनुरक्षण

प्रबन्धन को आवश्यक उपचारी कार्रवाई करने के लिए पूरी कम्पनी ने आबंटन अनुस्क्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करने और उनकी आवधिक समीक्षा करने और उनके अद्यतन बनाने के लिए क्रियाविधियों को सही करने की भी आवश्यकता है।

7.5.2 आगत नियन्त्रण और वैधीकरण जांचें

त्रुटिपूर्ण आगत नियन्त्रण, जिसके कारण कुछ लागतें दर्ज नहीं की गईं अथवा उपयुक्त लागत का उपयोग नहीं किया गया, में लाजिस्टिक्स मापांक में गलत लागत केन्द्र समनुदेशन अनुमत किया गया। त्रुटिपूर्ण आगत नियन्त्रण के कारण नियन्त्रण करने वाले मापांक द्वारा गलत लागत आबंटन और लेखाकरण दस्तावेजों के प्रति इसका तदनन्तर प्रवाह भी रहा। वैधीकरण जांचों में विसंगतियों के कार्य असंगत कार्य निष्पादित किए गए।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आए ऐसी विसंगतियों के कुछ एक निदर्शी दृष्टान्त नीचे दिए गए हैं :

- (i) ग्यारह लाख चौहत्तर हजार रूपए को सम्मिलित करते हुए आठ वित्तीय लेखाकरण दस्तावेजों की गलत लागत केन्द्रों के लिए रूपरेखा तैयार की गई। प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2007) कि भविष्य में ऐसे मामलों की आवृत्ति से बचने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
- (ii) मास्टर अभिलेखों में दर्ज की गई परिसम्पत्ति श्रेणी पर सूचना, जो परिसम्पत्ति लेखाकरण मापांक में संव्यवहारों के किए जाने पर प्रणाली द्वारा स्वतः अद्यतन होने के लिए सामान्य खाता लेखा का अवधारण करती है, सही नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 13.69 करोड़ रूपए मूल्य वाले 43 परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में स्थाई परिसम्पत्तियों का गलत वर्गीकरण और लेखाकरण हुआ। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि उपचारी कार्रवाई की जा रही थी।
- (iii) भौतिक अवस्थिति और परिसम्पत्तियों की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक परिसम्पत्तियों की अवस्थिति और अभिरक्षा पर सूचना मास्टर अभिलेखों में उपयुक्त रूप से प्रविष्टि नहीं की गई थी चूंकि इन क्षेत्रों को प्रयोक्ताओं द्वारा अद्यतन नहीं किया जा रहा था। 276.54 करोड़ रूपए मूल्य के 19655 परिसम्पत्ति अभिलेखों में परिसम्पत्तियों की अवस्थिति और अभिरक्षा पर डाटा प्रणाली में उपलब्ध नहीं था। इस सूचना के उपलब्ध न होने के कारण मालसूची की अवस्थितिवार और अभिरक्षकवार ट्रैकिंग और अभिरक्षा अन्तरणों के मामलों में परिसम्पत्तियों के सौंपने और अधिकार में लेने के उपयुक्त अनुपालन को प्रणाली में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि डाटा अद्यतन किया जाएगा।

- (iv) प्रणाली आवश्यकता का अनुपालन किए बिना एक हैलीकॉप्टर का मास्टर अभिलेख प्रणाली में सृजित किया गया यथा एक मास्टर अभिलेख के सृजन से पहले माल प्राप्ति दस्तावेज का सृजन और उसमें वित्तीय प्रविष्टि की गई। इसके अतिरिक्त हैलीकॉप्टर जो नई दिल्ली में प्रचालन में था वह मुम्बई परिसम्पत्ति की पुस्तकों में पूंजीकृत रहा। यह स्पष्ट था कि प्रणाली में निर्मित वैधीकरण जांचें जिन्होंने कम्पनी की कारबार क्रियाविधियों को अन्तरित किया, हस्त्य हस्तक्षेप द्वारा संक्षिप्त की गई।

7.5.3 रिक्थ प्रणाली से डाटा का स्थानान्तरण

यूएफएसओ से मास्टर अभिलेखों का उपयुक्त सत्यापन और निर्बाधन के बिना आईसीई में अन्तरण किया गया जिसके कारण रिक्थ डाटा में मौजूदा गलतियाँ नई ईआरपी प्रणाली में ले जाई गई। इसके परिणामस्वरूप गलत सूचना नई प्रणाली में परिसम्पत्तियों और विक्रेताओं के मास्टर अभिलेखों में एकत्र की गई। इस सम्बन्ध में प्रकाश में आए मामले नीचे दिए गए हैं :

- (i) गलत परिसम्पत्ति श्रेणी विवरण वाले मास्टर अभिलेखों के स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप 7.45 करोड़ रूपए मूल्य वाली 123 परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में गलत परिसम्पत्ति वर्गीकरण हुआ। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि प्रयोक्ताओं को परिसम्पत्ति श्रेणी सही करने के लिए उनके पुनः वर्गीकरण के लिए वर्तमान परिसम्पत्ति रूपरेखा की समीक्षा करने की सलाह दी गई।
- (ii) जबकि प्रत्येक विक्रेता के लिए एक अद्वितीय मास्टर अभिलेख का रखरखाव किया जाना अपेक्षित था तथापि सामग्री और सेवाओं के लिए विक्रेताओं के सम्बन्ध में विविध मास्टर अभिलेख विद्यमान थे। यह पाया गया कि 235 बाह्य विक्रेताओं के सम्बन्ध में प्रणाली में 476 विक्रेता अभिलेख विद्यमान थे और 40 ऐसे विक्रेताओं के सम्बन्ध में संव्यवहार 2005-07 के दौरान 81 विक्रेता अभिलेखों में दर्ज किए गए थे। विविध विक्रेता अभिलेखों में प्रणाली को जटिल बना दिया और विरूपण और गलतियों का जोखिम उत्पन्न हो गया। प्रबन्धन ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2007) कि नकली विक्रेताओं के निर्बाधन पर कार्रवाई की जा रही थी।
- (iii) उपयुक्त विक्रेता प्रबन्धन के लिए विक्रेताओं के मास्टर अभिलेख प्रणाली में भिन्न विक्रेता लेखा समूहों में वर्गीकृत किए जाते हैं। यह पाया गया कि आठ विदेशी विक्रेताओं* को देशी विक्रेता लेखा समूह में गलत ढंग से समूह में रखा गया और 17 देशी विक्रेताओं को विदेशी विक्रेता लेखा समूहों में शामिल किया गया। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि विक्रेता समूह

* भारत से बाहर कारबार के स्थान वाले विक्रेता को विदेशी विक्रेता के रूप में माना जाता है जबकि भारत में से प्रचालन करने वाला विक्रेता एक घरेलू विक्रेता होता है।

वर्गीकरण सहित विक्रेता प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी मुद्दों में कार्रवाई करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।

- (iv) मास्टर अभिलेखों में विक्रेताओं के नगर और पते के विवरण उपयुक्त रूप से अपलोड नहीं किए गए। यह पाया गया कि 2246 विक्रेता अभिलेखों में विक्रेता के नगर के विवरण "अज्ञात" के रूप में दर्ज किए गए, 463 विक्रेता अभिलेखों में पते का स्थान खाली पाया गया और 15 विक्रेता अभिलेखों में कम्पनी (ओ एन जी सी) का सरकारी पता विक्रेता के पते के रूप में दर्ज किया गया पाया गया। चूंकि विक्रेता मास्टरस में पूर्ण और संगत डाटा का रखरखाव नहीं किया गया इसलिए भुगतान दस्तावेजों में सुसंगत विवरण ऐसे मामलों में हस्त्य रूप से दर्ज करने पड़े जो विक्रेता मास्टरस से उनके प्रोग्राम की बजाय था जिसके कारण गलत डाटा आगम के जोखिम के अतिरिक्त प्रयासों का दोहरीकरण हुआ। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि विक्रेता मास्टरस ने सही विक्रेता का पता और नगर का निर्बाधन और समावेशन के लिए कार्रवाई की थी।
- (v) तैंतालीस विक्रेताओं के प्रति 2004-05 से सम्बन्धित 14.55 करोड़ रूपए को सम्मिलित करते हुए 259 संव्यवहारों और 2005-06 से सम्बन्धित 2.5 लाख रूपए के लिए 34 संव्यवहारों के सम्बन्ध में शेष रिक्थयूएफएसओ प्रणाली से अपलोड किए गए पाए गए और पूर्ण विवरणों के अभाव में मई 2007 को समाधान किए बिना रहे। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि इन शेषों की जांच की जा रही थी।
- (vi) एक सौ चौतीस विक्रेताओं के अभिलेख अनावश्यक विक्रेता नामों के साथ मास्टर में विद्यमान थे जैसे '**,' "अज्ञात" और "एएए"। प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि नकली विक्रेता हटाए जा रहे थे।

7.6 निष्कर्ष

लागतों के गलत आबंटन और त्रुटिपूर्ण नियन्त्रणों के कारण उपयुक्त सत्यापनों और निर्बाधन के बिना रिक्थ मास्टर अभिलेखों की अपलोडिंग के दौरान ईआरपी प्रणाली में गलत डाटा दर्ज किया गया। प्रबन्धन का आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र भी ऐसी गलतियों की पहचान नहीं कर सका और उसके परिशोधन के लिए उपाय नहीं कर सका। कोई ईआरपी प्रणाली चाहे वह कितनी ही कठोर हो उसकी प्रभावकारिता मानव अन्तरापृष्ठ जो इसका उपयोग करते हैं पर व्यापक रूप से निर्भर करती है। इस प्रकार ईआरपी प्रणाली में उपलब्ध डाटा त्रुटिपूर्ण नियन्त्रण क्रियाविधियों, प्रबन्धन द्वारा परिभाषित लागत आबंटन के गलत प्राचलों, कमजोर प्रयोक्ता हस्तक्षेपों और डाटा स्थानान्तरण क्रियाविधियों में त्रुटियों के कारण विश्वसनीय नहीं था।

7.7. सिफारिशें

कम्पनी को उपरोक्त विसंगतियों की समीक्षा और परिशोधन निम्नलिखित द्वारा करना चाहिए :

- आगत नियन्त्रण, वैधीकरण नियन्त्रण और आन्तरिक नियन्त्रण क्रियाविधियों को सुदृढ़ बनाना ताकि डाटा का सही, संगत और पूर्ण प्रग्रहण सुनिश्चित किया जा सके।
- सम्बन्धित लागत केन्द्र को लागतों के आबंटन से सम्बन्धित कारबार नियम की रूपरेखा तैयार करना।
- ईआरपी प्रणाली में उत्पन्न हुई गलतियों का परिशोधन करने के लिए स्थानान्तरित मास्टर डाटा का निर्बाधन करना और मास्टर डाटा की आवधिक समीक्षा के लिए व्यापक क्रियाविधियाँ स्थापित करना।
- प्रयोक्ता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए और डाटा इनपुट की गलतियों को कम करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

मामला मन्त्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2007), का उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय: VIII

ऑयल इण्डिया लिमिटेड

सामग्री प्रबन्धन प्रणाली

मुख्य बातें

इनपुट पर नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप अपूर्ण डाटा बेस, वेन्डर के ब्यौरों में विसंगतियाँ एवं डाटा एन्ट्री में विलम्ब हुआ।

(पैरा 8.6.1)

वैधीकरण नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप लेन-देन की तिथियों के सम्बन्ध में डाटा फ्लो में विसंगतियाँ, आरक्षण के प्रति सामग्री का अधिक जारी होना एवं अवरोधित वेन्डर के माध्यम से खरीद हुई।

(पैरा 8.6.2)

पुरानी प्रणाली से अपूर्ण डाटा लाने के परिणामस्वरूप कम उपयोग वाली मदों हेतु कम प्रावधान के कारण लेखे में 8.36 करोड़ रूपए कम दिखाए गये।

(पैरा 8.6.3)

ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन के पश्चात भी सामग्री मांग योजना विषयक रही क्योंकि यह हस्तस्य रूप से की जाती है।

(पैरा 8.6.6.1)

विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के यूजर्स के बीच काम का अपर्याप्त पृथक्करण एवं यूजर्स के वैधीकरण की निगरानी में विसंगतियों ने प्रणाली की सुरक्षा के साथ समझौता किया।

(पैरा 8.6.7.1)

8.1 प्रस्तावना

ऑयल इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस एवं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अन्वेषण, विकास एवं उत्पादन में कार्यरत है। अधिकतर उत्पादन भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से के तेल एवं गैस क्षेत्र से होता है। इसका परिचालन उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तरांचल (गंगा वैली प्रोजेक्ट- जीवीपी)

में भी होता है। कम्पनी अपने एवं ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) के उत्पादक केंद्रों से शोधनशालाओं तक कच्चे तेल के परिवहन हेतु पाइपलाइनों का परिचालन करती है।

कम्पनी ने (अप्रैल 2005) में सभी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं की दक्षता एवं प्रभावकारिता में सुधार, विश्व में सर्वोत्तम स्तर के सम्मान लागत प्रबन्धन प्रणाली की शुरूआत एवं विश्व के सर्वोत्तम प्राप्तकर्ताओं की लीग में प्रवेश पाने हेतु उत्पादकता में सतत सुधार हेतु एसएपी आर/3* का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया। प्रथम चरण में, सभी कोर एसएपी आर/3 मापांक[†] का क्षेत्रीय मुख्यालयों दुलियाजान पाइपलाइन मुख्यालय, गुवाहाटी, समन्वय कार्यालय, कोलकाता, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली एवं गंगा वैली प्रोजेक्ट (जीवीपी) में कार्यान्वयन किया गया। गो लाइव[‡] तारीख 1 दिसम्बर 2005 को रखी गई थी। दूसरा चरण फरवरी 2006 से शुरू होना था जिसमें राजस्थान परियोजना एवं खाड़ी अन्वेषण परियोजना, उड़ीसा शामिल थी। यह चरण 1 अप्रैल 2006 को शुरू हुआ। उन्नत मापांक[§] का अप्रैल 2006 से जुलाई 2006 के दौरान कार्यान्वयन हुआ।

एसएपी आर/3[¶] तीन स्तरीय ग्राहक सर्वर आर्किटेक्चर में चलता है। कोर आर/3 मापांक, बिजनेस वेयरहाउस (बीडब्ल्यू), स्ट्रैटेजिक इन्टरप्राइज मैनेजमेंट (एसईएम) एवं कार्पोरेट फाइनेंस मैनेजमेंट (सीएफएम) यूनिक्स परिचालन प्रणाली में चल रहे हैं एवं सप्लाय रिलेशनशिप मैनेजमेंट (एसआरएम) व इन्टरप्राइज पोर्टल (ईपी) विंडो परिचालन प्रणाली में चल रहे हैं। डाटाबेस ऑरेकल में रखा गया है।

लैन एवं वैन आर/3 इन्चार्जमेंट को जोड़ने हेतु प्रयुक्त किये जाते थे। दुलियाजान में सभी विभाग आईटी विभाग दुलियाजान में केन्द्रीय सर्वर फार्म से हाई-स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल द्वारा जोड़े गये हैं। रिमोट फील्ड इन्स्टालेशंस[°] जैसे ऑयल क्लैक्टिंग स्टेशन्स (ओसीएसज) को दुलियाजान में लैन से रेडियोनेटवर्क के माध्यम से एवं रेडियो के असफल होने की अवस्था में बैक-अप के रूप में वीसैट से जोड़े गए हैं।

* एसएपी ईआरपी भी कहलाती है।

† फाइनेंशियल अकाउंटिंग (एफआई), असेट मैनेजमेंट (एएम), केश मैनेजमेंट (टीआर), कन्ट्रोलिंग (सीओ), इन्वैस्टमेंट मैनेजमेंट (आईएम), मैटीरियल मैनेजमेंट (एमएम), प्रोडक्शन प्लानिंग (पीपी), प्रोजेक्ट प्रणाली (पीएस), सेल्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन (एसएम), प्लान्ट मेंटीनेंस (पीएम), क्वालिटी मैनेजमेंट (क्यूएम), ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट (एचआर) एवं मॉय ऑयल एण्ड गैस (संयुक्त उद्यम लेखाकरण, उत्पादन शेरिंग लेखाकरण, उत्पादन राजस्व लेखाकरण)

‡ प्रणाली के शुरू होने की तारीख

§ बिजनेस वेयरहाउस (बीडब्ल्यू), स्ट्रैटेजिक इन्टरप्राइज मैनेजमेंट (एसईएम), कार्पोरेट फाइनेंस मैनेजमेंट (सीएफएम), सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (एसआरएम) एवं इन्टरप्राइज पोर्टल (ईपी)

¶ एचपी यूनिक्स 11.238 पर स्थापित 4.7 वर्सन एक्सटेंशन सैट 2.00

° दूरस्थ क्षेत्रीय अवरस्थापन जैसे पम्प स्टेशन एवं राजस्थान में कुछ अवरस्थापन, वीसैट सम्बद्धता का एकमात्र एवं प्राथमिक साधन।

हर अवस्थापन का अपना लैन है जिसे दुलियाजान के केन्द्रीय सर्वर से वीसैट एवं एमपीएलएस^० के माध्यम से जोड़ा गया है। अन्य परियोजना कार्यालय एवं नई दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय को भी दुलियाजान स्थित एसएपी आर/3 सर्वर से एमपीएलएस नेटवर्क सर्विस के माध्यम एवं बैक-अप हेतु वीसैट से जोड़े गये हैं।

8.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य ईआरपी प्रणाली में सामग्री प्रबन्धन की समीक्षा एवं डाटा की विश्वसनीयता तथा इन्टीग्रिटी हेतु इनपुट प्रक्रिया तथा आऊटपुट नियंत्रण की मौजूदगी का आश्वासन प्राप्त करना था।

8.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में ईआरपी प्रणाली द्वारा रखे जा रहे भण्डारण एवं अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था सम्मिलित थी। दुलियाजान में डाटा का विश्लेषण जून 2007 तक ईआरपी प्रणाली में लेन-देन के प्रतिदर्श डाटा के आधार पर किया गया था।

8.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

ईआरपी परिवेश में सामग्री प्रबन्धन की आईटी समीक्षा निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखकर की गई थी:

- (i) कम्पनी द्वारा सामान-सूची के मूल्यांकन हेतु अपनाई गई लेखाकरण नीति।
- (ii) कम्पनी के वाणिज्यिक नियम^{*}, नियम पुस्तक एवं प्रक्रियाएं।

8.5 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

समीक्षा निम्न पद्धतियाँ अपनाकर की गई थी:

- (i) अभिलेख/दस्तावेजों का अध्ययन एवं संवीक्षा।
- (ii) प्रबन्धन एवं ईआरपी के कार्यान्वयन की कोर टीम सदस्यों के साथ विचार विमर्श।

^० वेरी स्माल अप्रचर टर्मिनल (वीसैट) सम्बद्धता की सेवाएँ में भारती टेलीवैचर्स एवं मल्टी प्रोटोवैचर्स एवं मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्वीचिंग (एमपीएलएस) सर्विसिज द्वारा नोड्स के साथ दुलियाजान, गुवाहाटी, नोएडा, नई दिल्ली, जोधपुर, भुवनेश्वर एवं कोलकाता में बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जाती हैं।

^{*} वाणिज्यिक नियमों में वाणिज्य ब्ल्यू प्रिन्ट सम्मिलित है, जो प्रबन्धन द्वारा ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन करते समय प्रणाली में सभी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं को रूप देने हेतु बनाया गया था।

- (iii) एसएपी रिपोर्ट एवं इन-हाऊस रिपोर्ट का प्रयोग करके डाटा निकालकर, डाटा ब्रोजर एवं उनका विश्लेषण, सीएएटी का प्रयोग एवं जाँच करके, जहाँ आवश्यक हो।

8.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सामग्री प्रबन्धन प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण 1993 में शुरू हुआ एवं स्टॉक सामग्री का ऑनलाईन निर्गम एवं प्राप्ति 1998 से शुरू हुई। पुरानी प्रणाली में यूनिक्स प्रणाली का प्रयोग हुआ एवं डाटाबेस आरेकल प्लेटफार्म में था। सामग्री प्रबन्धन के मापांक की वर्तमान ईआरपी प्रणाली में सामग्री नियोजन, निविदाकरण, खरीद एवं माल-सूची प्रबन्धन सम्मिलित हैं।

इन-पुट नियंत्रण एवं वैधीकरण जाँच का अभाव अपर्याप्त डाटा कैपचर, अनुचित एवं अपर्याप्त वाणिज्य मैपिंग, प्रणाली का कम उपयोग आदि जैसी विसंगतियाँ लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई जैसाकि नीचे वर्णित है:-

8.6.1 इनपुट नियंत्रण

इनपुट नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि उचित एवं पूर्ण डाटा बेस रखने हेतु प्रोसेसिंग हेतु प्राप्त डाटा प्रामाणिक, पूर्ण, परिशुद्ध उचित ढंग से अधिकृत एवं पुनरावृत्ति के बगैर समय पर दर्ज किये जा रहे हैं। निम्न मामलों में इनपुट नियंत्रण का अभाव पाया गया:

8.6.1.1 सामग्री के प्राथमिक विवरण का अभाव

प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु कम्पनी द्वारा विकसित किये गये बिजनेस ब्ल्यू प्रिन्ट के अनुसार, सामग्री मास्टर में सामग्री का विवरण एवं विस्तृत विनिर्देश, उत्पादक के पार्ट नम्बर एवं नाम रखने चाहिए एवं सामग्री मास्टर में पुराने प्रणाली से डाटा अपलोड करने से पूर्व सामग्री विवरण का आवश्यक मानकीकरण एवं क्लीनिंग पूर्ण कर लेनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा समीक्षा में निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

- (i) विवरण का मानकीकरण नहीं किया गया था;
- (ii) 1.72 लाख रूपए मूल्य की 45 सामग्रियों का विवरण अनुचित था;
- (iii) सामग्री मास्टर में उत्पादकों के नाम समाविष्ट नहीं किये गए थे;
- (iv) 38095 स्टॉक सामग्रियों में से 18358 के पार्ट नम्बर वर्णित नहीं थे;
- (v) 8.42 करोड़ रूपए मूल्य की 10745 सामग्रियों के विस्तृत विनिर्देश मौजूद नहीं थे; एवं
- (vi) सामग्री मास्टर में दोहरे सामग्री वर्णन देखे गये एवं 14.90 लाख रूपए मूल्य की 224 सामग्रियों के 1069 कोड मौजूद थे।

इस प्रकार, सामग्री मास्टर में विस्तृत विनिर्देश के अभाव एवं उसे अद्यतन करने में असफलता ने किसी सामग्री के क्रय-आदेश को अन्तिम रूप देते समय सामग्री का विस्तृत विनिर्देश भरते समय हस्तक्षेप लेने पर विवश किया जिसमें अनधिकृत हेराफेरी अथवा निविदा की गई सामग्री में असंगत परिवर्तन का जोखिम था।

8.6.1.2 अनुचित सामग्री समूह की मौजूदगी

बिजनेस ब्ल्यू प्रिन्ट के अनुसार, सामग्रियों का उनकी किस्म के आधार पर समूहीकरण किया जाता है जैसे केंसिंग एवं संलग्नक, बियरिंग्स, वाल्व एवं लाइन पाईप जो स्वतन्त्र समूह बनाते हैं। लाइन पाईप (समूह - 029) सामग्री समूह का विश्लेषण करने पर यह देखने में आया कि 75 सामग्री कोड में से 10 सामग्री कोड (16.81 लाख रूपए) गैसकेट, केंसिंग, बोल्ट एवं कपलिंग थे जो 'लाइन पाईप' समूह से सम्बन्धित नहीं थे।

प्रबन्धन ने विसंगति को स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2007) बताया कि डाटा को अद्यतन एवं क्लीन करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

8.6.1.3 वेंडर मास्टर में विसंगतियाँ

बिजनेस ब्ल्यू प्रिन्ट के अनुसार, बहुविध वेंडर कोड्स अपलोड करने से पूर्व वर्गीकरण डाटा का रख-रखाव, पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग (पीएसयू) एवं स्माल स्केल इन्डस्ट्री (एसएसआई) की श्रेणियों के अन्तर्गत वेंडर्स का समूहीकरण, पारम्परिक नामकरण की पालना एवं पुराने डाटा की क्लीनिंग होनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा समीक्षा में निम्न विसंगतियाँ उदघाटित हुईं:

- (i) वर्गीकरण डाटा जैसे वार्षिक व्यवसाय, उत्पादक, वितरक, खुदरा एवं व्यवसायी नहीं किया गया था।
- (ii) एसएसआई एवं पीएसयू के अन्तर्गत अनुचित समूहीकरण
- (iii) पारम्परिक नामकरण सुसंगत नहीं था।
- (iv) प्रणाली में दोहरा/बहुविध वेंडर कोड जारी था।

इस प्रकार, खरीद की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर वेंडर की स्पष्ट स्थिति उपलब्ध नहीं थी। ये देखने में आया कि पुरानी प्रणाली की ये सीमाएँ ईआरपी प्रणाली में जारी थीं।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ स्वीकार की (सितम्बर 2007) एवं बताया कि वह वर्गीकरण सूचना इक्वेटा कर रहा है एवं जब और जहाँ उपलब्ध होंगे अपलोड करते रहेंगे। प्रबन्धन ने यह इंगित किया कि वेंडर डाटा के समूहीकरण में विसंगतियों को ठीक कर दिया गया था एवं पारम्परिक नामकरण एवं दोहरे वेंडर्स की विसंगतियों को सुधारा जा रहा था।

8.6.1.4 दो भण्डार स्थानों पर रखी गयी एक ही सामग्री के मूल्यों में व्यापक अन्तर

ईआरपी में अपलोड किये सामग्री डाटा के विश्लेषण से यह उद्घाटित हुआ कि दुलियाजान के दो भण्डार स्थानों पर उपलब्ध एक ही सामग्री की प्रति इकाई दर में एक भण्डार स्थान से दूसरे भण्डार स्थान के बीच व्यापक अन्तर था। 37.60 करोड़ रूपए मूल्य की 715 सामग्रियों में से जो दो भण्डार स्थानों में अपलोडिड की गई थीं 670 मामलों में दो भण्डार स्थानों की इकाई दरों में अन्तर[†] देखा गया।

प्रबंधन ने आश्वस्त किया (अक्टूबर 2007) कि अन्तरों का विश्लेषण करके आवश्यक त्रुटि सुधार मार्च 2008 तक कर दिया जायेगा।

8.6.1.5 सामग्री को कम मूल्य पर आगे ले जाया गया

यह अवलोकित किया गया कि, सामग्री जो पिछले वर्षों[‡] में बट्टे-खाते में डाली गई थी, उन्हें प्रणाली में उनके पाँच प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य पर अपलोड किया गया था। इस प्रकार की सामग्रियों का मूल्य 31 मार्च 2006 एवं 31 मार्च 2007 को क्रमशः 2.08 करोड़ रूपए एवं 1.49 करोड़ रूपए था। प्रणाली में डाटा की समीक्षा (जून 2007) के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2007 तक कैपिटल जॉब हेतु 28.84 लाख रूपए कीमत की सामग्री पूरी कीमत की बजाय उनके अवशिष्ट मूल्य पर निगम की गई। इस प्रकार, कैपिटल जॉब में 5.48 करोड़ रूपए की सीमा तक अवप्रभार हुए। आगे, ये सामग्रियाँ दूसरी कम्पनियों को (8.11 लाख रूपए) एवं ठेकेदारों को (34.54 लाख रूपए) उधार पर निर्गत की गई। इसलिए, यदि बाहरी पक्ष से वसूली की जाती तो सामग्री के वास्तविक मूल्य की अपेक्षा कम वसूली का जोखिम था।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि सामग्री का मूल्य जो पाँच प्रतिशत था अब 100 प्रतिशत पुनःस्थापित कर दिया गया था।

* सामग्री कोड 07148601 के लिए 26.15 रूपए एवं 11,654.60, रूपए, सामग्री कोड 07140741 के लिए 2.50 रूपए एवं 5,144.81 रूपए आदि।

‡ कम्पनी द्वारा वित्त वर्ष 2004-05 तक अपनाई गई लेखाकरण नीति के अनुसार, भण्डार एवं अतिरिक्त सामग्री जिसका चार वर्ष से भी अधिक समय तक कोई उपयोग नहीं हुआ था 95 प्रतिशत तक बट्टे खाते में डाल दिये गये थे एवं कम्पनी के लेखों में मालसूची में 5 प्रतिशत मूल्य दिखाया गया था। तथापि, वित्त वर्ष 2005-06 से, नीति में परिवर्तन कर दिया गया एवं भण्डार तथा अतिरिक्त सामग्री, जिसका उपयोग चार वर्ष से अधिक समय तक नहीं हुआ, हेतु खाता मूल्य का 95 प्रतिशत दिखाने का प्रावधान अब किया जा रहा था।

8.6.1.6 एक ही सामग्री हेतु कैपिटल एवं स्टॉक कोड की मौजूदगी^१

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टॉक सामग्री की खरीद जैसे लाईन पाइप, केबल, सिमेंट, कपलिंग, एल्बो, गैस्केट एवं वाल्व 'नॉन स्टॉक सामग्री' एवं 'कैपिटल सामग्री' के रूप में की गई थी। लेखा प्रक्रिया के अनुसार, परियोजना की अनपरहित स्टॉक एवं नॉन स्टॉक सामग्री को स्टोर में वापिस किया जाता है। कैपिटल सामग्रियों की अवस्था में जो पूर्ण रूप से कैपिटल जॉब को भारित की गई थी, इस प्रकार की सामग्री का अनपरहित भाग स्टोर अभिलेख में वापिस नहीं लिया जा सकता।

'लाईन पाइप' समूह की सामग्री के सम्बन्ध में, सामग्री मास्टर में विभिन्न विनिर्देशों के 65 स्टॉक सामग्री कोड तथा 17 नॉन स्टॉक सामग्री कोड एवं दो कैपिटल सामग्री कोड मौजूद थे। दिसम्बर 2005 से जून 2007 के दौरान समय समय पर क्रमशः 35.08 करोड़ रूपए, 0.36 करोड़ रूपए एवं 117.27 करोड़ रूपए की लाईन पाइप स्टॉक मद, नॉन स्टॉक मद एवं कैपिटल मद के रूप में खरीदी गई। एक नमूना जाँच में यह देखा गया कि इन खरीदों में उसी विनिर्देश की लाईन पाइप स्टॉक सामग्री कोड मास्टर में खरीदी गई जो कैपिटल कोड में भी खरीदी गई थी। इस प्रकार खरीद की गई लाईन पाइप की अनपरहित मात्रा हेतु, अनपरहित रही मात्रा का अभिनिश्चय नहीं किया जा सका क्योंकि न तो अनपरहित रही सामग्री की वापसी की कोई प्रक्रिया मौजूद थी और न ही प्रबंधन द्वारा इस प्रकार की सामग्री का भौतिक सत्यापन करवाया गया था। इस प्रकार, कैपिटल, नॉन स्टॉक एवं स्टॉक सामग्री कोड का उसी सामग्री हेतु जारी रहना एवं उन्हीं की समवर्ती खरीद, प्रणाली में माल सूची नियंत्रण बनाये रखने हेतु न न्यायोचित था न ही अच्छी प्रथा।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि कैपिटल एवं स्टॉक सामग्री की वाणिज्यिक प्रक्रिया वर्तमान में समीक्षाधीन थी एवं आश्वस्त किया कि प्रणाली में संबंधित मदों को बन्द कर दिया जायेगा।

8.6.1.7 आवक रिपोर्ट^२

चूंकि मानक एसएपी प्रणाली सामग्री की वास्तविक आगम तिथि कैपचर करने की सुविधा प्रदान नहीं करता, प्रबंधन द्वारा आने वाली सामग्री का पता लगाने हेतु प्रचलित तालिकाएँ एवं रिपोर्ट विकसित की गई थी। डाटा के विश्लेषण में, निम्न विसंगतियाँ देखी गईं:

- (i) 127 मामलों में आवक संख्या गायब थी।

^१ कम्पनी ने अपनी सामग्री को तीन श्रेणियों जैसे स्टॉक, नॉन-स्टॉक एवं कैपिटल सामग्री में वर्गीकृत किया है। स्टॉक सामग्री वह भण्डार एवं अतिरिक्त सामग्री है जिसकी नियमित आवश्यकता होती है। नॉन-स्टॉक सामग्री वह होती है जो जब आवश्यकता हो तभी खरीदी जाती है। कैपिटल मदें कैपिटल जॉब के लिए ही खरीदी जाती हैं।

^२ सामग्री प्राप्ति के अन्य विवरण डिलीवरी की वास्तविक तिथि सहित कैपचर करने हेतु जेडएमएम आई एनडब्ल्यूएआरडीएचडीआर एवं जेडएमएम आई एनडब्ल्यूएआरडीडीटीएल तालिका विकसित की गई।

- (ii) 59 आवक प्रविष्टियों में पीओ संख्या दर्ज नहीं थी।
- (iii) एक मामले में माल के सम्बन्ध में जो प्राप्त हो चुका था अनुचित क्रय आदेश संख्या दर्ज थी।

इसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2007) कि आवश्यक सुधार कर दिया गया है।

8.6.1.8 माल के निर्गम एवं आगम को प्रविष्ट करने में विलम्ब

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि:

- (i) 12.28 करोड़ रूपए मूल्य के 2697 निर्गम माल के दस्तावेजों को लागत केन्द्रों एवं कैपिटल जॉब के प्रति दर्ज करने में 30 दिनों से अधिक का विलम्ब हुआ;
- (ii) उपरोक्त माल के दस्तावेजों को दर्ज करने में हुए विलम्ब के कारण, 80.22 लाख रूपए के माल की खपत (78.02 लाख रूपए 2005-06 एवं 2.20 लाख रूपए 2006-07 में) अगले वित्त वर्षों में लेखाबद्ध की गई;
- (iii) 119.75 करोड़ रूपए मूल्य के 8410 माल आवक के दस्तावेजों को दर्ज करने में 30 दिन से अधिक का विलम्ब हुआ। परिणामतः 2005-06 के 42.89 करोड़ रु तथा 2006-07 के 41.21 लाख रु राशि के माल प्राप्ति दस्तावेज आगामी वित्त वर्षों में लेखाबद्ध किए गए थे; तथा
- (iv) जनवरी 2006 से जून 2007 की अवधि के डाटा से उद्घाटित हुआ कि 2020 मामलों में (15.73 करोड़ रूपए), माल के अनन्तिम रूप से स्वीकार करने के पश्चात् अन्तिम रूप से दर्ज करने में 30 से 496 दिनों का विलम्ब हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि समय व्यतीत होने के साथ प्रणाली वास्तविक समय पर होगा।

8.6.2 वैधीकरण जाँच

वैधीकरण जाँच यह सुनिश्चित करती है कि डाटा कारबार के नियमों के अनुरूप हैं एवं इस प्रकार डाटा की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करती हैं। निम्न मामलों ने वैधीकरण जाँच में कमियाँ दिखाई।

8.6.2.1 खरीद मांग-पत्र तिथि में इसके सृजन से पहले की तिथि में परिवर्तन एवं चेंज हिस्ट्री में विसंगति

- (i) खरीद मांग-पत्र तिथि एवं तदुपरान्त मांग-पत्र में कोई तिथि परिवर्तन प्रणाली सृजित तिथियाँ हैं। खरीद मांग-पत्रों के विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि तीन मामलों में खरीद मांग-पत्रों की तिथि में परिवर्तन की तिथि उसकी निर्माण तिथि से पहले की थी।
- (ii) क्रय-आदेश संख्या प्रणाली में स्वतः सृजित होता है। एक मामले में, प्रणाली ने कोई क्रय-आदेश संख्या नहीं दिखाई परन्तु क्रय आदेश तिथि इंगित की गई थी।
- (iii) खरीद मांग-पत्र की अन्तिम परिवर्तन तिथि⁺ में विसंगति थी क्योंकि एक मामले में प्रणाली में दो स्थानों^{*} पर दो भिन्न तिथियाँ दर्शाई गई थीं। इस मामले में, मांग-पत्र पर बन्द की पताका लगी हुई थी परन्तु चेंज हिस्ट्री में इसके बन्द होने का ब्यौरा इंगित नहीं था। चेंज हिस्ट्री¹ में विसंगति के परिणामस्वरूप, प्रणाली में दस्तावेज के सृजन से अद्यतन स्थिति तक की प्रक्रिया की पूर्ण एवं उचित छवि उपलब्ध नहीं थी।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि मै. एसएपी से परामर्श के बाद आगामी संव्यवहारों से विसंगतियों को दूर करने हेतु वर्सन मैनेजमेंट कार्यान्वित कर दिया गया था।

8.6.2.2 मांग-पत्र/आदेश तिथि से पूर्व खरीद मांग-पत्र एवं क्रय-आदेश में डिलीवरी की अपेक्षित/निर्धारित तिथि

अपेक्षित डिलीवरी तिथि वह होती है जिस तक मांगकर्ता सामग्री की उसके गोदाम में पहुँच चाहता है एवं निर्धारित डिलीवरी तिथि वह होती है जिस तक पूर्तिकर्ता को आदेशित सामग्री की पूर्ति करनी होती है। पीआर की समीक्षा के दौरान यह उद्घाटित हुआ कि 65531 मामलों में से, 6412 मामलों में अपेक्षित डिलीवरी तिथि खरीद मांग-पत्र की तिथि से पूर्व थी। इसी प्रकार, 29446 मामलों में क्रय-आदेश में निर्धारित डिलीवरी तिथि क्रय-आदेश से पूर्व थी, एवं 187 मामलों में क्रय-आदेश की तिथि खरीद मांग-पत्र की तिथि से भी पूर्व थी। इसलिए, वैधीकरण के अभाव में, प्रणाली में अनुचित डाटा मौजूद थे। परिणामस्वरूप आदेशित सामग्री की उचित निगरानी सम्भव नहीं थी।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि प्रणाली में आवश्यक वैधीकरण बना दिये गये थे।

* अन्तिम तिथि परिवर्तन वह तिथि होती है जब खरीद मांग-पत्र अनुमोदित होता है।

* चेंज हिस्ट्री अर्थात् खरीद मांग-पत्र का आडिट ट्रेल एवं ईवीएएन तालिका जहाँ खरीद मांग-पत्र का विवरण रखा जाता था

8.6.2.3 आरएफक्यू* के सन्दर्भ रहित क्रय-आदेश सृजित करना

कारबार की प्रक्रिया के अनुसार, क्रय-आदेश अनुमोदित उद्धरण के सन्दर्भ से सृजित किये जाते हैं एवं परिणाम स्वरूप, क्रय-आदेश में उद्धरण के ब्यौरे दोषपूर्ण होते हैं। लेखापरीक्षा नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ कि 1007 मामलों में (180.71 करोड़ रूपए) क्रय-आदेश दर के संदर्भ में (आरएफक्यू) सृजित नहीं किये गये थे। इस प्रकार, वैधीकरण नियंत्रण के अभाव में, प्रणाली में पीओज बिना आरएफक्यूज के संसाधित किए जा सकते थे। इसके अतिरिक्त, आरएफक्यू के साथ मिलान के अभाव में, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करने में असफल रहा कि क्रय-आदेश अनुमोदित निविदाओं के आधार पर जारी किये जाते हैं।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि प्रणाली में आवश्यक विन्यास कर दिया गया है।

8.6.2.4 रिजर्वेशन के प्रति सामग्री का अधिक आहरण*

कारबार की प्रक्रिया के अनुसार, रिजर्वेशन सामग्री निर्गम का नियंत्रण बिन्दू है एवं सामग्री इस मात्रा से ज्यादा निर्गत नहीं की जा सकती। लेखापरीक्षा के दौरान यह अवलोकित किया गया (जून 2007) कि 28 मामलों में 5.43 लाख रूपए लागत की सामग्री रिजर्वेशन मात्रा से अधिक जारी की गई जिसके परिणामस्वरूप सामग्री का अनधिकृत आहरण हुआ जो सामग्री के जारी करने हेतु रिजर्वेशन मात्रा के सन्दर्भ में वैधीकरण का अभाव इंगित करता है।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि प्रणाली में आवश्यक विन्यास कर दिया गया है।

8.6.2.5 अवरूद्ध विक्रेताओं को क्रय आदेश जारी करना

प्रणाली में इस बात की जाँच हेतु कोई वैधीकरण नियंत्रण नहीं है कि किसी अवरूद्ध विक्रेता को क्रय आदेश जारी न किया जाए। यह देखने में आया कि नौ क्रय-आदेश जिनका मूल्य 0.48 लाख रूपए था एक अवरूद्ध विक्रेता को जारी किए गए।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि प्रणाली में आवश्यक वैधीकरण बना दिया गया है।

* उद्धरण हेतु अनुरोध

* भाण्डागार से माल के आहरण की मांग (प्रणाली में रिजर्वेशन के रूप में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता वेयरहाऊस से माल को बाद की तिथि में आहरित करने हेतु तैयार रखने का अनुरोध करता है।

8.6.2.6 कमोडिटी मास्टर

एक प्रचलित विकास के रूप में, कम्पनी ने सीमित निविदा उद्देश्य हेतु वस्तुओं का विवरण सहित सामग्री कोड एवं इस प्रकार की सामग्री की खरीद हेतु सूचीबद्ध विक्रेताओं को इंगित करते हुए एक सूची बना रखी थी। इस सूची में प्रत्येक विक्रेता के प्रति आदेश जारी करने की सीमा भी सम्मिलित थी। समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कुछ विक्रेताओं हेतु, क्रय-आदेश/कार्य आदेश एक निश्चित मौद्रिक सीमा तक जारी किये जाने थे परन्तु उसकी अनुपालना नहीं हुई। दो विक्रेताओं के सम्बन्ध में, वस्तुओं के आदेश हेतु अधिकतम मौद्रिक सीमा 2.50 लाख रूपए थी परन्तु पर्याप्त वैधीकरण जाँच के अभाव में विक्रेताओं के पक्ष में नवम्बर 2005 से अप्रैल 2007 के दौरान 3.45 लाख रूपए से 56.63 लाख रूपए तक के आठ आदेश जारी किए गये।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2007) कि कारबार की आवश्यकताओं के मद्देनजर, कतिपय मामलों में मौद्रिक सीमा निर्धारित की गई थी। तथापि, यह आश्चर्य किया गया कि प्रणाली में आवश्यक वैधीकरण जाँच प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा।

8.6.2.7 तत्काल खरीद

कारबार के ब्लूप्रिन्ट के अनुसार, कम कीमत के मदों की आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने हेतु, तत्काल आधार पर खरीद की जाती है। कम्पनी की शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार किसी भी मद के तत्काल आदेश जो 10,000 रूपए प्रति मद से अधिक हों एवं 25,000 रूपए प्रति मद से कम हों हेतु कार्यात्मक निदेशक का अनुमोदन आवश्यक है। 25,000 रूपए से अधिक परन्तु 50,000 रूपए तक प्रति मद हेतु, सीएमडी तत्काल क्रय-आदेश की संस्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। प्रणाली में इस प्रकार की कोई मूल्य सीमा नहीं बनाई गई है।

प्रणाली में पीओज की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 114 तत्काल आदेशों में (13.54 लाख रूपए), प्रत्येक मद के लिए 10,000 रूपए की सीमा से अधिक थी। 29 मामलों में, 6.40 लाख रूपए मूल्य के तत्काल आदेश 20,000 रूपए से अधिक राशि हेतु जारी किए गये थे। लेखापरीक्षा में आगे यह उद्घाटित हुआ कि 2006-07 के दौरान, 204 मामलों में तत्काल आदेश (18.61 लाख रूपए) एक ही विक्रेता को एक ही तिथि को एक ही अथवा भिन्न मदों हेतु जारी किये गए। प्रणाली में डीओपी की मैपिंग के अभाव में, प्रणाली द्वारा अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि प्रणाली को विभिन्न डीओपी के कारण इस नियंत्रण के समरूप नहीं बनाया गया था। तथापि, प्रबंधन ने इस मामले को कारगर प्रक्रिया समिति को उपयुक्त प्रक्रियागत बदलाव हेतु सन्दर्भ करने का आश्वासन दिया। इसलिए, प्रणाली में डीओपी के अनुरूप निर्गम कार्यनीति के मैपिंग के अभाव में, आन्तरिक नियंत्रण त्रुटिपूर्ण था।

* एकल मूल्य 10,000 रु. से कम एवं आदेश का कुल मूल्य 20,000 रूपए तक

8.6.2.8 अधिकरण से इत्तर पीओ जारी करना

डीओपी के अनुसार क्रय-आदेश का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को प्रणाली में क्रय-आदेश अनुमोदित करने चाहिए। लेखापरीक्षा नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ कि नवम्बर 2005 से अप्रैल 2007 की अवधि से संबंधित 6.68 करोड़ रूपए मूल्य के 14 स्वदेशी क्रय-आदेश डीओपी में अधिकरण से अधिक जारी हुए थे क्योंकि प्रणाली को गन्तव्य के एफओपी मूल्य से नहीं जोड़ा गया था जिसमें अन्तर्देशीय माल-भाड़ा, बीमा, चुँगी/प्रवेश कर आदि सम्मिलित थे। इस प्रकार, प्रणाली उचित ढंग से डीओपी के अनुसार अनुमोदन प्रक्रिया का अनुसरण करने के अनुरूप नहीं था।

प्रबंधन ने जनवरी 2008 तक आवश्यक सुधार करने का आश्वासन दिया (अक्तूबर 2007)।

8.6.3 सम्पूर्ण डाटा कैपचर करने में विफलता

8.6.3.1 कम उपयोग होने वाले भण्डार एवं अतिरिक्त सामग्री

ईआरपी प्रणाली में पुरानी प्रणाली से सामग्रियों की अन्तिम निर्गत एवं प्राप्ति तिथि आदि की आवश्यक सूचना लेकर कम उपयोग होने वाले भण्डार एवं अतिरिक्त सामग्री की मदों⁺ के विश्लेषण का कोई प्रावधान नहीं है। कम्पनी ने कम उपयोग होने वाली सामग्री के विश्लेषण हेतु कोई प्रचलित प्रतिवेदन भी विकसित नहीं किया। तथापि, पुराने एवं ईआरपी प्रणाली से लिए गये डाटा के विश्लेषण के आधार पर, प्रबंधन ने कम उपयोग होने वाली सामग्री को अभिनिश्चित कर लिया है एवं 31 मार्च 2007 को लेखों में 9.68 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

लेखापरीक्षा में समीक्षा में उद्घाटित हुआ कि:

- (i) आठ करोड़ बयालीस लाख रूपए मूल्य के भण्डार एवं अतिरिक्त सामग्री कम्पनी के लेखा विभाग द्वारा रखे जा रहे पुराने प्रणाली के डाटा में त्रुटि के कारण कम उपयोग में आने वाले नहीं माने गये।
- (ii) सैंतालीस लाख अठहत्तर हजार रूपए मूल्य की दस सामग्रियाँ भूलवश उनकी अपलोडिंग^{*} तिथि को अन्तिम उपयोग की तिथि मानने के कारण कम उपयोग वाली मदें नहीं मानी गईं।

⁺ कम्पनी द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा नीति के अनुसार तुलन-पत्र की तिथि को भण्डार/अतिरिक्त सामग्री की कोई मद जो पिछले चार वर्षों से उपयोग नहीं हुई हो उन्हें कम उपयोग वाली मदों के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कम उपयोग होने वाली मदों के प्रति, मूल्य के 95 प्रतिशत के समान राशि लेखों में सम्भावित मूल्य ह्रास हेतु रखी जाती है।

^{*} अपलोडिंग तिथि वह तिथि होती है जब पुराने प्रणाली से डाटा ईआरपी प्रणाली में लोड किया गया था।

(iii) नौ लाख निन्यानवे हजार रूपए मूल्य की एक सामग्री कम उपयोग वाली मानी गई क्योंकि प्रणाली में उसके अन्तिम उपयोग की तिथि इंगित नहीं थी। संव्यवहारों के विस्तृत विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि उक्त मद कम उपयोग वाली मद नहीं थी।

परिणामस्वरूप, कम उपयोग होने वाली सामग्री वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखों में 8.36 करोड़ रूपए* से कम बताई गई।

इस प्रकार प्रणाली में कम उपयोग होने वाली सामग्री के विश्लेषण के प्रावधान के अभाव में कम उपयोग होने वाली मदों हेतु अपने लेखा-पुस्तकों में अपर्याप्त प्रावधान हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि इस उद्देश्य हेतु एक विशेष तालिका का विकास प्रारम्भ कर दिया गया था एवं दिसम्बर 2007 तक पूरा हो जायेगा।

8.6.3.2 गैर स्टॉक मदें

प्रबंधन के अनुसार, भौतिक सत्यापन के पश्चात् स्टॉक मदों को प्रणाली में अपलोड किया गया था एवं गैर-स्टॉक मदें प्रणाली में अपलोड नहीं की गई थीं। लेखापरीक्षा समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कम्पनी में गैर-स्टॉक सामग्री मार्च 2006 एवं मार्च 2007 को क्रमशः 17.29 करोड़ रूपए एवं 32.65 करोड़ रूपए मूल्य की थीं। प्रमाणित है, किसी समय गैर-स्टॉक सामग्री अप्रयुक्त रही होंगी एवं डाटा बेस में समुचित ढंग से प्रदर्शित होनी चाहिए थी।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि पुरानी प्रणाली एवं विभागों से डाटा अनुपलब्ध रहने की वजह से, यह सूचना प्रणाली में प्रारम्भ में अपलोड नहीं की गई; तथापि, वर्तमान में सभी गैर-स्टॉक सामग्रियां विभागीय भण्डारण अवस्थितियों में दर्ज की जा रही हैं।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि 1 दिसम्बर 2005 को विभिन्न अवस्थितियों में रखी गई गैर-स्टॉक सामग्री प्रणाली में दर्ज नहीं थी एवं तदुपरान्त स्टॉक दर्ज किए गए थे। इसलिए तत्पश्चात् गैर-स्टॉक मदों के भौतिक सत्यापन के अभाव में कम्पनी द्वारा रखी गई गैर-स्टॉक मदों की वास्तविक मात्रा अभिनिश्चित नहीं की जा सकी। तथापि, विचार-विमर्श के दौरान प्रबंधन ने आश्वस्त किया (नवम्बर 2007) कि गैर-स्टॉक मदों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

* 8.80 करोड़ रूपए का 95 प्रतिशत (47.78 लाख + 8.4 करोड़ रूपए- 9.99 लाख रूपए)

8.6.4 अनुचित/अपर्याप्त कारबार मैपिंग

कम्पनी ने प्रणाली के रूपांकन हेतु कारबार की प्रक्रिया का विवरण देते हुए 'बिजनेस ब्लूप्रिन्ट' तैयार किया। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि नीचे दिये गए कुछ मामलों में कारबार प्रक्रिया अनुचित एवं अपर्याप्त थी:-

8.6.4.1 इश्योरेंस स्पेयर्स

सामग्री मास्टर में, 8.66 करोड़ रूपए मूल्य की 209 सामग्रियों पर 31 मार्च 2007 को इश्योरेंस स्पेयर्स की पताका लगी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन सामग्रियों को इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के अनुसार पूंजीकरण करने के बजाय मालसूची हिस्सा का माना गया।

इस प्रकार प्रणाली का लेखाकरण मानकों के उपरोक्त प्रावधानों की देखभाल हेतु मानचित्रण नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि ईआरपी प्रणाली को लागू करते समय समयसमयाभाव के कारण, मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री के लेन-देन के विवरण का उचित रूप से चित्रांकन नहीं हुआ। प्रबंधन ने आगे बताया कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी ताकि आपातकाल मरम्मत के लिए आवश्यक अतिरिक्त सामग्री को लेखाकरण मानकों के अनुसार इश्योरेंस स्पेयर्स चिन्हित न किया जाए।

8.6.4.2 पुराने रिजर्वेशन का बिना किसी आहरण अथवा आंशिक आहरण के खुले रखना

कारबार ब्लूप्रिन्ट के अनुसार, प्रणाली में रिजर्वेशन का स्वतः बन्दीकरण होना चाहिए था यदि सामग्री का आहरण 15 दिन में नहीं हुआ। लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जून 2007) कि 2036 रिजर्वेशन्स में माल या तो निर्गत नहीं हुआ था अथवा आंशिक निर्गत हुआ था। तथापि, रिजर्वेशन्स 3 से 15 महीनों की अवधि तक बन्द नहीं किये गए थे। इस प्रकार, प्रणाली में लम्बी अवधि तक बकाया रिजर्वेशन्स के विलोपन हेतु स्वतः पताकाकरण के समरूप नहीं बनाया गया था। विलम्बित अथवा अवांछित पुराने रिजर्वेशन्स का बन्दीकरण न करने से सम्भावित अनियमित प्रथा की सम्भावना रहती है।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2007) कि वे प्रणाली में पुराने रिजर्वेशन्स को बन्द करने की प्रक्रिया में हैं।

8.6.5 आऊटपुट नियंत्रण

8.6.5.1 कारबार भाण्डागार मापांक

कारबार भाण्डागार (बीडब्ल्यू) मापांक* में एसएपी आर/3 डाटाबेस के आधार पर सृजित कम्पनी के सभी कारबार से सम्बन्धित रिपोर्ट होती है। सामग्री प्रबंधन की विवेचनात्मक समीक्षा में निम्न विसंगतियाँ उद्घाटित हुई:

- (i) वर्ष 2006-07 हेतु कारबार भाण्डागार मापांक में खरीद उन्मुख समय विश्लेषण में 1473 क्रय-आदेशों पर विचार हुआ। तथापि, इस अवधि में कुल 3540 क्रय-आदेश जारी हुए।
- (ii) बीडब्ल्यू रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक एवं नॉन-स्टॉक मदों का स्टॉक मूल्य 31 मार्च 2007 को 294.86 करोड़ रूपए था जबकि ईआरपी डाटाबेस में यह 296.05 करोड़ रूपए का था।

रिपोर्टों का त्रुटिपूर्ण सृजन उद्घाटित करता है कि बीडब्ल्यू मापांक के आऊटपुट में पर्याप्त नियंत्रण का अभाव था। प्रबन्धन ने आश्वस्त किया (सितम्बर 2007) कि जहाँ आवश्यक होगा सुधार किया जायेगा।

8.6.6 प्रणाली का अनुपयोग

समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि प्रणाली का निम्न मामलों में प्रभावकारी निगरानी एवं प्रबंधकीय नियंत्रण हेतु उपयोग नहीं हुआ;

8.6.6.1 सामग्री की आवश्यकता का नियोजन

प्रणाली में अधिकतम, न्यूनतम एवं पुनः आदेश स्तर निर्धारित नहीं किये गये थे। ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन के पश्चात भी, सामग्री आवश्यकता का नियोजन हस्तक्षेप से किया जा रहा था क्योंकि यह पुरानी प्रणाली से किया जा रहा था। मालसूची भण्डारण के अनुबद्ध न्यूनतम/अधिकतम/पुनःआदेश स्तर के अभाव में, सामग्री नियोजन अधिकतर अवास्तविक रहा।

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए तीन वर्षों में भण्डार एवं अतिरिक्त सामग्री का स्टॉक 224.84 करोड़ रूपए, 355.23 करोड़ रूपए एवं 372.44 करोड़ रूपए का था, उनके प्रति कम उपयोग होने वाली/उपयोग न होने वाली सामग्री तथा अन्य सामग्री हेतु कम्पनी द्वारा 31 मार्च 2006 एवं 31 मार्च 2007 को क्रमशः 3.65 करोड़ रूपए एवं 9.68 करोड़ रूपए के प्रावधान किए गये थे।

* इसमें नियमित आधार पर बेसिक ईआरपी मापांक से डाटा इक्कट्टे किये जाते हैं एवं विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट सृजित करने हेतु प्रयोग किए जाते हैं तथा डाटा विशेष प्रकार से ढाँचागत ढंग से रखे जाते हैं।

मालसूची के शेष (एक लाख रूपए मूल्य से अधिक वाली प्रत्येक मद) के विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि 51.40 करोड़ रूपए मूल्य की 1189 सामग्रियाँ प्रणाली के कार्यान्वयन के पश्चात् (दिसम्बर 2005 से 31 मार्च 2007 तक) उपभोग हेतु निर्गत नहीं की गई थी।

एक नमूना जाँच के दौरान यह देखने में आया कि 28 क्रय-आदेशों के प्रति 93.11 लाख रूपए मूल्य की सामग्री दिसम्बर 2005 से सितम्बर 2006 के दौरान खरीदी गई यद्यपि खरीद की तारीख को 7 से 128 महीनों की अवधि तक 73.74 लाख रूपए मूल्य की ये सामग्रियाँ भण्डार में पड़ी हुई थी। ये सामग्रियाँ मई 2007 तक अनप्रयुक्त रही। इस प्रकार, मालसूची का शेष आवश्यकता से अधिक था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को नोट किया (सितम्बर 2007) एवं बताया कि नियमित सामग्री का नियोजन पिछले तीन वर्षों की खपत एवं अन्य सामग्रियों का उपयोग कर्त्ताओं की आवश्यकता के आधार पर किया गया था।

8.6.6.2 बिना किसी कार्रवाई क्रय-मांग पत्र (निविदा) एवं क्रय-आदेश लम्बे समय से लम्बित

- (i) लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 53.63 करोड़ रूपए मूल्य के 2456 क्रय मांग-पत्र बिना किसी कार्रवाई छः महीनों से अधिक समय तक लम्बित रखे गये (जून 2007)। इनमें से, यद्यपि 38 पीआर (0.39 करोड़ रूपए मूल्य की 48 सामग्रियाँ) प्रणाली में बिना किसी खरीद कार्रवाई के लम्बित पड़े हुए थे, इन सामग्रियों हेतु उसी संयंत्र द्वारा नये पीआर पुनः सृजित किये गये एवं खरीद हेतु कार्रवाई शुरू की गई।
- (ii) इक्यावन हजार दो सौ उनसठ पीओ के विश्लेषण से यह देखा गया कि 3249 मामलों में (76.79 करोड़ रूपए) डिलीवरी नौ महीनों से अधिक समय से लम्बित थी (जून 2007) एवं 990 मामलों में (18.80 करोड़ रूपए) आंशिक डिलीवरी की गई।

पीआर एवं क्रय-आदेशों जिनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई की सामयिक समीक्षा एवं हटाने हेतु पताकाकारण के अभाव से क्रय आवश्यकताओं का अनुचित आकलन हो सकता है क्योंकि लम्बित पीआर एवं क्रय-आदेशों को भी भविष्य की क्रय-आवश्यकताओं की योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि उन मांग पत्रों को बन्द करने हेतु जिन पर कोई खरीद कार्रवाई आवश्यक नहीं थी, कार्रवाई दिसम्बर 2007 तक पूरी कर ली जायेगी। यह भी बताया गया कि पुराने लम्बित पीओ की समीक्षा भी की जा रही थी ताकि डिलीवरी न करने योग्य आदेशों को रद्द किया जा सके।

8.6.6.3 स्टॉक हस्तांतरण आदेशों का लम्बी अवधि से लम्बन

स्टॉक ट्रांसफर आर्डर (एसटीओ) माल को एक जगह से दूसरी जगह आन्तरिक हस्तांतरण हेतु सृजित किया जाता है। यह देखा गया कि 17 जून 2007 को, 107 एसटीओ तीन महीनों से पूरे नहीं किये गये थे एवं उनमें से 64 एसटीओ छः महीनों से अधिक समय से पूरे करने हेतु लम्बित थे। 31 मार्च 2007 को प्रबंधन ने अभिनिश्चित किया कि 3.26 करोड़ रूपए मूल्य के 151 एसटीओ अपूर्ण रहे। तथापि, प्रबंधन ने बकाया एसटीओ के संयोजन किये बगैर अपने वर्ष 2006-07 के लाभ हानि खाते में उपयोग न होने वाले 89 एसटीओ के स्टॉक जो तीन महीने पुराने थे, हेतु 1.65 करोड़ रूपए का प्रावधान किया। तथापि, यह देखा गया कि इन 89 एसटीओ में से, 36.02 लाख रूपए मूल्य के 14 एसटीओ पहले ही मार्च 2007 तक पूरे कर दिये गये थे।

इससे मालसूची के शेषों की विश्वसनीयता एवं सत्यता पर कुप्रभाव पड़ा क्योंकि एसटीओ के अधीन मदों का भौतिक स्थापन असत्यापित एवं अपुष्ट रहा।

प्रबंधन ने बताया (जून 2007) कि वह इस दिशा में नियंत्रण के प्रयास कर रहा था एवं लम्बी अवधि से लम्बित एसटीओ के समायोजन हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

8.6.6.4 विसंगति प्रतिवेदन

विसंगति प्रतिवेदन (डीआर) प्रबंधन द्वारा खराब गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्ति, कम प्राप्ति, अप्राप्ति अथवा सामग्री क्षतिग्रस्त/टूट-फूट की रिपोर्ट हेतु विकसित की गई थी। रिपोर्ट ने इंगित किया (9 जून 2007) कि कुल 870 मामलों में से, केवल 50 मामलों में डीआर या तो बन्द कर दी गई थी अथवा रद्द कर दी गई थी एवं 820 मामलों में डीआर गलत आपूर्ति (18 मामले), कम आपूर्ति (311 मामले), मार्गस्थ क्षति एवं टूट-फूट (122 मामले), अस्वीकरण (274 मामले) एवं अन्य (95 मामले) कारणों की वजह से खुली रही। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 654 मामलों (6 करोड़ रूपए) में डीआर 3 से 19 महीनों तक बकाया थी एवं 735 मामलों में (14.61 करोड़ रूपए) डीआर रिपोर्ट में किसी दावे के सन्दर्भ व तिथि अभाव में की गई कार्रवाई उपलब्ध नहीं थी। 22 विदेशी पीओ की खुली डीआर की आगे जाँच में यह देखा गया कि रिपोर्ट की गई विसंगति की तिथि से पूर्व ही भुगतान कर दिया गया था।

प्रबंधन ने बताया (जून 2007) कि कई मामलों में डीआर रिपोर्ट को अद्यतन नहीं किया गया था इसलिए प्रचलित रिपोर्ट में नवीनतम स्थिति नहीं दर्शाई गई थी। इस प्रकार, इस प्रकार की रिपोर्ट के सृजन से विशेष रूप से विदेशी क्रय-आदेशों जहाँ भुगतान प्रायः सामग्री की प्राप्ति से पूर्व कर दिया जाता है, की निगरानी एवं रिपोर्टिंग हेतु कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। प्रबंधन ने आगे बताया (अक्टूबर 2007) कि अब डाटा अपडेट कर दिया गया है।

8.6.6.5 स्टॉक की भौतिक गणना

माल सूची की भौतिक गणना (स्टॉक का सत्यापन) एक महत्वपूर्ण नियंत्रण है जो भण्डारण पद्धति की कुशलता एवं प्रभावकारिता, नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं को उद्घाटित करता है। लेखापरीक्षा समीक्षा में निम्न विसंगतियाँ उद्घाटित हुईं:

- (i) नॉन-स्टॉक मदों की भौतिक गणना (31 मार्च 2007 को, 226 भण्डार स्थानों पर पड़े हुए, 32.65 करोड़ रूपए) नहीं की गई। प्रणाली से यह भी देखा गया कि 246 भण्डार स्थानों में से जहाँ स्टॉक मदें थी (31 मार्च 2007 को 263.40 करोड़ रूपए) 2006-07 में 18 भण्डार स्थानों पर स्टॉक मदों (68.85 करोड़ रूपए) का भौतिक सत्यापन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, मनभूम भण्डार स्थान पर कम कीमत वाले भण्डार (104 मदें-5.99 लाख रूपए) की भौतिक गणना मार्च 2007 में की गई परन्तु उसे प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया।
- (ii) प्रणाली से यह देखा गया कि 976 मदें जिनके लिए 22 जून 2007 तक भौतिक सत्यापन सृजित किया गया था, 797 मदों की गणना 36 से 353 दिनों की समाप्ति के बाद भी लम्बित थी। इन मामलों में से 337 मामलों में 'मालसूची की फ्रीजिंग'+ भी नहीं हुई थी।

इस प्रकार, स्टॉक की भौतिक गणना की निगरानी हेतु ईआरपी प्रणाली के उचित उपयोग के अभाव में प्रबंधन, स्टोर रख-रखाव पद्धति, नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं की कुशलता एवं प्रभावकारिता का अभिनिश्चय नहीं कर सका।

प्रबंधन ने मालसूची नियंत्रण प्रबंधन में सुधार हेतु लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियाँ नोट की (सितम्बर 2007)। यह भी बताया गया (अक्तूबर 2007) कि वर्तमान में लगभग 150 सामग्रियों का साप्ताहिक आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

8.6.6.6 प्लायर्स रिलेशन्स मापांक

सप्लायर्स रिलेशन्स मापांक (एसआरएम) के मापांक का प्रयोग ई-खरीददारी के माध्यम से खरीद हेतु किया जाता है। कम्पनी ने इस मापांक के माध्यम से 10 प्रतिशत (स्वदेशी खरीद) से 20 प्रतिशत (विदेशी खरीद) खरीद प्रक्रिया करने का विचार किया था। लेखापरीक्षा समीक्षा में उद्घाटित हुआ कि जुलाई 2006 से मई 2007 के दौरान खरीद हेतु संसाधित किए गए, 3351 क्रय-आदेशों में से (विदेशी 383 एवं स्वदेशी 2968) कम्पनी ने इस मापांक के माध्यम से अभी तक (जून 2007) 18 मामले संसाधित किए हैं एवं ई-निविदाकरण अभी तक परीक्षण स्तर पर जारी था। इस प्रकार 28.48 लाख रूपए में इस मापांक हेतु खरीदे गए सर्वर्स का सफल उपयोग नहीं हुआ था।

* स्टॉक सत्यापन के समय, भण्डार मदों का आगामी लेन-देन बन्द कर दिया जाता है।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि एक करोड़ रूपए से अधिक की स्टॉक सामग्रियों की खरीद एसआरएम मापांक के माध्यम से की जायेगी।

8.6.7 सुरक्षा

8.6.7.1 पहुँच अधिकृत करना -कार्य क्षेत्र से अधिक अधिकृत करना

- (i) यह अवलोकित किया गया कि आठ सदस्यों की टीम जिन्हें प्रणाली तक पूर्ण पहुंच के लिए अधिकृत किया गया था को मार्च 2007 से जून 2007 के दौरान उनके पैतृक विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया था एवं दूसरा काम दे दिया गया था परन्तु उन्हें प्रदत्त पूर्व पहुंच अनुमोदन प्रणाली में अभी भी जारी था।
- (ii) यह देखा गया (जून 2007) कि क्रय-मांग-पत्र एवं क्रय-आदेश का सृजन एवं अनुमोदन, माल प्राप्ति, विक्रेता के बिल का संसाधन एवं भुगतान आदि मामलों की दौड़ में अर्थात् खरीद के पूरे चक्कर खरीद के मांग-पत्र से शुरू होकर खरीद की हुई मर्चों के भुगतान तक, 65 अधिकृत उपयोगकर्ता थे। इन 65 उपयोगकर्ताओं में से, 41 कोर टीम सदस्यों में से थे एवं अन्य 24 दिन प्रति दिन के लेखा व वित्त विभाग (22), प्रशासन विभाग (1) एवं खाड़ी अन्वेषण परियोजना (1) के कामों से सम्बन्धित थे।

इस प्रकार, विभिन्न कोर कार्यों को करने वाले उपयोगकर्ताओं के कार्यों के बँटवारे की समीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि कई ऐसे उपयोगकर्ता हैं जिन्हें अपनी आबंटित भूमिका को पूरी करने हेतु आवश्यक पहुंच से अधिक पहुंच थी।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि पूरी प्रक्रिया की लेखापरीक्षा हेतु अधिकृत आवश्यकता सहित एक सलाहकार नियुक्त किया जा रहा था एवं उनके विश्लेषण के आधार पर, आवश्यक संशोधन मई 2008 तक किये जायेंगे। प्रबंधन ने यह उत्तर भी दिया कि विसंगतियों को सुधारने हेतु आन्तरिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी।

8.6.7.2 प्राधिकरण की निगरानी का अभाव

- (i) 1 जनवरी 2006 से 26 जून 2007 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के यूजर अकाउंट के विश्लेषण में यह देखा गया कि 16 कार्यकारियों के यूजर अकाउंट उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् 9 से 265 दिन तक चालू रहे। उपरोक्त में से, 10 कार्यकारियों (तीन सामग्री/अनुबंध विभाग सम्बन्धित कार्यकारी) ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी लॉग ऑन किया। चूंकि प्रणाली में

यूजर द्वारा परिवर्तनों की लेखापरीक्षा की अनुपालना नहीं की जाती, उपरोक्त सेवानिवृत्त कार्यकारियों द्वारा प्रणाली के माध्यम से किये गये लेन-देन को ढूँढना सम्भव नहीं था।

- (ii) लेखापरीक्षा समीक्षा में उद्घाटित हुआ कि 27 जून 2007 तक 186 वैध यूजर्स ने 180 दिन तक लॉग ऑन नहीं किया था एवं 17 यूजर्स ने अपने प्रारम्भिक पासवर्ड नहीं बदले थे। इन यूजर्स के यूजर अकाउंट बन्द नहीं किये गये थे।
- (iii) यह अवलोकित किया गया कि प्रणाली में किसी वर्ड/कैरेक्टर सिक्वेस जिनका पासवर्ड के रूप में प्रयोग अनुमत नहीं था को प्रतिबंधित करने की सुविधा का प्रावधान था, परन्तु इसका उपयोग नहीं किया गया।

इस प्रकार, उचित निगरानी के अभाव में अनधिकृत पहुँच का काफी प्रकटन हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2007) कि यूजर्स की निगरानी पहले ही प्रक्रिया में थी एवं यूजर्स सूची को सतत रूप से अद्यतन किया जा रहा था। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन नियंत्रण में अपर्याप्तता स्पष्ट थी क्योंकि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी प्रणाली में लॉग ऑन कर सकते थे। प्रबंधन ने आगे बताया कि प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से वे प्रणाली को एचआर मापांक से जोड़ने की सम्भवनाओं की तलाश कर रहे थे जो मई 2008 तक पूरी होगी।

8.6.7.3 हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन में अनुमोदन एवं अपूर्ण परिवर्तन का अभाव

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि:

- (i) प्रणाली में रिजर्वेशन के अनुमोदन के सम्बन्ध में किसी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं था एवं इसकी मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्त्य रूप से जारी थी।

प्रबंधन ने आश्वासन दिया (सितम्बर 2007) प्रणाली में आवश्यक वर्कफ्लो के सृजन के साथ रिजर्वेशन आधारित अनुमोदन की प्रक्रिया कार्यान्वित की जाएगी।

- (ii) मांगी गई सामग्री की चेंज हिस्ट्री न तो प्रणाली में रिजर्वेशन में न ही सम्बन्धित रखरखाव आदेश में कैपचर की गई।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि क्लाइंट रिजर्वेशन स्तर में परिवर्तन की विशेषता का प्रावधान परीक्षण एवं प्रणाली लोड के विश्लेषण के पश्चात् अपनाया जायेगा।

8.6.7.4 स्टॉक मदों को अपलोड करने से पूर्व सामग्री को बट्टे खाते में डालना

भौतिक सत्यापन के आधार पर स्टॉक मदों को प्रणाली में अपलोड किया गया एवं 2005-06 में कम्पनी द्वारा 7.50 करोड़ रु. मूल्य की मदों को बट्टे-खाते में डाला गया। तथापि, न तो भौतिक सत्यापन रिपोर्ट न ही बुक स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक के समायोजन खाते की पूर्ण सॉफ्ट कॉपी/हार्ड कॉपी जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित बट्टे खाते में डाली गई मदों का विवरण हो, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई।

दुलियाजान भण्डार के एक पार्ट लेजर की समीक्षा में यह देखा गया कि सामग्री डाटा अपलोड करने से पूर्व भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में आई कमियाँ/आधिक्य, सामग्री के कुल स्टॉक मूल्य को कम/अधिक पाई गई मात्रा के प्रचलित मूल्य के अनुसार घटाया/बढ़ाया नहीं गया। इसकी बजाय, किसी भी कमी/अधिक्य हेतु, सामग्री के निर्गम मूल्य को आधिक्य की अवस्था में बढ़ाकर एवं कम पाई गई मात्रा की अवस्था में घटाकर समायोजित कर दिया गया। लेखापरीक्षा नमूना जाँच में उद्घाटित हुआ कि यह मूल्य सामग्री को अपलोड करने हेतु अपनाया गया था। प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2007) कि मूल्य समायोजन पर इंगित की गई त्रुटिय संवीक्षाधीन थीं एवं आवश्यक सुधार 2007-08 के लेखों के दौरान कर दिया जायेगा।

8.7 निष्कर्ष

कम्पनी द्वारा अपनी कारबार प्रक्रिया की कुशलता एवं प्रभावकारिता में सुधार, विश्व में सर्वोत्तम के समान लागत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत एवं विश्व के सर्वोत्तम प्राप्तकर्ताओं की लीग में प्रवेश पाने हेतु उत्पादकता में सतत सुधार के उद्देश्य से ईआरपी कार्यान्वित की गई। तथापि, ईआरपी प्रणाली के परिचालन के आधार पर दिसम्बर 2005 से लगभग दो वर्ष की अवधि के दौरान एवं लेखापरीक्षा में सम्मिलित विषयों की संख्या की मात्रा तक, यह देखने में आया कि बहुत से मामलों में प्रणाली में पर्याप्त डाटा इनपुट नियंत्रण एवं वैधीकरण जाँच नहीं थी। न ही यथार्थ एवं सामयिक डाटा कैंपचर को सुनिश्चित करने हेतु कोई आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया बनाई गई थी। मास्टर डाटा में अवलोकित विसंगतियाँ डाटा संग्रह, प्रणाली में अपलोड किये जा रहे डाटा से किसी त्रुटि को दूर करने हेतु डाटा सत्यापन की कमजोरी की सूचक थीं। इसके अतिरिक्त, प्रणाली का सामग्री मांग नियोजन हेतु ईष्टतम उपयोग नहीं किया गया था और न ही पूरक गतिविधियाँ, जैसे स्टॉक की भौतिक गणना की मानीटरिंग, स्थापित की गई थी अथवा क्रियाशील थी इस प्रकार, अपर्याप्त नियंत्रण एवं ईआरपी के प्रबंधन ने सामग्री प्रबंधन हेतु इसकी प्रभावकारिता एवं कुशलता को अब तक (नवम्बर 2007) कम करके आंका है।

8.8 सिफारिशें

प्रबंधन को चाहिए:

- इनपुट नियंत्रण, वैधीकरण नियंत्रण एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को सशक्त करें ताकि यथार्थ एवं सामयिक डाटा कंप्यूटर सुनिश्चित किया जा सके।
- समीक्षा करें एवं समीक्षा एवं लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों के आधार पर मास्टर डाटा को क्लीन करें तथा उन त्रुटियों को ठीक करने हेतु जिन्होंने प्रणाली को क्रैश कर दिया था रिपोर्टों को प्रचलित करें।
- मास्टर डाटा की सामायिक समीक्षा हेतु प्रक्रियाएँ निर्धारित करें।
- बेहतर सामग्री प्रबंधन हेतु प्रणाली का उचित उपयोग करें।
- संव्यवहारों एवं प्रणाली तक पहुंच की निगरानी एवं अधिकृत नियंत्रण को सशक्त करें।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2007), उसका उत्तर प्रतिक्षित था।

रेल मंत्रालय

अध्याय: IX

कोंकण रेल निगम लिमिटेड

ईआरपी के वित्तीय लेखांकन मापांक

मुख्य बातें

रेल अप्लीकेशन पैकेज (आरएपी) के विकास और कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब था।

(पैरा 9.3)

जेआरएपी नाम की जावा बेस्ड प्रणाली के अन्तर्गत सतरह मापांकों में से मात्र एक (एफएमापांक) का कार्यान्वयन हुआ था यद्यपि 3.96 करोड़ रुपये का पूर्ण भुगतान किया गया था।

(पैरा 9.5)

कतिपय महत्वपूर्ण डिजाइन आवश्यकताएं या तो परिकल्पित नहीं थी अथवा परिकल्पित थी किन्तु उसकी डिजाइन नहीं बनायी गई थी और कार्यान्वित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मैनुअल कंट्रोल पर निर्भरता रही।

(पैरा 9.5.1.1 से 9.5.1.3)

अन्य मापांकों के साथ एफए मापांक के लिकेज एवं इन्टरफेसेज यद्यपि परिकल्पना का आज तक कार्यान्वयन नहीं हुआ था (सितम्बर 2007)

(पैरा 9.5.2)

वैधीकरण जाँच अपर्याप्त थे जिसके परिणामस्वरूप हस्त्य व्यवधान हुए।

(पैरा 9.5.3)

9.1 प्रस्तावना

कोंकण रेल निगम लिमिटेड (केआरसीएल) की कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 1990 में स्थापना की गयी थी जिसका मुख्य उद्देश्य रोहा और मंगलौर के बीच (760 किमी) जिसे कोंकण रेल के नाम से

जाना जाता था, सार्वजनिक और मालभाड़ा परिवहन हेतु सुसमन्वित रेल प्रणाली बनाने हेतु ब्राडगेज रेल लाइन के निर्माण एवं प्रचालन था।

प्रभावी कार्यचालन बनाने में केआरसीएल ने आरएपी के रूप में ज्ञात ईआरपी प्रणाली का विकास किया जिसमें सात मापांक थे जिसका 1995 में टाटा इन्फोटेक लिमिटेड (टीआईएल) द्वारा विकास किया गया था और 2001 में कार्यान्वयन किया गया था। आरएपी के मुख्य उद्देश्य संगठन के विभिन्न वित्तीय एवं प्रचालन कार्यों में दक्षता बढ़ाने और निर्णय लेने में कम्पनी के बोर्ड निदेशक की सहायता करने में विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों का समय से सृजन था। 2004 के दौरान केआरसीएल ने जेआरएपी के रूप में ज्ञात जावा बेस्ड प्रणाली के आरएपी प्रणाली को रिइंजीनियर करने का निर्णय लिया।

आईटी प्रणाली को आईटी ग्रुप (आईटीजी) जिसका मुख्यालय बेलापुर, नवी मुम्बई था, द्वारा व्यवस्थित किया गया था जो प्रबन्ध निदेशक के अधीन प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा था।

9.2 लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

इस आईटी लेखापरीक्षा में ईआरपी प्रणाली के समग्र उद्देश्य, इसका विकास जेआरएपी-एफए मापांक पर मेन फोकस के साथ कार्यान्वयन और अन्य मापांक* के साथ लिकेज की समीक्षा शामिल है। इसमें विद्यमान विभिन्न नियंत्रणों के विश्लेषण अर्थात् जनरल आईटी कन्ट्रोल और जेआरएपी-एफए मापांक के अप्लीकेशन कन्ट्रोल शामिल था।

9.3 रेलवे अप्लीकेशन पैकेज

"इन्फोर्मिक्स 4 जीएल" प्रोप्राइटी डिवलपमेंट टूल का उपयोग कर 5.26 करोड़ रुपये पर छः वर्षों की अवधि में आरएपी का विकास हुआ था। फ्रन्ट एन्ड फार्म का इन्फोर्मिक्स 4जीएल फार्म का उपयोग करते हुए विकास किया गया था और "इन्फोर्मिक्स डायनेमिक सर्वर" का उपयोग कर आरडीबीएमएस में डाटा रखा गया था। सेन्ट्रल डाटाबेस निगमित कार्यालय, नवी मुम्बई में रखा गया था जबकि विपरीत डाटाबेस "इन्फोर्मिक्स स्टैंडर्ड सर्वर" का उपयोग करते हुए 59 स्टेशन में रखा गया था जो डेडिकेटेड ऑप्टिकल फाइबर केबिल लिंक के माध्यम से जोड़ा गया था। डिजीटल एल्फा सर्वर का आपरेटिंग प्रणाली (ओएस) के रूप में डिजीटल यूनिक्स का उपयोग करते हुए अप्लीकेशन साफ्टवेयर चलाने हेतु उपयोग किया गया था। 2002 में वारंटी की समाप्ति के बाद केआरसीएल ने आंतरिक प्रणाली बनाया था क्योंकि प्रणाली के रख-रखाव हेतु टीआईएल द्वारा उद्धृत दर अत्यधिक उँची थी। तथापि, वर्षों (2002-04) में केआरसीएल ने उत्पादन के बिना अल्फा, इन्फोर्मिक्स फार्म के प्रोप्राइटी डिवलपमेंट टूल्स

* आपरेशन एंड ट्रेन कन्ट्रोल, कामर्शियल कोचिंग, कामर्शियल फ्रेट, क्लेम्स मापांक, रोलिंग स्टाक सीएंड डब्लू, रोलिंग स्टाक मोटिव पावर सिगनल एंड टेलीकम्युनीकेशन मॉनटॅनंस, इलेक्ट्रिकल मॉनटॅनंस, ट्रैक एंड स्ट्रक्चर मॉनटॅनंस, वित्तीय लेखाकरण, व्यय प्राधिकरण, वार्षिक लेखा, यातायात लेखा, भंडार एवं मालसूची, वैयक्तिक प्रबन्धन, सिक्योरिटी प्रशासन, स्वास्थ्य प्रबन्धन।

प्राप्त करने की असमर्थता जिससे वर्तमान फार्म का आशोधन अत्यंत जटिल हो गया था, जैसी प्रणाली के भविष्य के सम्बन्ध में समस्या का सामना किया था, फ्रंट एंड के रूप में इन्फोर्मिक्स 4 जीएल के उपयोग मात्र कैरेक्टर यूजर इन्टरफ़ेस (सीयूआई) को अनुमत करता है जो बदले में वर्तमान अनुप्रयोग इत्यादि को वेब समर्थ बनाने का अनुमत नहीं करता है। इस निष्कर्ष पर कि उपरोक्त फ़ैक्टरों के कारण प्रौद्योगिकीय डेड एंड हेतु आरएपी शीर्षक था, केआरसीएल ने जेआरएपी के रूप में ज्ञात ओपन एंडेड जावा बेस्ड प्रणाली में बदलने हेतु आरएपी को रिंजीनियर करने का निर्णय लिया था (अप्रैल 2004)।

9.4 जावा बेस्ड रेलवे अप्लीकेशन पैकेज

जावा बेस्ड रेलवे अप्लीकेशन पैकेज (जेआरएपी) में आरएपी को रिंजीनियरिंग के कार्य को 2.78 करोड़ रुपये की लागत पर मैसर्स अमृता टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को प्रदान किया गया था (अप्रैल 2004)। पुराने कारबार नियम बनाये रखते हुए वन टू वन आधार पर जेआरएपी में आरएपी का माइग्रेशन शामिल था और अप्रैल 2005 तक पूरा होना अथवा कार्यान्वयन होना था। जेआरएपी में आरएपी के माइग्रेशन की परियोजना लेने से पहले केआरसीएल ने यह विचार करते हुए वर्तमान प्रणाली के तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन अथवा समीक्षा नहीं किया कि पर्याप्त समय बीत गया था क्योंकि पैकेज का विकास किया गया था। रिंजीनियरड जेआरएपी डाटाबेस सभी ईआरपी मापांको के कार्यचालन हेतु बेलापुर, नवी मुम्बई में सर्वर पर उपलब्ध है। नवी मुम्बई केन्द्र में प्रतिष्ठापित डम्ब टर्मिनल^७ लाइन्स ओएस के साथ सेन्ट्रल अप्लीकेशन एक्सीयन सर्वर के साथ जोड़े गए थिन क्लाइंट^८ के साथ प्रतिस्थापित किए जाते हैं।

9.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अप्रैल 2005 तक कार्यान्वित की जाने वाली जेआरएपी शिड्यूल को एफए मापांक को छोड़कर उस तारीख तक (सितम्बर 2007) कार्यान्वयन नहीं किया गया था जो उल्लिखित पैराग्राफ 5.1 यथा वर्णित विसंगतियों के साथ जनवरी 2007 तक कार्यान्वयन किया गया था। प्राक्कलित 2.78 करोड़ रुपये से 3.96 करोड़ रुपये तक लागत में वृद्धि हुई थी और केआरसीएल ने फर्म को पूर्ण भुगतान नहीं किया था यद्यपि जेआरएपी में आरएपी के सतरह मापांकों के माइग्रेशन का कार्यान्वयन नहीं किया गया था। तीन वर्षों के बाद सभी मापांक के जेआरएपी में आरएपी से माइग्रेशन न होना प्रक्रिया के प्रयोजन को न केवल विफल करता है किन्तु मूल्य वर्द्धन के बिना दोनों प्रणालियों को बनाये रखने के साथ केआरसीएल को छोड़ दिया था।

^७ प्रोसेसिंग क्षमताओं के बिना डिस्ट्रे मानीटर और आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है जो सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा को स्वीकार करता है।

^८ इसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नेटवर्क में लीन क्लाइंट कम्प्यूटर अथवा क्लाइंट साफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था जो प्रोसेसिंग कार्यकलाप हेतु सेन्ट्रल सर्वर पर मूल रूप से निर्भर है और यूजर एवं रिमोट सर्वर के बीच इनपुट और आउटपुट पर मुख्य रूप से केन्द्रित है।

9.5.1 जेआरएपी-एफए मापांक

जेआरएपी मापांक ईआरपी प्रणाली की मेरूदंड है। वित्तीय एवं लेखांकन मापांक और अन्य मापांक के साथ लिकेज के महत्त्वपूर्ण को विचार करते हुए जेआरएपी-एफए मापांक के कार्यचलन की लेखापरीक्षा की गयी थी और यह पाया गया था कि:

- (i) कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यकलापों की प्रणाली विकास के दौरान परिकल्पना नहीं की गई थी और फलस्वरूप कतिपय कार्यकलाप जो यूजर की आवश्यकता के हिस्से थे, उनकी डिजाइन/विकास किया नहीं गया था ;
- (ii) कतिपय कार्यकलापों की विसंगतियों के साथ डिजाइन बनायी गयी थी/उनका विकास किया गया था;
- (iii) अन्य मापांक के साथ एफए मापांक के लिकेज एवं इन्टरफेसेस का अभी कार्यान्वयन किया जाना था (सितम्बर 2007)
- (iv) वैधीकरण जाँच अपर्याप्त थे, कारबार नियमों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन समाविष्ट/अद्यतन नहीं किए गए थे, और
- (v) कारबार निरन्तरता और आपदा राहत प्रणाली अदक्ष थी।

पाई गई विसंगतियाँ निम्नवत थी:

9.5.1.1 महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ जिनकी परिकल्पना नहीं की गयी थी

- (i) क्षेत्रवार शेष परीक्षण करने हेतु प्रणाली की परिकल्पना नहीं की गई थी हालाँकि पृथक क्षेत्रीय लागत केन्द्र रखे गये थे। इस प्रकार, प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों का मानीटर और निष्पादन मूल्यांकन नहीं कर सकी।
- (ii) सरल कार्य जैसे स्रोत पर कर कटौती बिक्री कर, अन्य कर इत्यादि का परिकलन प्रणाली के माध्यम से करने हेतु परिकल्पना नहीं की गई थी। इस प्रकार, उपरोक्त मदों की वसूली/कम वसूली का परिकलन किया जाना था और उनका मानीटरन हस्त्य रूप से किया गया था।
- (iii) लेखांकन अवधि जिससे बिल सम्बन्धित था, का पता लगाने हेतु प्रणाली की परिकल्पना नहीं की गई थी। इस प्रकार, महत्त्वपूर्ण सूचना जैसे बकाया देयताएँ, सम्बन्धित लेखांकन अवधि के पूर्वप्रदत्त खर्चे प्राप्त नहीं की जा सकी थी। उदाहरणार्थ, एक ठेकेदार/आपूर्तिकार के बिल जो 2006-07 लेखांकन अवधि से सम्बन्धित था, 2007-08 में लेखाबद्ध किया जा सके और इसके विपरीत 2007-08 अवधि हेतु पूर्वप्रदत्त बीमा 2006-07 में व्यय के रूप में बुक किया जा सके।

- (iv) ठेके जैसे समापन तारीख, विस्तार की संख्या, माफ की गई शास्ति, विलम्बित समापन/आपूर्ति हेतु उद्ग्रहीत/माफ किया गया ब्याज से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना की परिकल्पना नहीं की गई थी जिसमें प्रणाली आधारित मानीटरन और ठेकों के निष्पादन का मूल्यांकन हो।

इस प्रकार, दोषपूर्ण आयोजना और आवश्यकता विनिर्देशनों से महत्वपूर्ण लेखांकन पहलुओं पर हस्त्य प्रचालन पर निरन्तर आधारित रही, इस प्रकार, ईआरपी प्रणाली के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण का मूल प्रयोजन विफल रहा।

9.5.1.2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ जिसकी परिकल्पना की गई थी किन्तु बनायी नहीं गयी थी

- (i) स्टेशन स्टाल के सम्बन्ध में किराया बिलों, बिजली/अन्य प्रभारों, रेलवे साइडिंग के रख-रखाव हेतु सेवा प्रभारों इत्यादि जैसे कार्यकलापों से आय प्राप्त करने हेतु प्रणाली की परिकल्पना की गई थी, किन्तु उसके लिए प्रावधान प्रणाली में नहीं बनाये गये थे जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त कार्य हस्त्य रूप से अभी भी किए जा रहे थे (सितम्बर 2007);
- (ii) यह परिकल्पना की गई थी कि परिसम्पत्ति रजिस्टर (ग्रुप/अवस्थितिवार) और चालू पूँजी कार्य के डाटा प्रणाली के माध्यम से रखा गया और अद्यतन किया गया होगा किन्तु उसका प्रावधान प्रणाली में निर्मित नहीं था।
- (iii) यह योजना बनायी गयी थी कि कम्पनी द्वारा किए गए निवेश प्रणाली के माध्यम से मानीटर किया जाएगा जिससे अधिशेष निधियों का उचित प्रबन्धन हो किन्तु उपयुक्त प्रावधान प्रणाली में समाविष्ट नहीं किए गए थे।
- (iv) ठेकेदारों/आपूर्तिकारों से प्राप्त प्रतिभूति जमा, बैंक गारंटी के ब्यौरों को प्राप्त करने और इन साधनों की वैधता का मानीटर करने की प्रणाली में आशा की गई थी। तथापि, इस जाँच हेतु कोई प्रावधान प्रणाली में नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप यह हस्त्य रूप से किया जा रहा था।

इस प्रकार, प्रणाली के माध्यम से किए जाने वाले परिकल्पित कार्य/कार्यकलाप के प्रावधान न करने से हस्त्य उपयोग हुआ और कम्प्यूटरीकरण का कम उपयोग हुआ।

9.5.1.3 प्रणाली डिजाइन विसंगति

- (i) स्वीकृत निविदा दरों से ऊपर अथवा नीचे प्रतिशतता के रूप में दरों का परिकलन करते हुए प्रणाली नहीं बनायी गई थी। इसके परिणामस्वरूप कार्य की न केवल पुनरावृत्ति हुई किन्तु हस्त्य नियंत्रण पर निर्भरता बढ़ी।

- (ii) खाता बही के अथशेष को प्रणाली ने नहीं दर्शाया था जिसके परिणामस्वरूप तलपट बनाने हेतु हस्त्य उपयोग के माध्यम से इनका समावेशन हुआ।
- (iii) मास्टर डाटाबेस बनाने के बाद प्रणाली ने डाटा की प्रविष्टि के समय सुसंगत पाप-अप इंटीग्रेटी सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित था। इससे आपूर्ति ठेका, कार्य ठेका और विविध ठेकों के सम्बन्ध में उसी पक्षकार हेतु बहुविध पक्षकार कोड हुए।

उपरोक्त विसंगतियों से हस्त्य उपयोग हुआ जिससे कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए ।

9.5.2 एफए मापांक के साथ विभिन्न मापांको का इन्टरफेस और लिकेज हुआ

यह विचार करते हुए कि वित्तीय एवं लेखांकन कार्यकलाप अन्य कार्यकलापों के साथ व्यापक रूप से इंटीग्रेटेड हैं एफए मापांक की परिकल्पना अन्य मापांक के साथ इन्टरलिकेज करने हेतु की गई थी। तथापि, चूँकि एफए मापांक जेआरएपी में प्रचालनात्मक है इसलिए परिकल्पित लिकेज एवं इन्टरफेस आज तक (सितम्बर 2007) कार्यान्वयन नहीं हो सका था।

9.5.3 वैधीकरण जाँच

यह सुनिश्चित करने हेतु वैधीकरण जाँच अपेक्षित है कि प्रोसेसिंग हेतु प्राप्त डाटा वैध, पूर्ण, शुद्ध, उचित रूप से प्राधिकृत था और सुनिश्चित करने हेतु बिना पुनरावृत्ति के समय पर प्रविष्ट किया गया था कि डाटा कारबार नियमों के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा में पाई गई वैधीकरण की जाँच की कुछ विसंगतियाँ नीचे दर्शायी जाती हैं:

- (i) प्रणाली में ठेका शर्तों के सत्यापन परिहार करते हुए "विविध भुगतान" (एमपी) मापांक के माध्यम से ठेका अथवा खरीद आदेश से सम्बन्धित विभिन्न बिलों की बुकिंग प्रणाली ने अनुमत की थी हालाँकि ऐसे बिल, बिल भुगतान योग्य (बीपी) मापांक उदाहरणार्थ खरीदा गया एचएसडी ऑयल, भंडार खरीद, कार्य आदेश, के अन्तर्गत बुक किये जाने अपेक्षित थे। 2004-07 अवधि के बिलों के डाटा विश्लेषण से पता चला कि प्रत्येक 50 लाख रूपये से अधिक के 568 बिल और 776.41 करोड़ रूपये बीपी के बजाय एमपी के माध्यम से बुक किए गए थे।
- (ii) प्रणाली ने अपने क्षेत्राधिकार के विभिन्न बैंकों के साथ लागत केन्द्र को वैधीकरण नहीं किया था जिससे निधियों का हस्तांतरण हो सके। इसके एक बैंक से निधियों के हस्तांतरण का जोखिम हुआ जो लागत केन्द्र के क्षेत्राधिकार में नहीं था।

9.5.4 प्रबन्धन नियंत्रण परिवर्तन

ईआरपी प्रणाली को प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु कारबार नियमों/तर्क में अभिलेखन और समावेशन हेतु कार्य प्रणाली को शामिल करते हुए एक सुदृढ़ परिवर्तन प्रबन्धन प्रणाली में प्रावधान और कार्यविधि होने चाहिए। यह अवलोकन किया गया था कि केआरसीएल द्वारा बनायी गयी परिवर्तन प्रबन्धन कार्यविधि पर्याप्त नहीं थी क्योंकि इसमें माल परिवहन, रोक संचलन, छूट, प्रतिदाय, विलम्ब शुल्क, विश्रामालय, विज्ञापन, खान-पान/विक्रेता सेवा, यातायात आय इत्यादि से सम्बन्धित परिवर्तन प्रणाली में समावेशन/अद्यतन किए जाने हेतु कारबार नियमों में अधिकांश महत्वपूर्ण परिवर्तनों हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

9.5.5 आपदा राहत और कारबार निरन्तरता

ईआरपी प्रणाली की महत्ता एवं नाजुकता को विचार करते हुए यह सुनिश्चित करने हेतु विद्यमान सुदृढ़ आपदा राहत एवं कारबार निरन्तरता योजना केआरसीएल के लिए अनिवार्य है कि सम्भाव्य आपदा होने पर कम्पनी के हित एवं क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। केआरसीएल द्वारा बनायी गयी योजना त्रुटिपूर्ण थी जैसे प्राइमरी सर्वर के उसी कमरे में रेप्लिका सर्वर को रखना, बैंक अप डाटा की पुनःप्राप्ति के परीक्षण एवं जाँच हेतु कार्यविधि का न होना, अग्नि/जल संसूचक अग्निशामक इत्यादि जैसे पर्यावरणीय उपस्करों के कार्यान्वयन एवं अनुक्षण हेतु प्रशिक्षण इसके अतिरिक्त इसने प्रणाली साफ्टवेयर के सही/चालू रूप/आपाती हाट साइट नहीं रखा था जो आपदा राहत हेतु अनिवार्य है।

9.6 निष्कर्ष

आरएपी अनुप्रयोग साफ्टवेयर के विकास एवं कार्यान्वयन में छः वर्षों (1995-2001) का अत्यधिक विलम्ब था। के आरसीएल ने तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप केआरसीएल प्रणाली को चालू रखने में और जेआरएपी (2004) के प्रति विकसित आरएपी (2001) के कार्यान्वयन के तीन वर्षों के भीतर कठिनाई का सामना कर रहा था। यद्यपि 17 लिंक मापांक के साथ जेआरएपी अप्रैल 2005 तक कार्यान्वयन किए जाने हेतु परिकल्पित था। 3.96 करोड़ रुपये का पूर्ण भुगतान पहले ही किया गया है। तथापि सतरह मापांकों में से मात्र एक (एफएमापांक) जनवरी 2007 तक कार्यान्वित हुआ था। जबकि एफए मापांक में महत्वपूर्ण प्रणाली आवश्यकताएँ थी कि उनकी परिकल्पना नहीं की गयी थी अथवा नहीं बनायी गयी थी। अन्य मापांक जिसकी परिकल्पना की गयी थी, के साथ क्रिटिकल इन्टरफेस सम्भव नहीं थे क्योंकि अन्य मापांक आज तक (सितम्बर 2007) जेआरएपी में कार्यान्वित नहीं हुए थे। वैधीकरण जाँच अपर्याप्त थे जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण हस्त्य रूप से अभी भी किए जा रहे थे। आपदा राहत एवं कारबार निरन्तरता योजना विद्यमान नहीं थी जिससे डाटा का प्रकटन हुआ और डाटा की हानि के संभाव्य जोखिम कारबार के साथ रहा। इस प्रकार, ईआरपी प्रणाली के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य पूरे नहीं हो सके थे।

9.7 सिफारिशें

- जेआएपी के शेष सोलह मापांकों समय सीमा के अन्तर्गत कार्यान्वयन होना चाहिए और विभिन्न मापांक के बीच लिंकेज/इन्टरफेस सम्भव हो
- प्रणाली डिजाइन में विसंगतियाँ, वैधीकरण नियंत्रण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कारबार नियमों/तर्क में परिवर्तनों को समाविष्ट करना चाहिए और प्रणाली में प्राप्त महत्वपूर्ण सूचना वैधीकरण नियंत्रण के अध्यक्षीन होनी चाहिए ताकि सही एवं समय से एमआईएस प्रभावी निर्णय लेने में प्रबन्धन को सहायता करने के लिए सृजित किया जा सके।
- आपदा राहत और कारबार निरन्तरता योजना की आवधिक रूप से समीक्षा, पूर्ण, अद्यतन और परीक्षण करना चाहिए।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2007), उत्तर प्रतीक्षित था।

इस्पात मंत्रालय

अध्याय X

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

केन्द्रीय विपणन संगठन में सीएमओआईटी समर्थित प्रणाली

मुख्य बातें

प्रणाली में इनपुट और वैधीकरण नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप डाटा अविश्वसनीय रहा।

(पैरा 10.5.1)

सीएमओआईटीईएस और संयंत्र के बीच इंटीग्रेशन के अभाव के परिणामस्वरूप संचलन योजना के प्रति सामग्री के अधिक प्रेषण के सम्बन्ध में अपर्याप्त नियंत्रण।

(पैरा 10.5.3(ii))

कम्पनी प्रणाली की डिजाइन बनाने और विकास करने की एसडीएलसी कार्यप्रणाली को अपनाने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों के बीतने के बाद भी सीएमओआईटीईएस के मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

(पैरा 10.5.4)

10.1 प्रस्तावना

भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र इस्पात विनिर्माण कम्पनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) भारतीय अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र जैसे आटोमोबाइल, कृषि, निर्माण इत्यादि के अलावा रेलवे, रक्षा और विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह पाँच इंटीग्रेटेड इस्पात संयंत्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष 13 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करता है।

सेल के बिक्री और वितरण नेटवर्क केन्द्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) में चार क्षेत्रीय कार्यालय, स्टॉक यार्ड के साथ 34 शाखा बिक्री कार्यालय (बीएसओ), चार शाखा परिवहन एवं जहाजरानी कार्यालय, आठ परेषण एजेन्सी यार्ड, प्राधिकृत वितरक और कन्वर्शन एजेन्ट शामिल है। सेल की सम्पूर्ण आंतरिक (घरेलू) बिक्री सीएमओ के माध्यम से की जाती है, जहाँ विभिन्न बीएसओ को ग्राहक आदेश देते हैं

और संयंत्र से बीएसओ स्टाकयार्ड को सामग्री की डिलिवरी की जाती है। कोलकाता स्थित सीएमओ को मुख्यालय का प्रमुख कार्यकारी निदेशक (ईडी) जैसे ईडी (फ्लैट प्रोडक्ट्स) ईडी (लांग प्रोडक्ट्स) ईडी (परिवहन एवं जहाजरानी) इत्यादि होता है जो सम्पूर्ण घरेलू बिक्री प्रचालन का पर्यवेक्षण करता है और सेल निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में निदेशक (वाणिज्यिक) को सूचित करता है। नई दिल्ली में स्थित सीएमओ का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल विदेश व्यापार कार्यकलाप, मुख्यतः निर्यात की देखरेख करता है।

सेल के आईटी विजन का लक्ष्य "ग्राहक केन्द्रित नेतृत्व को प्राप्त करने हेतु आईटी लागू करना, लागत प्रभावकारिता और वर्द्धित लाभप्रदता, उत्पाद गुणवत्ता और संगठन में सूचना आवश्यकता की पूर्ति कर संतुष्टि" है।

इसे ध्यान में रखकर सीएमओआईटी युक्त प्रणाली 2004 में बनायी गयी थी जिसका लक्ष्य "इंटीग्रेटेड, यूनिफार्म, सुसंगत और अद्यतन सूचना प्रणाली जो सही समय पर निर्णय लेने की शक्ति देती है" के साथ सीएमओ को उपलब्ध करवाना था।

सीएमओआईटीईएस के उद्देश्य थे:

- (i) मैनुअल कार्य को यांत्रिक करना-मैनुअर लेजर को बन्द करना ;
- (ii) सृजित डाटा में शुद्धता मुहैया करना ;
- (iii) शाखाओं एवं स्टाक यार्डों, बिक्री निवासी प्रबन्धक, उत्पाद प्रबन्धन ग्रुप इत्यादि को इंटीग्रेटेड प्रणाली मुहैया करना ;
- (iv) विभिन्न कार्य-तलपट, स्टाक एवं बिक्री विवरण इत्यादि के प्रचालन और समेकन कार्य में गति लाना
- (v) प्रचालनात्मक दक्षता सुधार करना ;
- (vi) एमआईएस बेहतर एवं तीव्रतर करना।

सम्पूर्ण परियोजना आंतरिक रूप से की जानी थी और 12 महीनों के भीतर पूरी की जानी थी जब आन लाइन प्रचालन शुरू होना था।

वर्तमान ब्रांच एवं स्टाकयार्ड (बीएंडएस) प्रणाली पूर्ण रूप से पुनः डिजाइन बनायी जानी और पुनः विकसित की जानी थी। डिसेन्ट्रलाइज्ड प्रचालन की वर्तमान पद्धति के प्रति प्रस्तावित प्रणाली प्रचालन हेतु सभी प्रयोक्ताओं द्वारा असेस किए जाने वाला सेन्ट्रल डाटाबेस होगी। डिस्टाटर रिकवरी साइट जो मेन साइट का प्रतिबिम्ब होगी, किसी कारणवश मेन साइट को खोलने के मामले में प्रचालनात्मक होगी।

इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट प्लानिंग प्रणाली (आईपीपीएस) नये अनुप्रयोग में इंटीग्रेटेड होगा ताकि योजना एवं नयी बी एंड एस प्रणाली का सेन्ट्रल डाटाबेस होगा।

10.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विस्तृत लेखापरीक्षा उद्देश्य निम्नवत थे:

- (i) सीएमओआईटीईएस में रखे गए डाटा की इंटीग्रिटी के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करना
- (ii) प्रणाली में नियंत्रणों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना
- (iii) प्रणाली के समग्र कार्यचालन की समीक्षा

10.3 लेखापरीक्षा अवधि और कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा की अवधि जनवरी 2006 से मार्च 2007 तक थी। लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र आईटी नीति की समीक्षा करना और लेखापरीक्षिति के परिवेश नियंत्रण करना था ताकि यह निर्धारण हो कि क्या लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुआ था। इसमें बड़ी मात्रा अभिलेखित करने वाले बीएसओ के डाटा की जाँच-पड़ताल करने के साथ-साथ हैदराबाद के साफ्टवेयर डिवलपमेंट सेन्टर (एसडीसी) की समीक्षा शामिल थी।

10.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में शामिल था:

- (i) साफ्टवेयर की आयोजना एवं विकास से सम्बन्धित प्रलेखन (प्रयोक्ता, विनिर्देशन, प्रणाली आवश्यकता विनिर्देशन और अन्य अभिलेख) का अध्ययन।
- (ii) प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रहण
- (iii) प्रणाली की नियंत्रण जाँच का परीक्षण (डम्मी डाटा का उपयोग)।
- (iv) लेखापरीक्षा के कहने पर प्रबन्धन द्वारा निकाले गये सभी शाखा कार्यालयों (सीएएटी के माध्यम से) से सम्बन्धित आफ साइट डाटा का विश्लेषण। अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि हेतु स्टॉक यार्ड बिक्री के साथ-साथ प्रत्यक्ष (संयंत्र से क्रेता) के सम्बन्ध में प्राप्त सभी बीएसओ के डाटा लेखापरीक्षा के कहने पर विकसित लेखापरीक्षा मापांक के माध्यम से सीएमओआईटीई प्रणाली से एसडीसी, हैदराबाद द्वारा निकाले गये थे।

10.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

10.5.1 इनपुट नियंत्रण एवं वैधीकरण जाँच

इनपुट नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं कि प्रोसेसिंग हेतु प्राप्त डाटा यथार्थ, पूर्ण है जिसे पूर्व में प्रोसेसिंग नहीं किया गया है, सही और उचित रूप से प्राधिकृत है और बिना आवृत्ति के सही रूप में दर्ज है। डाटा

की शुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इनपुट नियंत्रण के साथ संयुक्त उपयुक्त डाटा वैधीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थीं।

इनपुट नियंत्रण

(i) डुप्लीकेट अखिल भारतीय पक्षकार कोडों एवं पक्षकार नामों का होना

अखिल भारतीय पक्षकार कोड (एआईपीसी) एक यूनीक अल्फा न्यूमरिक आईडी जो आनुमानिक आधार पर सेल के ग्राहकों को चिन्हित करता है, सीएमओ मुख्यालय, कोलकाता द्वारा आबंटित था। चूँकि एआईपीसी के आधार पर सभी लेनदेन किए गए थे, इसलिए प्रत्येक एआईपीसी यूनीक था। तथापि लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 591 पक्षकारों को एक से अधिक एआईपीसी आबंटित किया गया था। इनपुट नियंत्रण के अभाव से डुप्लीकेट एआईपीसी की विद्यमानता हुई। यूनीक एआईपीसी के अभाव में आनुमानिक आधार पर पक्षकार के सभी लेनदेनों को पता लगाना सम्भव नहीं था।

(ii) असामान्य क्रेडिट सीमा

इस्पात मीट्रिक टन (एमटी) में बेचा जाता है और इस्पात के निम्नतर ग्रेड का लगभग बाजार मूल्य प्रति एमटी 27,000 रूपये था। कम्पनी की नीति के अनुसार पक्षकारों को दी गई क्रेडिट सीमा लाख में पूर्णांकित में होती थी। तथापि, नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया था कि 11 पक्षकारों को असामान्य क्रेडिट सीमा अर्थात् एडवांस स्टील टयूब्स लिमिटेड और असम स्क्रिग लिमिटेड के मामले में मात्र एक रूपया और अन्यो में भेल के मामले में मात्र 26 रूपया दी गई थी।

वैधीकरण जाँच

(iii) ब्लैक लिस्टेड पक्षकारों को दी गई चैक एवं क्रेडिट सुविधा

नमूना जाँच से पता चला कि चार ब्लैक लिस्टेड पक्षकारों को चैक सुविधा दी गई थी और एक मामले में ब्लैक लिस्टेड पक्षकार वैधीकरण नियंत्रणों के अभाव के कारण क्रेडिट सुविधा दी गई थी।

(iv) संचलन योजना

प्रोडक्शन डिस्पेच हेतु संचलन योजना खरीद आदेश बुकिंग के आधार पर प्रणाली में बनायी गयी थी।

विश्लेषण से पता चला कि प्रणाली ने खरीद आदेश तारीखों के रूप में भविष्य तारीखों को स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप 43495 अभिलेखों में से आठ अभिलेख (रांउरकेला इस्पात संयंत्र) के सम्बन्ध में संचलन योजना की प्रविष्टि तारीख खरीद आदेश की तारीख से काफी पहले दर्शायी गयी थी। तारीखों में अंतर 363 दिनों से 1451 दिनों के बीच था। पाँच मामलों में खरीद आदेश का वर्ष 2010 के रूप में दर्ज था।

(v) प्रस्ताव पत्र

स्टाक यार्ड में पड़ी सामग्री के सम्बन्ध में बीएसओ द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र (ओएल) बिक्री हेतु उपलब्ध सामग्री के ब्यौरे दर्शाता है और ऐसे प्रस्ताव के जारी करने की तारीख से सात दिनों हेतु वैध था। विश्लेषण के दौरान यह पाया गया था कि एक मामले में प्रणाली ने 31/03/2020 के रूप में ओएल की वैधता स्वीकार की।

(vi) रेलवे रसीद तारीख से पहले जारी बीजक

प्रत्यक्ष प्रेषण के मामले में जहाँ सामग्री परेषिती को प्रत्यक्ष रूप से प्रेषण किया गया था रेलवे रसीद (आरआर) उस संयंत्र में तैयार की गयी थी जहाँ ग्रहक को प्रेषित सामग्री के ब्यौरे भेजे जाते थे। कार्य प्रवाह के अनुसार बीजक आरआर बनाने के बाद तैयार किए जाने थे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 18 मामलों में बीजक तारीख आरआर तारीख से पूर्व थी। बीजक तारीख और आरआर तारीख के बीच अंतर 2 दिनों से 40 दिनों के बीच थी।

(vii) डाटा में विसंगतियाँ

संयंत्र से स्टोक यार्ड में सामग्री प्रेषण करते हुए सामग्री के भार, विवरण, गन्तव्य इत्यादि के ब्यौरे के परेषण संज्ञापन तैयार किया जाता है और समाग्री वैगनों में लदान एवं प्रेषित की जाती है। वैगन ब्रांच स्टोकयार्ड में प्राप्त होने के बाद वैगन आगमन रिपोर्ट (डब्लूएआर) प्रणाली में बनायी जाती है। संयंत्र से बीएसओ में सीए की प्राप्ति पर सीए डब्लूएआर के साथ जोड़ा जाता है और वैगन में ढोयी गयी सामग्री प्रणाली में प्रविष्टि की जाती है।

इस प्रकार, कार्य प्रवाह के युक्तियुक्त तारतम्य और प्रलेख सृजन के अनुसार "परेषण संज्ञापन तारीख" "वैगन आगमन तारीख" से पूर्व की होनी चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि विभिन्न शाखाओं के सम्बन्ध में 893 मामलों में "वैगन आगमन तारीख" "परेषण संज्ञापन तारीख" से पहले की पायी गई थी। विलम्ब 1 दिन से 362 दिनों के बीच था।

नमूना जाँच से पता चला कि वैगन लदान एवं प्रेषण किए जा रहे थे और सीए बाद में तैयार किए जा रहे थे।

इस प्रकार सीएमओआईटीईएस में विद्यमान डाटा विश्वसनीय नहीं था।

10.5.2 कारबार नियमों की नान मैपिंग

सभी सुसंगत कारबार नियम चिन्हित एवं अनुप्रयोग में समाविष्ट किए जाने अपेक्षित है जिससे आईटी के लाभ प्राप्त हो और कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य प्राप्त हो। डाटा विश्लेषण से कारबार नियमों की नान मैपिंग का पता चला जैसाकि नीचे ब्यौराबद्ध है:

क्रेडिट बिक्री पर अपर्याप्त नियंत्रण

ग्राहकों की क्रेडिट सीमा ग्राहक द्वारा प्रस्तुत साख-पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) के आधार पर क्रेडिट अथोराइजेशन मेमो (सीएएम) में परिभाषित था। क्रेडिट सीमा की प्रभावी जाँच बनाये रखने हेतु सीएएम मापांक में किए गए नवीनतम लेनदेन को हिसाब में लेकर ग्राहक की वास्तविक क्रेडिट सीमा प्रदर्शित करनी चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि कुछ क्रेडिट लेन देन के बाद ग्राहक के खाते में विद्यमान शेष क्रेडिट शेष के विरोध के रूप में पूर्ण सीएएम राशि को प्रदर्शित करना प्रणाली में जारी रहा। इस प्रकार उस तारीख तक ग्राहक की शेष क्रेडिट सीमा अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

युक्तियुक्त रूप में सीएएम को जब जब बीजक भेजे जाते हैं, प्राधिकृत करना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि ग्राहकों को सूचना-पत्र के जारी करने के बाद ही सीएएम को प्राधिकृत किया गया था। नौ बीएसओ के जनवरी 2007 से मार्च 2007 तक की अवधि हेतु क्रेडिट बिक्री से सम्बन्धित डाटा की संवीक्षा पर यह पाया गया था कि 2554 मामलों में बीजकों के निर्गम की तारीख के बाद सीएएम को प्राधिकृत किया गया था। सीएएम के निर्गम में विलम्ब 8 दिनों से 116 दिनों के बीच था।

सीएएम के बनाने में उपरोलिखित विलम्ब को परिहार किया जा सकता था यदि सीएएम के निर्गम की प्रक्रिया संयंत्र से आनलाइन की जाती, ताकि एलसी/बीजी समय पर प्रस्तुत करने में ग्राहक समर्थ हो। इसके अतिरिक्त, सामग्री की उठाई हेतु निर्गम आदेश एलसी/बीजी के ब्यौरे दर्शाते थे और वर्तमान में हस्त्य सृजन के बजाय प्रणाली से सीएएम सृजित हो सका था।

10.5.3 प्रणाली डिजाइन

प्रणाली डिजाइन में पाई गई कमियाँ ब्यौराबद्ध है:

(i) आंतरिक बिक्री/टीएंडएस मुख्यालय

कम्पनी नीति के अनुसार, दोषपूर्ण पायी गयी सामग्री दो आधारों पर कम्पनी को लौटायी जा सकती है: यदि वह दोषपूर्ण पायी गयी थी अथवा कुछ कारण हेतु सम्पूर्ण सामग्री को उठाने में ग्राहक असमर्थ था। इस प्रकार कम्पनी के स्टॉक यार्ड को लौटाया गया स्टॉक यार्ड को विपथित सामग्री (एमडीएसए) कहा जाता है।

तथापि, या तो दोषपूर्ण सामग्री से सम्बन्धित डाटा प्राप्त करने अथवा गुणवत्ता शिकायत के आधार पर लौटायी गई सामग्री और निधियों के अभाव या अन्यथा के कारण ग्राहक द्वारा लौटायी गयी सामग्री के बीच अंतर करने हेतु सीएमओआईटीईएस में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं था। स्टॉकयार्ड में दोषपूर्ण सामग्री लाने में आयी लागत प्रणाली के माध्यम से अनुपलब्ध थी। इसके परिणामस्वरूप प्रबन्धन दोषपूर्ण एवं निम्नतर लागत के डाउन ग्रेड के रूप में लौटायी गई सामग्री की राशि के अवधारण हेतु हस्त्य रूप में "गुणवत्ता शिकायत रजिस्टर" प्रबन्धन रखता है।

(ii) सीएमओआईटीईएस और संयंत्र के बीच इंटीग्रेशन का अभाव

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि संयंत्र एवं सीएमओ एक कामन प्लेटफार्म पर नहीं थे और सीएमओ द्वारा प्रयुक्त उत्पाद कोड और संयंत्र समान भी नहीं थे जिसकी वजह से बिक्री निवासी प्रबन्धक, सीएमओ से डाटा संचलन/प्रेषण योजना की तैयारी हेतु सम्बन्धित संयंत्र को आनलाइन सम्प्रेषित नहीं किया जा सका। सीएमओआईटीईएस के पास संचालन योजना की कतिपय अनुबद्ध प्रतिशतता से अधिक प्रेषणों पर दर्शाना/ध्यान केन्द्रित करने के निर्मित तंत्र नहीं था।

बीएसओ सिकन्दराबाद एवं त्रिची से सम्बन्धित प्लेट मिल (पीएम) प्लेट्स के सम्बन्ध में मार्च 2006 के महीने हेतु संचलन योजना की समीक्षा से यह पाया गया था कि संचलन योजना के अनुसार 15609 एमटी के प्रति पीएम प्लेट्स के 19755.657 एमटी का प्रेषण किया गया था। अधिक प्रेषण संचलन योजना की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक था।

1 अप्रैल 2006 से कीमत में वृद्धि थी और प्लेट्स की कीमत में प्रभावी वृद्धि मार्च/अप्रैल 2006 में प्रचालित अधिकतम रिबेट को विचार करते हुए प्रति एमटी 2700 रूपये थी। अतएव यह प्रमाणित था कि वास्तविक संचलन योजना में अधिक प्रेषण से 1.12 करोड़ रूपये (4146.657 एमटी प्रति एमटी 2700 रूपये की दर पर) तक अतिरिक्त राजस्व संग्रहण होगा, यदि अप्रैल 2006 में उनका प्रेषण हुआ था।

(iii) कम्पनी के विपणन परिपत्रों/नीतियों का अनुपालन

दिन प्रतिदिन के कम्पनी दिशानिर्देशों और परिपत्र प्रणाली में समाविष्ट किए जाने थे ताकि सुनिश्चित हो कि कम्पनी की बतायी गई नीतियों/कार्यविधियों का अनुपालन किया गया था। तदनुसार प्रत्येक प्रत्यक्ष प्रेषण बिक्री क्रेडिट अथवा नकद वित्तीय व्यवस्था द्वारा कवर किया जाना था। क्रेडिट बिक्री हेतु

कवरेज ग्राहक/बीजी/एलसी के अग्रिम के रूप में होना चाहिए जबकि नकद बिक्री के सम्बन्ध में स्थायी वित्तीय व्यवस्था (पीएफए) होना चाहिए। तथापि, लेनदेन को वर्गीकृत करने हेतु या तो बिक्री के स्वरूप अथवा वित्तीय व्यवस्था करने हेतु प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं था।

(iv) हस्त्य रूप में परिकलन ब्याज

सीएमओआईटीईएस के पास ब्याज परिकलन हेतु मापांक है। तथापि, ब्याज परिकलन हस्त्य रूप से किए गए थे। विशेष ग्राहक जैसे एल एंड टी और बीएचईएल को ब्याज न प्रभारित करने की प्रथा कम्पनी के पास है। विशेष ग्राहकों के मामले में ब्याज प्रभारित करने हेतु प्रणाली में प्रावधान के अभाव में सभी अन्य ग्राहकों हेतु सम्पूर्ण ब्याज परिकलन हस्त्य रूप से किया गया था।

नमूना जाँच से पता चला कि क्रेडिट नोट के माध्यम से समायोजित भुगतान को विचार करने के बाद प्रत्यक्ष प्रेषण के मामले में 65534 बीजकों में से 1387 बीजक 90 दिनों के बाद प्रदान किया गया पाया गया था। बीजकों के भुगतान में विलम्ब 91 दिनों से 671 दिनों के बीच था। यद्यपि ने बीजक क्रेडिट बिक्री के अन्तर्गत था तथापि प्रणाली में कोई अभिलेख नहीं था कि क्या कोई ब्याज, सामान्य अथवा शास्तिक विलम्बित भुगतान हेतु वसूल किया गया था।

यह भी पाया गया था कि बीएसओ, मद्रास के अन्तर्गत 21.48 करोड़ रुपये के बीजक एक विशेष ग्राहक के प्रति 99 दिनों से 158 दिनों के बीच बकाये थे। इसी प्रकार कलकत्ता शाखा में एक ग्राहक ने 157 बीजकों के मामले में विलम्बित भुगतान किया था, जिसमें विलम्ब 91 दिनों से 140 दिनों के बीच था। बीएसओ, दुर्गापुर के अन्तर्गत एक ग्राहक द्वारा 14 बीजकों के भुगतान के विलम्ब 138 दिनों से 169 तक था।

इस पक्षकारों से वसूल किया गया ब्याज स्पष्ट रूप से अभिनिश्चय नहीं था क्योंकि प्रणाली ने ऐसा ब्यौरा प्राप्त नहीं किया था।

10.5.4 केन्द्रीभूत आईटी योजना का अभाव

आईटी नीति के कार्यान्वयन से कम्पनी के आईटी संसाधन और कारबार प्रक्रियाओं को एकीकृत करना चाहिए ताकि कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आईटी का उपयोग हो। कम्पनी ने अपनी आईटी विजन में उद्यम-वार इंटीग्रेशन, सीमलेस ग्लोबल कम्प्यूनीकेशन, स्पीड एवं एजीलिटी, सूचना संसाधन प्रबन्धन, नालेज डाटाबेस के सृजन और कारबार प्रक्रियाओं को सुधार बनाते हुए लागत प्रभावकारिता की उपलब्धि में कारबार शक्तिप्रदायक के रूप में आईटी की परिकल्पना की थी। तदनुसार इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सीएमओ के लिए आईटी योजनाएँ बनायी गयी थी। तथापि सीएमओआईटीईएस की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था:

प्रणाली डिवलपमेंट लाइफ साइकिल (एमडीएलसी) कार्य प्रणाली प्रणाली की डिजाइन बनाने एवं विकास करने के लिए नहीं बनायी गयी थी। यूआरएस और एसआरएस के अभाव में कम्पनी का सम्पूर्ण कारबार चक्र सीएमओआईटीईएस में नहीं आया था। इसके अतिरिक्त एसडीसी, हैदराबाद के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान बी एंड आर मापांक को नये सीएमओआईटीईएस में इस प्रकार अपनाया एवं कार्यान्वयन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप बी एंड एस प्रणाली के वर्तमान त्रुटि सीएमओआईटीईएस में चली आयी थी।

समय सूची के अनुसार सीएमओआईटीईएस प्रोजेक्ट पूर्ण होना था और 2004 की समाप्ति तक आनलाइन होना था। तथापि, प्रणाली के अध्ययन एवं प्रोजेक्ट प्रलेखों से पता चला कि तीन वर्षों के बाद भी सम्पूर्ण सीएमओआईटीईएस प्रणाली विद्यमान नहीं था। मात्र सीएमओआईटीईएस के मापांक में से होम सेल्स मापांक पूर्ण हुआ था। परिवहन एवं जहाजरानी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल मापांक अभी पूर्ण होना था जबकि शाखा परिवहन जहाजरानी के मामले में मात्र स्टॉक लेखांकन मापांक के माध्यम से किया गया था। एसआरआईएस मापांक वेतन चिट्ठा की तैयारी के सम्बन्ध में मात्र कार्यात्मक था। अतएव, सीएमओआईटीईएस के कार्यक्षेत्र की पूर्ति नहीं हुई थी क्योंकि बी एंड एस प्रणाली की तुलना में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी।

10.5.5 मैनुअल रजिस्टर का रख-रखाव

सीएमओआईटीईएस के बताये गए उद्देश्य सभी हस्त्य प्रचालन को कम्प्यूटरीकृत करना था। यद्यपि सीएमओआईटीईएस दिसम्बर 2004 में कार्यान्वयन किया गया था फिर भी क्रेडिट बिक्री रजिस्टर, क्षतिपूर्ति बांड रजिस्टर, परिवहन/प्रहस्तन, बिल रजिस्टर, रेल प्राप्ति रजिस्टर जैसे मैनुअल रजिस्टर कम्पनी रख रही थी। इस प्रकार, ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में मैनुअल अभिलेखों को रखना सीएमओआईटीईएस के कार्यों की न केवल पुनरावृत्ति थी किन्तु प्रणाली की अपूर्णता और प्रबन्धन के विश्वास की कमी का पता चलता है।

10.6 निष्कर्ष

सेल ने सीएमओआईटीईएस का कार्यान्वयन किया जिसका लक्ष्य इंटीग्रेटेड, समान एवं अद्यतन प्रणाली को प्राप्त करना था जिससे वह केंद्रित नेतृत्व और वर्द्धित लाभप्रदता को प्राप्त करने में समर्थ हुआ होगा।

तथापि, कम्पनी कारबार कार्यकलापों के मैप बनाने हेतु एसडीएलसी से सम्पर्क करने में विफल रही। कारबार नियमों की अपूर्ण मैपिंग के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति बनी जिसमें कम्पनी के पूर्ण कार्यकलाप प्रणाली में नहीं आ सकता है जिनकी वजह से सीएमओआईटीईएस के कार्यान्वयन के बाद विभिन्न कार्यकलाप हस्त्य रूप से किया जाना जारी रहा। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त इनपुट और वैधीकरण नियंत्रण के कारण डाटा की विश्वसनीयता का पूर्णतः आश्वासन नहीं दिया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा


बतायी गयी विसंगतियाँ प्रणाली में बनी रही जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी सीएमओआईटीईएस के बताये गये उद्देश्यों का प्राप्त करने में विफल रही।

10.7 सिफारिशें

- सीएमओआईटीईएस में प्रक्रियाओं और नियमों की पूर्ण मैपिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- हस्त्य व्यवधान को कम करना चाहिए।
- प्रणाली में इनपुट एवं वैधीकरण नियंत्रण डाटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ होना चाहिए।
- सीएमओआईटीईएस एवं संयंत्र संचलन योजना के प्रति नियंत्रण करने में एकीकृत होना चाहिए।

प्रतिवेदन मंत्रालय को भेजा गया था (नवम्बर 2007), उसका उत्तर प्रतीक्षित था।

नई दिल्ली
दिनांक: 11 अप्रैल, 2008



(भारती प्रसाद)

उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 11 अप्रैल, 2008



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

परिशिष्ट- I
(पैसा 1.2 देखें)

क्र.सं.	सर्किल/मेट्रो टेलीकम जिला/टेलीकम क्षेत्र	एसएसए	
1	गुजरात सर्किल	6 एसएसए और डब्ल्यूटीआर का उपक्षेत्र	अहमदाबाद
			मेहसाना
			बड़ोदरा
			सूरत
			वाल्साद
			राजकोट
2	केरल सर्किल	7 एसएसए	त्रिवेंद्रम
			कालीकट
			कान्नौर
			एर्नाकुलम
			कोल्लम
			मालाप्पुरम
3	महाराष्ट्र सर्किल	6 एसएसए और एसटीआर के जीएम (एमटीएनसीई) कार्यालय	पुणे
			गोवा
			रायगढ़
			कल्याण
			नागपुर
			नासिक
4	पंजाब सर्किल	3 एसएसए	जालन्धर
			अमृतसर
			होशियारपुर
5	तमिलनाडु सर्किल	6 एसएसए	पुडुची
			थानजौर
			त्रिची
			मदुराई
			कोयम्बटूर
			सेलम

6	पश्चिम बंगाल सर्किल	3 एसएसए	आसनसोल
			बहरमपुर
			कृष्णानगर
		जोड़: 31 एसएसए	
7	बीएसएनएल, मुख्यालय		
8	बेंगलूर टेलीकम जिला		
9	हैदराबाद टेलीकम जिला		
10	कोलकाता टेलीकम जिला		
11	चेन्नई टेलीकम जिला		
12	वेस्टर्न टेलीकम जिला		
13	ईस्टर्न टेलीकम जिला		
14	नादर्न टेलीकम जिला		
15	सदर्न टेलीकम जिला		

परिशिष्ट- II
(पैरा 1.6.1.1 देखें)

कर्नाटक सर्किल में 409 करोड़ रुपये के ब्यौरे (वसूली/जारी न किए गये बिल)			
		जारी बिल के ब्यौरे	करोड़ रुपये में
एयरटेल	सीएमटीएस	17/05/2006	30.57
वीएसएनएल	एनएलडीओ	08/06/2006	1.93
आरआईएल	एनएलडीओ	17/05/2006	2.70
टाटा	बीएसओ	24/05/2006	0.92
भारती	बीएसओ	06/10/2005	59.40
भारती	बीएसओ	20/12/2005	18.86
भारती	एनएलडीओ	02/05/2006	29.63
आरआईएल	बीएसओ	17/05/2006	68.76
एयरटेल	सीएमटीएस		212.77
बीएसएनएल	एनएलडीओ		
भारती	बीएसओ	जारी न किया गया बिल	196.20
		सकल जोड़	408.97

परिशिष्ट- III
(पैरा 1.6.1.2 देखें)

शास्ति हेतु मासिक कुल अवधि और शास्ति की कम वसूली प्रचालकवार/एक्सचेंजवार दर्शानेवाला

1 गुजरात सर्किल:									
टिप्पणी: टीटीएल: टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड; आरआईएल: रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड									
क्र.सं.	प्रचालक	महीना	एक्सचेंज	उल्लिखित टीजीपी	शास्ति हेतु कुल अवधि	शास्ति हेतु परिकलित अवधि	वसूल की जानेवाली शास्ति (प्रति मिनट उच्चतम दर पर)	वसूल की गई राशि	कम वसूली
					लाख मिनटों में	लाख मिनटों में	करोड़ रु. में	करोड़ रु. में	करोड़ रु. में
1	टीटीएल	मई 2003 से अक्टूबर 2003	भद्रा	एए/ एबी और एए	38.95	32.15	1.77	0.32	1.45
2	टीटीएल	नवम्बर 2003 से मार्च 2004	भद्रा	एए	44.94	33.98	1.87	0.00	1.87
3	टीटीएल	अप्रैल 2004 से जुलाई 2004	भद्रा	एए	62.92	73.88	4.06	0.00	4.06
4	टीटीएल	मई 2003 से नवम्बर 2003	एनवीपी	एए/ एबी और एए	34.39	34.39	1.89	0.00	1.89
5	आरआईएल	मई 2003 से अक्टूबर 2003	भद्रा	एए/ एबी और एए	41.27	41.27	2.27	0.43	1.84
6	आरआईएल	नवम्बर 2003 (14 नवम्बर 2003 तक)	भद्रा	एबी	3.55	3.55	0.20	0.00	0.20
7	आरआईएल	जून 2003 से 14 नवम्बर 2003	एनवीपी	एए/ एबी और एए	25.19	28.00	1.54	0.00	1.54
सकल जोड़								(ए)	12.85
जोड़िए: "बीए" ट्रक ग्रुप पर अनियमित रूप से सौंपे गए काल हेतु वसूल की गई राशि								(बी)	0.86
प्राप्य कुल वसूली (गुजरात सर्किल)								(ए+ बी):	13.71
2 महाराष्ट्र सर्किल									
	प्रचालक	बिल बनायी गयी राशि		प्राप्य राशि	कम बिल बनायी				करोड़ रूपये में
		(रूपये)		(रूपये)	(रूपये)				
	आरआईएल	1,518,395		18,330,112	16,811,717				1.68
प्राप्य कुल वसूली (महाराष्ट्र सर्किल):									1.68

परिशिष्ट - IV
(पैरा 1.6.1.3 देखें)

आईयूसी का बिल न बनाना/बकाये का कम बिल बनाना

टैरिफ आदेश जिसे लागू किया जाना चाहिए	केरल		महाराष्ट्र		बैंगलूर		गुजरात		जोड़	
		रूपये क्रेडिट		रूपये क्रेडिट		रूपये क्रेडिट		रूपये क्रेडिट	रूपये क्रेडिट	रूपये क्रेडिट
सीओ पत्र संख्या 201-15/2003-आरईजीएल. दिनांक 6.2.04 और सीओ पत्र संख्या 201-15/2003 दिनांक 27.2.04	आरआईएल	1.98	आरआईएल से	1.04	आरआईएल	1 फरवरी 2004 से	0.05			3.07
सीओ पत्र संख्या 316-4/2005-आरईजीएल. दिनांक 23.9.2005 और संख्या 331-12/2005-आरईजीएल दिनांक 27.1.2006; इंटरकनेक्ट एग्रीमेन्ट का खंड 6.4.9	आरआईएल	0.72								0.72
आईयूसी रेजीम-2; सीओ पत्र संख्या 210-15/2003-आरईजीएल दिनांक 6.2.2004			आरआईएल	0.70		फरवरी 2004 से अप्रैल 2004				0.70

2008 की प्रतिवेदन संख्या सीए 10

सीओ पत्र संख्या 208-15/2003- आरईजीएल. दिनांक 20.10.2003; दिनांक 5.2.2004; दिनांक 22.12.2004.				आरआईएल एवं हजेज		5.58	आरआईएल	जून 2003 से जनवरी 2004	0.03				5.61
सीओ पत्र दिनांक 5.2.2004; दिनांक 22.12.2004.				आरआईएल	14 नवम्बर 2003 से 31 जनवरी 2004	2.89				आरआईएल	14 नवम्बर 2003 से 31 जनवरी 2004	0.21	3.10
सीओ पत्र संख्या 208-15/2003- आरईजीएल. दिनांक 12.1.2004				आरआईएल और हजेज		0.80					1 मई 2003 से 31 जनवरी 2004	0.02	0.82
सीओ पत्र दिनांक 5.2.2004				आरआईएल	14 नवम्बर 2003 से 31 जनवरी 2004	0.20				आरआईएल	14 नवम्बर 2003 से 31 जनवरी 2004	0.04	0.24
										टीटीएल, आरआईएल	14 नवम्बर 2003 से 30 जून 2005	0.32	0.32
													14.58

परिशिष्ट- V
(पैरा 1.6.1.4 देखें)

14-11-2004 से जून 2005 तक टाटा और आरआईएल के "वाकी" और "अनलिमिटेड कार्डलेस" का कम बिल बनाना/बिल न बनाना (महाराष्ट्र सर्किल में)

एसएसए का नाम	बिल न बनाये गये/कम बिल बनाये गये
	करोड़ रुपये में
पुणे	8.98
कल्याण	0.20
नागपुर	0.80
नासिक	0.11
	10.09

परिशिष्ट- VI
(पैरा 1.6.1.6 देखें)

सीडीआर डाटा के मिलान न करने के कारण अधिक भुगतान

	केरल	गुजरात	पंजाब	जोड़
	करोड़ रुपये में	करोड़ रुपये में	करोड़ रुपये में	करोड़ रुपये में
किया गया अधिक भुगतान	0.96	0.60	0.60	2.16
लेखापरीक्षा द्वारा बताने के बाद वसूल की गई राशि	0.97			(0.97)
वसूल किये जाने वाला शेष:				1.19

परिशिष्ट - VII
(पैरा 1.6.2.2 देखें)

सीआईएल उल्लंघन कम दावों (आईओबीएस) का समेकन

डाटा सेंटर	सर्किल	अवधि	महीना	मामलों की संख्या	करोड़ रुपये में	
मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर्स लिमिटेड, चेन्नई	14 सर्किलों में सभी पीओआई	6 महीने	अगस्त 2005	5	4.34	
			सितम्बर 2005	10	13.65	
			अक्तूबर 2005	7	10.59	
			दिसम्बर 2005	7	4.51	
			जनवरी 2006	4	0.59	
			अगस्त 2006	25	1.60	
			अक्तूबर 2006	17	2.23	
जोड़:				75	37.51	(ए)
मैसर्स महिन्द्रा ब्रिटिश टेलीकम, पुणे	9 सर्किलों में सभी पीओआई	2 महीने	अक्तूबर 2005	5	0.54	
			अगस्त 2006	10	1.19	
जोड़:				15	1.73	(बी)
जोड़ (ए+ बी) :				90	39.24	(ए+ बी)
मैसर्स एचसीएल, नोएडा	महाराष्ट्र सर्किल	नोएडा	जुलाई 2006 से अगस्त 2006	5	5.67	
जोड़:				5	5.67	(सी)
सकल जोड़:				95	44.91	(ए+ बी+ सी)

परिशिष्ट— VIII
(पैरा 1.6.2.3 देखें)
मार्गस्थ प्रभारों का बिल न बनाना

बिल बनाने वाली एजेंसी	अवधि	कम बिल की राशि
		(करोड़ रुपये में)
सदर्न टेलीकाम रीजन/आईओबीएएस डाटा सेन्टर, चेन्नई	जून 2006 से जुलाई 2006	4.61
आईओबीएएस डाटा सेन्टर, पुणे	अगस्त 2005 से फरवरी 2006	13.33
आईओबीएएस डाटा सेन्टर, नोएडा	नवम्बर 2005 से फरवरी 2007	15.44

33.38

2008 की प्रतिवेदन संख्या सीए 10

परिशिष्ट- IX
(पैरा 1.6.2.9 देखें)

अक्टूबर 2006 और जनवरी 2007 हेतु आईओबीएएस में निर्धारित अवधि और सीडीआरएएस के अनुसार अवधि के बीच अवधि में अंतर के कारण राजस्व की सम्भाव्य हानि दर्शानेवाला विवरण

1. पुणे डाटा सेन्टर

सर्किल		आईओबीएएस निर्धारित अवधि से अधिक सीडीआरएएस में अवधि के मामलों की संख्या	अवधि के अंतरों का जोड़	
पंजाब	अक्टूबर 2006	30	122.35	
	जनवरी 2007	23	13.36	
राजस्थान	अक्टूबर 2006	19	1177.88	
	जनवरी 2007	15	1727.58	
यूपी (पूर्व)	अक्टूबर 2006	22	94.17	
	जनवरी 2007	25	75.62	
जोड़		134	3210.96	
राजस्व की समय हानि (प्रति मिनट 0.30 रुपये की दर पर) रुपये			963.29	लाख
			(9.63 करोड़ रुपये में)	(ए)

2. नोयडा डाटा सेन्टर

महीना		आईओबीएएस निर्धारित अवधि से अधिक सीडीआरएएस में अवधि के मामलों की संख्या	अवधि के अंतरों का जोड़ (लाख मिनट में)	
अक्टूबर 2006		59	5897.25	
जनवरी 2007		49	4850.73	
कुल :		108	10747.98	
राजस्व की समय हानि (प्रति मिनट 0.30 रुपये की दर पर): रुपये			3224.394	लाख
			(32.24 करोड़ रुपये)	(बी)
जोड़ (2 महीनों हेतु) :			41.87 करोड़ रुपये	(ए+ बी)
सम्भाव्य राजस्व निः सरण (एक वर्ष के लिए)			252 करोड़ रुपये	(42 करोड़ रुपये x 6)

परिशिष्ट-X (पैरा 1.6.2.7 देखें)					
कम संग्रहीत राशि					
(आईयूसी करार के खंड 7.6 और सीओ पत्र संख्या 352-4/2005 आरईजीएल दिनांक 12-6-2006 के उल्लंघन में)					
	केरल सर्किल		आन्ध्र प्रदेश सर्किल कार्यालय	दक्षिण टेलीकाम क्षेत्र हैदराबाद	जोड़
	करोड़ रुपये में		करोड़ रुपये में	करोड़ रुपये में	करोड़ रुपये में
प्रचालकों से आईयूसी की न्यूनतम राशि का संग्रहण न करना (जहाँ विवादित राशि 2 % से अधिक थी)	7.84	(आरआईएल, 16 मार्च 2006 तक)	13.15	31.79	54.30
	1.52	(टाटा, 12 जून 2006 तक)			
प्रचालकों से आईयूसी की न्यूनतम राशि का संग्रहण न करना (जहाँ विवादित राशि 2 % से कम थी)	0.18	(वीएसएनएल, 14 दिसम्बर 2005 तक)	0.62	0.17	1.05
	0.09	(एयरटेल, 16 मार्च 2006 तक)			

सकल जोड़:

55.35

परिशिष्ट-XII
(पैरा 2.8.4.1 देखें)

सामग्री संहिताकरण में असंगतियाँ)

मैटकोड	बेस यूनिट	डीईएससी
एस3014 एलटी61 -250	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3015 एलटी 61 -250	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3015 एलटी 61-250	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3014 एलटी 61 -251	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3015 एलटी 61 -251	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3015 एलटी 61-251	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3014 एलटी 61 -252	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3015 एलटी 61 -252	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3015 एलटी 61-252	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3014 एलटी 61 -253	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3015 एलटी 61 -253	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल
एस 3015 एलटी 61-253	एम	सेक्सन पीस पार्ट, शेल

